राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का छठा दिवस [संख्या : 4

सोमवार,

2 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार।

प्रश्न काल। श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

कोटपूतली में लम्बित कृषि कनेक्शन

45. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सरकार की वित्तीय वर्ष 2015-16 में किसानों को बिजली कनेक्शन देने की क्या योजना है और उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने विद्युत कनेक्शन किसानों के लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के लम्बित कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) वर्तमान में राज्य में सामान्य श्रेणी के दिनांक 31.1.2009 तक के आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सामान्य श्रेणी के 309 कृषि आवेदकों को मांग पत्र जारी किये गये, जिनमें से 271 आवेदकों द्वारा मांग पत्र राशि जमा करायी गयी एवं जिनमें से 240 आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। शेष 31 कनेक्शन खेतों में फसल खड़ी होने एवं लाइनों के खींचने में भूमि-धारकों द्वारा विवाद किये जाने के कारण लम्बित हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(2) शेष बकाया आवेदकों, जिनमें मांग पत्र जमा हैं, को फसल कटने के उपरान्त/विवाद का निपटारा होने के पश्चात् क्नेक्शन जारी किये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय मंत्रीजी ने बताया कि 271 आवेदकों ने मांग की और 240 लगे हैं; जो 31 कनेक्शन रह गये, उनमें पिछले 8 साल में 7 साल में फसल तो कम से कम 10-12 बार कट चुकी है, जबकि वे अब तक लम्बित हैं। उसमें किसी कर्मचारी से काई मानिटरिंग, कि ये क्यों नहीं लग रहे हैं और किन-किन ऐसे कनेक्शनों में, जिनके ऊपर भूमि का विवाद है...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि 240 कनेक्शन तो आपके रिलीज हो गये हैं; 28 कनेकशन आपके कैंसिल हो गये, जिन्होंने अपने मांग पत्र जमा नहीं किये हैं; 31 कनेक्शन जो डिस्प्यूटेड हैं उनमें लाइन डिस्प्यूट के आपके 24 कनेक्शन हैं, कोर्ट केस में आपके 2 कनेक्शन चल रहे हैं, मात्र 2 केस चल रहे है; जहां बोरिंग या कुआं है ही नहीं, ऐसे पांच आवेदक हैं जिनके पास कुआं भी नहीं है और बोरिंग भी नहीं हैं। इस तरह से आपके 31 कनेक्शन हैं, वह आपके डिस्प्यूटेड हैं।

अण्डर ग्रेस पीरियड हैं, जो ड्रिप इर्रिगेशन है, जो अभी हमने 31 अगस्त, 2014 तक सभी कृषकों को, जिन्होंने आवेदन किया है, उन सबके हमने कनेक्शन रिलीज किये हैं, वे दस कनेक्शन आपके ग्रेस पीरियड में हैं जिनके अभी तक डिमाण्ड पत्र नहीं जारी नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दो।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): मैं दूसरे में पूछ रहा था माननीय मंत्रीजी से कि 2009 के बाद जो कृषि कनेक्शनों के आवेदन हैं, उनके लिए सरकार की क्या, कब तक देने की इच्छा है? और पिछले बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो कृषि कनेक्शनों के बारे में कहा था, उनमें से कितने कनेक्शन अभी तक रिलीज हुए हैं?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): गत बजट में 40 हजार कनेक्शन का प्रावधान रखा था, उसके तहत लगभग 34,447 कनेक्शन हमने जारी कर दिये और कनेक्शन रिलीज भी कर दिये। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ने मंत्रिमण्डल की उप-समिति बनाई है कि भविष्य में कृषि कनेक्शन कैसे दिये जाने चाहिए, उसके लिए एक उप-समिति बनाई है, उसमें अभी तक विचाराधीन है। नई एग्रीकल्चर पालिसी आनी है, उसके तहत आने वाले समय में हम कृषि कनेक्शन रिलीज कर पाएंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): सवा साल हो गया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1.4.2009 से 31.1.2015 तक आपके 2,180 जनरल कनेक्शन पैंडिंग हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): उनमें से अभी जो आप कह रहे हैं, सवा साल से एक भी कनेक्शन आगे रिलीज नहीं हुए हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): नहीं, हमने तीन महीने के कनेक्शन आपको बताये हैं। 271 आवदकों को...

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): 2009 तक के जो कनेक्शन स्वीकृत हुए थे, वे कनेक्शन हैं। 2009 के बाद जो हैं, उनमें से अभी तक सवा साल में...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 31 मार्च, 2009 तक कृषि कनेक्शन रिलीज किये थे हमने, उसके तहत आपके 271 कनेक्शन रिलीज हुए हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): बाकी 2000 कनेक्शन के करीब पैंडिंग हैं, उनके?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): वह आपके 2015 तक, जो 1.2.2015 तक 2,180 कनेक्शन आपके पैंडिंग हैं...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, अब विराजिये, दो सवाल हो गये। रामलालजी, विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली से सम्बनधित है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, कामन है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कामन नहीं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): एक सामान्य जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय ऊर्जा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मंत्रीजी ने माननीया मुख्य मंत्रीजी के 40 हजार कनेक्शन, पिछले बजट में जो उन्होंने घोषणा की थी, उसके बारे में जिक्र किया है। कवेश्चन का एम्बिट तो अपने आप बढ़ गया।

श्री अध्यक्ष: लेकिन सवाल कोटपूतली का है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजखेड़ा): मेरा निवेदन सुन लें आप। आप अलाउ करें, नहीं करें, यह आपकी मर्जी है। क्वेश्चन का ऐम्बिट तो अपने आप बढ़ गया। जब इन्होंने 40 हजार कनेक्शन के बारे में, जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी पिछले बजट भाषण के अन्दर, उसका जिक्र किया यहां पर, तो क्वेश्चन का ऐम्बिट अपने आप बढ़ा है। तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना तो लाजिमी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, केवल कोटपूतली के बारे में। आप विराजिये। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के बारे में है। (व्यवधान) माननीय, इसमें विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली का है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं उसी से सम्बन्धित पूछ रहा हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनको 240 कनेक्शन आपने दिये हैं, डिमाण्ड नोटिस भरने की कितनी अवधि के बाद में उनका कनेक्शन चालू हुआ है और कितने टुकडों में आपने उनको सामान दिया है? कितने टुकड़ों में, दो, तीन, चार टुकड़ों में सामान दिया है? यह बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 290 का तो हमारे पास ग्रेड पीरियड होता है। (व्यवधान)

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): 290 दिन का नहीं, 90 दिन का होता है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 90 दिन तक हम उसके टेण्डर्स निकालते हैं, टेण्डर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद में 90 दिन का हमारे पास ग्रेस पीरियड और उसके बाद में हम कृषि कनेक्शन जारी करते हैं। आप देखिये कि जिसका मांग पत्र पहले भरा है, उसका कनेक्शन उसकी प्रायोरिटी से हम सबसे पहले देते हैं। आज हम सामग्री, कनेक्शन उसको रिलीज करते हैं। उसकी पूरी सामग्री देकर, उसको ठेकेदार के माध्यम से यह काम कराया जाता है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चुनाव के बाद एक भी कनेक्शन नहीं हुआ सवा साल में। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कांग्रेस राज में छह महीने की डिमाण्ड एक साथ निकालते थे और आज की तारीख में आप लोग तीन महीने की डिमाण्ड ही एक साथ निकाल रहे हैं। छह महीने की डिमाण्ड अगर आप लोग इकट्ठी निकालेंगे तो लोगों को फायदा ज्यादा होगा। ...(व्यवधान)...

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): कांग्रेस राज में किसान रोते थे। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप तीन महीनों की डिमाण्ड एक साथ निकाल रहे हैं, इससे किसानों को घाटा हो रहा है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये 40 हजार कनेक्शन... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: यह पूरक प्रश्न का जवाब आ रहा है, सुन लीजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ये 40 हजार कनेक्शन हम इसलिए जारी कर रहे हैं कि यह पूर्ववर्ती सरकार ने...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनें, पहले मेरी बात सुनें, हम 40 हजार कनेक्शन क्यों निकाल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वे जवाब तो दे ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हम 40 हजार कनेक्शन क्यों निकाल रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने एम.ओ.यू. जो साइन किया है, विभिन्न बैकों से और केन्द्र सरकार से जो आपके रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम में आया है, उन्होंने खुद ने डेटवाइज लिखा है कि 2012-13 में हम 40 हजार कनेक्शन देंगे, 2013-14 में 75 हजार देंगे, 2014-15 में 40 देंगे, 2015-16 में हम 40 देंगे, 2016-17 में... यह आपका कागज, उन्होंने जो एम.ओ.यू. साइन किया है ...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कहां दिया है? जिन्होंने डिमाण्ड भर दी, वह भी निकल गया। जो डिमाण्ड निकाली थी, उनको नहीं दिये अभी तक। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आज आप किसानों के साथ कुठाराघात कर रहे हों, छह महीने की देने के बजाय तीन महीने की ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री कालू लाल गुर्जर)

कांग्रेस के राज में 2017 तक का आप लोगों ने समझौता किया हुआ है। आप खुद समझौता करके, उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त कीजिये। कृपया समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कृषि कनेक्शन देते नहीं हैं। एक कनेक्शन नहीं दिया और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, 40 हजार का बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय डोटासराजी, आपकी सरकार ने 2017 तक का समझौता कर रखा है और आप...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कांग्रेस सरकार ने जो डिमाण्ड निकाली थीं, उनको सामान तक अभी आपने नहीं दिया है। आप कह रहे हैं, कनेक्शन दे दिये, कहां कनेक्शन दे दिये आपने? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कनेक्शनों के जो फार्म थे, डिमाण्ड नोटिस देने के बाद में कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। किसान परेशान हैं। (व्यवधान) हमारे शासन में जमा हुए थे। 15 महीने में एक भी कनेक्शन आपने नहीं दिया है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपके राज में एक भी बिजली कनेक्शन नहीं दिया आपने। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक भी कनेक्शन नहीं दिया। केवल बातें चल रही हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): पांच साल में एक भी कनेक्शन जारी नहीं किया आपने। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कनेक्शन देते तो ये सत्ता पक्ष की मेजें आज फुल होतीं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): बी.जे.पी. कार्यकाल की देख लो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके पास लाले पड़ गये। आपके पास सरकार की उपलब्धि गिनाने के लिए वक्ता नहीं हैं। माननीय सदस्य बोलना नहीं चाहते हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी कनेक्शन नहीं दिया आपने। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सबको डिस्काम में ही रखा इन्होंने तो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपके राज में एक कनेक्शन भी जारी नहीं किया आपने। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): एक भी कनेक्शन नहीं दिया आपने। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस की चाल है। इन्होंने तो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 2012 में आपकी सरकार थी ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पांच साल में आपने क्या किया? पांच साल में कनेक्शन आपने दिये ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) आज वह ही फल आप खा रहे हैं। 2012 में आपकी सरकार थी। आज उसी का परिणाम है। यह। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): पाप आप कर रहे हों।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2008 से 2013 तक एक कृषि कनेक्शन नहीं दिया। आज ये बातें कर रहे हैं। एक कनेक्शन नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह काम आपने किया और आज आप उसके खिलाफ बोल रहे हों। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, जो बिजली वाला मामला चल रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह अपन अलग से ले रहे हैं सारा पीछे। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह चर्चा का विषय है। आपने चर्चा का समय दिया था। वह समय आपने अभी तक, पता नहीं, पता नही, आप कब देंगे।

श्री अध्यक्ष: देंगे न।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा यह निवेदन है कि बिजली पर आज ही, इसके बारे में चर्चा करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री घनश्याम। विराजिए। नहीं, ऐसा हो सकता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महादेय, आप चर्चा का समय तो देंगे?

श्री अध्यक्ष: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता। अपना यही सिस्टम है। अभी तो नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। जनरल बहस चलेगी, उस समय बोलिए आप। मैं अभी नहीं दे सकता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो बात ही नहीं सुन रहे। आप ही नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, इस क्वेश्चन के बारे में। (व्यवधान) विराजिये आप। तीन क्वेश्चन हो गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के कनेक्शन की जो बात कर रहे हैं, यह किसान को, जो चोरियां बढ़ रही हैं न, उसमें इनके छह और आठ महीने से डिमांड नोटिस भरे हुए हैं, लोगों के, छह और आठ महीने से। उसमें एक समय में तो तार दे रहे हैं, दूसरी बार पोल दे रहे हैं, और ट्रांसफार्मर आज तक नहीं दिया इन्होंने। एक साल से वहां ट्रांसफार्मर्स पड़े हुए हैं। किसान अपने पैसे लगाकर ट्रांसफार्मर लगाता है। फिर इनकी विजिलेंस जाती है और फिर आप उस पर जुर्माना लगाते हो। यह कहां का न्याय है? आप एक साथ सामान दें। कनेक्शन जितने भी रिलीज हुए ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, यह सबके लिए है। आप सब जो विराजे हुए हैं, उन सबकी समस्या है। मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं।

मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप कनेक्शन रिलीज करो तो उसको तीन महीने के अन्दर तार, पोल, ट्रांसफार्मर दें, तब तो वह किसान

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

जीवित रहेगा, नहीं तो आज तक ट्रांसफार्मर्स नहीं दिये हुए हैं। माननीय मंत्रीजी, इस पर आप जवाब दे दें। छह-छह महीने, एक-एक साल से अभी तक ट्रांसफार्मर्स नहीं दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। मंत्रीजी के जवाब के बाद कोई नहीं बोलेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): दो-दो साल से आपके बूंद-बूंद सिंचाई योजना के कनेक्शन भी पड़े हैं, इनको जनरल कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। इनको जनरल कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, वे बोल रहे हैं, वे जवाब दे रहे हैं। विराजिए आप। आप जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी, आप जवाब दीजिए। इसके बाद कोई इस बारे में पूरक प्रश्न नहीं होगा। बैठिये। नहीं, कोई पूरक प्रश्न नहीं। इस तरह से मैं जनरल डिबेट अलाउ नहीं कर सकता। हां, आप अपना जवाब दीजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा):ताननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जनरल कनेक्शन लगभग 21 हजार 61 हैं और मैं आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष महोदय को बताना चाहूंगा कि लगभग 18 हजार कनेक्शन हमने किसानों को दे दिये और उनके बदले मीटर्स लगाकर उनको कनेक्शन भी जारी कर दिये हैं। कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जिनमें लाइन का विवाद है, या कहीं पर कोई कोर्ट केस है। फिर भी अगर ये दो-तीन हजार कनेक्शन जो आप कह रहे हैं, मैं इनको पन्द्रह दिन के अन्दर, एक महीने के अन्दर कम्प्लीट करके आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आ गया। श्री घनश्याम।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी, आप तो यह बता दें कि ट्रांसफार्मर्स कितने दिये? आपने ट्रांसफार्मर्स कितने दिये?

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

टोडाभीम के थानों में दर्ज प्रकरण

46. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितने आपराधिक

(श्री घनश्याम)

मुकदमे किस-किस थाने में दर्ज किये गये तथा उनमें से पुलिस द्वारा कितनों में एफ.आर. लगा दी गयी तथा कितने मुकदमों में क्या कार्यवाही की गयी? थानेवार व आपराधिक मुकदमेवार की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आपराधिक व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के थानों में दर्ज आपराधिक मुकदमे तथा इन मुकदमों में दी गई एफ.आर. की संख्या व कार्यवाही (चालान) की संख्या निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम थाना	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	एफ.आर.	चालान	पैंडिंग अनुसंधान	गिरफ्तार मुलजिमों की संख्या
1.	टोडाभीम	2014	502	205	282	15	491
2.	बालघाट	2014	211	84	109	18	250
3.	नादौती	2014	315	130	169	16	405
4.	गढ़मोरा	2014	48	22	24	02	41
5.	महावीरजी	2014	78	40	38	0	59
		कुल योग	**1,154**	**481**	**622**	**51**	**1,246**

थानेवार व आपराधिक मुकदमेवार की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए पर है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त होने पर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान करने के पश्चात् अपराधियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के थानों के लम्बित 51 प्रकरणों में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अनुसंधान जारी है। अनुसंधान से जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि विगत एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अच्छे दिन वाली सरकार ने, अगर आंकड़ों का आकलन करें तो पता लगेगा कि केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक वर्ष में आपराधिक घटनाओं का प्रतिशत बढ़ा, जो विगत वर्षों में कभी नहीं देखा गया। माननीय अध्यक्ष महादेय, मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में 1,154 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 50 परसेंट मुकदमों में एफ.आर. लगा दी गयी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मिलीजुली सरकार।

श्री घनश्याम (टोड़ाभीम): मिलीजुली। पुलिस वालों ने मिली-भगत करके पचास परसेंट मुकदमों में एफ.आर. लगायी है। उसके बावजूद, जितने भी चुनाव में हथियार जो जमा किये गये, वे आज किसान, मजदूर, जितने भी लोग हैं, उनके हथियार वापस नहीं दिये जा रहे हैं। आये दिन थानों के चक्कर काटते हैं और पैसे मांगते हैं। पुलिस रोड पर खड़ी होकर रोज रात्रि को, दिन में गांव के ग्रामीण लोगों को परेशान कर रही है। न कोई उनकी सुनने वाला है। ऊपर कहते हैं तो कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। पुलिस आये दिन, जैसे ट्रकों का वहां से होकर निकलना है, आम किसान मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, तो उसको तो तंग करते हैं परन्तु अपराधियों को कोई वहां पर तंग नहीं करता। पिछला आप अगर देखें तो एक साल के अन्दर-अन्दर 1,154 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 50 परसेंट में एफ.आर. लगा दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, जवाब आएगा। विराजिए आप, जवाब आ रहा है।

श्री घनश्याम (टोड़ाभीम): नहीं, पचास परसेंट मुकदमों में एफ.आर. लगा दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महादेय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महादेय, माननीय सदय अगर पूरे आंकड़े देखते तो उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता। 2012 में आपके विधान सभा क्षेत्र में 990 केस दर्ज हुए थे। 2013 में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपके विधान सभा क्षेत्र में, पिछली सरकार जिसकी भी थी, 1,105 मुकदमे दर्ज हुए। इसकी जो बढ़ोतरी है 2012 से 2013 में, वह 11.5 प्रतिशत की है। 2013 में जो 1,105 दर्ज हुए और अभी 2014 में जो दर्ज हुए हैं, वे 1,154 हुए हैं। उसकी जो वृद्धि है, ...(व्यवधान) एक सेकण्ड, समझने की कोशिश करो, उसकी जो वृद्धि है, वह 4.5 प्रतिशत है। 2012 की तुलना में जो वृद्धि थी, उसको हमने कम किया है। 11.5 थी, उसकी जगह वृद्धि केवल 4.5 है। इसका मतलब यह है कि पहले से हमने स्थिति को बेटर करने का प्रयास किया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च का महीना बाकी है। एक साल पूरा नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आपको दूसरा प्रश्न पूछने का मौका दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि पुलिस का जो साल है, अपराध का, पुलिस का जो अपराध का वर्ष है, वह एक जनवरी से 31 दिसम्बर होता है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): समझ गये?

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आप बार-बार ...(व्यवधान) आप जवाब सुन लीजिए, फिर दूसरा प्रश्न करने का मौका दे रहा हूं आपको।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, हमारे यहां पर अपराध का जो हिसाब-किताब होता है, वह एक जनवरी से लेकर 31 दिसम्बर का साल होता है और यह जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, वह एक जनवरी से लेकर 31 दिसम्बर का, 2012 का बता रहा हूं, 2013 का बता रहा हूं, 2014 का बता रहा हूं। ये आंकड़े मैंने तैयार नहीं किये हैं। रिकार्ड बता रहा है, कि 2012 से वृद्धि, केवल आपके विधान सभा क्षेत्र में 11.5 थी, इस साल वह वृद्धि घटकर 4.5 आयी है।

जहां तक एफ.आर. का सवाल है, सामान्यत:, सारे प्रदेश की एफ.आर. की रिपोर्ट मेरे पास है, वह 39.7 परसेंट, टोटल राजस्थान के जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं, उसकी एफ.आर. लगती है। इनके यहां पर जो एफ.आर. का परसेंटेज है, वह 41 आया है, जो स्टेट की एवरेज से 2 परसेंट ज्यादा है। इसको स्वीकार करने में मेरे को कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप यह भी ध्यान रखिये कि केवल, और केवल, आपके इन 1,154 केसों में केवल 51 केस पेंडिंग हैं। यह पेंडेंसी स्टेट की पेंडेंसी से भी कम है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री घनश्याम (टोड़ाभीम): पुलिस की मिलीभगत से जो एफ.आर. लगाई है, क्या आप उनको वापस खोल सकते हो? उनके प्रमाण हैं हमारे पास में। कुछ ऐसे मुकदमे भी हैं जिनमें मुलजिम कह रहे हैं कि माल हमारे पास है, सुनिये, जोगाराम जी, कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिनमें मुलजिम कह रहे हैं कि माल हमारे पास है और उसके बावजूद भी पुलिस ने एफ.आर. लगा दी उन मुकदमों में। मुलजिम कह रहे हैं इस बात को कि हां, माल हमारे पास में है और उसके बावजूद भी पुलिस ने उसमें एफ.आर. लगा दी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, आप उसकी डिटेल दीजिये, अगर उसमें पुलिस के किसी अधिकारी की गलती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा और 100 प्रतिशत आपके सवाल का जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। मदन जी राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: टोडाभीम से सम्बन्धित है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, इसी से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जब 49.60 प्रतिशत एफ.आर. लग रही हैं, तो जो गलत मुकदमे दर्ज करवाते हैं, उन मुस्तगीस के खिलाफ में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आपको जवाब नहीं देना। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सामान्यत: ऐसे ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो एफ आर लगती है, जो गलत मुकदमे दर्ज कराते हैं, कुछ मुकदमों में हम 182 के तहत कार्यवाही जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट से जो हमको इसके बारे में जिस प्रकार का सहयोग चाहिए, उतना नहीं मिलता और उसके कारण से हमारा बहुत समय इसमें जाया जाता है। मुश्किल से अगर हम 500 केस कराते हैं तो तीन केस में हमको उसकी रिलीफ मिलती है। बाकी सब बेकार जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। पूरक प्रश्न। यह टोडाभीम से सम्बन्धित है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष, नहीं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बिलकुल इसको अलाउ नहीं करूंगा। श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ये यह निवेदन करूंगा कि टोडाभीम के माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, हमारे करौली और सवाई माधोपुर में रिकार्डेड कांग्रेस के कार्यकताओं ने कितनी मोटर साइकिलें चोरी कीं और हमारे खण्डार के विधायक की गाड़ी में आग...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रहने दो। परते क्यों खुलवा रहे हों? आपके मंत्री चपेट में आ जाएंगे। (व्यवधान) आपके मंत्री चपेट में आ जाएंगे। कांई के लिए करवा रहे हों?

श्री मान सिंह (गंगापुर): विधायक की गाड़ी में आग लगाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ...(व्यवधान) रिकार्डेड मुकदमे ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपराध रोकने का काम कीजिए, वरना आपके मंत्री तक चपेट में आ जाएंगे। (व्यवधान) अपने 12 महीने ने...

श्री मान सिंह (गंगापुर): ...(व्यवधान) कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ला एण्ड आर्डर की स्थिति तो सम्भली नहीं। (व्यवधान) आप कार्यवाही कीजिए ना। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपराधी कोई पार्टी का नहीं होता है ...(व्यवधान) अपराधी-अपराधी होता है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर): कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिकार्डेड मुकदमे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या प्रमाण हैं? (व्यवधान) कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं सुनेंगे। अपराधी बी जे पी का भी हो सकता है। (व्यवधान) आपके नेताओं पर भी 302 के मुकदमे लगे हैं। (व्यवधान)

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसने माननीय सदस्य को अलाउ किया? (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): जिन्होंने आग लगाई, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है? (व्यवधान) जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने गाड़ी में आग लगाई है...(व्यवधान) कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार को बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी 302 के मुकदमे लगे हैं। कोर्ट में चल ...(व्यवधान) अपराधी है कि नहीं है, इस तरह की अनर्गल बातें करके, सरकार से ला एण्ड आर्डर की स्थिति काबू में नहीं आई, इसको बचाने का काम करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में आग लगाई है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जिसने रिश्वत ली हो, वह रिश्वत की बात, चोरी की बात नहीं करे।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आप सच्चाई को सुनने का ...(व्यवधान) मोटरसाइकिल चोरी में आपके पदाधिकारी हैं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पैसे लिये हों, रिश्वत ली हो, वह रिश्वत की बात, चोरी की बात नहीं करें।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आप सच्चाई को सुनने का माद्दा ... (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पैसे लेते पकड़े गये। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): आपके पदाधिकारी हैं। (व्यवधान) सुनने का माद्दा रखो। (व्यवधान) इस सच्चाई को सुनने का माद्दा रखो। एक विधायक की गाड़ी में आग लगाने ...(व्यवधान) हम कार्यवाही चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष. अब पुकार लिया पूरक प्रश्न। आप कोई जवाब देंगे, माननीय गृह मंत्री? (व्यवधान) उन्होंने जो पूरक प्रश्न किया है? सुनाई ही नहीं दिया।

अगला सवाल। डा. जसवन्त सिंह यादव।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु कार्य योजना

47. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़). क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्वाइन फ्लू रोग से जुलाई, 2014 से 5 फरवरी, 2015 तक किस-किस जिले में कितनी-कितनी मृत्यु हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वाइन फ्लू रोग प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कतिपय चिकित्सालयों में चिकित्साकर्मियों की लापरवाही से लोगों की जानें गई हैं? यदि हां, तो ऐसे चिकित्सा-कर्मियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री: (श्री राजेन्द्र राठौड़) (1) प्रदेश में स्वाइन फ्लू रोग से जुलाई, 2014 से 5 फरवरी, 2015 तक कुल 87 मृत्यु हुई हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश में स्वाइन फ्लू रोकथाम हेतु निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:-

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रोटोकाल के अनुसार स्वाइन फ्लू रोग पाजिटिव पाये जाने वाले रोगी के आस-पास के 50 घरों का सर्वे कर इनफ्लूएंजा के लक्षणों वाले रोगियों को चिह्नित कर ओसल्टामिविर (टेमीफ्लू) दवा दी जा रही है।

प्रदेश भर में इस वर्ष अब तक डोर-टू-डोर सर्वे कार्य के तहत 31 लाख 77 हजार 289 घरों का सर्वेक्षण कर इनफ्लूएंजा के लक्षणों वाले 5 लाख 88 हजार 401 रोगियों को चिह्नित कर उनका उपचार किया गया एवं लक्षण प्रतीत होने पर 1 लाख 4 हजार 873 रोगियों को टेबलेट टेमीफ्लू का वितरण किया जा चुका है।

संदिग्ध रोगियों की आउटडोर में स्क्रीनिंग एवं उपचार के लिए सभी मेडिकल कालेजों के अस्पतालों, जिला अस्पतालों,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अलग से आउटडोर की व्यवस्था की गई है।

स्वाइन फ्लू रोगियों के उपचार के लिए सभी मेडिकल कालेजों के अस्पतालों व जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अलग से आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई। इन आइसोलेशन वार्डों में 680 बेड की व्यवस्था है।

सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों व जिला अस्पतालों में अलग से आई.सी.यू. एवं वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई। प्रदेश में कुल 211 आई.सी.यू. बेड स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए आरक्षित किये गये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वाइन फ्लू जांच की नि:शुल्क व्यवस्थाओं के द्वारा लक्षण प्रतीत होने पर दिनांक 22.02.2015 तक 10,614 रोगियों की नि:शुल्क जांच करवाई गई। उपचार की व्यापक व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप स्वाइन के पाजिटिव पायेक गये मामलों एवं स्वाइन फ्लू के कारण हुई मृत्यु का अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में कम है।

आई.सी.यू. में वेंटिलेटर पर भी मृत्यु को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने केन्द्र से विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल आमंत्रित किया। केन्द्रीय दल ने प्रदेश में की जा रही उपचार की व्यवस्थाओं की सघन जांच की एवं इन पर संतोष व्यक्त किया।

स्वाइन फ्लू की जांच सुविधा:-

राजस्थान राज्य में सभी 6 मेडिकल कालेजों (जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर), डी.एम.आर.सी. (डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर), जोधपुर एवं तीन निजी लैब सहित कुल 10 लैबों पर स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा उपलब्ध है।

पूर्व में मात्र हाई रिस्क ग्रुप के रोगियों एवं चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की ही नि:शुल्क जांच की जाती थी। स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ने पर मुख्य मंत्री महोदया के निर्देश पर 28 जनवरी, 2015 से राजकीय चिकित्सक के परामर्श पर नि:शुल्क जांच एवं स्वयं द्वारा जांच कराने पर 500 रुपये देकर जांच की सुविधा प्रारम्भ की गई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी 6 मेडिकल कालेजों की अधिकतम जांच क्षमता का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त चिकित्सक-कर्मी तैनात किये गये। आवश्यकता बढ़ने पर तीन निजी प्रयोगशालाओं से अनुबंध कर नि:शुल्क जांच की समुचित व्यवस्था की गई एवं 24 घंटे में ही जांच रिपोर्ट प्राप्त करने की पुख्ता व्यवस्था की गई।

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के सम्भावित रोगियों के सेम्पल कलेक्शन की व्यवस्था की गई एवं एकत्रित किये गये सेम्पल्स को निकटवर्ती मेडिकल कालेज की प्रयोगशाला में भिजवाने की समुचित व्यवस्था की गई।

ओसल्टामिविर (टेमी फ्लू) की स्थिति:-

राजस्थान में टेमीफ्लू दवाई की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी गई। मेडिकल कालेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

प्रदेश में अब तक 32 लाख टेमिफ्लू कैप्सूल एवं 65 हजार सीरप क्रय किये जा चुके हैं एवं 20.95 लाख कैप्सूल एवं 15 हजार सीरप वितरित किये जा चुके हैं।

स्वाइन फ्लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान मेडिकल कारपोरशन लिमिटेड द्वारा पर्याप्त मात्रा में टेबलेट टेमिफ्लू का क्रय किया गया है।

आई.सी.सी.

निदेशालय स्तर से स्वाइन फ्लू रोग की रोकथाम के प्रति जागरूकता के लिए प्रेस विज्ञप्ति, टी.वी. चैनल एवं साक्षत्कार, सामाचार-पत्रों में विज्ञापन, टी.वी., एल.ई.डी. एवं प्लाज्मा टी.वी. पर विज्ञापन, होर्डिंग व फ्लैक्स, सोशल मीडिया एवं वाट्सएप द्वारा आई.ई.सी. करवाई गई, इसके लिए जिला स्तर पर पम्फलेट्स, पोस्टर, बैनर्स, सिनेमा स्लाइड्स, आदि वितरित कर आई.ई.सी. करवाई गई।

नियंत्रण कक्ष:-

स्वास्थ्य निदेशालय में अनवरत 24 घंटे के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष (0141-2225624) एवं सभी जिला मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये। टोल फ्री नम्बर 104 पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्वाइन फ्लू की रोकथाम, जांच व उपचार से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

<u>टास्क फोर्स:-</u>

राज्य सरकार ने स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ने पर रोकथाम के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए डा. अशोक पनगड़िया की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के साथ ही, सम्भाग एवं जिला स्तर पर भी टास्क फोर्स का गठन किया गया। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रतिदिन बैठक आयोजित कर नियमित रूप से स्वाइन फ्लू की स्थिति की विस्तृत समीक्षा कर रोकथाम के प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा सुझाने पर आई.सी.यू. में प्रत्येक 6 घंटे के दौरान प्रोफेसर स्तर के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच की व्यवस्था की गई।

निजी चिकित्सा संस्थानों को भी अलग से आउटडोर, आइसोलेशन वार्ड व आई.सी.यू. की व्यवस्था के निर्देश दिये गये हैं। निजी चिकित्सा संस्थानों को उनकी मांग पर नि:शुल्क टेमिफ्लू भी उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) जी नहीं। प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में स्वाइन फ्लू के सम्बन्ध में किसी भी चिकित्साकर्मी की लापरवाही का प्रकरण सामने नहीं आया है। किसी भी रोगी की मृत्यु चिकित्साकर्मियों की लापरवाही से नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, सरकार वाकई में गम्भीर भी है और इसमें सार्थक प्रयास भी हो रहे हैं, पर मैं मंत्री महोदय का एक ध्यान दिलाना चाहता हूं ...(व्यवधान) चुप रहिये, सरकार।

एक माननीय सदस्य: मास्क दे दो, मास्क। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कहो तो बैठ जाऊं? (व्यवधान)

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): सच्ची बात कांग्रेस आळा नै कड़वी लागे है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, सरकार के भी दिमाग में यह था कि अब गर्मी का मौसम आयेगा शायद, अब इसके वायरस से निजात मिल जायेगी। डाक्टर्स का भी यह था और आम जनता का भी था। अब मौसम ने करवट ली, निश्चित रूप से यह और भी महामारी का रूप ले सकता है। सरकार को और ज्यादा गम्भीर होने की जरूरत है।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

अभी विज्ञापन और इनके मामले तो कोई कमी है भी नहीं। मैंने अभी चौराहे पर भी देखा कि लिखा हुआ था, राजेन्द्रजी का बहुत सुन्दर सा फोटो लगा हुआ था कि स्वाइन फ्लू से ...

श्री अध्यक्ष: ये सुन्दर नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कि स्वाइन फ्लू से डरें नहीं, स्वाइन फ्लू की जांच कराएं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इस पर आप आधा घंटे की बहस करवा लीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा हो जाए, फिर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं मेरी कुरूपता स्वीकार करता हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आसन से इजाजत दिला दो, हम बिलकुल स्पष्ट ही कर देंगे इस बात को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं मेरी कुरूपता स्वीकार करता हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, पी.एच.सी. और सी.एच.सी. के अन्दर जो डाक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, टेक्निशियन हैं, वे जो भी इन्फ्लूएंजा के पेशेंट होते हैं उनकी जांच सीरियसली करते नहीं हैं। यह एक लापरवाही है, जो शायद मंत्री महोदय के ध्यान में नहीं है। उसका कारण है कि उनको थ्री-लेयर मास्क चाहिए, एन 95, सरकार की तरफ से उनको सिम्पल मास्क दे रखे हैं और डाक्टर्स को यह चिंता रहती है कि उसके अन्दर जो स्वाइन फ्लू के वायरस हैं, वे रूक नहीं सकते और वे उसको बहुत गम्भीरता से लेते नहीं हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से रेफर कर देते हैं चाहे स्वाइन फ्लू हो ...

श्री अध्यक्ष: हां, सवाल कीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक तो मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिम्पल मास्क से यह वायरस रुकने वाला नहीं है तो क्या मंत्रीजी थ्री-लेयर मास्क एन 95 सी.एच.सी. और पी.एच.सी. के अन्दर अवेलेबल करायेंगे?

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

इसी तरह से आपके पास वैक्सिन की कमी है। सी.एच.सी., पी.एच.सी. लेवल पर वैक्सिन नहीं है। यहां तक कि आपने वैक्सिन हमको ही नहीं लगवायी। कम से कम विधायकों को लगवा देते। मंत्रीजी ने भी स्वाइन फ्लू से सफर किया, विधायक ने भी किया। वहां वैक्सिन नहीं है। तो आप इनता सा करें जिससे जांच सीरियसली हो सके, जो मेडिकल स्टाफ है, डाक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, टेक्निशियन हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से ...

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय का जवाब दिलवा दें आपके इस पूरक प्रश्न का। विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप तुरन्त प्रभाव से वेक्सिनेशन कराएं, वेक्सिनेशन कराएं, वैक्सिन अवेलेबल कराएं।

इसी तरह मैं साथ ही, सिम्पल में ही ...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला प्रश्न पूछ लेना, इसका तो जवाब आने दीजिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर तो हैं ही नहीं, इलाज कैसे होगा?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपका इलाज तो बिना डाक्टर के ही हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस बार निरन्तर तापमान कभी बढ़ता है, कभी गिरता है। अब भी तापमान गिरा है। कई जिलों में बारिश भी हुई है और इस बारिश के साथ ही रोटा नाम का वायरस सक्रिय हो जाता है। इसमें उल्टी–दस्त के रोगी भी बढ़ते हैं, खांसी-जुकाम के रोगी भी बढ़ते हैं और अस्थमा के रोगी भी बढ़ते हैं। इसमें भी शक नहीं कि तापमान गिरने के बाद स्वाइन फ्लू का फैलाव भी बढ़ता है। सरकार इसके बारे में सचेत है, अध्यक्ष महोदय।

इसके साथ ही, माननीय सदस्य ने एन 95, थ्री-लेयर मास्क की बात की है। सभी जो हमारी मेडिकल सोसाइटीज बनी हुई हैं हमारे चिकित्सालयों में, उनको निर्देश दिये हैं कि वे आवश्यकता पड़ने पर लोकल इन चीजों की परचेज कर लें। मैं इसको और दिखवा लूंगा। सभी जगह, मैं खुद महसूस करता हूं, थ्री-लेयर मास्क उन लोगों के लिए आवश्यक हैं जो स्वाइन फ्लू रोगियों के उपचार के लिए उनके निकट के सम्पर्क में आते हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक वैक्सिन की बात है, राजकीय चिकित्सालयों में इस समय भी 2,490 वैक्सिन हैं और अब जहां भी, जो भी, यह चिकित्साकर्मी और पैरामेडिक, जो भी चाहता है, उसको फ्री में वैक्सिन देने के प्रावधान हमने कर रखे हैं। इसके साथ ही, 52,702 वैक्सिन की डोज अन्य मेडिकल स्टोर्स पर भी उपलब्ध हैं। पर, अध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू.एच.ओ. का प्रोटोकोल यह कहता है कि यह वैक्सिन बारबार लगाने से और बिना किसी लक्षण के इस वैक्सिन का उपयोग कर लें तो उसमें रेजिस्टेंस पावर पैदा हो जाता है। क्योंकि इसकी एक ही प्रकार की दवाई है टेलीफ्लू और उसका रेजिस्टेंस पावर पैदा होने के कारण से, जो डब्ल्यू.एच.ओ. का प्रोटोकोल कहता है, इसका समझ कर कम से कम प्रयोग हो, जहां आवश्यकता हो, वहां ही प्रयोग हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर यह एन्फ्लूएंजा एच1 एन1 एक वायरस से फैलने वाली बीमारी, ओर्थोमोक्सो वायरस से फैल रही है और यह हवा में वायरस है। सरकार चिंतित भी है और मैं प्रतिपक्ष का सहयोग चाहूंगा कि हम लोगों को चैतन्य करें कि प्रारम्भिक लक्षण प्राप्त करते ही वे निजी चिकित्सालय में जाएं ताकि उनकी समय पर जांच हो जाएं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक जांच का सवाल है, बड़ी सेंसिटिव जांच है, राजस्थान में छह मेडिकल कालेज और तीन निजी लैब को हमने इम्पैनल का रखा है। एक वी.टी.एम. है, एक वायरल ट्रांसपोर्ट मोबाइल, उस वी.टी.एम. के माध्यम से, वी.टी.एम. हमने उपलब्ध करा रखी हैं सी.एच.सी. में और ड्रिस्ट्रिक्ट हास्पिल्स में। मरीज जब जाता है और इन्फ्लूजा-लाइक-इलनेस अगर उसकी होती है, तो इन वी.टी.एम. के माध्यम से उसका टैस्ट लेकर सम्बन्धित मेडिकल कालेज को भेजते हैं, जहां लैब में उसकी जांच करा कर और पोजिटिव आने पर उसके लिए जो भी इलाज के लिए कार्यवाही करनी होती है, वह कार्यवाही होती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब स्वाइन फ्लू का पेशेंट किसी से हाथ मिला लेता है तो उसको भी आप टेमीफ्लू देते हैं। जहां जांच केन्द्र हैं, आपने भी कभी देखा होगा, विजिट भी किया होगा, वहां बहुत लम्बी लाइन लगी रहती है,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

वहां पोजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के केस होते हैं। जब जांच करायेगा, नेगेटिव केस है, वह उसी समय जांच करा रहा है, निश्चित रूप से वह नेगेटिव आयेगा, पर पोजिटिव केस के साथ खड़ा हुआ होता है, उसके मास्क लगा हुआ नहीं होता है। तो इससे ज्यादा स्वाइन फ्लू फैलने का कोई आधार ही नहीं हो सकता। इससे बड़ी डाक्टर्स की और कोई लापरवाही हो नहीं सकती, इससे बड़ी अस्पतालों की लापरवाही हो नहीं सकती।

आज ही विज्ञापन आ रहा है, टी.वी में न्यूज आ रही है कि स्कूलों के अन्दर प्रार्थना सभाएं बंद कर दीं, लेकिन जो खाटू श्यामजी मेला है, या होली फेस्टिवल है, दुनिया भर के मेले हैं, उनके लिए क्या एहतियता बरती है? जहां सिनेमा हाल हैं, उनके लिए क्या एहतियात बरती है? जहां माल में लोग शापिंग करके भीड़ खड़ी रखते हैं, उसके लिए क्या एहतियात बरती है?

तो इसके अन्दर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वरना यह एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेगा। यह मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय, यह स्वाइन फ्लू संक्रमण से फैलने वाला है और इसलिए मैं यह निवेदन करूं कि अब तक स्क्रीनिंग के दौरान और आउटडोर के दौरान जो पेशेंट आयें, उनमें 7,11,274 लोगों को हमने यह ओसल्टामिविर, जिसको टेमीफ्लू कहते हैं, यह टैबलट दी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मंत्री महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं, जब एग्जामिनेशन होता है, जो लोग अपना टैस्ट कराने जाते हैं, तो बहुत लम्बी लाइन लगी होती है, उनके पास मास्क नहीं होता है और जब टैस्ट करायेगा तो उसका तो उस समय नेगेटिव आयेगा पर वह तो पोजिटिव हो जाता है। एक स्वाइन फ्लू वाले से हाथ मिलाने से ही आपको टेमीफ्लू देनी पड़ती है तो जो लम्बी लाइन लगी होती है, उनके पास मास्क होता नहीं है, उस समय नेगेटिव आयेगा। उसके लिए अपन क्या प्रिकाशन ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहरोड़, आने वाले माननीय सदस्य चिकित्सक भी हैं और इन्होंने जो सवाल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उठायें, बड़े मौलिक सवाल उठाये। मैं उसको स्वीकार करता हूं। इन्होंने जो बातें कहीं, वे भी बात यथार्थ में हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आउटडोर के अन्दर जब कोई पेशेंट आता है और उसमें इन्फ्लूएंजा-लाइक-इलनेस के प्रारम्भिक लक्षण आते हैं, हमने निर्देश दिये हैं कि आउटडोर के अन्दर तत्काल उसको एक फ्री मास्क भी उपलब्ध कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, सोशल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, चाहे वह सिनेमा हाल हो, चाहे शादी-ब्याह हो, चाहे कुछ भी हो, जब यह आंकड़े देखते हैं, अब तक, आज सुबह तक की रिपोर्ट है, 276 की मृत्यु हुई है। यह कोई गर्व की बात नहीं है। मुझे खुद बड़ा अफसोस है। इनमें से 173 शहरी लोगों की मृत्यु हुई है और 94 ग्रामीण लोगों की मृत्यु हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शहर के अन्दर सोशल गैदरिंग होती है। यह रोग हवा से फैलने वाला है, संक्रामक है, श्वास से फैलता है। इसके लिए तो जितना आप बचाव कर सकें, उतना ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां भी कई माननीय सदस्य छींकते हैं, आप तो वहां तक सुनते हैं, आ...छीं, उसको हाथ आगे करके भी छींक सकते हैं। यह कुछ काम ऐसे हैं। यहां अगर हम सकारात्मक दृष्टि से कुछ सुझाव देंगे तो ठीक होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो बात कही है, ...(व्यवधान) मैं इसकी व्यवस्था करूंगा कि जो स्वाइन फ्लू के टैस्ट के लिए रोगी जाएंगे, जिनको चिकित्सक यह महसूस करेगा कि स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा-लाइक-इलनेस के प्रारम्भिक लक्षण इनके हैं, इनकी जांच करानी चाहिए, उन सबको मास्क दें। इस प्रकार के निर्देश मैं आज ही प्रदान कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजाखेड़ा से आने वाले विधायक, आप कोई पूरक प्रश्न करना चाह रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी निगाह में 2-3 केस ऐसे भी हैं, ज्यादा नहीं, 23 केस हैं, उनको आपने दवा दे दी, पाजिटिव आये वे दुबारा गये अस्पताल में कि हमारी जांच करा दीजिए कि हमारा नेगेटिव आया कि नहीं आया; कहा कि अब तुम्हें जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ। जब तक वह कन्फर्म नहीं होगा कि आया कि नहीं, या तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दवा देने के उपरांत वे नेगेटिव ओटोमेटिकली

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हो जाएंगे। उसकी व्यवस्था अगर आप जिलों में खास तौर से करा दें कि जिनको डोज दिया जा चुका है, 5-6 दिन की दवा ले ली है, उनका नेगेटिव हुआ, या नहीं हुआ। इसके बारे में भी अगर आप कुछ व्यवस्था कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए आपसे निवेदन किया कि हमने 1 जनवरी से ही इसकी स्क्रीनिंग का व्यापक अभियान चलाया था। इसका आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 56 लाख 21 हजार 597 लोगों की स्क्रीनिंग हमने की थी, इनमें इन्फ्लूएंजा-लाइक-इलनेस के जो पेशेंट थे वे 5 लाख 41 हजार 522 निकले, उनमें जिनको दवाई दी वे 4 लाख 99 हजार 171 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अगर इसके लक्षण हों और इसका टैस्ट हो और टैस्ट का नतीजा आए और इस दरमियान रोगी की हालत खराब हो जाए, इसके बवाच के लिए विभाग ने जो कार्यवाही की है, वह यह है कि ज्यों ही रोगी के प्रारम्भिक लक्षण आते हैं तो तत्काल इसके इलाज के लिए टैमीफ्लू दे दी जाती है। इसकी और सख्ती से पालना हो, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो सभी लोग कोशिश करेंगे, तभी इस बीमारी से निजात मिलेगा। अब हवा है, हवा किसके बस की बात है?

श्री अध्यक्ष: गोविन्द सिंह डोटासराजी। इनके बाद जोगारामजी पटेल। इसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब तक सरकारी और निजी अस्पतालों में कितने स्वाइन फ्लू के मरीजों की मौत हुई और कितने आज तक उपचाराधीन हैं? दूसरा, निजी अस्पतालों में जो स्वाइन फ्लू की जांच कराने आते हैं, उनके पुनर्भरण की व्यवस्था कराने का सरकार इरादा रखती है, या नहीं रखती है? यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको पुनर्भरण किसका कराना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 267 लोगों की आज सुबह 10 बजे तक मृत्यु हुई है। इसमें से 39 ऐसे हैं जो निजी चिकित्सालयों में इलाज के लिए गये थे और जिनकी मृत्यु हो गई; 7 लोग ऐसे हैं जो राज्य के बाहर थे और जिनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा, अब तक जो हास्पिटलों में भर्ती हुए, वे हैं 3,454 । इनमें अधिकांश लोग मेडिकल कालेज से जुड़े हुए चिकित्सालयों में भर्ती हुए। इनमें से 237 की मुत्यु हुई है। बाकी सब लोग डिस्चार्ज हुए हैं। आज की तारीख में टोटल पेशेंट जो वेंटिलेटर पर हैं, उनकी संख्या 64 है। वेंटिलेटर पर जो पेशेंट आयें, उनमें से भी 73 पेशेंट ऐसे थे जिनको बचाया जा सका। वेंटिलेटर पर गम्भीर पेशेंट आते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आइसोलेशन वार्ड अलग से बने हुए हैं, उनमें भर्ती किये जा रहे हैं। आई सी यू की भी व्यवस्था है। डा. अशोक पनगड़ियां के नेतृत्व में हमने एक टास्क फोर्स बना रखी है, प्रतिदिन 4 बजे वह पूरा अध्ययन करती है। हमें खुद को चिंता थी कि क्या कारण है कि राजस्थान में यह रोग रूक नहीं रहा है। हमने एक-दो बार नहीं, 4 बार भारत सरकार की अलग-अलग टीमों को यहां आमंत्रित किया और उनसे पूछा कि इसमें आप क्या-क्या सुझाव दे सकते हैं। सभी लोगों ने यह कहा कि आपकी जो इलाज की पद्धति है, वह ठीक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पाजिटिव आयें, उनमें से जिनकी मृत्यु हुई, वह संख्या हमारे यहां 4.8 है, जो अन्य राज्यों से कम है।

यह जो स्वाइन फ्लू का वायरस है, इसमें म्यूटेशन तो नहीं आ गया है, इसलिए नेशनल इंस्टिट्यूट आफ वायरोलोजी की टीम को हमने बुलाया, सफदरजंग हास्पिटल की टीम यहां 7 दिन तक लगातार रही, जो सबसे बड़ा नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल है उसके अधिकारी भी यहां आये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इलाज ठीक मिले, बीमारी नहीं फैले, यह सही बात है, बीमारी का इलाज करना कल्याणकारी सरकार का काम है। उसमें कमी-खासी हो तो विशेषज्ञों को बुलाकर उसको दुरुस्त करने के लिए भी हम तैयार हैं। विदेश के अलावा, यहां जो भी नामी, ख्याति प्राप्त लोग थे, जो हमें राय दे सकते थे, उन सभी को बुलाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़ा ही संवेदनशील विषय है, इसके लिए सभी लोग अपने लोगों को जागरूक करें ताकि प्रारम्भिक लक्षण प्राप्त करते ही इलाज हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। जवाब आ गया। यह नहीं। विराजें आप। (व्यवधान) जोगाराम पटेल।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको स्वाइन फ्लू हो गया।

श्री अध्यक्ष: इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। नो, नो। बैठिए। आप कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा एक ही प्रश्न... (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, डोटासराजी ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे इनको खुद को स्वाइन फ्लू हो गया हो। (व्यवधान)

श्री गोविनद सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जवाब ही नहीं है। (व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अभी आएगा देखो जवाब। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। श्री जोगाराम पटेल। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदयजी से जानना चाहूंगा कि 2009-10 की अवधि में राजस्थान में स्वाइन फ्लू की बीमारी से कितने रोगियों की मृत्यु हुई? नम्बर एक। दूसरा, जो आपने विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय तथा स्थानीय टीमें बुलाई हैं और जांचें की हैं, ऐसी व्यवस्था वर्ष 2009-10 में थी क्या? तीसरा, क्या वर्ष 2009-10 में स्वाइन फ्लू के लिए तत्कालीन सदन के नेता के भाषण दिनांक 26.10.2010 के अनुसार पुनर्भरण की व्यवस्था की अथवा नहीं? इन तीन बातों का जवाब दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप क्या कर रहे हो, वह बताओ ना अब तो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डोटासराजी, बार-बार खड़ा होना जरूरी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप क्या कर रहे हो, वह बताओ ना। सरकार आपकी है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): बैठो। बैठो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पता लगेगा, सुनो अभी। आपके सदन के नेता ने जो कहा, वह सुनो पहले। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वास्तविकता को सुनना सीखो। (व्यवधान) आपके राज में क्या हुआ, उस वास्तविकता को भी सुन लो। क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप लोगों के टाइम पर स्वाइन फ्लू हुआ तो आप लोगों ने क्या व्यवस्था की वह भी सुन लो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह ऊटपटांग क्या बोल...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आदरणीय डोटासरा जी को कहीं स्वाइन फ्लू है, इसलिए ये चुप नहीं रहते और बार-बार इंटरवीन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुख्य सचेतक हैं। लज्जा आती है हमें तो कि सरकार का मुख्य सचेतक इस तरह की बातें करता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप भी मुख्य सचेतक हो और मैं भी हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सारे दिन ही इसी मूड में रहते हो। (व्यवधान) स्वाइन फ्लू से लोग मर रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सुनना सीखो, सुनना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू से लोग मर रहे हैं। (व्यवधान) आज भी बढ़ रही है स्वाइन फ्लू। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपको मजाक सूझ रहा है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप सुनना सीखो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान सरकार के बाबू भ्रष्ट हैं, उन पर तो लगाम लगती नहीं और आप जबरदस्ती बहस कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू का पहला रोगी हिन्दुस्तान के अंदर 15 मई, 2009 को पाया गया था, राजस्थान में 24 जुलाई, 2009 को पाया गया था और उसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू किसी न किसी रूप में हिन्दुस्तान में और राजस्थान में आता रहा है। माननीय सदस्य ने पूछा कि 2009 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009 में ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप 2009 की बात कर रह हो। स्वाइन फ्लू से लोग आज मर रहे हैं और आज की बात नहीं कर रहे हो। आज मर रहे हैं, आज का जवाब नहीं दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप संरक्षण प्रदान करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने केवल एक पूछा है, निजी अस्पतालों में इलाज करवाने वालों को क्या पुनर्भरण की व्यवस्था सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि यह स्वाइन फ्लू जैसा रोग ना तो कोई पार्टी देखता है, ना सरकार देखता है और न यह देखता है कि इसकी सरकार है या उसकी सरकार है। यह आता रहा है। 2009 में सरकार ने किसी प्रकार की पुनर्भरण की व्यवस्था नहीं की थी; 2009 कें अन्दर सरकार ने कोई टास्क फोर्स नहीं बनाई थी; 2009 के अन्दर ...(व्यवधान) इतनी व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। 2009 में कुल सैम्पल लिये गये थे, 9,163 और पोजिटिव थे 3,032 और 149 लोग उस समय भी मरे थे। (व्यवधान) 149 । 2010 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल सैम्पल लिये गये 7,999 और पोजिटिव आये 1,709 और 147 मौतें हुई थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में भी 165 मौतें हुई थीं। इन सारी मौतों में जो पोजिटिव पाये गये, रिस्क फैक्टर में जो आते हैं, उनका प्रतिशत अगर हम देखें तो 2009 में 8.6 था, फिर 14.7 था, आज 4.6 है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पोजिटिव पाये गये हैं, उनका इलाज हम बेहतर ढंग से कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए ये आंकड़े बोल रहे हैं।

दूसरा सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी असत्य आंकड़े दे रहे हैं। मैंने जो पूछा, उसका कोई जवाब नहीं दिया मंत्रीजी ने। क्या निजी हास्पिटलों में जो जांच हो रही है, उसके पैसे का पुनर्भरण करेंगे? क्योंकि 267 में से 39 मौतें निजी हास्पिटलों में हुई हैं, इसका मतलब सरकारी हास्पिटलों में लिया नहीं गया स्वाइन फ्लू के लोगों को।

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं अगला प्रश्न लेता हूं। श्री कैलाश चौधरी। यह नहीं हो सकता। (व्यवधान) यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। बार-बार खड़े नहीं हो सकते आप। प्रश्न काल का एक सीमित दायरा है। (व्यवधान) प्रश्न काल का एक सीमित दायरा है। आप विराजिये। (व्यवधान) कैलाश चौधरी। (व्यवधान) हां, आपकी जो मर्जी आये, वह कर लो। (व्यवधान) नहीं आएगा जवाब। प्रश्न काल का एक सीमित दायरा है। (व्यवधान) प्रश्न काल का एक सीमित दायरा है। जवाब देने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) इधर से एक शब्द अंकित नहीं हो। (व्यवधान) आप स्वयं देखों, आपके सदस्य कितने सदस्य खड़े हैं। किसी की बात सुन नहीं सकते, इसलिए जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

माननीय कैलाश चौधरी।

बायतू (बाड़मेर) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

48. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड मुख्यालय बायतू में कृषि उपज मण्डी नहीं है?

(श्री कैलाश चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के किसानों को बायतू में कृषि उपज मण्डी नहीं होने के कारण अपनी उपज बेचने के लिए बाड़मेर, बालोतरा व जोधपुर जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उप खण्ड मुख्यालय, बायतू के किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर के अधीन उप खण्ड मुख्यालय, बायतू में वर्ष 1975 से ही गौण मण्डी स्थापित है।

(2) जी नहीं। नियमानुसार कृषक अपनी उपज के प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु राज्य की किसी भी मण्डी में अपनी उपज विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है।

कृषकों की सुविधा हेतु उप खण्ड मुख्यालय, बायतू में गौण मण्डी घोषित है। स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.3.2012 (प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न) द्वारा 40 लाख रुपये प्रति वर्ष मण्डी शुल्क की आय का मापदण्ड निर्धारित है। गौण मण्डी, बायतू निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करती है। अत: स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बायतू जैसा बताया गया कि मापदण्डों को पूरा नहीं करता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल इनका अंकित हो।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): जबकि बायतू विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। दूसरा, जैसे कोई जिला है, तीन जिलों जितना बड़ा मेरा बायतू विधान सभा क्षेत्र है। किसानों को इतना दूर जाना पड़ता है कि बालोतरा या बाड़मेर, 60, 70 या 80 किलोमीटर दूर तक जाकर किसानों को अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए वहां के किसानों को, राजस्थान

(श्री कैलाश चौधरी)

में मरुस्थलीय क्षेत्र को देखते हुए, विशेष छूट देते हुए, बाड़मेर और बायतू को विशेष छूट देते हुए, स्थापति की जाय तो वहां के किसानों को फायदा होगा। वहां पर बायतू में कृषि उपज मण्डी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

दूसरा, वहां के उप निदेशक, कृषि, उन्होंने भी मुझे लिखकर दिया है, कहा है कि बायतू क्षेत्र के किसानों की समस्या को देखते हुए बायतू उप खण्ड मुख्यालय में कृषि उपज मण्डी खोलना आवश्यक है, यह उन्होंने लिखकर भी दिया है, और गौण मण्डी, बायतू, समिति के पास भूमि भी उपलब्ध नहीं होने के कारण मण्डी प्रांगण में निर्माण नहीं कराया गया है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यह मुझे जवाब विभाग की ओर से मिला है। तो निश्चित रूप से वहां पर जमीन भी है और कृषि मण्डी की आवश्यकता भी है।

तो विशेष रूप से निवेदन है कि बायतू में, बाड़मेर जिले को विशेष प्राथमिकता देते हुए, बायतू जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, वहां किसानों की सुविधा के लिए कृषि मण्डी होना आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि आप कृषि मण्डी का, इसके बारे में आप और बता कर घोषणा करावें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य बायतू में स्वतंत्र मण्डी स्थापना की जिस प्रकार की बात बात कह रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से, कि बायतू में गौण मण्डी है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपके माननीय सदस्यों की आदत पड़ गई है पांच-पांच, छह-छह साथ बोल रहे है। ...(व्यवधान) बैठिए आप। आप भी बैठिए। प्रतिपक्ष के माननीय नेता आप इनको सम्भालिये। मैं बार-बार आपको निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) मुझे एक बात बताइए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस सदन में स्वाइन फ्लू पर विस्तार से बहस हुई है और नियम यह है कि जो विषय एक बार आ जाय, उस पर नहीं की जाय चर्चा। आपके इधर के जिस तरह से एक साथ उठते हैं, एक के बाद एक, जवाब नहीं आने देते हैं, कहने नहीं देते हैं। इनको आप समझाइए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने, यह क्वेश्चन आवर है, चर्चा होगी हम मानते हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन आवर में इन्होंने जो क्वेश्चन किया, माननीय मंत्री महोदय, जवाब देना चाह रहे हैं, आपने मना कर दिया।

श्री अध्यक्ष: मैंने मना किया है! मैंने मना किया है! माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं फिर कहता हूं, पूरक प्रश्न का एक बार जवाब दे दिया, उसके बाद उसमें से दूसरे से बार-बार आप पूरक प्रश्न करेंगे, यह मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) मैं नहीं अलाउ नहीं करूंगा। यह मैं हमेशा के लिए कह देना चाहता हूं। पूरक प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर आ जाए, फिर उसमें से और प्रश्न पूछो, यह मैं अलाउ नहीं करूंगा। यह मैं सबको एक बार में कह देना चाहता हूं।

माननीय कृषि मंत्रीजी, जवाब दीजिए। (व्यवधान) विराजिए आप।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आपकी विद्वता का सबको पता है। उनके पूरक प्रश्न का जवाब देने दीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। (व्यवधान) सवाल में सवाल नहीं करने दूंगा। मंत्री महोदय देना चाहें तो भी सवाल पे सवाल नहीं करने दूंगा। पूरक प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं करने दूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे हैं, आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं देने दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर आप बचाव करना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बचाव नहीं करना चाह रहा, आप विराजिये, मैं सदन को ठीक ढंग से चलाना चाहता हूं। बार-बार प्रतिपक्ष के विधायक खड़े हो जाते हैं, यह मैं बरदाश्त नहीं करना चाहता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी इज्जत करता हूं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपकी पूरी इज्जत और सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं पूरक प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं करने दूंगा। आप भी सुन लो, पूरक प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं करने दूंगा। (व्यवधान) माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सदस्य ने बायतू गौण मण्डी को पूर्ण मण्डी का दर्जा दिये जाने का विषय आपके माध्यम से सदन में उठाया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): ...(व्यवधान) 'ए' क्लास की मण्डी की स्थापना के लिए ...(व्यवधान) इन्कम होनी चाहिए। 'बी' क्लास के लिए ... 50 लाख की इन्कम होनी जरूरी है। 'सी' क्लास के लिए...(व्यवधान) 2011 में...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : 2012-13 में...(व्यवधान) 2013-14 में (व्यवधान) इसको देखते हुए नई मण्डी की स्थापना नहीं की जा सकती।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। मैं सभी माननीय सदस्यों से ध्यानपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव सुनिए आप, कैसे-कैसे स्थगन प्रस्ताव आ रहे हैं। इसलिए मुझे व्यवस्था देनी पड़ेगी और उस व्यवस्था में फिर व्यवधान होगा।

1. सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों की फीस निर्धारण हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। अब यह कोई विषय नहीं बनता।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से नारायणपुर उप तहसील कार्यालय को तहसील का दर्जा देने के सम्बन्ध में।

3. श्री रमेश, सदस्य की ओर से राजस्थान रोडवेज का घाटा निरन्तर बढ़ने से अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। (व्यवधान) ये अपना बता रहे हैं। विधायक होने की औकात बता रहे हैं ये। जय हो, जय हो, किस की जय बोल रहे हों? बोलो, इनकी जय। (व्यवधान) आप बैठिए। प्रक्रिया के नियम...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष का नैतिक स्तर गिर चुका है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का नैतिक पतन हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: ये स्थगन प्रस्ताव हैं! नहीं अलाउ करूंगा। नहीं करूंगा। (व्यवधान) यह स्थगन प्रस्ताव है, उप तहसील को तहसील बनाओ। यह स्थगन प्रस्ताव है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: सबके अध्यक्ष हैं, लेकिन व्यवस्था करना मेरा काम है। आपके जैसे बार-बार स्प्रिंग लगी हो। आपके जैसे बोलने वालों को टोकना भी मेरा अधिकार है, समझे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार बिना कारण के खड़े होकर सदन का समय जाया कर रहे हैं। ऐसा लगता है प्रतिपक्ष का स्तर गिर चुका है।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

1. श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से बीकानेर के स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
2. श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों की समय सीमा बढ़ाकर पुन: चालू करने के सम्बन्ध में।
3. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।
4. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राज्य में डोडा पोस्त सेवनकर्ताओं के लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा नये भूमि अधिग्रहण कानून के अन्तर्गत देने के सम्बन्ध में।
6. श्री भीमा भाई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।
7. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से कोटा की जनता को दो भागों में न बांटते हुए, बिना भेदभाव के पीने का पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
8. श्रीमती अनिता, सदस्या की ओर से भरतपुर जिले में ही रही गौ-तस्करी से आमजन की भावनाएं आहत होने के सम्बन्ध में।
9. श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पेयजल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।
10. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा स्थित कोका-कोला फैक्टरी द्वारा जल का अति दोहन करने एवं प्रदूषित जल व अपशिष्ट पदार्थ खुले में निकालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री राजेन्द्र सिंह भादू, सदस्य की ओर से पोंग डैम विस्थापितों को आबंटित की गई भूमि पर काबिज काश्तकारों की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

12. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में बढ़ते भूजल की समस्या का तुरन्त समाधान करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय

1. श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से चांदपोल, जयपुर में चल रहे मेट्रो कार्य से चारदीवारी क्षेत्र में बिगड़ती यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में।

2. श्री देवेन्द्र कटारा, सदस्य की ओर से टी एस पी क्षेत्र डूंगरपुर में कार्मिकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में।

3. श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से अलवर जिले में किसानों को कस्टोडियन भूमि के पट्टे देने के सम्बन्ध में।

4. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में किसानों को फार्म पोंड में मिलने वाली सब्सिडी के भुगतान के सम्बन्ध में।

श्री भंवर सिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: हां, पाइंट आफ इंफार्मेशन क्या है?

सूचना

पूर्वी राजस्थान में वर्षा से फसल को कारित नुकसान

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय आपदा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हुई है, किसानों की फसल आड़ी गिर गई है, सरसों व गेहूं में नुकसान है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सरकार सहायता के लिए कर सकती है, इस मामले में सरकार को करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। विराजिए।

श्री भंवरसिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बीकानेर के स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दर्जे की प्रदायगी

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष: महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा जारी बजट घोषणा 2014-15 में राजस्थान में केन्द्र विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह बीकानेर की जनता के सालों के किये गये निरन्तर प्रयासों का ही सुफल है। इस संदर्भ में आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रक्रिया की निरन्तरता को बनाये रखते हुए शीघ्रतिशीघ्र स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया जाय।

बीकानेर में ही केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की अनुशंसा सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, भारत सरकार एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा की गई है। बीकानेर की भौगोलिक एवं जलवायु स्थिति, विषम भौगोलिक संरचना के संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा तय मानकों को यह कृषि विश्वविद्यालय पूर्ण करता है, जैसे:-

1. स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय की विषम भौगोलिक परिस्थितियां एवं प्रतिकूल जलवायु क्षेत्र जैसे शुष्क क्षेत्र अर्द्ध शुष्क क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र का मरुस्थलीय इलाका केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए सर्वथा उपयुक्त है।
2. 500 हेक्टेयर से अधिक की उपजाऊ जमीन अनुसंधान के लिए व साथ ही सारा आधारभूत ढांचा मुख्यालय हेतु उपलब्ध है।
3. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए संकायों की जरूरत है, उनमें से तीन संकायों को छोड़कर बाकी संकाय उपलब्ध हैं।
4. स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पास अनुभवी वैज्ञानिकों एवं तकनीकी सहायकों की मजबूत टीम उपलब्ध है, जिन्होंने अपने अनुसंधान द्वारा प्रदेश एवं देश को सैकड़ों किस्में दी हैं व इस क्षेत्र में पूरे देश के लिए खाद्यान्न पैदा करने में समर्थ हैं।
5. स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय चहुंओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं जैसे काजरी, सी एस डब्ल्यू आर आई व सी आई ए एच से घिरा हुआ है।

(श्री भंवरसिंह)

मुख्य मंत्रीजी के द्वारा सुराज संकल्प यात्रा के दौरान बीकानेर की रैली में बीकानेर के लिए कन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाने की अनुशंसा की गयी थी एवं साथ ही माननीय सांसद, बीकानेर द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्वामी केशवानन्द कृषि विद्यालय, बीकानेर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात प्राथमिकता से शामिल की गयी है।

6. बीकानेर में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होता है तो न केवल कृषि एवं औद्योगिकी क्षेत्र में, अपितु समस्त प्रकार के क्षेत्र में एक क्रांति आ जाएगी, जो निश्चय ही बीकानेर को समग्र विकास की राह पर ले जाएगी। बीकानेर में तैयार एयरपोर्ट बीकानेर के लिये नये पंख के समान है जो इसे नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने को तैयार है। यदि इस उड़ान में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय शामिल होता है तो यह बीकानेर के लिए गौरव की बात होगी।

महोदय, राज्य सरकार उक्त स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को ही केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने की कृपा करे जिससे न केवल प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों को भी कृषि क्षेत्र में लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

जैसलमेर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों की समय सीमा में बढ़ोतरी

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों की समय सीमा बढ़ाकर पुन: चालू करने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि जैसलमेर जिला लगातार दो वर्षों से अकाल की जद में है। पशु बहुल क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में पशुओं के संरक्षण की गम्भीर समस्या रहती है। वर्षों से स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन होने के कारण प्रत्येक परिवार बड़ी मात्रा में गाय व अन्य पशुधन रखकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। आय के अधिक स्रोत नहीं होने के कारण पशुओं का जीवन-मरण प्रकृति के हाथ में रहता था। लगातार दो-तीन वर्ष अकाल की स्थिति रहने पर लाखों की संख्या में पशुधन काल के ग्रास बन जाते थे। विगत 30-35 वर्षों से अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था की जाती है और इससे अकाल के समय पशुधन की होने वाली मौतों के प्रतिशत में लगातार कमी है।

(श्री छोटू सिंह)

कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि प्रशासनिक प्रबन्धन की कमी एवं सरकार के सम्मुख प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से स्थिति का सही चित्रण न कर पाने के कारण पशुधन काल का ग्रास बनने के कगार पर खड़ा है। विगत वर्ष अकाल की स्थिति होने के बावजूद, पूर्व के वर्षों का चारा संचित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा एक से डेढ़ माह तक पशु शिविर चलाकर पशुओं को बचाने का कार्य किया गया था, परन्तु दूसरे वर्ष लगातार अकाल के कारण इस वर्ष स्थिति अधिक भयावह है। सरकार द्वारा स्थिति का आकलन कर गत वर्ष नवम्बर माह में ही पशु शिविर प्रारम्भ कर दिये गये थे परन्तु पशु शिविरों की समय-सीमा अधिकतम 90 दिन रखे जाने के कारण वर्तमान में अकालग्रस्त जैसलमेर में विचित्र किन्तु दु:खदायी स्थिति पैदा हो गई है। नवम्बर माह में प्रारम्भ किये गये पशु शिविर समय-सीमा समाप्त होने के कारण बन्द हो गये हैं। प्रशासन द्वारा स्थिति का सही आकलन राज्य सरकार के सम्मुख पेश नहीं कर पाने के कारण पशुओं के सामने चारे का संकट पैदा हो गया है। जिले के पशुपालक बेहद ही चिंतित हैं।

मेरा सरकार से यह आग्रह है कि पशु शिविरों की समय-सीमा वर्षा होने तक बढ़ाई जाकर पशुपालकों को राहत प्रदान की जावे जिससे गौवंश एवं अन्य पशुओं को अकाल की मौत से बचाया जा सके। जिले में ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि पशु शिविरों में केवल दुधारू **एवं** व्यक्तिगत पशुओं को ही रखा था, जबकि वास्तव में सरकार के पास ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं है जिसमें आवारा पशुओं का भी संरक्षण किया जा रहा हो। जिले में हजारों पशुपालक ऐसे हैं जिनके पास प्रति परिवार सैकड़ों पशुधन हैं एवं यही उनकी आजीविका का साधन है, परन्तु यदि इस समय की स्थिति में उनके संरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती है तो कोई कारण नहीं कि पशुधन को बचाया जा सके। प्रशासन चाहे तो भी 500 से 1,000 पशुओं का संरक्षण प्रशासनिक स्तर पर नहीं कर सकता। जब वास्तविकता यह है तो सरकार क्यों नहीं उन सभी पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था करे जिनका मालिकाना हक व्यक्तिगत हो? तथा यह व्यवस्था केवल अकाल के समय ही रहे।

सरकार से पुन: आग्रह है कि गम्भीरता से इस स्थिति का आकलन कर यथाशीघ्र पशु शिविरों की समय-सीमा बढ़ायी जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में पेयजल समस्या का समाधान

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेषज्ञ उल्लेख के जरिये मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की भयंकर समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर, जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में आता है, यहां पर पेयजल का बुरा हाल है। महोदय, अभी तो गर्मियों की शुरुआत भी नहीं हुई है और क्षेत्र में पेयजल को लेकर हालात विकट हैं। बाड़मेर शहर का इलाका, जहां एक लाख से ऊपर की आबादी है, कहने को तो विभाग कहता है कि हम नियमित सप्लाई देते हैं लेकिन हालात ये हैं कि शहर में नियमित सप्लाई नहीं हो रही है। जगह-जगह पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं जिनके कारण पानी सड़कों पर बह रहा है। शहर में सहायक अभियंता का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है। इससे बतदर हालात बाहर ग्रामीण इलाकों में हैं। पी एच ई डी नगर खण्ड में तो हालत यह है कि पी एच ई डी का कोई जिम्मेदार आम जनता के शिकायत के फोन उठाने तक के लिए नहीं है। अधिकांश गांवों में जनता जल योजना की पेयजल स्कीमें बंद पड़ी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माननीय मंत्री महोदया के जोधपुर सम्भाग के दौरे के दौरान मैंने यह मुद्दा उठाया था कि मेरे क्षेत्र में 150 से अधिक हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, जिसकी सूची मैंने अधिशासी अभियंता, नगर खण्ड, बाड़मेर को लिखित में भी दी थी, लेकिन आज तक उन हैडपम्पों को भी दुरुस्त नहीं किया गया है। यही हालात क्षेत्र में भूतल जलाशयों के हैं जहां के अधिकांश भूतल जलाशय क्षतिग्रस्त हैं। उनकी मरम्मत के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के गांव रावतसर, चवा, आदर्श चवा, सरणू, सांजटा, खुडासा, सरली, लूणू, बीबड़ा, लाखेटाली, भाटों का डेर, मालवा, दूदाबेरी सहित कई गांवों में पेयजल की भयंकर समस्या है और यहां पर कई महीनों से पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में अकाल एवं सूखे की स्थिति है। गर्मियों में बाड़मेर का तापमान 50 डिग्री से अधिक रहता है और ऐसे में पेयजल की समस्या और विकराल रूप लेगी। नगर खण्ड बाड़मेर में चार में से तीन पद सहायक अभियंताओं के रिक्त हैं। यही हालत कनिष्ठ अभियंताओं के हैं।

पूर्व में बाड़मेर में स्वीकृत बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना का कार्य जो शुरू हो गया था, वह भी अब बंद पड़ा है एवं बाड़मेर लिफ्ट

(श्री मेवाराम जैन)

द्वितीय चरण भाग-स के तो टेण्डर भी निरस्त कर दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्षों से पेयजल की कमी का दंश भोग रहे बाड़मेर के लिए बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल योजना वरदान साबित हो रही थी, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण योजना का कार्य भी बंद पड़ा है। अत: इस कार्य में भी तेजी लाई जाये ताकि आम जनता को इसका जल्दी फायदा मिले।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गर्मियों को देखते हुए बाड़मेर के लिए बजट जारी किया जाये एवं खराब हैण्डपम्पों को अतिशीघ्र दुरुस्त करावें। साथ ही, पेयजल की सप्लाई को नियमित करावें तथा रिक्त पड़े सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं और हेल्परों के रिक्त पदों को भरने का भी श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

डोडा पोस्त सेवनकर्ताओं के लाइसेंस का नवीनीकरण

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से, डोडा पोस्त के ठेके की अवधि के एक वर्ष के नवीनीकरण के साथ-साथ सेवनकर्ताओं के लाइसेंस नवीनीकृत करने के सम्बन्ध में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, राजस्थान में राज्य सरकार जब डोडा पोस्त के ठेकों का नवीनीकरण कर एक वर्ष के लिए लाइसेंस जारी कर रही है तो क्या राज्य सरकार डोडा पोस्त सेवन करने वालों के लाइसेंस का भी नवीनीकरण कर रही है? अगर राज्य सरकार डोडा पोस्त ठेका नवीनीकरण कर रही है तो सेवनकर्ताओं के लाइसेंस का भी नवीनीकरण अति-आवश्यक है। नहीं तो क्या सरकार अवैध कारोबार करवाने की मंशा रखती है? अगर सेवनकर्ताओं के लाइसेंस नवीनीकृत नहीं होंगे तो फिर डोडा पोस्त ठेकों का नवीनीकरण किसलिए किया जा रहा है? क्या सरकार पंजाब व हरियाणा में अवैध कारोबार के लिए लाइसेंस दे रही है, या हमारे गरीब किसानों को जेल भिजवाना चाहती है? डोडा पोस्त सेवनकर्ताओं के लाइसेंस अगर नवीनीकृत नहीं होते हैं तो मजबूरन सेवनकर्ताओं को जन आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी।

दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर विकास निगम ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के 60 गांवों को इस योजना में अवाप्त करने की योजना बना रखी है। इसमें लगभग 6,000 हैक्टेयर भूमि पर सेक्शन 4, 6, 8 के नोटिस जारी कर रखे हैं जिनको 31.3.2015 को तीन साल पूरे हो जाएंगे। अभी यहां जमीन का बेचान भी नहीं हो सकता। इससे पहले हरियाणा में भी बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है। अभी भी 25.2.2015 को नीमराना में किसानों की बैठक हुई थी। इसमें भूमि की अवाप्ति राशि क्या होगी? क्या सरकार केन्द्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से मंशा रखती है, क्योंकि यह योजना केन्द्र सरकार की है?

अत: मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि इसमें नये भूमि अधिग्रहण कानून से मुआवजा राशि प्रदान करें वरना यहां पर इन 60 गांवों के लोग आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन किसी भी हद तक जा सकता है। अत: आपसे निवेदन है कि किसानों को सही मुआवजा मिले जिससे किसानों पर कुठाराघात न हो।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई।

कुशलगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। सम्पूर्ण ट्राइबल एवं बिखरी हुई आबादी है। एक तरफ गुजरात की सीमा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश राज्य की सीमा लगी हुई है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जो एक गम्भीर विषय है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की निम्नांकित सड़कों का पुनर्डामरीकरण करवाया जाना नितान्त आवश्यक है:-

1. भीलकुआ से कुशलगढ़ वाया डूंगरा 28 किलोमीटर
2. कुशलगढ़ से मध्य प्रदेश सीमा तक वाया छोटी सरवा 30 किलोमीटर

(श्री भीमा भाई)

3. पाटन से बड़ी सरवा	8 किलोमीटर
4. कसारवाड़ी से नालपाड़ा	8 किलोमीटर
5. गुजरात सीमा से ठूठी ककांसिया वाया डूंगरा	10 किलोमीटर
6. कुशलगढ़ से कलीजरा, वसूली उकाला	15 किलोमीटर

7. हीडोलिया सड़क पर पिछले एक वर्ष से टूटी पुलिया का निर्माण

8. टिमेड़ा से घाटा सड़क पर पिछले दो वर्ष से टूटी पुलिया का निर्माण

उपरोक्त सड़कों व पुलियाओं का पुनर्निर्माण करवाने की स्वीकृति विभाग से शीघ्र जारी करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

कोटा में बिना भेदभाव जलापूर्ति

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव है कि कोटा शहर में रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र की कई कालोनियां आज भी बिजली, पानी, सड़क के लिए तरस रही हैं। जब से कालोनियां शहरी क्षेत्र में आई हैं, तब से लेकर आज तक इन कालोनियों में न ही सड़कें बन पाईं और न ही बिजली व पानी की कोई व्यवस्था हो सकी। पीने के पानी की किल्लत तो इतनी है कि फरवरी माह से ही पानी के लिए जनता को सड़कों पर प्रदर्शन करने हेतु उतारू होने पर मजबूर होना पड़ता है।

विगत छह वर्षों से नये कोटा के लिए पीने के पानी की मांग कर रही हूं लेकिन आज भी वही हालात बने हुए हैं। जब भी जनता के साथ प्रदर्शन किया, अधिकारियों द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि मिनी अकेलगढ़ चालू होने के बाद नये कोटा को पीने का पानी मिलेगा। मिनी अकेलगढ़ भी चालू हो गया।

पेयजल व्यवस्था योजना के अन्तर्गत 130 एम एल डी मिनी अकेलगढ़ से कुन्हाड़ी, सकतपुरा नदी पार क्षेत्र, नयापुरा, सिविल लाइन, स्टेशन, काला तालाब, पटरी पार क्षेत्र, नगर निगम में सम्मिलित 20 ग्रामों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सचेतक महोदय ऐसे घूम रहे हैं जैसे खेत में हों। माननीय सदस्य के सामने आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनके सामने ये ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई खेत-खलिहान में घूम रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...तब नये कोटा जैसे विवेकानन्द नगर, विनोबा भावे नगर, अजय आहूजा नगर, गणेश नगर, रंगबाड़ी योजना, अजय आहूजा नगर स्पेशल, स्वामी विवेकानन्द नगर, हरिओम नगर, वीर सावरकर नगर, आंवली, रोझड़ी, नया गांव, बंधा धर्मपुरा, आर.के. पुरम, श्रीनाथपुरा, आदि कालोनियों को पुराने अकेलगढ़ से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जायेगा, लेकिन अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा की जा रही घोर लापरवाही के चलते जनता को एक बाल्टी पानी के लिए मोटरसाइकिलों पर तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर तक भटकना पड़ रहा है। पुराने अकेलगढ़ के अलावा कोटा की जलापूर्ति को दुरस्त करने हेतु 136.40 लाख रुपये का व्यय नगर विकास न्यास द्वारा किया गया। उसके बावजूद अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा मनमर्जी से यह कहकर जनता को प्यासा रखा जा रहा है कि जब तक कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, जब तक चम्बल का पानी इन कालोनियों को नहीं मिल सकता। यह बहुत ही बड़ा अन्याय जनता के साथ किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से जलदाय मंत्री महोदयाजी से निवेदन है कि अधिकारी व कर्मचारियों से बात कर, कोटा की जनता को दो भागों में न पाटते हुए, बिना भेदभाव के पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाये ताकि जनता को न्याय मिल सके और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाये। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता।

भरतपुर जिले में जारी गौ-तस्करी

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, भरतपुर जिले में हो रही गौ-तस्करी से आमजन की भावनाएं आहत होने से हो रही उत्पन्न स्थिति के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहती हूं।

(श्रीमती अनीता)

भरतपुर जिले में लगातार हो रही गौ-तस्करी के कारण स्थानीय गौ-पालकों और गौ-तस्करों के बीच हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण कई बार दोनों गुटों के बीच झड़प भी हुई और गौ-तस्करों की ओर से गोलीबारी भी की गई। इस तरह की समस्या गत 22 तारीख को भी देखने को मिली और 24 तारीख को ग्राम कैथवाड़ा में गायों की 45 खालें बरामद हुईं। इससे इस क्षेत्र में साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, लोगों में आक्रोश है और महिलाएं प्रदर्शन भी कर रही हैं। ऐसा इस क्षेत्र में प्राय: होता रहता है। अत: इस समस्या का अगर समय पर निदान नहीं हो पाया तो स्थिति और बिगड़ सकती है।

जिला भरतपुर में निम्नलिखित कमियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए:-

1. पूर्व में भरतपुर जिले में तीन कम्पनी आर ए सी की रहती थीं। वर्तमान में केवल दो आर ए सी की कम्पनी ही हैं। अत: एस टी एफ की एक कम्पनी और रहेगी तो उचित रहेगा।
2. दो गाड़ी बोलेरो-पिकअप विशेष तौर पर गौ-रक्षा दल के लिए पुलिस को उपलब्ध होनी चाहिये।
3. भरतपुर जिले में 11 गौ-रक्षा चौकियां प्रस्तावित हैं। उनको शीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए।
4. गौ-तस्करों की गाड़ियां जब्त की जायें और उनको जमानत भी नहीं दी जाये।
5. गांवों में पालतू गायों को स्वयं मेव समुदाय के लोग गौ-कशी कर देते हैं। अत: गांवों की गायों का पूरा रिकार्ड पटवारी को रखने के निर्देश होने चाहिये।
6. मेवात क्षेत्र के सभी थानों पर एक अतिरिक्त पुलिस बल की मांग कई वर्षों से की जा रही है। उसकी पूर्ति की जाये।
7. गौ-तस्करी मुख्यतया दौसा जिले एवं उसके पश्चिम के जिलों से हो रही है। उस पर कड़ी कार्ययोजना बननी चाहिये।
8. मेलों के नाम पर बंजारे/मेव समुदाय के लोग फर्जी कागज तैयार कर गायों को इकठा कर गौ-तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा

(श्रीमती अनीता)

राज्य के नजदीकी क्षेत्रों में ले जाते हैं। उन पर प्रशासन की अनुमति से किये जाने एवं कड़ी निगरानी रखने की व्यवस्था करवाई जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त संसाधन जल्दी से जल्दी गौ-सेवा हेतु भरतपुर प्रशासन को उपलब्ध करवाये जाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम कोली।

रेवदर में पेयजल की व्यवस्था

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पेयजल व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

रेवदर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की स्थिति काफी दयनीय है। रेवदर उपखण्ड स्तर का है, वहां शहर को पेयजल सप्लाई चार से पांच दिन में मिलती है। इसी तरह मण्डार बड़ा कस्बा है, वहां पेयजल सप्लाई तीन से चार दिन में मिलती है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ भटाणा, दताणी, दांतराई, इन बड़े गांवों में पीने के पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है तथा छोटे-छोटे गांवों व ढाणियों में पीने के पानी की किल्लत हो रही है। हैण्डपम्प मिस्त्री पूरे रेवदर तहसील में मात्र एक ही है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में उचित व्यवस्था करवाई जाये। रेवदर, मण्डार, भटाणा, दांतराई, दताणी, सबेरा खेड़ा, कम्बोइया खेड़ा, इन गांवों की पेयजल व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन गांवों में ट्यूबवेल खुदवाकर समस्या का समाधान करवाया जाये। रेवदर हेतु पेयजल के लिए सेलवाड़ा से रेवदर तक की स्कीम बनाई है। जल्दी से उसके कार्य में गति देनी चाहिये तथा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसकी क्वालिटी प्रमाणित होनी चाहिये ताकि रेवदर की जनता को पेयजल से राहत मिले।

आबू रोड शहर की जलापूर्ति व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां सुधार करवाने की आवश्यकता है। आबू रोड़ ग्रामीण क्षेत्र में मावल, बासड़ा, जामुडी और खड़ात, डेरणा, गिरवर, आंवल, आदि गांवों की पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित

(श्री जगसी राम)

करवाई जाये ताकि आने वाली भीषण गर्मी में आम जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

कालाडेरा (चौमूं) कोकोकोला फैक्ट्री द्वारा अत्यधिक जलदोहन व औद्योगिक अपशिष्ट का नियम-विरुद्ध निस्तारण

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा में कोकोकोला फैक्टरी स्थित है। विगत 17 वर्षों से उसके द्वारा जल दोहन किया जा रहा है जिसके कारण ग्राम कालाडेरा, नृसिंहपुरा, जयसिंहपुरा, गुवारड़ी, अनोपपुरा, कानरपुरा, घिनोई, आदि गांवों में पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे मानव व पशु फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं तथा कई लोगों ने तो अपने गांवों से पलायन करना भी शुरू कर दिया है।

महोदय, रीको क्षेत्र में कई फैक्टरियां ऐसी हैं जिनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ खुले रूप से फैक्टरियों से बाहर निकलता है, जिससे लोगों का जीवन संकट में है। कई पशु-पक्षी इन फैक्टरियों से निकलने वाले गंदे पानी को पीने के कारण मर चुके हैं तथा आसपास के लोग कई बीमारियों से घिर चुके हैं। कई फैक्टरियां ऐसी हैं, जिनमें काम करने वाले लोगों का जीवन भी उचित सुरक्षा उपकरणों के अभाव में संकट में आ खड़ा हुआ है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल कोकोकोला फैक्टरी द्वारा किये जा रहे जलदोहन पर प्रतिबंध लगाया जाये तथा ऐसी फैक्टरियों को चिह्नित करें जिनके द्वारा प्रदूषित जल व अपशिष्ट पदार्थ खुले में निकाला जा रहा है। उन पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाये तथा उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, ताकि जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

पोंग बांध विस्थापित काश्तकारों की समस्याएं

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत पोंग डैम विस्थापितों को अलाट की गई राजस्व भूमि पर लम्बे समय से काबिज काश्तकारों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

1. तहसील सूरतगढ़ के ग्राम मानेवाला, सरदारगढ़, किकरांवाली जोहड़ी, रामपुरा, न्यौला, निरवाना के गांवों का रकबा सन् 1957-58 से आरजी काश्त (टी.सी) पर आबंटित होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा था।

2. रकबा बाद में 1 जी एन पी तत्कालीन राजस्थान कैनाल में आ जाने पर एन डब्ल्यू डी, एन आर डी, एम एन डब्लू एम व एफ डी एम, आदि चकों में पैमूद हो गया।

3. चकबन्दी में आने पर उक्त रकबे में से बहुत-सा रकबा पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित कर उन्हें आबंटित कर दिया गया।

4. पोंग डैम विस्थापितों द्वारा उक्त आबंटनशुदा रकबा काश्तकारों को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया गया, जिस पर तत्कालीन राजस्थान सरकार ने वर्ष 1990 में पोंग बांध विस्थापितों को भूमि आबंटन नियमों में परिवर्तन करके धारा 6-ए लागू करके खरीददारों के पक्ष में रकबे को कीमतन आबंटित करके किश्तों की राशि जमा करवा ली गई। परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 6-ए को अवैध घोषित कर दिये जाने के बाद भी अलाटी काश्तकारों के पास कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा है व अलाटी काश्तकारों द्वारा जमा करवाई गई किश्तों की राशि आज तक राज्य सरकार के खजाने में जमा है।

5. धारा 6-ए को पुन: राज्य सरकार लागू करवाये या उस रकबे को पोंग बांध विस्थापितों की सूची से बाहर करके (डी-नोटिफाई) करके कब्जाधारियों को आबंटन कब्जा नियमन करके पूर्व जमाशुदा राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि जमा करवाई जाकर खातेदारी दी जाये।

6. बहुत से काश्तकारों के पास पोंग बांध विस्थापितों के रिजर्व रकबे पर वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वह रकबा किसी पोंग बांध विस्थापित को आबंटित भी नहीं हुआ है। वह रकबा वहां के काश्तकारों के पास कब्जा काश्त में चला आ रहा है। इसलिए वह रकबा भी पोंग बांध विस्थापितों की रिजर्व सूची से हटाया जाकर, रकबा राज कृषि योग्य भूमि में सम्मिलित किया जाये, ताकि किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल की समस्या का समाधान

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जोधपुर शहर में भू-जल दिनों-दिन बढ़ रहा है। जोधपुर शहर पूरा ही एक तरह

(श्री जोगाराम पटेल)
से भू-जल पर तैर रहा है। इसको रोकने हेतु पिछले कई वर्षों से प्रयास किये जा रहे हैं व इस हेतु करोड़ों रुपये फूंक भी दिये गये हैं लेकिन आज दिन तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है और न ही इसका कोई असर ही दिखाई दे रहा है। पूर्व में सरकार ने सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था परन्तु वर्तमान में इस कमेटी की लम्बे समय से कोई बैठक नहीं हुई है।

जोधपुर में बढ़ते भू-जल को देखते हुए इसके चार ज़ोन बनाये गये थे जिसमें से दो ज़ोन में भू-जल 0.03 से 0.07 मीटर तक घटा तो शेष 2 ज़ोन में पम्पिंग के बावजूद भू-जल घटने की जगह बढ़ता चला गया। वर्तमान में जोधपुर के लक्ष्मी नगर एरिया में भू-जल तेजी से ऊपर आ रहा है। इसी तरह, रातानाड़ा से पोलीटेक्लिन कालेज होते हुए शास्त्री नगर में भी भू-जल बढ़ रहा है। हालिया रिपार्ट बता रही है कि पहले ज़ोन में जहां भू-जल 1.39 मीटर से बढ़ कर 1.43 मीटर तक हो गया है, वही दूसरे जोन में 3.68 मीटर से घटकर 2.81 मीटर व तीसरे जोन में 2.61 मीटर से बढ़कर 3.61 मीटर हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शहर के कुएं व बावड़ियों के पानी का उपयो, बंद होने, लिफ्ट का पानी कायलाना झील में आने के कारण भू-जल बढ़ रहा है। परन्तु निश्चित तौर पर जलदाय विभाग या वैज्ञानिक इसकी कोई खोज अभी तक नहीं कर पाये हैं।

जिस तरह से भू-जल बढ़ रहा है उससे यह तो तय है कि कभी भी अगर भूकम्प आ गया तो जमीन फाड़ कर पानी सड़कों पर जल-जले के रूप में तबाही मचा देगा। यही नहीं, ज्यादा गति से पानी बढ़ता चला गया तो स्वयं ही जमीन फाड़ कर बाहर आ जाएगा। ऐसे में संकरी गलियों वाले प्राचीन शहर में सबसे अधिक तबाही होगी। इससे पहले कि ऐसा हो, सरकार व जिला प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए और इसका तुरन्त निदान ढूंढना चाहिए।

ऐसी स्थिति में, जोधपुर शहर के भू-जल की इस भयंकर समस्या का तुरन्त प्रभाव से समाधान किया जाना और जोधपुर को तबाही से बचाना आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पारीक।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर में मैट्रो कार्य के चलते अस्त-व्यस्त यातायात व्यवस्था

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष से अधिक समय से चांदपोल में मैट्रो का काम चल रहा है। उससे सारा

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

ट्रैफिक पुरानी बस्ती से राजा शिवदासजी का रास्ता, लंगर के बालाजी का रास्ता, माउंट रोड और गोविन्द देवजी के रास्ते होकर गुजर रहा है। इन रास्तों की चौड़ाई बहुत कम है। इसके बावजूद भी यहां मिनी बसें भी आ रही हैं, ट्रक भी इधर से पास हो रहे हैं और बाकी सारा ट्रैफिक भी इन्हीं रास्तों से गुजर रहा है जिससे वहां रहने वाले लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ, इन रास्तों में सड़कें भी काफी टूटी हुई पड़ी हैं और अतिक्रमण भी काफी बड़ी मात्रा में है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सड़कों की मरम्मत करवाई जाए और जो रास्तों में अतिक्रमण है, उसको हटवाया जाए और बड़े वाहनों का आना-जाना बंद करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: आपने तो पर्ची नहीं दी है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरे क्षेत्र का मामला है, अध्यक्ष महोदय। वहां पर चारों तरफ सड़कें खुदी हुई हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैट्रो का काम चल रहा है और चारों तरफ यातायात का बहुत बड़ा दबाव है। यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहूंगा, वे बैठे हुए हैं, माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय बैठे हुएहैं मैट्रों के कारण बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है यातायात में। माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा आप देखिए।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया है, अब आप विराजिये। किशनपोल के माननीय विधायक, आप विराजिये। आप रेस्पोंड कर रहे हैं, मंत्रीजी? मंत्रीजी रेस्पोंड नहीं कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। वे देना नहीं चाह रहे हैं। वे उठना नहीं चाह रहे हैं। मैं कैसे दबा सकता हूं? नहीं, आप विराजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप परमिट कर रहे हैं, साहब?

श्री अध्यक्ष: आप चाहते हैं तो बोलिए। बड़ी देर से सोचा है आपने जवाब देने का।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जयपुर मैट्रो का फेज-Iबी है, उस फेज-Iबी के अन्दर परकोटे के अन्दर जिस प्रकार से यातायात की व्यवस्था की गई है, उस यातायात की व्यवस्था के कारण व्यवस्था उस प्रकार से नहीं हो पाई जिस प्रकार की आकांक्षाओं के साथ में जनता ने उनको परमिट किया था। इनिशियली हमने 11 अगस्त को और 31 अगस्त को वह यातायात बंद किया था और कहा था कि छह महीने में उस यातायात को हम खोल देंगे, लेकिन छह महीने बीतने के बावजूद भी अभी तक यातायात खुला नहीं है। इसके कई कारण रहे हैं, मैं उन कारणों के अन्दर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की चिंता यहां व्यक्त की गई है कि जिस ट्रैफिक को गलियों में डाइवर्ट किया गया है, उन गलियों में डाइवर्ट करने से वे गलियां टूट गई हैं, वहां मरम्मत नहीं हुई है; मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजा शिवदास जी का रास्ता, लंगर के बालाजी का रास्ता, माउंट रोड, गोविन्द देवजी का रास्ता, इनपर जितना भी अतिक्रमाण है, उन अतिक्रमणों को भी हटाया जाएगा और उन सड़कों की सही प्रकार से मरम्मत कर ली जाएगी। इस जून के अंत तक हम उस पूरे रास्ते को खोल देंगे। इनता ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

जनजाति उप-योजना क्षेत्र, डूंगरपुर में कार्मिकों का पदस्थापन

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी आर.पी.एस.सी. के माध्यम से और पदोन्नति के माध्यम से शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी के और आर.पी.एस.सी. से सीधी भर्ती से भी अध्यापकों के पदास्थापन किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले के जितने भी पदोन्नत होकर के अध्यापक डूंगरपुर में लगने चाहिए थे, उसमें अधिकांश अध्यापकों को जिले से बाहर पदस्थापित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, क्रमांक 4349 दिनांक 4.2.2015 का जो आदेश है, उस आदेश को देखने के बाद पूरा ऐसा लगता है कि डूंगरपुर

(श्री देवेन्द्र कटारा)

जिले के सभी कार्मिक, उसमें से एस टी लोगों को द्वेषतापूर्वक जिले से बाहर बांसवाड़ा, उदयपुर, धरियावाद में पोस्टिंग दी गयी। जबकि डूंगरपुर में खाली पोस्ट होने के बावजूद भी उन कार्मिकों को वहां पोस्टिंग नहीं दी गयी। उसमें ज्यादा महिलाएं कार्मिक ऐसी हैं, वास्तव में पूरी तरह से, बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा न तो उनकी सुनी गई और न ही उनकी बात को तवज्जोह दी गयी। मतलब, पूरे टी.एस.पी. क्षेत्र में एक तरह जातिवादी संघर्ष पैदा करने का उप निदेशक (शिक्षा), उदयपुर द्वारा यह कृत्य किया गया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी उच्च स्तर से जांच की जाए और वहां पर कर्मचारियों में जो वैमनस्य पैदा करने का काम किया गया है, उसको रोका जाए।

इसके साथ ही, सरकारें बदलती आई हैं लेकिन बीस-बीस साल से हमारे डूंगरपुर में पुलिस विभाग में ड्राइवर उसी पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं और वहां पर बाबू भी उसी पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं। पूरी तस्करी उनके माध्यम से हो रही है। पदस्थापन की जो व्यवस्था है, वह पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होने की वजह से क्षेत्र में पूरी तरह से जन विरोध उत्पन्न हो रहा है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए, क्षेत्र में शांति-व्यवस्था को कायम करने के लिए और साथ ही, क्षेत्र में एक तरह से वैमनस्यता जो पैदा हो रही है, उसको रोकने के लिए उस पर उच्चस्तरीय जांच करायी जाए। यही निवेदन था। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

अलवर में किसानों को कस्टोडियन भूमि के पट्टे

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अलवर जिले में गैर-खातेदारी भूमि जो कस्टोडियन भूमि है, उस कस्टोडियन भूमि में अलवर जिले में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग सन् 1950 और 1952 के बीच में किसानों को जो जमीन आबंटित की गई थी, उस जमीन की कीमत जमा करा कर उसका पट्टा देकर के गैर-खातेदारी से खातेदारी राइट किसानों को दिया जाता है राजस्व विभाग द्वारा।

(श्री जयराम जाटव)

माननीय मंत्रीजी बैठे हैं और हमारे जिले के एक मंत्रीजी भी हैं, हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनका भी ध्यान मैं आकर्षित कर रहा हूं। यह मामला पूरे जिले का है। जब किसानों को जमाबंदी की नकल और आपके गिरदावरी और मिलान क्षेत्रफल भू-राजस्व शाखा में सम्वत् 2012 से 2020 तक को आधार माना है और भू-अभिलेख शाखा में सम्वत् 2012 से 2020 तक का जमाबंदी, गिरदावरी और मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है तो किसानों को पट्टों की व्यवस्था हो नहीं पा रही है।

इसलिए मेरा आग्रह है सरकार से, माननीय मंत्रीजी से कि यह व्यवस्था, वहां किसानों को अगर सम्वत् 2012 से 2020 तक को जो आधार मान लिया गया, या तो आधार को हटा कर सम्वत् 2020 को लागू कर दिया जाए, ताकि किसानों को वे कागज उपलब्ध हो जाएं तो उनको सनद पट्टे मिल जाएं। लगभग साठ साल से गैर-खातेदारी काबिज वे हैं, उन किसानों को यह परेशानी है कि जब तक उनको खातेदारी राइट नहीं मिलेगा, सनद पट्टा नहीं मिलेगा, तो न तो वे बिजली के कनेक्शन ले सकते हैं, न अपना और काम कर सकते हैं।

दूसरी मेरी मांग एक और है। उस गैर-खातेदारी भूमि के लिए अलवर जिले में जो नगर विकास न्यास है, उसने लगभग 15-15 किलोमीटर दूर तक किसानों की जमीन को पेरिफेरी एरिये में ले लिया लेकिन नगर विकास न्यास के द्वारा उस किसान की जमीन को अधिग्रहण करके कोई कीमत नहीं दी गयी। केवल यह माना है कि सीमा हमारी नगर विकास न्यास की यहां तक है। जब उसको न अधिग्रहित किया गया है, न उसकी कीमत जमा करायी है, न वहां कोई आवासीय योजना बन रही है निर्माण के लिए या प्लाटों के लिए, तो किसानों को वहां डी एल सी की पच्चीस परसेंट जो राशि जमा करानी है सनद पट्टे के लिए, अनुसूचित जाति को डी एल सी की पच्चीस परसेंट और सामान्य श्रेणी के किसानों को डी एल सी कीमत का पचास परसेंट जमा कराने का जो आधार रखा है, यह गलत है। जबकि कीमत साढ़े बारह सौ रुपये बैंक में जमा कराने के बाद में किसानों को गैर-खातेदारी से खातेदारी राइट देने के लिए सनद पट्टा दिया जाता है।

मेरी यह मांग है, और इसमें अधिकांश जमीन भी अनुसूचित जाति के लोगों की है, इसलिए मेरी मांग है, सरकार से अनुरोध है कि यह सरलीकरण

(श्री जयराम जाटव)

किया जाए। इस आधार को, सम्वत् 2012 से 2020 तक को हटा कर, जब जीर्ण-शीर्ण स्थिति में, राजस्व रिकार्ड में, भू-अभिलेख शाखा में आपका रिकार्ड ही नहीं है तो किसानों को इस व्यवस्था में परेशानी तो आ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अलवर कलक्टर को ये निर्देश किये जाएं कि सम्वत् 2020 के बाद में वहां रिकार्ड जो उपलब्ध है वह जमा करा दें ताकि उनको सनद पट्टे मिल जाएं, बिजली के कनेक्शन मिल जाएं।

जो कीमत डी एल सी रेट की पच्चीस प्रतिशत राशि जमा कराने का आदेश फरमाया है, चूंकि नगर विकास न्यास का डिपार्टमेंट अलग है, अभी जमीन की 15 किलोमीटर तक खाली सीमा बना दी, पिलर बांध दिये, तो उससे जमीन इनकी नहीं हो गई। हमने जमीन को दिया नहीं है। ये अपनी मर्जी से पिलर गाड़ दिये। इसलिए मेरा आग्रह है कि यह इस तरह का डी एल सी की पच्चीस परसेंट राशि जो लेने की बात रखी है, यह गलत है। मैं तो इसका विरोध कर रहा हूं।

मेरा आग्रह है कि किसानों को सनद पट्टे दिलाने के लिए राजस्व विभाग व्यवस्था कराये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

टोडाभीम में किसानों को फार्म पोंड हेतु देय सब्सिडी का भुगतान

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की समस्याओं के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में किसानों को अपने खेतों में फार्म पोंड बनाने हेतु जो स्वीकृति जारी की गई थी, विभाग द्वारा उनका भुगतान इस सरकार के एक वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत भी, करीब चार सौ किसानों को, आज दिन तक भुगतान नहीं किया गया है जिससे क्षेत्र के किसान कर्ज में डूबने के कगार पर आ गये हैं। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे कौन से कारण रहे जिनसे इन गरीब किसानों के साथ सरकार ने ऐसा अन्याय किया है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, विभाग के उप निदेशक, टी.पी. जोशी द्वारा खुले आम गरीब किसानों से दस-दस हजार रुपये की मांग की जाती है, नहीं तो किसानों की पत्रावलियां पास नहीं की जातीं। करीब दो सौ

(श्री घनश्याम)

पचास पत्रावलियां आज करीब छह माह से ट्रैजरी में भुगतान हेतु पड़ी हुई हैं परन्तु आज दिन तक उन गरीब किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। करीब 250 पत्रावलियां विभाग में भुगतान हेतु लम्बित चल रही हैं, जिन पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फार्म पोंड निर्माण हेतु राज्य सरकार किसानों को साठ हजार रुपये का अनुदान देती है, जबकि फार्म पोंड के निर्माण में किसान के दो-तीन लाख रुपये का खर्च आता है। तो मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से यही कहना है कि फार्म पोंड के लिए दी जा रही अनुदान की राशि साठ हजार रुपये से बढ़ा कर एक लाख रुपये की जानी चाहिए, ताकि किसानों पर इसका आर्थिक भार नहीं पड़े।

साथ ही, पिछली सरकार द्वारा किसानों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही थीं, उनमें सरकार ने कटौती की है। उन किसानों का विभाग ने गला घोंट दिया है। इसकी मैं निन्दा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि किसानों के हित में पूर्णतः पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी को पुनः चालू किया जाए।

राजस्थान में अभी कल ओलावृष्टि और हवाओं के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ है, उसमें किसानों को तत्काल राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप रेस्पोंड कर रहे हैं। कीजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, करौली जिले में 2013-14 में फार्म पोंड की 264 पत्रावलियां प्राप्त हुई थीं और उस समय साठ हजार रुपये अनुदान दिया जाता था, पचास प्रतिशत; यानी, एक लाख बीस हजार रुपये उसकी यूनिट कास्ट थी, और बारह सौ घन मीटर उसकी खुदाई करानी पड़ती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी शिकायतें मिलीं, शिकायतें मिलने पर उनकी जांच हुई और जांच होने पर अभी पिछले दो-तीन दिन पहले उसकी जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसमें 223 पत्रावलियां सही पायी गयी हैं और इनमें से 41 ऐसी पत्रावलियां हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार की कमी पायी गयी है। इसके लिए भी डाइरेक्शन दिये गये हैं कि जिला स्तर की जो कमेटी है, इन 41 पत्रावलियों की एक बार...(व्यवधान) रुकिये, शांति तो रखिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): दस हजार रुपये लेते हैं। कोई कमी नहीं है। दस हजार रुपये दे दो, आज ही फाइल पास हो जाएगी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): एक मिनट शांति तो रखें। सुन तो लो, फिर आप बोलना।

इनमें से 41 पत्रावलियों की, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुन: जांच करने के लिए जिला स्तर की कमेटियों को दिया गया है। मैं आज सदन को इतना निवेदन करना चाहूंगा कि शिकायतों के कारण से देरी हुई है तथा पन्द्रह दिन में सारी 223 पत्रावलियों का भुगतान, जो सही पायी गई हैं, पन्द्रह दिन में पूरा भुगतान कर दिया जाएगा।

जहां तक आपने कहा कि अनुदान में कटौती की गई; माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, 2014-15 में भारत सरकार की नई गाइडलाइंस प्राप्त हुई हैं और नई गाइडलाइंस में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो अनुदान राशि थी, उसका अन्य योजनाओं में एक डाइवर्शन हुआ है। यह सारे देश का विषय है।

इस वर्ष में जितनी भी पत्रावलियां पेंडिंग हैं, उन पत्रावलियों में से लगभग 122 कृषकों का हम निरीक्षण करवा रहे हैं और 335 ऐसी हैं जो कुछ कमियां होने से निरस्त की गई हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी कमियां होंगी, उनकी एक बार जांच करवा लेंगे और जिन काश्तकारों ने आन-लाइन सब्मिट नहीं किया, क्योंकि 1 अप्रैल, 2014 से नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी आवेदकों को आन-लाइन एप्लाई करना था, जिन्होंने आन-लाइन एप्लाई नहीं किया, उनका निरस्त है। बाकी जितने भी हैं, उनकी हम दिखवा रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, पेंडिंग भुगतान पन्द्रह दिन में करा देंगे।

जिस अधिकारी की बात माननीय सदस्य ने सदन में उठायी है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी लिखित शिकायत भी आप मुझे दे दें और मैं निश्चित रूप से इसकी जांच कराऊंगा और जितनी भी कठोर कार्यवाही करने की जरूरत होगी, मैं उसकी कार्यवाही करूंगा। यह आश्वस्त करना चाहूंगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड।

श्री अध्यक्ष: आ गया, जवाब आ गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन में आ गया कि वह पैसा ले रहा है तो फिर जांच कराने में लिखित कहां आ गया? यह लिखित नहीं मानते हो क्या, मंत्रीजी, इसको?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सदन में आ गया कि पैसे ले रहा है, मंत्री महोदय की जानकारी में आ गया, दस हजार रुपये आज ही दे दो और आज ही फाइल पास कर देगा किसानों की। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य पूरे सदन में यह कह रहे हैं कि वह 10-10 हजार रुपये ले रहा है, तो क्या इसे लिखित में नहीं मानते हो आप? (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम):....और वे फाइलें ट्रैजरी से वापस मंगा ली हैं। उसने पैसे की वजह से किसानों की 250 फाइलें वापस मंगा लीं। 10 हजार रुपये अगर आज ही दे दो तो आज ही फाइल पास हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: विराजो, जवाब आ गया है।

श्री अमराराम।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित 14 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : एफ. 6(12) राज-6/99/पार्ट/8 दिनांक 30.7.2014, जिसके द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु क्रियान्वयन हेतु खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए सरकारी भूमि की प्रीमियम दर निर्धारित की गई है;
2. अधिसूचना संख्या : एफ.6(28)राज-6/2014/9 दिनांक 4.8.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत आधारित पावर प्लांट स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(श्री अमराराम)

3. अधिसूचना संख्या:एफ.9(112)राज-6/2012/10 दिनांक 13.8.2014, जिसके द्वारा उदयपुर सम्भाग में राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में दिनांक 16.8.2014 से 15.9.2014 तक की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों के स्थान पर नामान्तरकरण के मामलों की शक्तियां प्रदान की गई हैं;

4. अधिसूचना संख्या : एफ.6(28)राज-6/2014/12 दिनांक 8.10.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या : एफ.15(3)राज-1/2014/11 दिनांक 8.10.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या : एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/3 दिनांक 16.10.2014, जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए सम्भागीय आयुक्त को उनके सम्भाग क्षेत्र हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त नियुक्त किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या : एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014, जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की दशा में शहरी क्षेत्र सीमा से दूरी के आधार पर प्रतिकर निर्धारित किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या : एफ.1(3) राज-6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.2014, जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पनी भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान लागू करने हेतु अवाप्त भू-क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई है;

9. अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/2014/15 दिनांक 20.10.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का

(श्री अमराराम)

अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या : एफ.6(28)राज.6/2014/पार्ट/16 दिनांक 31.10.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत आधारित पावर प्लांट स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)राज-6/2014 दिनांक 10.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा-183(बी) के अन्तर्गत पेसा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा धारित भूमि के अतिचारी को बेदखल करने हेतु प्रावधान किये गये हैं;

12. अधिसूचना संख्या : एफ.9(43)राज-6/14/17 दिनांक 19.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या : एफ.6(34)राज-6/2014/18 दिनांक 28.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है; एवं

14. अधिसूचना संख्या : एफ.6(26)राज-6/2014/19 दिनांक 16.12.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभु लाल सैनी।

कृषि विभाग

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कृषि विभाग की निम्नांकित 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : एफ.10 कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 16.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 40 के अन्तर्गत अनुसूची में संशोधन किया गया है;

(श्री प्रभू लाल सैनी)

2. अधिसूचना संख्या : एफ.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 27.10.2014, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 40 के अन्तर्गत अनुसूची में संशोधन किया गया है; एवं

3. अधिसूचना संख्या : एफ.4(24)कृषि/ग्रुप-2/2006 दिनांक 7.1.2015, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभु लाल सैनी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) (3) क अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजपाज सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

जयपुर विकास प्राधिकरण का अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण का अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14;

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14; एवं

राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2013-14)

(4) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2013-14।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2013-14)

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2013-14; एवं

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 ।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 12वां प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2011-12)

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2011-12;

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2013-14)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2013-14; एवं

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2011-12)

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2011-12 ।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आसन ने अनेक बार ये दिशा-निर्देश दिये हैं कि ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिसमें सरकार का निवेश हो, उनके लेखे, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जोधपुर डिस्काम का और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का, आपका लेखा 2011-12 का आ रहा है। यह कम्पनी ला का भी उल्लंघन है और इकोनोमिक आफेंसेज में भी आता है। आसन ने कई बार निर्देश दिये हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारी इन कम्पनियों की आडिट टाइम पर नहीं होती और उनके लेखे रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के पास में नहीं गये और अगर इन्होंने भेज दिये हैं तो हमारे यहां पेश क्यों नहीं हुए?

मैं आपका ध्यान और भी आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी दो कम्पनियां तो ऐसी हैं जिनके लेखा आज तक ही पेश नहीं हुए। एक तो राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, आज तक ही लेखे पेश नहीं हुए, और कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड।

आखिर, अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन का अधिकार है। मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्रीजी को शुद्ध निर्देश दिये जायें कि इसी सदन के कार्यकाल में ये अभिलेख पेश करें, और न पेश करने वालों के लिए आप यहां उन अधिकारियों को बुलाकर प्रताड़ित कर सकते हैं। ऐसा संविधान में प्रोविजन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो वार्षिक लेखे हैं, वे विलम्ब से प्रस्तुत नहीं होने चाहिये। इसकी आसन से कई बार व्यवस्था भी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष तौर पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन, 2011-12 के बारे में और जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड का 2011-12 का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन का जिक्र किया, ये विलम्ब से आये हैं। निश्चित तौर पर पी ए डी डिपार्टमेंट इसको गम्भीरता से लेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे।

माननीय सदस्य ने जिन तीन और कम्पनियों के लेखे प्रस्तुत नहीं करने की बात की है, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सदन के इसी सत्र में वे लेखे प्रस्तुत हो जायें, इसकी व्यवस्था हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य की भावनाओं का पूरी तरह आदर कीजिए।

श्री बनवारीलाल।

समिति प्रतिवेदन

प्रश्न एवं संदर्भ समिति (वर्ष 2014-15) के प्रतिवेदन (क्र.सं. 3 से 8)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2014-15 के 6 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. गोपाल कृष्ण।

प्राक्कलन समिति 'ख' (वर्ष 2014-15) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्राक्कलन समिति 'ख' 2012-13 के चौबीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट कृषि विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख' 2014-15 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता।

याचिका

नगर में गौ-तस्करी की रोकथाम हेतु गौ पुलिस चौकी की स्थापना

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र नगर में गौ-तस्करी को रोकने के लिए गौ पुलिस चौकी की स्थापना बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

संदेश

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण (वर्ष 2015) में कतिपय संशोधन विषयक राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय से... पढ़ना तो अध्यक्ष को ही पड़ेगा, राज्य सभा की रूलिंग भी अपन ने देख ली। आप बोल दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि 25 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अन्तर्गत इस सदन में अपने अभिभाषण का पाठन किया। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 14 के अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 4 और पृष्ठ संख्या 11 के पैरा संख्या 43 में लिपिकीय भूल के कारण से कुछ शब्द और पंक्तियां मुद्रित होने से रह गई हैं; जिसका पता सम्बन्धित मंत्रालय को लगते ही हमने महामहिम से निवेदन किया।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण में जब त्रुटि रह जाती है तो जो संसदीय पद्धति और प्रक्रिया है, कौल एवं शकधर, उसके पृष्ठ 235 पर इस चीज का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ाकर सुना दूं?

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कौल एवं शकधर, पृष्ठ संख्या 235, ''यदि राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण किये जाने और उसकी प्रति पटल पर रखे जाने के बाद किसी मंत्रालय को अभिभाषण में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसमें सुधार की प्रक्रिया यह है कि सम्बन्धित मंत्रालय राष्ट्रपति का ध्यान उस ओर दिलाता है। जब राष्ट्रपति उस त्रुटि को सुधारने का अनुमोदन कर दें तो राष्ट्रपति सभा को संदेश भेजता है जिसे सीधे अध्यक्ष को सम्बन्धित किया जा सकता है या किसी मंत्री के माध्यम से उस तक पहुंचाया जा सकता है तथा जब उसकी घोषणा कर दी जाये और उसे सभा पटल पर रख दिया जाये तो उसे कार्यवाही वृत्तांत तथा सभा के अधिकारिक अभिलेख में शामिल कर लिया जाता है।''

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में अनुच्छेद 175(2) में तथा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 21 में महामहिम राज्यपाल का संदेश मिले तो सदन में पढ़कर सुनाये जाने का प्रावधान भी है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो एक त्रुटि रह गई, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया और राज्यपाल महोदय ने बहुत कृपापूर्वक संदेश दिया। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होगी नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंश के रूप में शामिल करने की अनुमति आसन प्रदान करे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के उपरांत, चर्चा होने के उपरांत ही राज्यपाल महोदय को भेजा जाता है और राज्यपाल महोदय उस अभिभाषण को यहां सदन में आकर पढ़ते हैं। यह अपने आप में एक बहुत गम्भीर त्रुटि है। राज्यपाल महोदय को मंत्रिमण्डल फिर लिखेगा, या सम्बन्धित मंत्रालय लिखेगा, नियमों में क्या प्रावधान है, इसकी जानकारी नहीं है, कौल एवं शकधर में क्या है। कायदे से तो सम्बन्धित मंत्रालय न लिखकर, पुन: मंत्रिमण्डल के समक्ष इसको लाना आवश्यक है। क्योंकि मंत्रिमण्डल द्वारा एप्रूव्ड अभिभाषण ही राज्यपाल महोदय से पढ़वाया जाता है। तो क्या आपने...

(13.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं निवेदन कर दूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति मंत्रिमण्डल ने बनाई थी। मंत्रिमण्डलीय उपसमिति ने इसकी त्रुटि को देखते हुए इसके संशोधन के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपनी अभिशंसा के साथ महामहिम राज्यपाल को इसके लिए प्रार्थना की। यह प्रक्रिया जो राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, उस प्रक्रिया को भी हमने पूरा कर लिया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय का...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: सुन लिया मैंने आपको भी, उनको भी। मैंने भी सारा ला देखा लिया है। इसको सदन के पटल पर रखने के लिए...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : नहीं, आप रखवा दीजिए। वह तो रखा ही जाएगा। वह तो सदन स्वीकार कर लेगा।

श्री अध्यक्ष : स्वीकार करने और नहीं करने का तो सवाल ही नहीं है। यह पार्ट एंड पार्सल आफ दी राज्यपाल अभिभाषण माना जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आसन पैरों पर है। हम तो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: कहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़): अनुमति है?

श्री अध्यक्ष: पूरी, डबल।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अनुमति है, तभी कहेंगे। क्योंकि आसन पैरों पर है तो हम तो खड़े हो ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: ऐसी उदारता रखें आप, अनुशासन पालन करने में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, आपकी...

श्री अध्यक्ष: मैं बड़ा आभारी रहूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी उदारता में आम तौर से कमी आती जा रही है, ऐसा मेरा मानना है, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष: आइंदा नहीं आएगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय,...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज आप अच्छा बोलेंगे, बोलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अच्छा लम्बा बोलें इसके ऊपर ही।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आप में तो उदारता बहुत है लेकिन प्रतिपक्ष के नेतागण बात को नहीं मानकर आपकी उदारता को कम कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):...(व्यवधान) किसी के समझ में ही नहीं आता।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि पूर्व में, मुझे काफी लम्बा अनुभव है, पूर्व में इस प्रकार की गलती शायद ही कभी हुई हो। मुझे बड़ा लम्बा अनुभव है इस सदन का। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह आज इसको क्लेरिकल एरर क्यों कह रहे हैं?

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आप कह रहे हैं कि साहब, क्लेरिकल एरर की वजह से यह हो गया। जब एक-एक शब्द वहां मंत्रिमण्डल के अन्दर पढ़ा जाता है, सब-कमेटी ने एप्रूव किया होगा, सर्कुलेशन से आपने एप्रूव कराया होगा, या मंत्रिमण्डल की बैठक हुईहोगी उसमें आपने एप्रूव कराया होगा, या सर्कुलेशन आजकल आम हो गया, अखबारों में भी आया कि सर्कुलेशन से एप्रूव होता है।

तो आपने, यह गलती शायद पहली दफा हुई है और इसके लिए, मेरी राय में, आसन के द्वारा, मैं मजाक में या मंत्रिमण्डल या सरकार को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको एक प्रकार का निर्देश देना पड़ेगा कि भविष्य के अन्दर इस प्रकार पुनरावृत्ति नहीं हो। श्रीमान् यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं हो, इससे मैं भी सहमत हूं।

मैं राज्यपाल महोदय का पत्र पढ़कर यहां सदन में रख देता हूं।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:-

''दिनांक 01 मार्च, 2015

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

मुख्य मंत्री महोदया द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ. 1(8)म.मं./2014 दिनांक 28 फरवरी, 2015 प्राप्त हुआ।

मुख्य मंत्री महोदया ने मेरे द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को सदन में दिये गये अभिभाषण के बिन्दु संख्या 4 व बिन्दु संख्या 43 में लिपिकीय त्रुटिवश रह गई कतिपय अशुद्धियों की ओर मेरा ध्यान दिलाया जाकर शुद्धियां निम्न प्रकार किये जाने का अनुरोध किया है:-

1. अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 2 में बिन्दु संख्या 4 की दूसरी पंक्ति 'पिछला पुनर्गठन तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के कार्यकाल में वर्ष 1981 में किया गया था' के स्थान पर 'पिछला पुनर्गठन तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के कायर्काल में वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था' पढ़ा जाए; एवं

2. अभिभाषण के पृष्ठ 11 में बिन्दु संख्या 43 को निम्न रूप से पढ़ा जाए: 'राज्य में तकनीकी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2014-15

(श्री अध्यक्ष)

में 33 राजकीय सहशिक्षा तथा 8 महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय कार्यरत रहे व इन राजकीय सहशिक्षा व महिला पोलीटेक्निक महाविद्यलयों की कुल प्रवेश क्षमता 6 हजार 80 रही। इसके अतिरिक्त, 175 निजी पोलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित रहे, जिसमें प्रवेश क्षमता 51 हजार 655 रही।

कृपया उक्त संशोधन की अनुमति प्रदान की कृपा करें।

आपसे निवेदन है कि कृपया अभिभाषण में रही उपरोक्त अशुद्धियों को शुद्ध किये जाने की सूचना माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

सादर।

सद्‌भावी,

'ह.'

(कल्याण सिंह)''

माननीय सदस्यगण, हम वाद-विवाद पर आगे चर्चा चालू करेंगे, उसके पहले मैं आपको समय की बता दूं। भारतीय जनता पार्टी को 12 घंटे 45 मिनट आबंटित हुए हैं, अभी तक उसमें 5 घंटे 41 मिनट भारतीय जनता पार्टी

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने जो संशोधन रखा, उसे हाउस से...

श्री अध्यक्ष: नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जरूरत नहीं है?

श्री अध्यक्ष: वह तो पार्ट एंड पार्सल हो गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पढ़ा हुआ माना जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पढ़ा हुआ मान लिया ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उसके बाद जब यह पास, अभी पास भी कहां हुआ है।

श्री अध्यक्ष: पास होगा, तब उसमें...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अभी पास नहीं हुआ, कटारियाजी। यह तो उसका पार्ट एंड पार्सल हो गया ना। शुद्धि हो गई।

श्री अध्यक्ष: लिया गया समय 5 घंटे 41 मिनट, शेष समय 7 घंटे 4 मिनट; इंडियन नेशनल कांग्रेस-1 घंटा 56 मिनट, लिया गया समय-1 घंटा 39 मिनट, शेष 17 मिनट; नेशनल पीपुल्स पार्टी-20 मिनट, निल; बहुजनसमाज

(श्री अध्यक्ष)

पार्टी-15 मिनट, निल; नेशनल यूनियानिस्ट जमींदारा पार्टी-10 मिनट निल; निर्दलीय-34 मिनट, निल। यह आपका समय है। मैं चाहूंगा कि इस समय सीमा में हम रहें।

आज मैं वाद-विवाद प्रारम्भ करने के लिए हमारे वरिष्ठ सदस्य, निर्दलीय मानिकचंदजी सुराना को पुकारता हूं।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस का यह तीसरा दिन है और बहुत सी बातें पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से कही गई हैं।

(13.06 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

यह खुशी की बात है कि आज हमारी चर्चा भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत

केन्द्रीय बजट के बाद हो रही है और उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि 14वें वित्त आयोग के आधार पर राज्यों को 30 परसेंट की बजाय सैन्ट्रल पूल, सैन्ट्रल टैक्सेज में जितना रुपयाआएगा, उसका 30 की बजाय 42 परसेंट, 32 के अगेंस्ट 42 परसेंट उसका बंटवारा राज्यों को किया जाएगा। सभापति महोदय, 10 प्रतिशत राशि केन्द्र से हमको उनके डिविजिवल पूल की अधिक मिलेगी। यह राजस्थान के लिए और दूसरी सभी राज्य सरकारों के लिए बहुत ही सुखद विषय है कि हमारे पास फण्ड्स की कमी नहीं रहेगी और हजारों-करोड़ रुपया पिछले साल भी हमको केन्द्र से मिला था, उसमें कम से कम 8-10 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

सभापति महोदय, इकोनोमिक इंडिकेटर, आर्थिक संकेतक, वे बहुत अच्छे आ रहे हैं। पैट्रोल और डीजल की कीमतें अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कम हो रही हैं। (व्यवधान) यहां बढ़ रही हैं, वह आप जिक्र करेंगे, मैं भी करूंगा, पर उस सन्दर्भ को अपन इंकार नहीं कर सकते कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटी हैं और उसके फलस्वरूप राजस्थान में भी उपभोक्ता को, चाहे वैट में वृद्धि की गई है, पर वैट की वृद्धि को, और वैट की वृद्धि अधिक उपयुक्त नहीं है, पर तो भी उसका 30 परसेंट लाभ उपभोक्ताओं को भी मिला है। इसको भी अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजस्थान में जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाड़मेर में पौने दो लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है और यह उत्पादन बाम्बे हाई के बाद में नम्बर टू पर है। राजस्थान क्रूड आयल के प्रोडक्शन में अपना एक निश्चित स्थान बना रहा है और उससे जो रायल्टी सरकारों को आ रही है, वह भी हजारों करोड़ की रायल्टी है।

सभापति महोदय, वैट में जो भी टैक्स का, हमें बताया गया था कि इतना निर्धारित है, उस वैट के टैक्स में 25 हजार में से 17 हजार करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है और एक्साइज में गत वर्ष से 20 प्रतिशत ज्यादा 3,617 करोड़ की उपलब्धि भी अब तक हो चुकी है। ये सब आंकड़े बजट में और उसके बाद में राज्यपाल महोदय के भाषण में आ चुके हैं।

हमारे विद्युत उत्पादन में 1,150 मेगावाट की वृद्धि होने के संकेत दिये गये हैं और उसके साथ ही 220 के.वी. के 6, 132 के.वी. के 5 जी.एस.एस., 33 के.वी. के 400 नये सब-स्टेशन विद्युत के क्षेत्र में बनाये जा रहे हैं।

इस सब पृष्ठभूमि में, सभापति महोदय, 20 हजार किलोमीटर सड़कें राजस्थान में बनाने की जो बात है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, ये 20 हजार किलोमीटर सड़कें, जिसमें हमारी सारी स्टेट हाई-वेज आएगी, हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आएंगी, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को कभी भी स्टेट हार्व-वे भी घोषित किया जा सकता है, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि ये 20 हजार किलोमीटर जो बनेंगी, बहुत प्रशंसनीय है। इसी में पूर्वी-पश्चिमी कोरिडोर 12 हजार किलोमीटर का बनेगा। यह भी बहुत सराहनीय उद्देश्य है। पर इस 1012 किलोमीटर का लाभ, सभापति महोदय, जिन जिलों को मिलेगा, वे जिले हैं, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, कोटा, भरतपुर, धौलपुर। अनेक जिले इससे, ठीक है, यह ईस्ट–वेस्ट कोरिडोर है, इसलिए इसमें जो भी आएंगे, वे आएंगे, जो बच गये हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो महत्वपूर्ण घोषणा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने सदन में की है, वह यह भी है कि एक लाख 5 हजार किलोमीटर सड़कें, जो जिला सड़कें नहीं है और स्टेट हाई-वे नहीं हैं, उनका भी पुनरुद्धार किया जाएगा। वह पुनरुद्धार कोटा सम्भाग का किया गया है और काफी बड़ी राशि कोटा सम्भाग और धौलपुर को मिली है।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि ये जो बड़े उद्देश्य हमें दिखाये गये हैं, वह तो बहुत ठीक हैं पर मैं मंत्री महोदय ये यह पूछना चाहूंगा कि हमारी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तहसील की सड़कों का क्या होगा? तहसील के अन्दर जो कनेक्टिविटी रुकी पड़ी है, वह कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार क्या सोचती है? आप गौरव पथ बना रहे हैं, बहुत सराहनीय काम हो रहा है, एक-एक किलोमीटर गौरव पथ; 9,177 नहीं, अब और पंचायतें बन गई हैं, अब 9,900 हो गई हैं, उन सब में बनेगा एक किलोमीटर; 9,900 किलोमीटर सड़क तो आप बना देंगे, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्रों के अन्दर जो सड़कें और जो कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, चाहे वह ढाणी पाण्डुसर से सहजरासर की हो, चाहे सहजरासर से आगे खारड़ा की हो, चाहे भडेण से मनोरिया की हो और चाहे सोड़वाड़ी से बामणवाड़ी की हो, इन सड़कों के लिए राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र में क्या सोचती है? या उन सारे, जितने भी प्रस्ताव विधायकों के आएंगे, उन सब प्रस्तावों को पेंडिंग रखना है?

मैं अर्ज कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से, इसलिए कि यह जो 10 प्रतिशत राशि भारत सरकार से आ रही है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से भी निवेदन करता हूं, यह जो 10 प्रतिशत राशि बढ़कर आ रही है, इसमें हमारी तहसील की सड़कों, क्षेत्र की सड़कों का निश्चित रूप से ध्यान किया जाना चाहिए और हर क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 किलोमीटर सड़क, जो महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को भी आत्मसात करने की योजना बननी चाहिए।

अन्यथा, आप दिखाने के लिए तो हमारी सारी 20 हजार किलोमीटर सड़क, ठीक है, 2017 तक बना देंगे, 2017 तक सब में काम शुरू हो जाएगा, माननीय मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस 20 हजार का ब्लू-प्रिण्ट क्या है? कौनसे जिले में कितनी सड़क बनेगी, कौन-कौन सी स्टेट हाई-वे और कौन-कौन सी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड उसमें आएंगी? सारे जिलों में जो उसका प्रारूप है और जो बन रहा है, आपने अभी तो इसमें कहा है तो 8,910 किलोमीटर उसका पहला पार्ट बन रहा है, मैं निवेदन यही करता हूं कि आप आने वाले तीन महीनों के भीतर राजस्थान के सभी विधायकों को इस 20 हजार किलोमीटर की सड़कों, उनके जिले से कहां-कहां से निकलेंगी, यह निश्चित रूप से आपको विधायकों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगले वर्ष, आपने इस बार तो सिर्फ टोकन प्रोविजन किये हैं, मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने लिखें हों तो मिल गया होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अभी तो नहीं मिला है। मिल जाएगा, तो इंतजार करूंगा मैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको अभी तक नहीं मिला है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, अभी तक नहीं मिला है। आपको मिल गया क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अच्छा, कोई बात नहीं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट, जिले के अन्दर, क्षेत्रों के अन्दर जो रोड हैं, आपको उसका भी ध्यान करना होगा। अन्यथा, यह आपके मैक्रो आब्जेक्ट्स तो बहुत सही हैं, पर मैक्रो आब्जेक्ट्स के साथ में माइक्रो-ऑब्जेक्ट्स, सूक्ष्म, जो तहसील की जरूरतें हैं, उन तहसीलों की जरूरतों को भी नजरअंदाज किया जाना, इतने बड़े बजट के आकार में, किसी भी प्रकार से, मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा, कोई उचित नहीं है।

मैं खास तौर से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे एक सवाल के उत्तर में, जो जवाब उन्होंने दिया, उसकी ओर आकर्षित करता हूं। मैंने सवाल यह पूछा, सभापतिजी, बीकानेर डिविजन में जो चार जिले हैं उनमें उनका किलोमीटर क्या है और उनमें कितनी-कितनी सड़कें हैं? उन सड़कों का सौ स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से माप क्या है? आपने उसका जवाब दिया है, इस जवाब में, सभापति महोदय, बीकानेर जिला सबसे बड़ा है, 30,247 किलोमीटर। आपका जवाब है, चूरू बीकानेर से 45 प्रतिशत है; गंगानगर बीकानेर के मुकाबले 35 प्रतिशत है; हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल 32 प्रतिशत है। आपने जो सड़कों की लम्बाई बताई है, सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 4860 है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं आपको कापी भी उपलब्ध कराऊंगा; 4860 अतारांकित प्रश्न है, 18.07.2014 को आपने जवाब दिया है; उसमें आपने बीकानेर की सड़क 3,520 किलोमीटर दिखाई है। इसका सौ किलोमीटर के हिसाब से 21.65 आता है। सभापतिजी, बीकानेर जिले में 21.65, सौ किलोमीटर के हिसाब से, और चूरू में 31.45 और गंगानगर में 55.4 स्क्वायर किलोमिटर और हनुमानगढ़ में 50.5 है। जो मेरे से 32 प्रतिशत हैं, उसको दुगने से ज्यादा है; जो मेरे से 33 प्रतिशत है, उसको भी दुगने से ज्यादा है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आपको यह क्षेत्रीय असंतुलन जिलों के...।(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आकार बड़ा है बीकानेर का।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, आकार बड़ा है। यही तो मैंने कहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आकार बड़ा है और सड़कों की लम्बाई कम है। आप जो भी आर्ग्युमेंट दें, कोई दिक्कत नहीं है।

मैं, सभापतिजी, सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं, इस तरह के क्षेत्रीय असंतुलन सिर्फ बीकानेर सम्भाग में नहीं, अनेकों सम्भाग में होंगे और यह असंतुलन राज्य सरकार ही दूर करेगी, जो जनता के द्वारा विशाल मेन्डेट से आई है। उसी का दायित्व है कि इस असंतुलन को दूर करे। इसमें कोई भी प्ली, कोई भी तर्क चलने वाला नहीं है। कहां कौन मंत्री था, कहां कौन मंत्री नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं है देश की जनता, राज्य की जनता को। जिनको मेन्डेट मिला है रूल करने का और जिनको जबरदस्त मेन्डेट मिला है, उनका दायित्व है कि वे क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करें।

सभापतिजी, मैं माननीय मंत्रीजी के भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे यहां यदि पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कें निकाल ली जाएं, बीकानेर में पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कें निकाल ली जाएं, तो कुल सड़कों की लम्बाई है, 3,520 और पी.एम.जी.एस.वाई. की हैं 1,786, तो कुल सड़कों की लम्बाई आती है 1,734 किलोमीटर। चूरू में पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कें निकालने के बाद में, मेरी तो 1,734 और चूरू की 1,636, जो 43 परसेंट है मेरे से, और गंगानगर की पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कें निकालने के बाद में 1,730 और हनुमानगढ़ की 1,550 । ये सब फिगर आपके ही दिये हुए हैं।

मैं बीकानेर सम्भाग में बीकानेर जिले का जो क्षेत्रीय असंतुलन सड़कों के मामले में है, विशेष तौर से सदन से यह निवेदन करता हूं कि सरकार को इस असंतुलन को दूर करने का एक ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, रोड बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है और रोड के बाद में बिजली है। रोड से पहले भी बिजली कही जा सकती है और रोड के बाद भी बिजली कही जा सकती है। मैं निवेदन करता हूं कि सदन में गत दिनों में विद्युत मंत्रीजी ने बयान दिया और विद्युत नियामक आयोग ने जो 4,400 करोड़ रुपये की वृद्धि, 95 पैसे पर-यूनिट जो बढ़ोतरी उपभोक्ताओं पर की है, उस बिजली नियामक आयोग के आदेश की उन्होंने पैरवी की और उन्होंने कहा कि यह सब तो कांग्रेस के कुकर्मों का फल है।

निश्चित रूप से जिन्होंने भी वे एग्रीमेंट किये थे, फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान जो 31 दिसम्बर को बना था, उस फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान में यह तय हुआ था कि 31 दिसम्बर, 2012 को जितना कर्ज कम्पनियों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पर है, वह कर्ज आधा तो राज्य चुकाएगा और आधा कम्पनियां चुकाएंगी। उसके तहत जो कर्ज राज्य ने अपने माथे लिया, उस कर्ज की राशि है 35,980 करोड़ रुपये। यह भी तय किया गया था कि इस फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान में, वित्त पुनर्संरचना के तहत वर्ष 2016-17, वर्ष 2017 में वहां टर्न-अराउंड हो जाएगा, फिर घाटा नहीं रहेगा। उस प्लान को कांग्रेस ने मंजूर किया और उसी प्लान पर अभी आप चल रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्लान में वर्ष 2012-13 में घाटा होना था 11,152 करोड़ और घाटा हो गया 12,351 करोड़, वर्ष 2012-13 में; वर्ष 2013-14 में घाटा होना था 9,913 करोड़ रुपये उस फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान में और घाटा हो गया 15 हजार करोड़; और 2015 में घाटा होना था 6,911 करोड़, अब 2015 खतम हो रहा है, 31 मार्च आ रही है, तो मंत्री महोदय बताएंगे कि अब 6,911 पर है या वापस 15 हजार करोड़ पर है?

मैं ये आंकड़े रखकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या बिजली में रोज यह सरकार भी विद्युत नियामक आयोग की सिफारिश के आधार पर हर साल पांच हजार करोड़ रुपये, साढ़े चार हजार करोड़ रुपये, साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये उपभोक्ताओं से लेने का विचार रखती है? मैं निवेदन करता हूं कि इसकी मूल जड़ में वर्तमान सरकार को जाने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि बीच में समय कम मिला। लोक सभा चुनाव आ गये, नगर परिषदों के चुनाव आ गये, पंचायतों के चुनाव आ गये। सरकार को समय, एक्चुअल समय कम मिला काम करने का। पर अब तो समय है, अब तो कोई चुनाव नहीं है। मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप कोई नया फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान लाएंगे क्या? या आप हर साल साढ़े चार, पांच हजार करोड़ का बर्डन आम जनता पर लादने की बात करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मूल बात यह है कि राजस्थान की बिजली 8 रुपये 87 पैसे प्रति यूनिट बनती है और गुजरात की बिजली 4 रुपये 87 पैसे प्रति यूनिट बनती है, 4 रुपये 96 पैसे प्रति यूनिट बनती है। आप इसका अध्ययन क्यों नहीं करते? गुजरात के गीत तो खूब गाते हैं, मंत्री महोदय भी गाते हैं, मुख्य मंत्रीजी भी गाती हैं, वहां पर बिजली 4.96 पर और वहां पर वसूली 4.63 रुपये, मात्र 33 पैसे यूनिट का घाटा है और हमारे यहां पर 5 रुपये 8 पैसे की वसूली थी और अब 95 पैसे और हो गये तो 6 रुपये 3 पैसे की वसूली है। वसूली में हम गुजरात से पीछे नहीं हैं, वसूली में पीछे नहीं हैं,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पर घाटा हमारा। ये बनाते हैं 4.96 में और हम बनाते हैं 8.87 में। क्या कोई मंत्री, क्या कोई प्रशासन, कोई विद्युत निगम के, विद्युत विभाग के प्रमुख शासन सचिव और जितने भी कम्पनियों के चेयरमेन हैं, चाहे विद्युत के प्रसारण के हों, चाहे उत्पादन के हों, चाहे वितरण के हों, कोई तो सुन रहा होगा, या कुएं में भांग पड़ गयी, कि हम कम्पेयर करने को तैयार नहीं कि क्यों बिजली वहां कम है और गुजरात की विद्युत वितरण कम्पनियां घाटे में नहीं है? वे घाटे में नहीं हैं और हमारा घाटा कभी पूरा ही नहीं होता, क्योंकि उत्पादन में जो हमारे खर्च हैं, जो फिजूलखर्चियां हैं और जो आपा-धापी है, हम उसको रिमूव करने को तैयार नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस माइक्रो लेवल पर विद्युत कम्पनियों के खातों की जांच होनी चाहिए। आपने भी सरकार में आने के बाद विद्युत का आडिट करवाया है, एनर्जी आडिट करवाया है सरकार ने और उस एनर्जी आडिट में कौनसा विद्युत वितरण निगम है कि जो 2012-13 से पीछे नहीं हो? 2012-13 में जयपुर का घाटा 18.39, छीजत 18.39 है, वर्ष 2013-14 में 28.13 है और 2013-14 में आडिट में 30.5 है। यह जयपुर की स्थिति है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप थोड़ा इसको संक्षेप में करें। आपका समय हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): समय तो हुआ है, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, आप सम्मिलित करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अजमेर का आंकड़ा दे रहा हूं सदन को, वर्ष 2012-13 में छीजत 19.85 थी और 2013-14 में 21.3 थी और आडिट में 24.2 की छीजत है। जोधपुर में 17.32 छीजत है वर्ष 2012-13 में, 2013-14 में 21.88 है और एनर्जी आडिट में 26.5 है। एनर्जी आडिट में जोधपुर में 26.5, जयपुर में 30.5 और आप हमको कहते हैं कि इसमें 26 परसेंट ही बिजली की छीजत है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह छीजत, यह विद्युत की चोरी, साहब, पिछली सरकार ने तो आंख मींच ली, कुछ नहीं किया, आप क्या करना चाहते हैं? आपका रोड-मैप क्या है? आखिर आप सड़क के साथ बिजली और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बिजली में कोई विभिन्न रोड-मैप हों। मैंने अखबार में पढ़ा कि यह कानून लाएंगे कि छीजत कम हो। इस विधान सभा के कानून से छीजत रुकती है, या फील्ड में कुछ और करने से रुकेगी? यह सरकार के सोचने की बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मुझे तो...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब समाप्त करें आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, मैं समाप्त ही करूंगा क्योंकि आपके आदेश की तो पालना ही करूंगा।

श्री सभापति: क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं विधान सभा की प्रक्रियाओं से परिचित हूं। इसलिए मैंने दो मुद्दों पर मेरी बात कह कर, माननीय सभापति महोदय के आदेश के अनुसार मेरी बात समाप्त करता हूं कि राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का यह तीसरा अवसर है जब अभिभाषण की प्रति सदन की टेबल पर रखी।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान एक बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर इस सदन की विशेषता क्या है? जब आप और हम, मैं क्षमा चाहता हूं, आप आसन पर विराजे हुए हैं, मैं आपको हम सब में सम्मिलित नहीं कर सकता, लेकिन जब आप इधर विराजते हैं तो इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं, क्या हम संविधान को कर्म कांड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बहुत सम्मान से, सबसे वरिष्ठ सदस्य हमारे बीच में हैं, जिनके पास में आज की तारीख में गृह मंत्रालय भी है, अगर मैं कहीं त्रुटि करूं तो मैं अधिकार आसन को भी देता हूं और सब वरिष्ठ सदस्यों को देता हूं कि वे मुझे इस पर हस्तक्षेप करके टोक सकते हैं। जहां तक मैं कर्मकाण्ड के बारे में समझ पाया हूं, आदरणीय, कर्मकाण्ड का मतलब यह होता है कि एक सुनिश्चित व्यवस्था और उस व्यवस्था में वही बात कही जाती है जो सुनिश्चित होती है। जिस दल की सत्ता होती है, उसको स्तुति वाचन करना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पड़ता है और जो विपक्ष में होता है, वह जैसे कोई गरुड़ पुराण पढ़ रहा हो, वैसे पढ़ता है। इस सदन को भी आपने 'हां' और 'ना' पक्ष में बांट रखा है। जिसको आप 'ना' पक्ष में बैठा ही दोगे, उससे आप 'हां' कहलवाने की क्यों, और जिसको आप 'हां' पक्ष में बैठा दोगे और चिह्नित कर लोगे, उससे 'ना' कहने की तो उम्मीद ही छोड़ दें। आपको ऐसा नहीं लगता, सभापति महोदय, 'हां' पक्ष का तो भागवत सप्ताह है? कहीं इस संवैधानिक कर्मकाण्ड में मानवता का अभाव नजर नहीं आता आपको? मानव दर्शन का अभाव नजर नहीं आता? उन संविधान के निर्माताओं ने जब इस तरह की व्यवस्था निर्मित कर इस राष्ट्र और इन प्रदेशों को दी तो उन्होंने क्या ऐसी जटिल भूमिका प्रस्तुत कर दी कि आवाज की लर्जिश पर भी अनुशासन का आतंक हो जाए?

अब मेरी बात कुछ लोग-बाग गलत जरूर महसूस करेंगे। इसलिए मैंने, मुख्य सचेतक महोदय, आपसे कह दिया था, मैं अभिभाषण पर बोलूंगा, लेकिन आत्मा से बोलूंगा।

मैं आसन का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, इस पूरे अभिभाषण में 213 पैरा हैं, 213 पैरा एक-एक विषय को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहे हैं, इस पूरे अभिभाषण का सार क्या है, इस अभिभाषण की रूह क्या है, इस अभिभाषण का फल्सफा क्या है। अगर कर्मकाण्ड के माध्यम से यह बात कहूं कि इस अभिभाषण की रूह उस गरीब के सपनों का तराना है, जिसको अवतरित होने की आशा और अपेक्षाओं में वह 67 बरस से इन्तजार कर रहा है। 213 का एक-एक पैरा उस विपक्ष की भूमिका का कलन्दराना इजहार है, जो उसको उपेक्षित करने का कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। इसका सम्पूर्ण फल्सफा मुझे तो सूफियाना लगता है। अब कोई कहेंगे कि सूफियाना क्यों लग रहा हैं? तो, आदरणीय, सूफियाना इसलिए लग रहा है, मुझे यह भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मैं अपने सेकुलर क्रेडेंशयल्स को या धर्मनिरपेक्षता के चरित्र को भी चरितार्थ करूं।

मैं आसन को निवेदन करना चाहता हूं, 6 दशक और 7 वर्ष के उपरान्त भी हम जिस व्यवस्था में और जिस अवस्था में पहुंचे हैं, क्या हमें इस बात से संतुष्टि कर लेनी चाहिए, किसी राजनीतिक दल की कब सत्ता रही, कब उन्होंने क्या किया? मैं यह पूछता हूं, सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, सदन में तो 200 सदस्य थे। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, किसी पर कटाक्ष करते हैं, तो यह क्यों भूल जाते हैं कि उस वक्त के उस सदन के 200 सदस्यों के विवेक पर भी हम कटाक्ष कर रहे हैं। किसके कार्यकाल में क्या

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हुआ, वह महत्वपूर्ण नहीं है, किस परिस्थिति में आज यह राजस्थान का प्रदेश और उसकी जनता खड़ी है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

हमने पिछले 6 दशक से और इस दशक के भी 7 साल निकल गये, हम आधुनिकवाद के आड़ में अधिनायकवाद की ओर अग्रसर हो गये। बुनियादी प्रजातंत्र के ढांचे को हमने व्यक्ति के नाम पर पुकारना चालू कर दिया और उस व्यक्ति की आस्था के अन्दर हमने संवैधानिक मर्यादा को भी तार-तार कर दिया। आज व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हैं; उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उस व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है। पिछली सरकार किसकी थी, गहलोतजी की थी। गहलोतजी की सरकार को बनाने का काम इस सदन ने किया है। वह सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन हमने व्यक्ति के नाम से चिह्नित कर दिया। वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इस सदन ने सदन का नेता बनाया है। अगर कुछ कृत्य होता है, अच्छे कार्य में भी आपके दुहाई देता है और अगर जनता को यह लगता है कि कृत्य गलत हुआ तो उसमें किसी एक दल के नेता को इंगित कर अगर हम अपनी मर्यादा को पूरा कर लेते हैं, तो गलत है। पूरा सदन इसके लिए जिम्मेदार है।

मैं निर्विवाद एक बात आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां नहीं हैं, अभी तक जितनी विवेचना हुई, बिजली पर हुई, स्वाइन फ्लू पर हुई और हमारे सामाजिक संरचना और संगठन के सम्बन्ध में जिस परिप्रेक्ष्य के अन्दर हमने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये और उसमें जो हमारी आर्थिक दशा की दुर्दशा हुई, उस पर सबने अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रकाश डाला। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस संवैधानिक संस्था के उस अभिलेख की ओर, जो आपकी अर्थव्यवस्था को चिह्नित करता है।

अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे, हमने वित्त प्रबन्धन के लिए 2005 में एफ.आर.बी.एम. एक्ट लागू कर दिया। वह जब लागू हुआ, उसमें जितने अनुच्छेद हैं, उससे ज्यादा तो उसमें अमेंडमेंट्स आ गये। 2005 में लागू हुआ, 2007 में अमेंडमेंट आया, 2007 के अमेंडमेंट में 2011 में अमेंडमेंट आ गया। कभी बारहवें वित्त आयोग ने अगर कुछ अमेंडमेंट कर दिया तो उसमें हमने अमेंडमेंट कर दिया। तेरहवें वित्त आयोग ने अगर कुछ किया तो उसमें कर दिया।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आखिर आपकी आज की तारीख में आर्थिक स्थिति क्या है? मैं 2013 तक के जो लेखे ए.जी. के यहां पंजीकृत हुए हैं, 2013 वित्तीय वर्ष के अन्त तक आपका ए.जी. यह कहता है कि जी.एस.डी.पी., जी.डी.पी. से तुलनात्मक जो आपका दायरा, आप 25.9 प्रतिशत बता रहे हैं, वह वास्तविक में 40 प्रतिशत है। अगर किसी को एतराज है तो मैं उसका कंक्लूडिंग पैरा बताऊं- ‘‘It is pertinent to note that if the liabilities arising out of the guarantees are added to the fiscal liabilities of the State Govt. at the closure of the current year...’’ i.e. closure of the year, financial year 2012-13; I am not touching 2013-14. I am not asked to touch the current running year; ...‘‘the ratio of total liabilities to GSDP would increase to 40.4% from the existing 24.6.”

हम एक्ट लाये ही क्यों? हम एक्ट लेकर आये तो हमने उस डिसिप्लीन का वायलेशन क्यों किया? आरोप वर्तमान सरकार पर आता है कि आप बिजली की दर बढ़ा रहे हैं, आप वैट कम नहीं की रहे, पैट्रोल, डीजल महंगा हो रहा है। आदरणीय, मैं एक सरल से तरीके में आपके और इस सदन के सामने एक बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब 2003-04 में आपने राज्य की विरासत सौंपी तो आपने हमें 3,500 करोड़ के नुकसान कर विरासत सौंपी। हमने किसी भी प्रकार से 2003-04 से लगा कर 2008 तक उस प्रदेश की विरासत को सकारात्मक संकलन कर जब आपको सौंपा तो 700 करोड़ के अधिशेष में सौंपा। जब आपने वापस हमें सौंपी तो फिर 2,500 करोड़ के घाटे से विरासत सौंपी। ऐसा नहीं लगता कि जब हमें मिलती है तो हम उस बन्जर भूमि को किसी भी प्रकार से सिंचित कर के उपजाऊ कर देते हैं और आपको मिलती है तो आप वापस हमें बन्जर के रूप में फिर लाकर दे देते हैं? और कहते हैं कि आखिर क्या किया।

मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा, न ही मेरा किसी ओर इंगित करने का है। आदरणीय, दो लाख करोड़ से ऊपर का ऋण लेने के उपरान्त भी एक करोड़ जनसंख्या गरीब की, पावरर्टी की उस डेफिनेशन को डिफाइन कर रही है जिसकी व्यक्तिगत आय प्रति दिन 18 रुपये या उससे कम है। यह आंकड़े मैं नहीं कह रहा, यह आंकड़े आपका, हमारा नेशनल सैम्पल सर्वे कहता है; अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से जब सम्पूर्ण संसार की पावरर्टी का होता है वह कहता है। आदरणीय, मुझे आप यह बताइये, इस देश में 26 करोड़ से ऊपर तो वे लोगबाग हैं जो 18 रुपये भी रोज का नहीं कमा रहे। जब यह देश आजाद हुआ था तो इसकी जनसंख्या कितनी थी, 33 करोड़। जितनी आजादी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

के समय इस राष्ट्र की जनसंख्या थी, उतने लोगबाग तो इस पूरी अर्थव्यवस्था के माध्यम से आज ऐसे हैं जिनको 20 रुपया भी रोज का नहीं मिलता। आपने तो, राजस्थान की सरकार ने तो एक उत्तम कदम उठाकर मिनिमम वेजेज को बढ़ा दिया, लेकिन 20 रुपये कमाने वाले उस एक करोड़ की जनसंख्या के व्यक्तियों के बारे में आप नहीं सोचेंगे, यह सदन नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा?

मैं इसके लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमने जब एफ.आर.बी.एम. एक्ट लागू किया तो उसके अन्दर 2006-07 में एक 6(ए) का क्लाज लागू किया जिसको गरीबी उन्मूलन निधि के नाम से, यह चिंता हमारी उस वक्त की नेता को और वर्तमान की मुख्य मंत्री को थी कि आखिर हमें इस पैसे को, जो इस निधि में डाला जाए, वह उस कार्य के लिए निवेश करना है जिससे इस गरीबी की रेखा, इस गरीब के परिवार को हम मूल धारा में ले जाएं। आप यह बताइये, 2009 में आकर आपने उस निधि को ही खतम कर दिया। हमने उस निधि में जो पैसा डाला, क्या हमने अपने लिए डाला था? उस निधि का काम गरीब के घर तक वह व्यवस्था पहुंचे जिससे वह स्वाभिमान और स्वावलम्बन की परिभाषा के अन्दर अपने आप को एक समष्टि नागरिक की उस हैसियत को प्राप्त कर सके जिसकी कल्पना प्रजातंत्र के तंत्र में लोक से की जाती है।

हमें पिछले 2014 के फाइनेंस बिल में दोबारा इस निधि की संरचना का कारण क्या बताया गया कि अगर राजस्थान सरकार घाटे में चली जाती है और उस घाटे की पूर्ति करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हमें इस निधि को खतम कर इस पैसे को उस घाटे की पूर्ति के लिए करना पड़ता है। किसी अमीर के घर में एक दिन रोटी नहीं बने और उसके कर्मों से नहीं बने, तो यह कहां का नैतिक अधिकार मिलता है कि किसी गरीब के निवाले को अमीर के एक दिन की रोटी के लिए आप छीन डालें? इतना कुकृत्य पिछली सरकार के समय हुआ।

आप अभिलेखों की बात करते हैं, अभी बजट आयेगा, बजट पर बहुत बड़ी-बड़ी राशि की बात करेंगे। मैं आसन का, आपका और इस सदन का यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह निधि कोई एक साल में नहीं बनी थी, तीन वर्ष में जितना हमारे लेखा खातों में उन विभागों के पास, जिनके

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पास में आर्थिक आय, उन विभागों की, अपने लक्ष्य से ज्यादा थी, उस लक्ष्य के 17 परसेंट से ज्यादा की अगर थी, उसके अनुमानित लक्ष्य से जो 17 परसेंट से ज्यादा थी, उससे इस पैसे को इन गरीबों को पहुंचाने के लिए निधि का काम हुआ।

आपने तीन वर्ष की आय को, इस गरीब के निवाले को गरीब के घर से तो निकाला ही और आपने एक और वित्तीय अपराध कर दिया, इकोनोमिक आफेंस कर दिया और इस पूरे के पूरे सदन को गुमराह कर दिया। वह जो आप 860 करोड़ रुपये वहां से निकालकर लेकर आये थे, आपने 2009-10 में अपनी आय के रूप में यहां प्रदर्शित कर दिया। यानी, 2009-10 की जो रेवेन्यू रिसीट्स का टोटल है, उसमें उस निधि की आय है। वह आप कैपिटल रिसीट्स में लेकर आते, पूंजीगत प्राप्तियों में लेकर आते, तो हम मान लेते। आपने अपने राजस्व घाटे को कम दर्शाने के लिए, क्योंकि एफ.आर.बी.एम. एक्ट का उल्लंघन कर चुके थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या हम संवैधानिक कर्म काण्ड निभा रहे हैं या....? आखिर संविधान किस बात का द्योतक है, संविधान आम नागरिक को संरक्षण प्रदान करने के लिए आपको अधिकार देता है। संविधान इस सदन को आम आदमी को संस्कारित, संरक्षित करने के नियम बनाने का अधिकार देता है और दल की अपेक्षा और आशाओं के अनुरूप हम अपना कर्म करते हैं। उस कर्म में हम कहीं न कहीं संविधान के उस मौलिक चरित्र का उल्लंघन कर जाते हैं जिसकी अवधारणा उस वक्त के रचयिता ने की थी।

कुछ दिन पहले प्रश्न काल के अन्दर यह आ गया कि ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनमें हमारे पास पैसे होते हुए भी हमने इस्तेमाल नहीं किये? इस सदन में पिछले पांच साल में कई बार आरोप लगे। रिसर्जेंट राजस्थान का जिस वक्त आपने आगाज किया, आखिर क्या हुआ? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और यह उदाहरण भी मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं इस किताब से देना चाहता हूं, बाकी उदाहरण देता तो राजनीतिक दृष्टि से कहा जाता। निवर्तमान सरकार जो 2006-07 में थी, यूरोपियन कमीशन के माध्यम से 450 करोड़ रुपये आपके पेयजल, भू-जल, इर्रिगेशन, इनके लिए करार कर के लाये। आपने उस करार के बाद, जब 2011-12 तक उसमें उल्लिखित जो कमिटमेंट्स थे, वे पूरे नहीं किये, तो हश्र क्या हुआ? हश्र यह हुआ कि पहले तो 450 करोड़ की एवज में जो आपको 142.23 करोड़ मिले थे, उसमें से आप

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सिर्फ 96.24 करोड़ ही खर्च कर पाये और 308 करोड़ रुपये, जो इस प्रदेश के उस व्यक्ति के लिए, उस किसान के लिए, उस बच्चे के लिए, जिसको पानी नहीं मिल रहा, उस परिवार के लिए जिसको पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, वापस चले गये। जहां एक-एक पैसे के लिए, एक-एक संसाधन के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, वहां 308 करोड़ रुपये वापस चले जाएं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और हो क्या सकती है?

इसे भी आप छोड़ दीजिए। कल आपका केन्द्र का बजट आया। पिछले गुरुवार को हमने डी एम आई सी के लिए सदन के माध्यम से सवाल के रूप में अपना विवेचन प्रस्तुत किया था। वह कल के बजट में साफ हो गया ना।

माननीय सभापति महोदय, रिसर्जेंट राजस्थान के बाद में जब निवेश आने लगा और निवेशकर्ता ने यह कह दिया कि ना मुझे आपके यहां से मुफ्त में जमीन चाहिए, ना मुझे यहां की सरकार का पैसा चाहिए, ना मुझे यहां की सरकार से कर्ज चाहिए, ना मैं किसी और चीज की मांग करता हूं। मैं पैसा भी लगाऊंगा, मैं जमीन भी बाजार के भाव से खरीदूंगा, उसका पैसा भी लगाऊंगा। आखिर उस निवेशक को 4 साल बाद 2011 में जाना क्यों पड़ा?

माननीय सभापति महोदय, उद्योग मंत्रीजी से 3 दिन पहले यह बात कहलवा दी गई और मैं एतराज करता हूं पैरा नंबर 80 पर, कि पैरा 80 पर जो बात कही गई है, वह बात अपने आप में आधी-अधूरी है। वह यह बात कह रहे हैं कि हवाई अड्डा परियोजना हेतु एयरपोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया द्वारा साइट स्वीकृति के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय में डी एम आई सी, डी सी की ओर से आवेदन करें। 2008 में तो वह सारी एन ओ सी लेकर आ गया था। जिस एन ओ सी की वापस इन्होंने संरचना की है या आवेदन किया है, वह अनापत्ति प्रमाण-पत्र तो वह निवेशक 2008 में लेकर आ गया था।

माननीय सभापति महोदय, 2008 में वर्तमान सरकार ने उस निवेशक के साथ में एम ओ यू, लैटर आफ इंटेंट और करार कर दिया था। आप 4 साल तक उस निवेशक को घुमाते रहे। वह निवेशक यह कह रहा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसे का निवेश करूंगा; मुझे मुफ्त में जमीन नहीं चाहिए, डी एल सी की रेट पर सरकार की जमीन है, उस जमीन का मैं पैसा दूंगा; मैं ना तो काश्तकार को बेघर करूंगा और ना मुझे काश्तकार की जमीन चाहिए। मुझे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

3 चीजें आपके यहां से मिलनी हैं, जहां मैं यह निवेश करूं, वहां तक सड़क, वहां तक बिजली और वहां पर पानी की व्यवस्था करने की मुझे इजाजत दें। 3 चीजों की इजाजत पूरे 5 साल नहीं मिली। 2009 की मींटिग के मीनिट्स यह कहते हैं कि तत्कालीन सेक्रेटरी, ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन ने चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट आफ इंडिया को कि हम इस पर शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं। सर, एन ओ सी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है। एविएशन और सिविल एविएशन कभी स्टेट के परिव्यू की बात ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपने एक आदमी को, एक ऐसी संस्था को जो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, फ्रांस को देख रही है, वह इसमें निजी भागीदारी रखना चाहती थी; बोइंग, जिसका एविएशन से सीधा सम्बन्ध है, चाहे वह डिफेंस से हो, चाहे कामर्शियल से हो, वह इसमें थी; जापान जो आपका डी एम आई सी का कारिडोर बनाने के लिए निवेश कर रहा है, वह सीधे का सीधा इसमें निवेश कर रहा था; माननीय सभापति महोदय, आखिर आपको और हमको कहां परेशानी हो रही थी कि इस प्रकार के निवेश को और निवेशक को इतना विवश कर दें? आज तो वह इस दुनिया में है भी नहीं, यह भी दुर्भाग्य की बात है; शायद कोई यह सोच रहे हों कि मैं उस निवेशक से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होकर कोई बात कर रहा हूं, वह निवेशक तो अब इस दुनिया में है भी नहीं, लेकिन राजस्थान के इसी आवरण और वातावरण को अगर हमें रखना है तो निवेशक नहीं आएगा।

डी एम आई सी का काम था, क्योंकि डी एम आई सी का करार ही 2009 में हुआ था; 2008 में तो डी एम आई सी थी ही नहीं, इस डी एम आई सी का था कि जो करार हमने किये थे, जहां निवेशक आगे होकर आ रहा था, आपने क्या किया कि एक प्रपोजल बनाकर के भेज दिया पी पी पी मोड का। पी पी पी किसको कहते हैं? जब वायबिलिटी गैप होता है, जहां नुकसान होने की आशंका है और नुकसान होने के उपरांत भी सरकार यह मानती है कि इस चीज की आवश्यकता है तो आप पी पी पी मोड में जाते हैं। जब निवेशक सीधा ही आ गया था; वह आपसे पैसा ही नहीं चाह रहा था, तो आपने राजस्थान में इस पैसे को निवेश करने से रोकने के लिए यह कृत्य क्यों किया?

माननीय सभापति महोदय, आप कह रहे हों कि डिपार्टमेंट आफ डिफेंस से एन ओ सी आ जाएगी, सिविल एविएशन से आ जाएगी; जो एन ओ

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सी आई हुई थी, जिसका तो आपने उपयोग किया नहीं। 2008 से 2015 हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। सिर्फ आपको वह जगह कहीं से कहीं ले जानी थी।

माननीय सभापति महोदय, आप यह बताइये कि जब राजस्थान को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के नाम पर दर्शाना हो तब तो शेखावाटी बहुत बड़ा भाग है, जब आपको पर्यटन और निवेश को लाना पड़े तो जयपुर को आप वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करते हैं, जब निवेशक खुद कह रहा है कि मैं इस शेखावाटी, जयपुर के उस भू-भाग में निवेश करना चाहता हूं, क्योकिं मैं भी उस रज की, उस जगह की पैदावार हूं, इतना स्वार्थी तो वह भी था, आपने उसको तो वापस अपने घर भेजा ही भेजा, उस निवेश से जो आपको सीधे 70 हजार जोब्स का, रोजगार का, अब आप कहेंगे कि यह 70 हजार हो कैसे सकता है। कल आपके बजट में वह बात स्पष्ट हो रही है, 25 परसेंट डिफेंस के कलपुर्जे राष्ट्र में बनेंगे, यह अनिवार्य कर दिया गया है। अब 25 परसेंट अगर कलपुर्जे यहां बनें और उसमें एयर फोर्स में हो तो मान लीजिए, बोइंग उसके अन्दर सीधा स्पर्श कर रहा था। वह बोइंग ही तो था यहां। अगर उसका कारखाना यहां लग जाता तो सर्विस हैंगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से राजस्थान ले आता। जो एयरलाइंस की पार्किंग इंदिरा एयरपोर्ट में घंटों के हिसाब से होती है, उससे 1/50वें हिस्से पर राजस्थान में होने लगती तो एविएशन इंडस्ट्री की सिर्फ 4 एयर स्ट्रिप ही नहीं बनतीं, एविएशन इंडस्ट्री का हब आ जाता यहां पर। एविएशन का लाजिस्टिक हब आता, एविएशन का सर्विस हब आता, एविएशन का मैन्यूफेक्चरिंग हब आता। पूरे एविएशन का को यहां आ जाता, जो हास्पिटेलिटी को भी प्रमाणित करता है और इंडस्ट्रियल मैन्यूफेक्चरिंग को भी प्रमाणित करता है। माननीय सभापति महोदय, आप दोनों हाथों से लग जाना, इतनी बड़ी आपको वापस अपोर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलेगी।

आखिर क्यों हमने यह किया? कोई तो इस बात को पूछे। यह जवाब दे देना। अब हमने वापस किया है। अरे, घर आई लक्ष्मी को तो आपने भेज दिया, घर आई गंगा को भेज दिया, अब यह कहते हैं कि हम सरस्वती से पानी निकालेंगे। यह जिसने भी कृत्य किया है, मैं यह चाहता हूं और यह सदन की राय से और सदन की सहमति से चाहता हूं कि इस प्रकार से निवेशकों को लालफीताशाही के माध्यम से हतोत्साहित करके, मानसिक प्रताड़ना पहुंचाकर के हम वापस भेजते हैं तो राजस्थान की जनता का और राजस्थान की धरा पर निवेश करने वाला कोई नहीं आएगा।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आदरणीय सभापति महोदय, आप मुझे फरमा देना, मुझे कब बैठना है। मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके 5 घंटे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मेरे 5 घंटे नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के 5 घंटे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 5 घंटे में मैं मेरा कितना निवेश है, यह मुझे मालूम है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपसे बढ़िया कोई बोलता ही नहीं है। इसलिए आप 5 घंटे ले लो पूरे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब यह बात आप मत कहिए, नहीं तो और गढ़बड़ हो जाएगा मेरा मामला।

श्री हीरालाल (निवाई): बीच में बोलने की आदत है ना इन लोगों की।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): कल केन्द्र के बजट में एक और बात सामने आई। आपकी 6 ऐसी धरोहर हैं जिनमें चित्तौड़गढ़ का किला, रणथम्भौर का, गागरोन का, आमेर का, मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी आपसे निवेदन करता हूं यह बात, और आपकी बगल में बिराजी हुई हैं, वे बिलकुल उस चित्तौड़गढ़ के पास हैं।

एक माननीय सदस्य: ससुराल है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं इसको सोशली डायसेक्ट करने की बात तो नहीं कर रहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ): बगल में नहीं, माननीय सदस्य दूर हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): दूर हैं, थोड़ा-सा दूर हैं लेकिन चित्तौड़ ना तो इनसे दूर है, ना चित्तौड़, संसदीय कार्य, मंत्रीजी, आपसे दूर है और ना ही चित्तौड़ इस सदन से दूर है। राजस्थान का अगर कोई महत्वपूर्ण अंग है इतिहास में तो वह चित्तौड़ है और उसका किला है।

(14.00 बजे)

उस हाई कोर्ट की बेंच ने वहां माइनिंग पर रोकथाम करने के लिए निर्णय दे दिया। उस वक्त उस निर्णय को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में किसने दी? जो माइनिंग कम्पनी थी, उसका तो स्वाभाविक था कि वह जाती ही जाती, लेकिन उसके जवाब के साथ में जिसने दस्तखत किये, उसमें उस निवर्तमान

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सरकार के ए जी के भी थे। उन्होंने भी वही उत्तर दिया। क्या कहा, आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया जैसी मान्यता प्राप्त एजेंसी के पास में ऐसा कोई टेक्निकल नो-हाऊ नहीं है जिससे वह सुनिश्चित कर सके कि इन एक्सप्लोसिव की वजह से चित्तौड़ के किले पर दरार आई। मान लेते हैं। अब थोड़े दिन पहले जब आपके चांदपोल से वन-बी फेज चालू हुआ, मैट्रो का और क्योंकि चांदपोल ठीक उस हैरिटेज या पुरातत्व धरोहर के मार्ग से जा रही है, जिसको हम चांदपोल-छोटी चौपड़ कहते हैं, आपने ए एस आई को बुलाया और ए एस आई से रिपोर्ट ली कि हमारी यह पुरातत्व धरोहर है, इसको कोई खतरा तो नहीं। आदरणीय, आपके तो अटार्नी जनरल कहते हैं कि उनके पास तो कोई टेक्निकल नो-हाऊ ही नहीं है। चित्तौड़गढ़ के किले में दरार क्यों आई, उसका प्रमाण ए एस आई देने को नहीं है, वह मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन मैट्रो की अगर ताल खोदनी है और वहां के बिल्डिंग्स को मान्यता प्राप्त प्रमाणित करना है तो वह सही तरीके से कर रहे हैं।

आपने सही कहा, अब इतने तो दो चेहरे नहीं हो सकते। (व्यवधान) चाहे चेहरा इनका बेपर्दा हो रहा हो और चाहे चेहरा हमारा बेपर्दा हो रहा हो, बात तो यह है कि यह नैतिक चरित्र किसका बेपर्दा हो रहा है? चलिए, इसको भी छोड़ते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, क्या यह बात सही है कि चित्तौड़ के गढ़ के अन्दर जो दरारें आईं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि बन्दरों की उछल कूद से आईं?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जी हां, बन्दरों के लिए भी कहा और पर्यटकों के लिए भी कहा। (व्यवधान) उस पर आपने प्रतिबन्ध लगा रखा है, माननीय। (व्यवधान)

मैं एक और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हमारे जल संसाधन मंत्रालय के मंत्रियों के श्रीमुख से यह बात निकली कि हम सरस्वती को पुन: अवतरित करने का, जीवित तो ये कर नहीं सकते, वह तो पौराणिक है, अब जीवात्मा ही सरस्वती के हाथ में है, इसलिए जीवित तो कर नहीं सकते उसको, अवतरित जरूर करने की आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पुनरुत्थान।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप उत्थान भी नहीं कर सकते। अभी इतना पुरुषार्थ तो है नहीं इस कलियुग में किसी को। (व्यवधान) आप

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अवतरित तो इसलिए कर सकते हैं कि शिला पट्ट लगाने की आप में आदत-सी पड़ गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप किसके पुरुषार्थ को चुनौती दे रहे हैं? किसके पुरुषार्थ को? किरणजी के पुरुषार्थ को? (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं उस पुरुषार्थ को चुनौती नहीं दे सकता जिसका प्रमाण सब कोई जानता हो। (व्यवधान)

मैं नेशनल ग्रिड की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, नेशनल वाटर ग्रिड ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह कहा गया है कि अगर हम इसी प्रकार सतही जल का उपयोग करते रहे और जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, हमें कम से कम औसतन हर पांच वर्ष में 9 करोड़ एकड़ भूमि की और आवश्यकता होगी, जिसकी सिंचाई के माध्यम से हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकें। अब इसकी तुलना में आप देखिए आप का पर-कैपिटा पर-इंडिविजुअल कैलोरी रेशो क्या है। Per capita foodgrain availability noew is 500 gams, जहां तक इण्डिया का है। चाइना का एक हजार ग्राम। अगर इस पांच सौ को हम आठ सौ तक भी ले आते हैं तो आपको कितनी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी? अगर हम इसको आठ सौ तक ले आते हैं तो you will require 130 million hectares more. 130 मिलियन हैक्टेयर। अब आप लाएंगे कहां से?

मैं आपसे जब निवेदन कर रहा था तो बात कर रहा था, राजस्थान जितना छोटा देश है कतर। जैसे हमारे पास में एक परसेंट पानी है, वैसे ही उनके पास भी एक परसेंट ही पानी है। वहां औसतन रेनफाल 72 मिलीमीटर होता है। वह एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने की बात कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर तेल दोहन से नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो सतह पर होगा, जमीन पर होगा, फूडग्रेंस के माध्यम से होगा। जब आप तेल की खोज कर रहे थे और जिस तेल का दोहन करके रिफाइनरी लगाने की हम बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लगा कहां रहे हों?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा):...(व्यवधान) इस पर भी आ जाऊंगा, अगर समय रहा तो। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): रिफाइनरी तो लगी नहीं, लेकिन ई-टीवी पर बहुत देखा था, पूरी पिक्चर बताई भी थी, लग गई थी। बार-बार वह पिक्चर दिख रही थी। लगा दी थी न आपने तो? (व्यवधान) लाइनें थीं 'राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना'। इतनी बड़ी-बड़ी पिक्चरें थीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): दो करोड़ का खर्चा आया था। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): डाक्टर एम आर राव, डी जी एम हैं ओ एन जी सी के, उन्होंने इस सर्वे का पहला कार्य किया था, जिसको हम आयल फील्ड्स के नाम से जानते हैं, जिस वक्त मंगला आयल फील्ड्स, वगैरह का था। उन्होंने जैसलमेर, राजस्थान के क्षेत्र के अन्दर, बाड़मेर क्षेत्र के अन्दर, ये वेल्स डिग किये तो पहले 24 वेल्स जब इनके डिग हुए, उनमें 23 में पानी आया है। पी एच ई डी मंत्री महोदय, आप यहां हैं, दस हजार लीटर प्रति आवर में यदि कोई ट्यूबवैल में पानी आता है तो आप उसको सफल ट्यूबवैल मानते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 'महोदय' नहीं 'महोदया'।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): महोदय, आप मुझे सही कर ही नहीं सकते। आपके पास संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 'आदरणीय' 'आदरणीया' होता है, 'माननीय' 'माननीया' होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अगर कोई व्याख्यान होता है इस पर, तो मैं अभिलेखागार वालों को कहूंगा, 'महोदय', 'महोदया', 'विधायिका', 'विधायिकी' कहीं कोई गड़बड़ है।

श्री सभापति: समय समाप्त होने वाला है, आप जल्दी से अपनी बात कहें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मेरा समय बहुत पहले समाप्त हो चुका है, मैं तो... (व्यवधान) मैं तो ओवर-टाइम में चल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समय समाप्त करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इनका समय तो बहुत पहले समाप्त कर दिया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं यह एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये 24 ट्यूबवैल खुदें तो 23 ट्यूबवैल्स में से जो डिस्चार्ज था, उसमें कुछ ट्यूबवेल्स का, आदरणीय, 76 हजार लीटर का डिस्चार्ज। अब आप यह बताइए, माननीय सदस्य डोटासराजी, तेल चाहिए या पानी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पानी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): पूछ लो अपने अगल-बगल वालों को। (व्यवधान) यह बात तो मैं सरकार पर और सरकार के ओहदेकारों पर छोड़ता हूं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।

आप रिफाइनरी लगाएंगे, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पी पी पी मोड पर लगाएंगे वह रिफाइनरी, मैं कह देता हूं बात आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पता है पूरा, सबको पता है, अडाणी, रिलायन्स वाले, यही लगाएंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब मैं आपको एक और निवेदन कर दूं, आपको तो शंका सरकार पर है न? यही है न शंका आपको? आपको मालूम है, एच पी सी एल एक जोइंट स्टाक कम्पनी है जो पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन के शेयर कैपिटल पर न आपका अधिकार है, न इनका अधिकार है, न उनका अधिकार है। एक बार पता तो कर लो, उस एच पी सी एल के शेयर को कंसोलिडेट कौन कर रहा है। आपको पता लग जाएगा कि यह किस रास्ते पर जा रही है और कंसोलिडेशन कब से चालू है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दो न। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं एक बात आपको बिलकुल स्पष्ट होकर निवेदन करता हूं, यह न तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार में हुआ और न ही वर्तमान सरकार के, क्योंकि जोइंट स्टाक कम्पनी का अधिकार गवर्नमेंट आफ इण्डिया को है। (व्यवधान) यह एक दिन में तो हुआ नहीं ऐसे। अब पी पी पी मोड पर अगर आप जाएंगे तो वायबिलिटी गैप आपको पूरा करना है। मुझे आप यह बताइये, जब पाराद्वीप में रिफाइनरी लगी तो पी पी पी मोड पर गये? उस प्रदेश से आपने लिया? जब आपने मथुरा में लगाई तो आप पी पी पी मोड पर गये? जब तेल हमारा, धरती हमारी लोग हमारे, तो फिर केन्द्र क्यों हमसे 3,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 15 साल तक के लिए मांगता? जितनी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आपकी रिफाइनरी की लागत है, उसमें तो आपका सिर्फ 26 प्रतिशत शेयर ही है। जितने में रिफाइनरी लगेगी, उतना तो आप रिबेट का पैसा दे चुके होंगे।

एक आप और अभी पी पी पी मोड पर ले गये थे मैट्रो को। जब मेट्रो को आप पी पी पी मोड पर ले गये थे तो मैंने एक प्रश्न किया था, उसमें आपका जो उत्तर आया, मैं उस उत्तर का उत्तरदायित्व ही निभा रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : स्वायत्त शासन पर भी प्रकाश डाल दो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : स्वायत्त शासन पर मैं डालूंगा।

आदरणीय, 5 लाख और कुछ मीटर जमीन अधिग्रहण की गई। मैंने पूछा कि आखिर क्यों की गई? तो उन्होंने कहा कि इस मैट्रो को चलाने में जो व्यय होगा, वह इस जमीन को बेचकर हम पूरा करेंगे। इसमें दुर्गापुरा फार्म भी है। उसमें सरकार की वह जमीन भी है, वह सरकार की जमीन नहीं होती, जनता की जमीन होती है, इस प्रदेश के आम नागरिक की जमीन होती है जो सरकार के खाते में चलती है। उस जवाब में इन्होंने कहा है कि हम इसको बेचकर इसको करेंगे। जिस चीज की रिपोर्ट, मैं यह 'हिन्दू को कोट कर रहा हूं, यह 2006-07 में हमने भी करवाई थी, Metro rail network for the Pink City is unviable. यह 2006-07 की रिपोर्ट है आपने 2009 में दुबारा कर दी। यह वह ही दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन की रिपोर्ट है, ''A metro rail requires minimum 20,000 passengers per hour per direction and jaipur's traffic density is very less than the desired limit. Delhi's Metro gest at least 80-90 thousand PHED. Hence, it is better that you invest in Bus Rapid Transit System." उसके बावजूद भी मैट्रो आपने लगा ली। यह रिपोर्ट हमारी तो है नहीं। इच्छा हमारी भी थी कि हम मैट्रो लगायें लेकिन क्या देश की, प्रदेश की जनता के उस पैसे को ऐसे कुएं में डालें जिससे अगर भला भी होगा तो 20 हजार आदमियों का और बुरा होगा तो एक करोड़ व्यक्तियों का? खुले मन से सोच लीजिये। एलिवेटेड है, दिखने में इतनी खूबसूरत है, पर, आदरणीय, ताजमहल आगरा में ही अच्छा लगता हे, लाल किला दिल्ली में ही अच्छा लगता है और चित्तौड़ का किला चित्तौड़ में ही अच्छा लगता है। ताजमहल को जयपुर में बनाने की कोशिश मत करिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : मैं आपका बहुत समय ले चुका हूं। मैं सिर्फ इतना-सा निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की भावना भामाशाह से लगाकर भामाशाह के चरित्र को चरितार्थ करने की है। देखना तो यह है कि विपक्ष कितना साथ देता है, या अपना कर्मकाण्ड निभाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति : श्री बाबू सिंह राठौड़।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में मैं अपने आपको शामिल कर रहा हूं।

जब आदरणीया वसुंधराजी सुराज संकल्प यात्रा पर निकलीं तो उन्होंने राजस्थान की आम अवाम को यह आह्वान किया कि हम विकसित, समृद्धिशाली, खुशहाल और नया राजस्थान बनाना चाहते हैं। ऐसी परिकल्पना की और आम जनता से आह्वान किया, आम जनता ने आह्वान स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं अकेले नहीं, आप हमारी टीम राजस्थान बनायें और राजस्थान की जनता ने टीम राजस्थान बनाई। पांच महीने बाद ही जब देश के आम चुनाव हुए तो आम चुनावों में भी, जितने विधान सभा चुनावों में वोट मिले थे, मत मिले थे, उससे कई अधिक गुना राजस्थान की जनता ने समर्थन दिया। हमारे तो अनुमान ही फेल हो गये। हिन्दुस्तान में भी प्रधानमंत्री के सिंहासन पर आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी विराजे और वहां भी टीम इण्डिया बनी। नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला, गांवों की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की कड़ी से कड़ी जुडी।

हम सदैव गांवों में कहते हैं कि मिनखों में ही राम बसे हैं, जनता में ईश्वर हैं और जनता जो फैसला करती है वह ईश्वरीय फैसला है। वास्तव में यह ईश्वरीय फैसला है। अब जनता देश की आजादी के बाद जो बुनियादी सुविधाओं की तरफ तरस रही है, वह अब सपना संजोये बैठी है और उम्मीद लगाये बैठी है कि राजस्थान के इस पवित्र सदन में से, जो विकास के लिए सुदृढ़ मंच है, यहां से बजट आयेगा और वर्षों से जो बुनियादी सुविधाओं के लिए हम तरस रहे हैं, उसका विकास होगा।

मैं यह सोचता हूं कि जो गरीबी में जीते हैं, जो साधारण परिवार से आते हैं, उनको यह एहसास होता है कि गरीब की क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, साधारण परिवार में किस प्रकार की समस्याएं हैं। आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्रीजी भी भी साधारण परिवार से हैं

(श्री बाबू सिंह)

और उनको एहसास है कि साधारण परिवार की, गरीबों की और गांव की क्या समस्याएं हैं। इसके लिए हमेशा वे कहा करते हैं कि मैं छोटे-छोटे काम, छोटे-छोटे लागों के लिए और छोटे लोगों को बड़ा बनाने के लिए करना चाहता हूं। अब उनको सबसे पहले छोटा काम कोई नजर आया है तो यह नजर आया है कि हमारी माताएं, बहनें जो खुले में शौच जाती हैं, यह हमें शर्मसार करता है। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने यह निर्णय किया। इसमें अनलिमिटेड बजट दिया, पैसे की कोई कमी नहीं होगी और गांवों में शौचालयों के निर्माण का काम होगा। शौचालय के निर्माण की बात की।

साथ ही वे कहते हैं कि जब माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वे कहते थे कि हम ऊपर से 100 रुपये भेजते हैं और नीचे तक 15 रुपये जाते हैं। उसमें भी उनकी सोच है। वे कहा करते हैं कि हिन्दुस्तान की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई, यह हम राजनेताओं की कहीं न कहीं कमजोरी है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। क्यों न इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे? तो इस छोटी-सी योजना में भी उन्होंने प्रावधान किया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाते खुलें। राजस्थान में भी भामाशाह योजना में खाते खुल रहे हैं और अब जब उस शौचालय का आवेदन आया तो उस आवेदन में खाता नम्बर की मांग की कि इसमें आप खाता नम्बर लिखिये। अब यह बजट पंचायतों के पास नहीं जाएगा, सरपंच के पास नहीं जाएगा, ग्राम सेवक के पास नहीं जाएगा, वे इसमें चैक पर सिग्नेचर नहीं करेंगे और वह पैसा सीधे उसके खाते में जाएगा। अब आप ही बतायें कि वह 100 में से 15 पहुंचेगा या पूरा पैसा पहुंचेगा? उन्होंने प्रोत्साहन राशि भी जारी की कि हम एक शौचालय के लिए 12 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे। अब वह पूरा पैसा जा रहा है।

ऐसे ही फैसला हुआ है कि गांव और शहरों में जितनी भी व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं चल रही हैं, उन व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में, चाहे वह नरेगा का भुगतान हो, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वह इंदिरा आवास योजना हो, चाहे पालनहार योजना हो, जितनी भी व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं अब उनका पैसा सीधे भामाशाह योजना और प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाते में जाएगा। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हं कि योजनाओं को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि उनमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश खतम हो जाए। इस प्रकार का काम केन्द्र सरकार ने गांव और गरीब के लिए करना शुरू किया है। मैं सोचता हूं कि केन्द्र से इतना सारा जो बजट

(श्री बाबू सिंह)

हमारे आया है, उसको राजस्थान की योजनाओं के साथ इवटेल करके इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का हम निर्माण करें, इसके लिए अभिभाषण में सारी बातें आई हैं।

मैं आज गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि जब राजस्थान विधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो चुनावों में भाजपा के घोषणा पत्र में यह लिया गया था कि हम पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे। पंचायतों के पुनर्गठन का पिछली बार आपने भी किया, पूरी प्रक्रिया अपनाई और प्रक्रिया अपना कर जयपुर में लाकर उसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया। इतना विरोध हुआ। लेकिन हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। यह जिम्मेदारी आदरणीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब को सौंपी गई और तीन महीने में ही सब जगह पूरी पंचायतों का नवसृजन भी हुआ, पुनर्गठन भी हुआ। आज मैं कह सकता हूं कि 47 पंचायत समितियां नवसृजित हुईं, 64 पुनर्गठित हुईं, 723 ग्राम पंचायतों का नवसृजन हुआ और 423 पुनर्गठित की गईं। उसमें भी शिक्षा की अनिवार्यता, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य दसवीं और सरपंच आठवीं। आप तो कोर्ट में चले गये, पंचायतों के पुनर्गठन को भी आपने चुनौती दी। आपने शिक्षा की अनिवार्यता की, उसको चुनौती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय सदस्य, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, वह भी बताओ।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : जितना आपने इसका विरोध किया कि आप मनमाने तरीके से, राजनैतिक भेदभाव से पंचायतों का पुनर्गठन कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव हुए तो जनता ने यह साबित कर दिया कि जितनी पंचायत बनेंगी, उनका छोटा दायरा होगा, सीमित दायरा होगा, वहां विकास होगा और वह जन हित में होगा। उसके ऊपर राजस्थान की जनता ने मोहर लगाकर, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी से कड़ी जोड़कर कहा कि पंचायतों का पुनर्गठन बिलकुल सही और नियमानुसार हुआ।

यह दूरदर्शी सोच राजस्थान सरकार की उस समय की थी, जब 2003 से 2008 के बीच हमारे जो मजरे और ढाणियां हैं, हम गांवों में, ढाणियों में बसते हैं, जो भी 50-60 ढाणियां हैं उन ढाणियों को मिलाकर राजस्व गांव घोषित किये गये। मेरे अकेले के विधान सभा क्षेत्र में 264 गांव बने थे। उसका लाभ उन पंचायतों के पुनर्गठन में मिला और जो नजदीक सीमाएं थीं उनको

(श्री बाबू सिंह)

मिलाकर पंचायतें बनीं। मेरे यहां समितियां बनीं, 28 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। इसका लाभ जनता को मिलेगा। आज मैं कह सकता हूं, वास्तव में, राजस्व गांव की भी सोच यह थी कि केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार से गांवों के लिए जितनी भी योजनाएं आएंगी, वे गांवों में जाएंगी और उन ढाणियों का विकास होगा। इस प्रकार का काम शुरू हुआ है। शौचालय की भी इसमें अनिवार्यता थी। स्वच्छ ग्रामीण भारत में भी मैं कह सकता हूं कि इतने सारे शौचालय बन रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 हजार शौचालय बने हैं।

आपने देखा होगा कि पंचायत राज में भारी-भरकम बजट, 7 तो आईएएस बैठते हैं, किस प्रकार का बजट आता है। हम सोच सकते हैं कि देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, हम उन गांवों के लिए कुछ कर सकें, इसके लिए पहली बार यह शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से गांवों का विकास करेंगे, लोग विकास के अभाव में गांव छोड़कर शहर गये हैं, शहरों में दबाव हैं, इतना विकास गांवों का हो जाय कि जो गांव छोड़कर शहर गये वे शहर छोड़कर वापस गांव की तरफ लौटें। उसके लिए यह सारा काम हो रहा है।

मैं तो खास तौर से अब जो पंचायती राज के लिए, पंचायतों का विकास हो, पहले तो सारी योजनाएं जयपुर के गलियारों में, यहां ए सी कमरों में बनती थीं, लेकिन पहली बार हमारे हाथ में एक शानदार योजना आयी हैं, श्री योजना। यह श्री योजना राजस्थान में बनी है। इस 'श्री योजना' के माध्यम से गांवों का मास्टर प्लान बनेगा और जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, वह सारा इन योजनाओं में लागू होगा। इस योजना के जो मूलभूत उद्देश्य हैं, योजनाओं में समन्वय, समग्र ग्राम विकास का मास्टर प्लान, कंवर्जेंस डवटेल से योजनाओं का समन्वय, मूलभूत आवश्यकताएं। इसमें पांच मूलभेत आवश्यकताएं हैं, जो 'श्री' नाम दिया गया है, 'श्री' में 'एस' का मतलब है सेनिटेशन ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण व तरल व ठोस कचरा प्रबंधन; दूसरा, 'एच' से हैल्थ स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, तीसरा, 'आर' से रूरल कनेक्टिविटी गांव की आंतरिक सड़कें मय नाली निर्माण व अप्रोच रोड, चौथा, 'ई' से एजुकेशन-शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाएं; पांचवा, एनर्जी-ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्थाएं। इस प्रकार से, छठा, अन्य आधारभूत सुविधाएं आर्थिक आधारभूत सुविधाएं, सामाजिक आधारभूत सुविधाएं, योजना का क्रियान्वयन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज

(श्री बाबू सिंह)

की योजनाएं, विकास समन्वय समिति, योजना क्रियान्वयन समिति, राज्यस्तरीय समन्वय समिति, जिला स्तरीय समन्वय समिति, खण्ड स्तर क्रियान्वयन की प्रक्रिया, समग्र ग्राम विकास कार्य योजना का निर्धारण, कार्य योजना की स्वीकृति, योजना की मानिटरिंग और अतिरिक्त संसाधन की उपलब्धता। इस प्रकार से इस योजना के माध्यम से काम होगा।

हम कह सकते हैं कि जब से आदरणीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब ने काम सम्भाला है तो पांच साल के अन्दर किस प्रकार पंचायती राज में भ्रष्टाचार व घोटाले हुए, वे उनके सामने आने लगे। उन्होंने ग्राम पंचायतों का दिवस पंचायत मुख्यालयों पर मानना शुरू किया। वास्तव में, गांवों में रिकार्ड नहीं था, संचालन और संधारण नहीं था। वहां जाकर पता किया तो प्रत्येक पंचायत के पास, जिनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, 40 लाख, 50 लाख रुपये उनके पास बचे हुए थे। कुछ तो ऐसे प्रकरण सामने आयें कि वितीय स्वीकृतियां निकली हैं, काम नहीं हुआ है; कुछ यू सी जारी हो गई हैं लेकिन मौके पर काम नहीं है। यह पहली बार रिपोर्ट बनाने का काम हुआ। जब उन सरंपचों से बात करते हैं कि गांव के विकास के लिए आपके पास पैसा आया और आपने 50 लाख का काम नहीं कराया। वे कहते हैं, मैंने डर के मारे नहीं कराया; यदि मैं काम कराता तो मेरी शिकायत हो जाती, इसलिए मैंने काम नहीं कराया।

इसलिए उनके बारे में चिन्ता करने की जरूरत है। इस प्रकार से, पैसा हमारे यहां से गांवों के विकास के लिए गया है, वह पी डी अकाउंट में पड़ा है, पंचायत समिति में पड़ा है, पंचायतों के पास पड़ा है और जनता विकास के लिए तरस रही है। इसकी मानिटरिंग करने की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि अब जो नई पंचायतें बनी हैं, इनमें बुनियादी सुविधाएं होंगी।

इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने हमेशा फ्लैगशिप योजनाएं चलायी हैं, उनकी मानिटरिंग कौन करेगा? उनको गांवों में क्रियान्वित कौन करेगा? गांवों में आज भी हालात हैं, आपके समय के बिगड़े हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं, गांवों में पटवारी नहीं हैं, गांवों में ग्राम सेवक नहीं है, गांवों में आर आई नहीं है, तहसीलदार नहीं है, उप-तहसीलदार नहीं है और एल डी सी के पास दो पंचायतें आज भी हैं। किस प्रकार से विकास होगा? मैं यह कह सकता हूं कि वास्तव में चार पटवार मण्डल एक पटवारी के पास हों। गांव का गरीब तो उनको ढूंढते-ढूंढते ही थक जाता है, वह नहीं मिलता है। आज हालात

(श्री बाबू सिंह)

यह हैं कि हमारे जो ग्राम सेवक हैं, वे ग्राम सेवक भी 5 तारीख और 20 तारीख को ग्राम पंचायत की मीटिंग होती हे उसी समय आते हैं।

मैं कहना चाहूंगा, जो भी मंत्री महोदय यहां विराजे हैं, अब राजस्थान की टीम बन गयी है, आदरणीया वसुन्धराजी ने आपके ऊपर पूरा भरोसा किया है, आप हमारे किसी विधान सभा क्षेत्र के मंत्री नहीं हैं, राजस्थान के मंत्री हैं, पांच साल कांग्रेस के राज में किस प्रकार से संरचना खराब हुई है, किस प्रकार से हालात बिगड़े हैं, आप जिला मुख्यालय पर जायें और देखें कि इन विभागों की क्या दुर्दशा है। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इनको नौकरी करना सिखाओ। ग्राम सेवक व पटवारी अगर कहीं जाते हैं तो सूचना बोर्ड पर यह लिखकर जाएं कि हम फलां वार्ड या समिति में जा रहे हैं, अन्यथा वे साढ़े नौ से छह बजे तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर काम करें। आज अगर गांव के गरीब का काम पड़ता है तो वह पटवारी व ग्राम सेवक से पड़ता है। अगर वे भी नहीं हैं तो हम जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जो बजट भेज रहे हैं, वह बजट अगर सरकारी कर्मचारी व अधिकारी नहीं होंगे तो विकास कैसे सम्भव होगा? (व्यवधान) यह आपके समय की व्यवस्था है। हमारी सरकार आने के बाद 1400 पटवारी भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की है। आपने तो हमें पटवारी तक नहीं दिये, आपने हमको ग्राम सेवक नहीं दिये, आप पी एच ई डी का ए ईएन या जे ईएन नहीं दे सके।

हम यह चाहते हैं कि जिस सरकार से हमारी पंचायत समितियां बनी हैं, अब फिर से नई संरचना हो और जैसी पंचायत समिति है, वहां तहसील बने, आधे क्षेत्र में उप-तहसील बने, पंचायत समिति मुख्यालय पर आई टी आई बने, राजकीय महाविद्यालय बने, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां बनें और वहां जो पंचायत समिति क्षेत्र है, उसमें एक ए ईएन बैठे, तीन जे ईएन बैठें, चाहे वे पानी के हैं या बिजली के हैं, इसी प्रकार से दो पंचायत समितियों पर एक्स ईएन बैठें। पूरी नई संरचना बनेगी। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार को जब भी हमारे पद रिक्त होते हैं, उससे छह माह पहले, प्रभावी नीति बनानी पड़ेगी, इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी कि जब पद रिक्त हो जाय तो पद रिक्त से छह महीने पहले वह प्रक्रिया अपनाकर, जिस दिन पद रिक्त हो, उस दिन हमारा रिक्त पद भर जाय, तो हमारी समस्या का समाधान होगा।

आपने शिक्षा का क्या बंटाढार कर दिया! गांवों के अन्दर आपने ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय सदस्य, जो बाहर कह रहे थे, स्वास्थ्य विभाग का किसी तरह का बंटाढार है, वह भी बता दो सदन को।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : वह कहूंगा ना। उन बुनियादी सुविधाओं पर भी आ रहा हूं।

क्या हालात कर दी आपने! स्कूलें नई खोल रहे हों, स्कूलें नई खोलो, लेकिन उनके साथ संसाधन तो दो, मास्टर दो। हमारे पास पहले एक मास्टर है और एक विद्यार्थी मित्र है। आप जो नई स्कूल खोल रहे हों, उसमें विद्यार्थी मित्र भेजकर उसको चला रहे हैं। कैसे चलेगी दसवीं स्कूल?

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : आपने तो बंद कर दीं, 17,500 स्कूलें बंद कर दीं, राजस्थान के 45 कालेज बंद कर दिये...

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : बंद नहीं की हैं, एकीकरण करके आदर्श स्कूल बना रहे हैं मुख्यालय पर।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : एक तकनीकी विश्वविद्यालय बंद कर दिया।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : आप विराजो, हुकुम। मेरे नाम राशि हों, विराजो आप।

आपने तो घोषणाएं कीं कि हम 34 हजार मास्टर लगाएंगे, आप कहते हों कि जब न्यायालय का निर्णय होगा तो हम इनको नियमित करेंगे। एक तरफ 34 हजार लगाने की बात करो, 64 हजार तो रिटायर हो रहे हैं। घोषणा करते हैं, 40 हजार, 50 हजार अध्यापक लगा रहे हैं; हर साल जितने रिटायरमेंट होंगे उतनी ही भर्तियां कर लेंगे।

इसलिए हम चाहते हैं, गांवों में शिक्षा में क्रान्ति लाने की जरूरत है। प्रकृति की गोद में खेलने वाले प्रतिभावान बालक हमारे गांवों में हैं, लेकिन उनको शिक्षा अभी तक नहीं मिल सकी। अभी भी बहुत पद रिक्त हैं। हमारे समय में भी 3,108 स्कूलें दसवीं हो गयीं, अब प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर बारहवीं हो रही हैं, उस बारहवीं को आदर्श बनाने की बात हो रही है, हम तो यह कहेंगे कि आप स्कूल बारहवीं बनाओ लेकिन उसके पहले उनको संसाधन और जितने पद होते हैं, वे सारे सृजित करके, उसके बाद वह स्कूल शुरू हो और नामांकन हों। तब जाकर के अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई हम दे पायेंगे। इसलिए हम सरकार से भी कहते हैं कि जो हालात बिगड़े हैं, उनको सुधारो और गांव के अन्दर, पंचायत मुख्यालय पर एक ऐसा आदर्श और माडल स्कूल

(श्री बाबू सिंह)

दो जिससे उस पंचायत के दायरे में आने वाले बच्चे वहां जाकर शिक्षित हो सकें। इस व्यवस्था को भी सुधारना है।

अब चिकित्सा की हम बात करें। वास्तव में, यह बात सही है, जब आपकी सरकार थी तो आप बड़े भाषण देते थे कि जितनी हमने नि:शुल्क दवाइयां बांटी हैं, उनकी...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : मैं तो इसलिए नहीं दे रहा हूं कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं चिकित्सा मंत्री हूं। (व्यवधान) उनको चिकित्सा मंत्री होने पर शर्म आ रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको भी बोलने का मौका मिलने वाला है, आपको बहुत जल्दी बोलने का मौका मिलने वाला है, उस समय आप अपनी बात कह देना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : कब मिलेगा?

श्री सभापति : मिलेगा ना। सूची में नाम है आपका।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : आपने कहा कि हमने जितनी नि:शुल्क दवाइयां बांटी हैं, उन दवाइयों की दुआएं मिलेंगी और हम सरकार में वापस आ जायेंगे। आ गये ना आप सरकार में वापस?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : इसीलिए नहीं कर रहे हो क्या?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : इसीलिए। ये हालात इसलिए बने थे कि आपके वहां कम्पाउण्डर नहीं, ए एन एम नहीं, डाक्टर नहीं। अब दवाई लिखने वाले डाक्टर ही नहीं है तो वहां उन दवाइयों से किसको लाभ मिलेगा? वह फ्री दवाई भी जिला मुख्यालय पर लेने आते थे।

आज भी हम यह कह रहे हैं कि जैसे, चाहे वह महामारी हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे अन्य बीमारियां हों, यह जो शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, इसके लिए गांवों में चिकित्सा की व्यवस्था सुदृढ़ करने की जरूरत है। हम तो मंत्री महोदय से मांग करते हैं कि आप गुजरात माडल राजस्थान में लायें और जिस प्रकार से आज चिकित्सा और शिक्षा की दुर्गति है, इसमें नई क्रांति हमें लानी पड़ेगी। शहरों में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आज 20,000 रुपये में कोई डाक्टर लगने वाला नहीं है। जो 40-50 लाख रुपये खर्च करके डाक्टर बने हैं, वह 20,000 रुपये की सैलेरी में लगने वाला नहीं है। इसके लिए गांवों में

(श्री बाबू सिंह)

अतिरिक्त ग्रामीण भत्ता देना पड़ेगा। जो गांवों में विषम परिस्थितियों में सेवाएं करते हैं, उनको आप अलग से ग्रामीण भत्ता देकर, और आप उनको इतनी सुविधाएं दो कि वह गर्व कर सके कि मैं शहर में नहीं, गांव में जाकर गरीब की सेवा करूंगा, और उस गरीब की आशीष से उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि ये राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ हैं और ऐसा आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले हैं कि गांवों में इन चार साल के कार्यकाल में अब हमें डाक्टर भी मिलेंगे, ए एन एम मिलेंगे और चिकित्सा की व्यवस्था भी ठीक ढंग से होगी। तो यह सारा आपके सामने होने वाला है।

खास तौर से मैं बिजली के बारे में बात करूंगा। अभी हमारी बुनियादी सुविधाएं गांवों में हों, इसके लिए भी हमारी सरकार को इच्छा शक्ति की, राजनैतिक शक्ति की जरूरत है। आदरणीया वसुन्धराजी की यह चिंता है कि 25,000 मेगावाट बिजली केवल राजस्थान में कहां से पैदा होगी। हमारे पश्चिमी राजस्थान से होगी, सोलर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, लेकिन वहां यह समस्या है, जैसा हमारे आदरणीय राव साहब फरमा रहे थे कि वहां दिक्कत आ रही है, जो भी हमारी कम्पनीज आ रही हैं, उनके लिए टास्क फोर्स बने, टास्क टीम बने और टीम बनाकर उनको इस प्रकार का सहयोग करें कि वे जाकर स्थापित हों, वे एस्टेब्लिश हों और वहां पर जो बंजर भूमिंया हैं, वहां पर तो सोलर लगें, विंड लगें। सोलर और विंड से इतनी बिजली पैदा हो जायेगी कि हमारा राजस्थान इन चार सालों में आत्मनिर्भर होगा और वह दूसरों के लिए बिजली पैदा करके, बेचने की स्थिति में होगा। तो यह सारा बिजली में सुधार करने की जरूरत है।

हम यह चाहते हैं, गांव का गरीब आज भी बिजली के लिए तरस रहा है, आज भी लालटेन के दीये में पढ़ रहा है। तो उसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्रीजी ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना अभी शुरू की है। उस योजना में जितने राजस्व गांव हैं, उन राजस्व गांवों में थ्री-फेज लाइन जायेगी; जहां विद्युत भार ज्यादा है, वहां ट्रांसफार्मर लगेगा; एफ आर बी का काम होगा; वहां सर्वे करके कोई एक भी ढाणी अगर वंचित है तो उसको जोड़ा जायेगा और साथ-साथ में जो 'श्री' योजना राजस्थान की है, उसमें भी कनेक्शन दिये जायेंगे। वह सारा काम भी इसमें हो रहा है।

अब गांवों में यह समस्या आ रही है कि जो मीटर रीडर हैं, ये मीटर रीडर तो जाकर मीटर जांचते ही नहीं हैं, बैठे-बैठे रीडिंग दे रहे हैं। हालत यह है

(श्री बाबू सिंह)

कि जब वे फाइनेंशल यीअर खतम होता है और तलवार लटकती है, तब जाकर एक साथ मीटर रीडिंग होती है और फरवरी के महीने के अन्दर उनको बड़े-बड़े बिल थमाये जाते हैं। ऐसे में, वे वास्तव में इतना बड़ा बिल भरने में सक्षम नहीं हैं। यह सारी व्यवस्था को भी सुधारने की जरूरत है कि दो-दो महीने में ढंग से मीटर रीडिंग हो जाये और उनको सारा काम सही ढंग से मिले।

हम चाहेंगे कि नई योजना जो प्रधान मंत्रीजी ने हमारे लिए बनाकर भेजी है, उसका बजट भी स्वीकृत हो गया है, वह भी दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना, जितने हमारे जी एस एस बनने चाहिए थे, वास्तव में अभी दो साल से कुछ जी एस एस हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। नये जी एस एस भी बने हैं। एफ आर बी का काम हो। जहां इनके समय में ट्रांसफार्मर तो हमने लगाये और लगाने के बाद कनेक्शन देते गये, विद्युत भार बढ़ गया। अब गुणवत्ता की बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अपनी बात अब आप समाप्त करें।

श्री बाबू सिंह (राठौड़) : एक मिनट में पूरा कर रहा हूं। तंत्र सुधार करें।

पानी के लिए भी हम चाहेंगे कि जो आर ओ प्लांट बन रहे हैं, आर ओ प्लांट भी है, बरसाती पानी भी है; जे जे वाई की भारी समस्या है। पंचायती राज को जब से जे जे वाई दी है, उसके बाद जितनी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, वे सारी अधरझूल में हैं। न तो विभाग सम्भाल रहा है, न पंचायती राज सम्भाल रहा है। उसको भी सम्भालने की जरूरत है।

खास तौर से मैंने देखा, जब आदरणीया वसुन्धराजी हमारे क्षेत्र में दौरे पर आयी थीं तो उन्होंने कहा कि ये ए सी और सीमेंट पाइप नहीं चलेंगे, अब हमें दूरदर्शी सोच बनाकर स्थायी योजना तैयार करनी है। इसके लिए डी आई योजना है। राइजिंग लाइन के लिए लगें और गांवों को जोड़ने के लिए यू पी वी सी लगें। अब ऐसा कोई अगर निर्णय होता है सीमेंटेड पाइप लगाने का या ए सी पाइप लगाने का, तो हम यह कहते हैं, उसकी सर्वे रिपोर्ट हमने इन्टरनेट से निकाली है, उससे कैंसर का भी खतरा है, पानी का भी रिसाव होता है और कुछ समय बाद उन पाइपों को हटाने के लिए, आग्मेंटेशन स्कीम होती है, इन पाइपों को निकालो और वापस ये नये पाइप लगाओ। इसलिए स्थायी काम हो और पानी का सही ढंग से काम हो जाये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : ...सड़क के लिए मेरी एक बात और है। हां, मैं खतम कर रहा हूं। सड़क के लिए भी हम कहना चाहेंगे, वास्तव में पहली बार यह सोच बनी है, ग्रामीण गौरव पथ। अब ग्रामीण गौरव पथ प्रत्येक पंचायत में हमारी सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। अब सर्वे भी हो गया और ग्रामीण गौरव पथ में मेरे यहां तो करीबन सात सड़कें तैयार हो गई हैं, चुनास से पहले। उनके लिए भी कम्प्यूटराइज्ड प्लांट लगा है, उसी में मसाला तैयार हो रहा है और इतनी शानदार ग्रामीण गौरव पथ बन रही हैं कि यह सरपंचों को भी मोटिवेट करेंगी, उनको प्रोत्साहित करेंगी कि एक सड़क तो यह ग्रामीण गौरव पथ राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से बनाई गई हैं, अब इसी तर्ज पर हमारा सरपंच भी सड़कें बनाये और गांव को सुन्दर स्वरूप देने का काम करे।

मिसिंग लिंक सड़कें बनेंगी। केन्द्र में घोषणा हुई है, जितने राजस्व गांव हमारे बने हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : सरपंचों का तो अधिकार समाप्त किया है सरकार ने। 1,800 करोड़ रुपये जो ग्राम पंचायतों के सरपंचों के माध्यम से लगने थे, वह पी डब्ल्यू डी को देकर, ठेकेदारों को भ्रष्टाचार के लिए छोड़ा गया है, जबकि यह जन-प्रतिनिधियों को करना था।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : यह पैसों का प्रावधान अलग से पी डब्ल्यू डी का किया गया है। कोई टी एफ सी, एस एफ सी, एस जे आर वाई या दूसरी योजनाओं में कटौती नहीं है। मान्यवर, आप सम्भाल लें और उसको देख लें।

जब आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ पी डब्ल्यू डी मंत्री थे, उस समय राजस्थान में 2003 से 2008 तक सड़कों का जाल बिछाया गया था और वापस वही पुनरावृत्ति होगी। आपके समय में सड़कें कहां थीं? अब ये जाल बिछेगा। मिसिंग लिंक सड़कें भी होंगी, धार्मिक सड़कें भी होंगी और एक राजस्व गांव भी सड़क से वंचित नहीं रहेगा। वास्तव में, सड़क से होकर इस राजस्थान का विकास निकलेगा।

इसलिए हम यह चाहेंगे कि आने वाले समय में गांवों में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, ये बुनियादी सुविधाएं होकर गांवों का सर्वांगीण विकास हो और यह राजस्थान समृद्धशाली, खुशहाल और विकसित राजस्थान, नया राजस्थान बने, यह हमारी मुख्य मंत्रीजी की परिकल्पना है।

(श्री बाबू सिंह)

जनता हमारे सामने देख रही है, आपको भी देख रही है। यह नाम तभी होता है, काम के साथ नाम जुड़ता है और अमर होता है। जो विकास करेंगे, उनका जनता साथ देगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : माननीय सभापतिजी, यह राज्यपालजी द्वारा रखा गया अभिभाषण है, इसमें वैसे ज्यादा बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सारा विश्व जान चुका है कि भारत के इतिहास में 2014 का वर्ष गौरवशाली वर्ष है, क्रांतिकारी वर्ष है और संक्राति का वर्ष है। इस कारण से 2014 में जो सुखद परिवर्तन हुआ, उसमें न दिखने वाली, आंखों से अंधी कांग्रेस हो गई थी, उसको भी देश ने विदा किया है। इसी प्रकार से, राजस्थान में भी सुखद परिवर्तन हुआ है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर, पंचायती राज, शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये ऐसे आयाम हैं कि जो देश को और प्रांत को दिशा देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि युवा भारत को कर्मभूमि उपलब्ध कराने के लिए, निपुणता प्रदान करने के लिए, इस वर्ष राजस्थान सरकार ने अनेकों प्रभावी और व्यावहारिक कदम उठाये हैं। 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का एक महत्वाकांक्षी प्रभावी प्रयास किया गया है और उसकी व्यवस्था भी की गई है। मुख्य मंत्री सलाहकार परिषद, आधारभूत विकास परिषद, भामाशाह योजना, जन धन योजना, आम जन की स्वास्थ्य बीमा योजना, जल उपभोक्ता संगम का गठन, जिला सड़कों का क्रमोन्नयन, राज्य मार्गों की घोषणा, 250 से 500 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ना, गांवों की विशेष आवश्यकता ग्राम गौरव पथ योजना, आठवीं परीक्षा बोर्ड, कालेजों में रोगार प्रकोष्ठ, सात नये मेडिकल कालेज और विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा का प्रादुर्भाव और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इस प्रकार के उदाहरण हैं जो वास्तव में, इस राज्य को बीमारू राज्यों से प्रमुख राज्यों में ले जाने के महत्वाकांक्षी कदम 2014 में उठाये गये हैं।

मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं कि 1994 में नया एक्ट आया और 73वें व 74वें संशोधन हुए। उसके बाद पंचायतों का गठन हुआ। उस गठन के बाद भी बीस साल तक कांग्रेस का इतिहास रहा है। वे कहते तो हैं कि नेहरूजी ने नागौर से पंचायती राज का गठन किया लेकिन 18-18 साल

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

तक इन्होंने प्रधानों के चुनाव नहीं कराये। फिर भैरोसिंहजी संयोग से आ गये और 1977 में चुनाव दोबारा प्रारम्भ हुए। 1994 में उन्हीं भैरोंसिंह जी ने पंचायतों का पुनर्गठन किया। उसके बाद बीस साल तक नहीं किया और उस एक्ट का इन्होंने उल्लंघन किया। केन्द्र में इनकी सरकार थी, उसके एक्ट का उल्लंघन करके दस साल तक पुनर्गठन नहीं किया। पहली बार वर्तमान सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन किया और पुनर्गठन के साथ-साथ 47 पंचायत समितियां और 700-कुछ पंचायतें गठित करके राजस्थान को पुन: एक ऐसी व्यवस्था दी जिसके कारण से गांवों की सरकार सुदृढ़ हो सके।

इसमें भी पूर्व मुख्य मंत्री, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभी पिछले पांच-छह दिन पहले केन्द्र के पूर्व मंत्री का आया, उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं इनका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि 1978 में तीन हजार की आबादी पर दसवीं के स्कूल खोल दिये गये थे, 37 वर्ष बाद भी अगर गांवों में दसवीं पास अगर उम्मीदवार नहीं हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : गांव वालों से पैसा लेकर के, चंदा लेकर के खोले थे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : वह अलग है, लेकिन तीन हजार की आबादी पर एक ही आदेश से खोले गये थे। आप अपने आपको करेक्ट करें। 37 वर्ष बाद भी अगर दसवीं पास उम्मीदवार नहीं मिला..। जहां भैरोंसिंहजी 37 वर्ष पहले दसवीं की स्कूल खोलकर के चले गये, उसके बाद, फिर सुनो, भैरोंसिंह जी ने फिर 1994 में आठवीं की स्कूल प्रत्येक पंचायत में और जालौर जिले के एक कांग्रेस के एम.एल.ए. के यहां 36 मिडल स्कूल एक साथ खुल गईं। लोगों को आश्चर्य हुआ और जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस को फायदा हो गया। प्रत्येक पंचायत में मिडल स्कूल खोली, कितने वर्ष हो गये, 21 वर्ष हो गये हैं और 21 वर्ष में क्या आपके यहां दसवीं पास नहीं हुआ? कोई आठवीं पास नहीं। थोड़ी बहुत तो शर्म करो जनता के सामने असत्य बोलते हुए।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : उसके बाद सब जगह माध्यमिक स्कूल कर दिये, भिण्डाजी, प्रत्येक पंचायत में।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : मैं आ रहा हूं, आगे आ रहा हूं। यह दूसरा दृष्टांत है। 21 वर्ष पहले आठवीं खोले प्रत्येक पंचायत में, क्या सरपंच का उम्मीदवार आठवीं पास अभी तक नहीं हुआ? क्या किया आप लोगों ने फिर?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

फिर तीसरा कदम हमने उठाया, जब वसुंधराजी आ गईं। वसुंधराजी ने 3,108 सेकंडरी स्कूल प्रत्येक पंचायत में खोले और अब 12वीं कर दिये हैं; 4,988 स्कूलें फिर 12वीं की कर दीं। ऐसा कदम आपने कभी नहीं उठाया और आप लोग ऐसी अनावश्यक बुराइयां करते हो जिनका कोई तुक नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 42 पंचायत समिति के सदस्य चुने गये हैं और उनमें एस.सी., एस.टी. की 80 परसेंट महिलाएं ग्रेजुएट हैं, और आप अलाप कर रहे हैं कि आठवीं पास नहीं हैं, दसवीं पास नहीं हैं। यह आपकी नकारात्मक सोच है। मैं आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूं कि हमने कुछ किया है।

इतना ही नहीं, आप लोगों को फिर याद दिला रहा हूं, 1951 के बाद से 1981 तक महिला शिक्षा केवल 10 परसेंट बढ़ी। जब हम आ गये, उसके बाद में दस वर्ष में साढ़े 7 परसेंट और फिर जब हम पूरी तरह आ गये, 1990 से लेकर 2001 तक का जो दशक है, उन दस वर्षों में हमने 23.44 परसेंट विकास दर महिला शिक्षा की बढ़ाई है। आपके चालीस साल में केवल 10 परसेंट। आपने पिछले वर्ष में एक भी महिला स्कूल खोला हो, चाहे वह दसवीं का हो, या बारहवीं का हो, तो आप बता दीजिए कि अमुख जगह खोला है। आप शिक्षा के बारे में जानते ही नहीं हैं। आप तो अनपढ़ रखकर के केवल चुनाव जीतना चाहते हो। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यह कागज है आपके कर्मों का, यह क्या है कि महिला शिक्षा में राजस्थान कौनसे स्थान पर है, 35वें स्थान पर है। जो अन्य राज्य हैं और जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं, उनमें 35वें स्थान पर है। हमने इसमें सुधार किया है, दस वर्ष में हमने 24 परसेंट महिला शिक्षा को बढ़ाया है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : अध्यापक कहां हैं? अध्यापक तो देखो। आपने स्कूलें तो खोल दीं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : उस विषय पर आ रहा हूं मैं। आपने भर्ती की है क्या पांच साल में?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आप धीरे-धीरे बोलो, माननीय सदस्य, हम सुनेंगे आपकी पूरी बात।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : मैं आपको इतना याद दिलाना चाहता हूं कि हम इस प्रदेश को बनाना चाहते हैं और आप इस प्रदेश को बिगाड़ना चाहते हो। यह आपके कारनामे अभी माननीय सदस्य राव साहब बता

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

रहे थे, आप मुझे बता दीजिए कि 56 हजार रुपये तो हम देंगे बिना ब्याज के रूप में और उसमें 26 परसेंट हमें शेयर मिलेगा। यह लुटाने का काम आपने किया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : बिना ब्याज के पैसा तो आप अडाणी और अंबानी को दे रहे हों, जनता और किसानों को नहीं दे रहे हों।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : आ रहा हूं किसानों पर। आप अपने आपको करेक्ट करें और देखो इन्दिराजी का शासन। 1975-76 में गेहूं का भाव कितना बढ़ाया कांग्रेस ने? डेढ़ रुपया क्विंटल। डेढ़ पैसा बनता है आपका। ये तो आपके कारनामे हैं और अब आप गरीब की बात कर रहे हों, किसान की बात कर रहे हों।

मैं बिजली की बात बता रहा हूं, बिजली में जब कांग्रेस थी, 19 जुलाई, 2000 को...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : बी जे पी मतलब बंगारू-जूदेव-पार्टी है। बंगारू लक्ष्मण और दिलीप सिंह जूदेव की पार्टी है बी जे पी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : मैं पहले आपके कारनामों पर आता हूं और बाद में बोलूंगा वह तो।

19 जुलाई, 2000 की बात है, वह ऐतिहासिक क्षण ऐसा था जिसमें इस प्रांत को डुबोने का साहस किया था पूर्व मुख्य मंत्री ने; क्या किया, 300 करोड़ का बिजली बोर्ड में घाटा था और क्या कहा, अब घाटा नहीं चल सकता, कमपनी बनाऊंगा। बना दीं आपने। उसके बाद में आपने पांच कम्पनियां बनाईं और सुधार कार्यक्रम लायें आप। सुधार कार्यक्रम में क्या हुआ, 2002 से 2003 में दो वर्ष में आपका घाटा 3000 से 15,000 करोड़ चला गया। यह रिकार्ड की बात कर रहा हूं।

गोविन्द सिंह डोटसरा (लक्ष्मणगढ़) : अब आप धन्ना सेठों को दे रहे हों, जो प्रोफिट में चल रही हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : यह 2002 तक की स्थिति बता रहा हूं, आपने 3000 से 15,000 का घाटा बिजली में कर दिया। हम 2003 से 2008 तक रहे और उस घाटे को 15000 से आगे नहीं जाने नहीं दिया। 2003 से 2008 तक हमने एफ.आर.पी. की और वास्तव में, नीचे के स्तर पर की और उसकी वजह से बिजली भी अच्छी मिली किसानों को। लेकिन 2008 के

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बाद दुर्भाग्य फिर जाग गया और उसमें 15,000 करोड़ से कितना हो गया, 77,000 हजार करोड़ रुपये। अब मैं पूछना चाहता हूं, डोटासराजी, यह 62 हजार करोड़ का पैसा कहां गया? मकान बने क्या, जमीन खरीदी क्या, पावर हाउस बने क्या? ये 62 हजार करोड़ रुपये कहां चले गये?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात आसन के सम्मुख रखें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : ठीक है, सर।

माननीय सभापति महोदय, यह जो घाटा हुआ है, यह इस सदन के लिए भी चिंता की बात है। इस सदन की चिंता इस रूप में है कि यह जो पाप था कांग्रेस का पांच साल का, इसमें क्या हुआ, स्पाट बिलिंग लाये, फिर बेस बिलिंग लाये, फिर स्कोटा लाये। स्कोटा में आपने क्या किया, आप रिटायर्ड अधिकारियों को ले आये और खूब लुटाया पैसा। इतना ही नहीं, 6 हजार मीटर रीडर बैठे रहे और मीटर ठेके पर दे दिये। लोन लेने के लिए, इन्होंने आते-आते, 2013 में यह स्थिति हो गई कि 84 संस्थाओं का ऋण हो गया और ऋण के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े कि हमें लोन दिलाओ।

यह हालत किसने की? यह पैसा कहां गया? प्रापर्टी निर्माण हुआ क्या? राजस्थान में सम्पदा निर्माण हुआ क्या? बिजली बोर्ड में हुआ क्या? आपने दो मीटर लगा दिये आकाश में। किसान उतार नहीं सकता। उतार कर ले जाओ, लाओ। अभी मैं कहता हूं कि लाइनें कितनी डलीं? आपने सहायक अभियंता कार्यालय पर आडिट करवाई क्या पांच साल में? करवाओ उसको और फिर देखो।

आज गरीब पर, मुझे भी कष्ट हो रहा है, मेरा बिल नहीं, मेरे भाइयों का बिल, गरीबों का बिल, किसानों का बिल, बीस प्रतिशत वृद्धि कर रही है सरकार। मजबूर होकर कर रही है, आपके पापों के कारण से कर रही है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराइये कि बासठ हजार करोड़ रुपये कहां गये? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बासठ हजार करोड़ रुपये का जो लोन है, इसकी सम्पदा गई कहां? इसकी जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने कमीशन खाया, कितना कमीशन खाया? आप बताओ, जहां से मीटर चले चोरी रोकने के

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

लिए, पांच का लाये, दस का लाये, सोलह का लाये और रामहेतसिंहजी यादव के यहां एक बार में 188 उठे जले हुए। यह सारी की सारी लुट हुई है कमीशन में। इसकी यही कहानी है।

इस लूट का भागीदार कौन है, पिछली सरकार है, पिछली सरकार है, पिछली सरकार है। यह मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) पिछली सरकार, आपकी सरकार है। यह ही इस प्रकार की जो स्थितियां बनी हैं, वास्तव में, चिंताजनक हैं, वास्तव में जांच होनी चाहिए। मैं वर्तमान सरकार से मांग करता हूं कि जांच की जाये। पिछले पांच वर्ष के बिजली के पैसे, बासठ हजार करोड़ रुपये कहां चले गये, उससे सम्पदा निर्माण हुआ या नहीं हआ, यह देखना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब अपनी बात को आप जितना जल्दी हो सके, समाप्त कर दें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : उस पर ही आ रहा हूं। अब मैं स्वास्थ्य पर आ रहा हूं। अब राठौड़ साहब नहीं हैं, अब राठौड़ी नहीं कर रहे हैं, पन्द्रह सौ डाक्टर लगा दिये एक साल में और आज से ही पैंतालीस हजार पैरा-मेडिकल स्टाफ लगाना शुरू कर दिया। आपने इन 67 वर्षों में 53 साल शासन किया लेकिन कभी भी पचास हजार नहीं लगाये, हम केवल एक वर्ष में इतने लगायेंगे। आप रिकार्ड देख लें, यह मैं नहीं कह रहा हूं। ये आज से शुरू कर रहे हैं पैरा-मेडिक्ल स्टाफ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय सदस्य, आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। यह आप बाहर तो कह रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री गड़बड़ कर रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : नहीं, नहीं, मैं हकीकत कहूंगा। मानिटरिंग की कमी हो सकती है। मानिटरिंग की कमी तो आपकी भी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका वक्त कम बचा है, आप अपनी बात जल्दी से कह दें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : सभापति महोदय, 67 वर्षों में भारत की छवि जो खराब हुई थी, कोई गन्दा देश कहता था, कोई गरीब देश कहता था, कोई भिखमंगा देश कहता था, कोई ऋण वालों का देश कहता था और कोई कर्जदार कहता था; हमने मंगल पर विजय प्राप्त की, हमने मेक-इन-इंडिया का नारा दिया। इतना ही नहीं, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने उस अमेरिका की

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

धरती पर जाकर के क्या नारा दिया, भारत माता की जय; तीन बार, एक बार नहीं, तीन बार दिया। इतना ही नहीं, जिस माननीय नरेन्द्र मोदी को बुलाना नहीं चाहता था अमेरिका, निमंत्रण देने के लिए लालायित हो गया अमेरिका और फिर हमारे प्रधान मंत्रीजी गये और इसी 26 जनवरी को राष्ट्रपति आ गये।

इतना ही नहीं, एक और घटना है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें। श्री मदन राठौड़।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : बस कर रहा हूं, बस दो ही बात है, एक मिनट और लूंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया, आप बैठें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : एक मिनट। यह देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का देश है और यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ऐसा एक प्रभावी यंत्र है जिसने सारी दुनिया को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि यह भारत है, यह भारत राष्ट्रवाद को पनपाने में संस्कृति को आड़े लाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से इनको भी बताना चाहता हूं कि जब परमाणु विस्फोट हुआ और सारे विकसित देशों ने पाबंदी लगाई तो अटलजी ने एक यंत्र काम लिया। क्या यंत्र था, भारत माता; क्या कहा, कि अगर तुम पैदा हुए हो। या तुम्हारे बाप-दादा पैदा हुए हैं, तुम सौ-सौ डालर भारत के बैंकों में भेज दो। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि इस भारत की जो अठारह लाख करोड़ की जो विदेशी मुद्रा है, वह एक नारा था जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक था, जो अटलजी ने दिया। इस कारण से आज हम भी इतने मजबूत हैं, अठारह लाख करोड़ रुपये थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, श्री जोगाराम पटेल ने जो प्रस्ताव रखा था कि महामहिम का हम आभार व्यक्त करें, तो उसके समर्थन में मैं अपने विचार रखने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं।

सभापति महोदय, वैसे तो इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ रख दिया था, तो मैं सोचता हूं कि बोर नहीं

(श्री मदन राठौड़)

हों, इसलिए मैं उन विषयों को वापस नहीं दोहराऊंगा। कुछ ऐसी बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जैसे विपक्ष के माननीय मुख्य सचेतकजी ने जो बातें रखी थीं, हमारे मंत्रियों द्वारा जो व्यंग्य रखे गये थे, उनके बारे में इन्होंने अपना पूरा भाषण किया। उनका पूरा भाषण ही हमारे कुछ मंत्रियों ने उस समय की, तत्कालीन व्यवस्था पर जो व्यंग्य किये थे, उस पर उन्होंने कहा कि हमें शर्म आती है, जो इस प्रकार के शब्द उन्होंने प्रयोग किये। तो इन्होंने उस पर कटाक्ष किया, व्यंग्य किया, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाये कि उनके मन की पीड़ा क्या थी। उनके मन की पीड़ा यह थी, उस व्यवस्था को आपने इतना बिगाड़ दिया था कि उसको सुधारने में उनको बहुत कष्ट अनुभव हो रहा है, बहुत जोर लग रहा है, बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। इसलिए उन्होंने ये बातें कहीं, लेकिन आपने उसको मजाक बनाने की कोशिश की। यह बात मैं आपको रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, देश आजाद हुए 67 वर्ष बीत गये और इन 67 वर्षों में, आज भी जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग पानी की मांग करते हैं, सड़क की मांग करते हैं, स्कूल की मांग करते हैं। तो इन्होंने पचपन वर्ष तक, क्योंकि पचपन वर्ष तक तो कांग्रेस ने शासन किया था इस देश पर और राज्य पर भी, पचपन वर्षों में ये न तो पानी की व्यवस्था कर पाए, न वहां बिजली की व्यवस्था कर पाए और आज भी जनता अभाव की जिन्दगी जी रही है। अब इसके लिए यह विचार करना चाहिए कि आपकी भी तो जवाबदारी है। आपने इतने वर्षों तक राज किया। हमको तो केवल बारह वर्ष मिले और बारह वर्षों में हमने जो कुछ भी किया, यह जनता के सामने है, जनता हम पर विश्वास कर रही है।

पिछला जो हमारा कार्यकाल निकला था, यह आप जानते हैं कि हमने देश में बहुत कुछ विकास किया था। जब अटल बिहारी वाजपेयीजी देश के प्रधान मंत्री थे, हिन्दुस्तान का मस्तक ऊंचा किया पोकरण में परमाणु विस्फोट करके। यह जो विदेशों से पहले आप लोगों ने कर्जे लिये थे, उसका आप ब्याज नहीं चुका पा रहे थे, ब्याज के लिए फिर कर्जा ले रहे थे, लेकिन अटलजी ने वह व्यवस्था की, बिना टैक्स लगाये कि कर्जे का ब्याज भी चुकाया और कर्जे को एडवांस में जमा करवाना भी शुरू कर दिया। यह सुधार किया था। यही नहीं, नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी। हमारी सरकार चली गई, उस योजना को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह तो रहा केन्द्र में और

(श्री मदन राठौड़)

राजस्थान में देखिये, शेखावतजी ने बहुत कुछ किया था। ये जैसे पंचायतों के पुनर्गठन की बात कही गई, यह जो अन्त्योदय की बात कही गई, पिछड़ों को आरक्षण की बात कही गई और ग्रामीण सड़कें, ये सब शेखावत साहब के समय में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का राज आया, कांग्रेस ने फिर पांच साल तक कुछ नहीं किया। इस देश को कर्जे में, इस प्रान्त को भी कर्जे में डुबा दिया। यह कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जन हित की कोई योजनाएं नहीं बनाईं। फिर वसुन्धराजी का राज आया, उन्होंने चिन्ता की। अभी देखिए, आप जानते हैं कि जब पिछली बार हमारा शासन आया था तो हमने इतना विकास किया, इनता विकास किया कि जनता में उसकी पैठ बनी वसुन्धराजी के प्रति; एक जवाबदेही की पैठ बनी कि वसुन्धराजी ने कितना विकास का काम किया।

सभापति महोदय, अभी जब फिर से वसुन्धराजी आईं और उन्होंने सत्ता सम्भाली, हालांकि हमको बहुत कम समय मिला है, केवल 160 दिन मिले हैं क्योंकि चुनाव पर चुनाव आते गये और आचार संहिताएं लगती गईं, इस कारण से हम पर्याप्त विकास नहीं कर पाएं, लेकिन फिर भी जम करके विकास हुआ। मैं बातना चाहूंगा आपको कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव-गांव में, गली-गली में इतनी सीमेंट की सड़कें बनी हैं, इतनी नालियों का निर्माण हुआ है, इतने इंटरलाकिंग ब्लाक्स लगे हैं। यह आप कोई भी विपक्ष का माननीय सदस्य आकर के देखना चाहे तो वहां आकर के देख सकता है; कितने शौचालय बने हैं, यह भी आप देख सकते हैं। आपके समय में, कांग्रेस के राज में बारह सौ रुपये देते थे। एक मजाक थी उस गरीब के साथ, दो हजार रुपये देते थे। हमने बारह हजार रुपये किये। काफी बड़ा सम्बल मिला उसको। यही कारण है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भांवरी गांव है, सभापति महोदय, आप खुद भी इस बात को जानते हैं, खेरवा है, बांकली है, कई ऐसे गांव हैं जहां सौ प्रतिशत घरों में शौचालय निर्मित हो चुके हैं। यह बात आप सोचें। आपने कभी सोचा भी नहीं।

पेयजल की बात भी हम सोचें तो देखिये, हमने केवल एस एल एस एस सी ने 28 करोड रुपये केवल मणिहारी, भांवरी, गोगावास के लिए स्वीकृत करवा दिये इस एक वर्ष में। आप कह रहे हैं कि एक वर्ष में क्या किया? इतनी योजनाएं बनीं। रूपावास के लिए, आप खुद भी इस बात को जानते हैं कि एक करोड़ की अभी स्वीकृति क्या, उसमें पानी भी पहुंचा दिया। ये सारे काम अभी इस समय हुए हैं। यह बाप आप लोग तो कभी कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, हमने 4,341 गांव-ढाणियों को जोड़ा है और 923 एस सी,

(श्री मदन राठौड़)

(15.00 बजे)

एस टी बस्तियों को जोड़ा है। यह बात कोई कम नहीं है। हमारे जंवाई बांध में फिल्टर प्लांट बन रहा है, सांडेराव में फिल्टर प्लांट बन रहा है। अकेले मेरे सुमेरपुर में पानी की अलग-अलग 15 बड़ी टंकिया रही हैं। यह सब कहां से आया? यह सब वसुंधराजी की देन है, हमारी इस सरकार की देन है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य अभी बात कर रहे थे कि बिजली में इतना घाटा क्यों है? जब हम लोगों ने 2008 में शासन छोड़ा था तो 15 हजार करोड़ का घाटा था, इन्होंने बढ़ा कर 77 हजार करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। मैं सोचता हूं कि 7 हजार 700 करोड़ रुपया तो केवल ब्याज चुकाने में लगता है। यह व्यवस्था कैसे सुधरे, इसके लिए चिंता करने की जरूरत है। इसलिए हमारा मंत्रिमण्डल इसके लिए चिंता कर रहा है।

भामाशाह योजना इतनी बढ़िया थी, मुझे समझ में नहीं आया कि जब वसुंधराजी ने भामाशाह योजना शुरू की, आपने बंद क्यों की। आपने कभी पढ़ा कि इस भामाशाह योजना का लाभ कितना है? हमारे सत्ता पक्ष के लोग तो जानते हैं, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि भामाशाह योजना में महिला को परिवार का मुखिया बनाया है। किसी महिला को अगर आप 10 हजार रुपये देकर जाते हैं, फिर उससे 500-500, हजार-हजार करके ग्यारह हजार उससे ले लेते हैं। वह एक हजार रुपये कहां से जोड़ती है? वह अपने हर खर्चे में से कटौती करती है, इसके कारण से उसके पास बचत रहती है। इसलिए परिवार की मुखिया महिला को बनाया। जब भामाशाह कार्ड बनेगा तो 1,500 रुपया तो मुख्य मंत्रीजी की तरफ से उसमें जमा हो जायेगा; इसी खाते को प्रधान मंत्री जन धन योजना से जोड़ दें तो 2,000 रुपया उससे जमा हो जायेगा, पेंशन का पैसा भी उसमें जमा हो जायेगा; नरेगा की मजदूरी का पैसा भी उसमें जमा हो जायेगा; और सब्सिडी का पैसा भी उसी खाते में जमा हो जायेगा। कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, पोस्टमैन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई बेईमानी कर नहीं सकता। इस प्रकार की व्यवस्था इस भामाशाह योजना से है।

यही नहीं, परिवार में कोई बीमारी आ जाये, वैसे तो बीमारी का इलाज अस्पताल में मुफ्त में होता है लेकिन यदि कोई निजी चिकित्सालय में भी करवाये, तो यह व्यवस्था उसमें दी है कि डाक्टर की पर्ची सम्भाल कर रखो,

(श्री मदन राठौड़)

सफारखाने का बिल सम्भाल कर रखो और जो दवाइयां खरीदते हैं, उसका बिल इसमें जोड कर, फार्म भर कर, आप बैंक में जमा करा दो, 30 हजार रुपया इलाज का पैसा आपके खाते में वापस जमा हो जायेगा। यह व्यवस्था कोई कम बात है क्या? उस गरीब के इलाज की जो चिंता कर रहे हैं, आपने यह बंद क्यों की, यह समझ में नहीं आया।

यही नहीं, किसी परिवार में कोई बड़ी बीमारी आ जाये, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, या आजकल कई नई बीमारियां आती हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा लेकिन इस प्रकार की बीमारी भी किसी के आ सकती है, बीमारी कोई बोल कर नहीं आती है, लेकिन किसी परिवार में आ जाये, तो इसी प्रकार से वह बिल सम्भाल कर रखे और बिल एक फार्म में भर कर बैंक में जमा करा दें तो 3 लाख रुपये तक का इलाज का पैसा उस महिला के खाते में जमा हो जायेगा। यह कोई कम बात है क्या?

ये बातें इतनी लाभप्रद थीं, आम गरीब के हितों की रक्षा करने के लिए थीं, आम गरीब की चिंता करने की बातें थीं, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने यह बंद क्यों की। यदि आपके मन में भी उस गरीब की चिंता होती तो मैं सोचता हूं कि इसको बंद करने की जरूरत नहीं थी। इसमें आप भी सहयोग करते। अब भी मैं सोचता हूं, अब यदि आपके समझ में आ गई है तो मैं सोचता हूं कि आप इसमें निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और ये खाते खुलवायेंगे। आज यह खाते खुलवाने के लिए भीड़ पड़ रही है। क्योंकि हमने जनता को सावधान करने की कोशिश की, हमने जनता को बताने की कोशिश की। तीन-तीन, चार-चार दिन में भी कैम्प में यह काम पूरा नहीं हो पाता, हमें समय बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा एक और व्यवस्था भी हमने की है कि यदि कोई इन कैम्पों में भी खाता नहीं खुलवा पाये, तो कोई भी व्यक्ति जाकर जीरो बैलेंस पर अपना खाता खुलवा सकता है।

सभापति महोदय, अभी जो माननीय सदस्य चिल्ला रहे थे कि आप तो धनाढ्य को कम ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, हमने को-आपरेटिव के माध्यम से जीरो परसेंट इंटरेस्ट का शुरू किया, कांग्रेस ने भी इसको रखा और मैं बताऊं आपको कि जीरो परसेंट पर अभी भी दिया है। अभी भी को-आपरेटिव बैंक का जो शार्ट टर्म लोन है, वह जीरो परसेंट पर किसान को दिया है। हां, पहले कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, आपने कुछ चार परसेंट वसूल कर लिया

(श्री मदन राठौड़)

था, वह किसान के खाते में वापस जमा कर दिया गया है। यह आपको पता नहीं हो तो आप मालूम कर लें, उस किसान के खाते में वह चार परसेंट वापस जमा हो गया है और वह कि वह व्यवस्थाएं जो पहले समय में थीं, वे व्यवस्थाएं फिर से लागू कर दी हैं।

सिंचाई के बारे में सोचें तो सिंचाई के मामले में भी बहुत काम हुए हैं। चंबल बेसिन में 12 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं हमने स्वीकृत कीं और 31 चैकडैम तो बना भी दिये। यह काम प्रगति पर भी है। माही बेसिन पर पांच माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं हमने चालू कर दीं और वहां पर 14 चैकडैम भी बना दिये।

अब नरेगा की बात करें, नरेगा में आप लोगों ने वास्तव में खड्डे भरने का काम ही किया था लेकिन हमने यह तय किया कि हर ग्राम पंचायत में एक तालाब खुदेगा ओर तालाब खुदवाया। यह बात कोई कम बात नहीं है। यह उस गांव के किसान को पूछिए कि इसका फायदा उस गांव में कितना हुआ है। यह थोड़ा-सा विचार करने की जरूरत है।

शिक्षा के मामले में, यह बात बिलकुल सही है, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, आपने तो 8वीं के बच्चों को फेल नहीं करेंगे, यह घोषणा कर दी। उसकी नींव को कितनी कमजोर करने की कोशिश आपने की। हमने 8वीं का बोर्ड बनाया। यही नहीं, अध्यापकों की भर्ती के लिए, आप वह टैट, आरटैट और पता नहीं, क्या-क्या में उलझे हुए थे, हमने रीट के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है।

अभी जैसे एकीकरण हो रहा है, आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। पहले क्या व्यवस्था थी, आपने कभी सोचा है? आप गांवों में तो घूमते नहीं हो, एयरकंडिशन बंगलों में बैठते हो, इसलिए आपको पता नहीं है। जब गांव में आप जायेंगे तो मालूम पड़ेगा। हम लोगों ने प्रत्यक्ष भी देखा है जहां 3 विद्यार्थी और 4 अध्यापक हैं। यह व्यवस्था ठीक थी क्या? आप कह रहे हों कि 5-5 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर दूरी नहीं है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि दो स्कूलों के बीच में कोई सड़क नहीं हो। छोटे-छोटे बच्चे सड़क पार नहीं कर सकते। हमने इसका भी पूरा ध्यान रखा है। मैनेजमेंट एक रखा है और अगर भवन की कमी रही तो उसी स्कूल में हमने चलाया है। इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने की है। पता नहीं, क्यों। आप विरोध करने के लिए विरोध करना है, यह बात ठीक नहीं है।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, इन्होंने पहले सी एच सी खोले; आप तो मेरे जिले से आते हैं, आपको पता है कि इन्होंने मणिहारी में सी एच सी खोला; एक डाक्टर भी लगाया क्या? एक कम्पाउंडर भी लगाया क्या? एक पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं लगाया। कुछ भी नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपको गलतफहमी है, आप इनके जिले से आते हैं, ये आपके जिले से नहीं, आप इनके जिले से आते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : हां, मैं इनके जिले से आता हूं। चलो, कोई बात नहीं, आपकी समझ का फेर है। तो मैं तो वह बात बता दूं।

मैंने इनको इसलिए कहा था कि सभापतिजी को यह पता है कि मणिहारी में कांग्रेस राज में सी एच सी की घोषणा हुई, खोड में सी एच सी की घोषणा हुई, वह केवल मजाक बनाकर रख दिया। वहां एक डाक्टर नहीं, एक कम्पाउंडर नहीं, एक पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं लगाया न भवन है, न ताला है, न चाबी है। कुछ भी नहीं है। ऐसा मजाक आप जनता के साथ कर रहे हों। थोडी शर्म नहीं आती? यह विचार करना चाहिये।

हमने यह सब किया, हम यह सब कर रहे हैं। अभी पांच पी एच सी को सी एच सी में कन्वर्ट किया और वहां स्टाफ भी लगाया, वहां व्यवस्था भी की। 12 नयी पी एच सी खोलीं, यह भी व्यवस्था की। जननी सुरक्षा योजना में पहले 30 दिन के बच्चों को ही चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराया करते थे, अभी हमने यह परिवर्तन किया कि एक साल के बच्चे को भी चिकित्सकीय सुविधा हम उपलब्ध करायेंगे और यह उपलब्ध कराई। यह परिवर्तन आया है। यह थोड़ा सोच का परिवर्तन है। यह थोड़ा-सा विचार करें। 223 मोबाइल हैल्थ टीमें हमने अलग-अलग इलाकों में भेजीं जिनसे 8 लाख 45 हजार बच्चों का परीक्षण किया और उनको इलाज उपलब्ध कराया, उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाई। बेटी के जन्म को हमने उत्सव के रूप में मनाया। जो सैक्स रेश्यो बिगड़ गया था, कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता नहीं की, हमने इसकी चिंता की, प्रोत्साहित करने की कोशिश की। इस प्रकार का हमने प्रयास किया।

मानव अंग के प्रत्यारोपण की जो बात थी, उसके लिए हमने एडवाइजरी कमेटी का गठन किया। ब्रेन डैड, मतलब दिमाग से जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंगों से कई लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है, इस प्रकार की हमने एक कमेटी का गठन किया। सभापति महोदय, हालांकि मैं

(श्री मदन राठौड़)

बताना चाहूंगा कि उसका नाम रखा ब्रेन डैथ कमेटी, मैं सोचता हूं कि इसमें थोड़ा विचार करना चाहिये और कोई एडवाइजरी कमेटी, या और कुछ रखना चाहिये, ब्रेन डैथ कमेटी ठीक नहीं रहेगा। वह कमेटी ब्रेन डैथ प्रमाण पत्र जारी करेगी ताकि उसके अंगों का लाभ उस मरीज को मिल सके जिसको उन अंगों की आवश्यकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की है। यह समस्त मेडिकल कालेजों और हास्पिटलों में भी, निजी चिकित्सालयों में भी इस प्रकार का आदेश जारी कर दिया है।

हमने जयपुर में आयुष के माध्यम से एक आरोग्य मेला भी लगाया था जिसमें 50 हजार से अधिक लोग आये भी।

यही नहीं, हमने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2014 आयोजित किया; वस्त्र 2014, वस्त्र मेला लगाया था, जिसमें जयपुर को कितना लाभ हुआ, जयपुर में 80 मिलियन डालर, इतना व्यापार हुआ है। यह आप लोग विचार करें।

कभी आपने सोचा भी नहीं सिरेमिक्स और इसके लिए। जब हमारे राजस्थान में लाइमस्टोन उपलब्ध है, तो नीमराना में 750 एकड़ भूमि इसके लिए रिजर्व की; होंडा कोर्स टपूकड़ा में; यही नहीं, हीरो मोटो कार मैन्यूफेक्चरिंग प्लांट नीमराना में, भिवाडी में सेंट गोबेन का, यह डोटासराजी पूछ रहे थे कि भिवाड़ी में कौन-सा लगा, सेंट गोबेन का लगा, वहां पर यह लगा; इलेक्ट्रोनिक्स के मामले में सालासर इण्डस्ट्री एरिया; और महिन्द्रा के लिए, महिन्द्रा सेज में जे सी बी इंडिया लिमिटेड, उसका कारखाना हमने लगाया, यह अभी लगा है। आपके समय में इसका कोई श्रीगेणश भी नहीं हुआ था। आपने तो महिन्द्रा सेज। को ठण्डे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश की थी। भविष्य में भी आनलाइन के लिए निवेश, आनलाइन निवेश कोई भी निवेशक कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था दी। कहीं इनके चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। 'रिसर्जेंट राजस्थान' के बारे में भी हमने चिंता की। डी एम आई सी डी सी के बारे में, जो अभी शाहपुरा से आने वाले सदस्य बोल रहे थे, जोधपुर, पाली, मारवाड़ जंकशन के लिए किया। तो मैं तो इसके लिए हमारी सरकार को ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया। विकास के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किये हैं।

कृषि मंडियों में भी देखिये, आइल टैस्टिंग लैब लगाये, 16 लगाये, राजस्थान में आइल टैस्टिंग लैब लगाये, जिससे किसान अपना रायड़ा या कुछ

(श्री मदन राठौड़)

भी लेकर आता है तो उसका आइल टैस्ट करके, उसके भाव उसके हिसाब से, माइश्चर के हिसाब से उसको लाभ मिल जाए, इस प्रकार का प्रयास हमने किया। यही नहीं, मंडी शुल्क जो हमने वसूल किया 362 करोड, 34 लाख, इसके लिए 283 करोड़ 39 लाख के निर्माण की स्वीकृतियां भी जारी कर दीं। आपने नहीं की, पूरे पांच वर्षों में कहीं नहीं की। यह आप विचार करें कि क्यों हीं की, यह क्यों रोककर बैठे रहे। यह थोडा-सा विचार करने की जरूरत है।

विपक्ष के लोग विदेशों में भेजते थे, विदेशों में जाते थे और वहां जाकर अध्ययन करके आते थे। आकर क्या किया, कुछ भी नहीं; किसी को लाभान्वित करने का प्रयास नहीं किया। हमारे कृषि मंत्रीजी गये, वहां से यह लेकर आयें कि जैतून की खेती किस प्रकार से की जाती है। इन्होंने लूणकरणसर में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया। यह देखिये आप, यह सोच है। यह सोच है दो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की। इन्होंने विकसित मानसिकता को ध्यान में रखते हुए, देश के विकास को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार का प्रयास किया।

आप देखिये, विद्यार्थी आता है, वह अटेस्टेड करवाने के लिए नोटेरी पब्लिक के पास चक्कर काटता था और उसका पैसा लगता था। हमारी सरकार ने चिंता की, सेल्फ अटेस्टेड का, कि वह खुद अपनी कापी की ट्र-कापी को अटेस्ट कर दे। जब वह नौकरी में जाएगा तो ओरिजिनल लेकर जाएगा, लेकिन जब उसको डाक्यूमेंट पेश करने हैं तो खुद अटेस्ट कर लें। तो उसको कितना बड़ा फायदा हुआ। नहीं तो, एक तो वह बेरोजगार, दूसरा अटेस्टेड के लिए चक्कर काटता जाए और नोटेरी पब्लिक को पैसा दें। यह जो व्यवस्था की है, इसके बारे में आप सोचिए, इसकी प्रशंसा भी आपको करनी चाहिए। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यह समझ नहीं आया।

जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में कभी सोचा है क्या? जब कभी भी खिलाड़ी पद प्राप्त करे, तब तो आप उसकी पीठ थपथपाते हों लेकिन जब वह वापस लौटकर घर चला जाए तो उसकी दयनीय स्थिति बनती है। इसके बारे में कभी किसी ने चिंता नहीं की। यह हमारी सरकार ने चिंता की है कि 65 वर्ष से ऊपर को पेंशन मिलेगी, उस खिलाड़ी को भी। अन्तरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय स्तर पर जो कोई पदक प्राप्त करता है, उसको दो प्रतिशत आरक्षण, इस प्रकार की भी व्यवस्था की है। यही नहीं, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, उसमें प्रशिक्षक नियुक्त करें, उनमें से भी।

(श्री मदन राठौड़)

पत्रकारों के लिए भी, अधिकृत पत्रकारों हेतु दो लाख का, बाकी दस लाख की दो मेडीक्लेम पालिसी, बीमा पालिसी...

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : मैं जल्दी-जल्दी अपनी बात को पूरी करूं।

श्री सभापति : नहीं, आप पूरी बात एक मिनट में कर दें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ऊंट के बारे में, यह लोग मजाक बनाते थे और यह लोग मजाक क्या करते थे...

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : हमसे पूछो ऊंट के बारे में।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ऊंट के बारे में, देखिये, ...

श्री सभापति : आपके पास वैसे ही समय कम है, अपनी बात करें आप।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : मैं जानता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ऊंट को राज्य पशु घोषित...

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : मैं जानता हूं। मैं जानता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, ऊंट के बारे में कह रहा हूं। आप पता नहीं, क्यों चिड़ने लग गए। मैंने तो ऊंट के बारे में बात की है। ऊंट अपना, रेगिस्तानी जहाज है ना। ऊंट तो अपना जहाज है ना किसान का। (व्यवधान) मैं तो, राजकीय पशु ऊंट घोषित किया और वध निषेध किया। (व्यवधान) अच्छा, आप इनकी तरफ इशारे कर रहे थे क्या। ये तो उसमें शामिल हैं निषेध करवाने में। आप भी खुश हों। आप भी ब्राह्मण हों, आप भी कब चाहोगे कि ऊंट का वध हो।

इसी प्रकार से 'श्री' योजना और कई बातें हैं लेकिन अब सभापतिजी ने बड़ा स्ट्रिक्ट रुख अपनाया है, तो कोई बात नहीं है। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनको बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बृजेन्द्र ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : माननीय सभापतिजी, पिछले कई साल के, हमारी सरकार के समय भी माननीय राज्यपालों ने अभिभाषण दिये

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

हैं, आपकी सरकार के समय भी दिये हैं। विधान सभा सचिवालय ने एक प्रकाशन निकाल रखा है, वर्तमान सरकार ने भी,.. (व्यवधान) मैं अपने आपको करेक्ट कर लेता हूं, उनका अध्ययन किया और मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इससे नीरस और इससे तथ्यहीन, इससे असत्य भाषण, जो भाषण महामहिम से करवाया गया है, आज तक के दस साल के अभिभाषणों में नहीं है।

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा और उसमें बहुत बड़ी ऐसी तस्वीर खींची जैसे राजस्थान अब तो बिलकुल सोने की चिड़िया बन गया है, कोई समस्या हैं ही नहीं, सबसे बड़ा एम्फेसिस, मैं यहां कहूं, उन्होंने सबसे बड़ा जोर डाला सुराज संकल्प यात्रा पर। उन्होंने कहा, कई हजार किलोमीटर की सुराज संकल्प यात्रा की गई, उसमें बहुत सारी मांगें आई, बहुत सारी स्थितियां हम लोगों ने देखीं, बहुत सारी ग्राउण्ड रियलिटीज से हम अवगत हुए और उस सुराज संकल्प को हमने गवर्नमेंट डाक्यूमेंट बना दिया कि इसके अनुसार राज्य सरकार को काम करना है। 14 महीने हो गये, इस अभिभाषण में उस सुराज संकल्प का एक भी वादा पूरा करने की कोई बात नहीं आई है। अगर आती तो हम मानते।

इसके अलावा, अभिभाषण में कहा गया, इन्होंने शुरूआत ही यह की कि हमने पंचायतों को पुनगर्ठन किया, हमने यह व्यवस्था की कि शिक्षित पंचायतें आयें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो 1994 का बिल माननीय भैरोंसिंहजी के समय आया, उससे पहले जो पंचायती राज के लिए बिल था, जो कानूनी व्यवस्था थी, उसमें यह व्यवस्था थी कि पंचायत जन-प्रतिनिधि साक्षर होगा। 1994 के एक्ट में यह व्यवस्था खतम की गई। किसने खतम की वह साक्षर की व्यवस्था?

इन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के टाइम तो अनपढ़ आ गये, पंचायतों में गंवार आ गये, किस-किस तरह के लोग आ गये, ये नहीं चाहते थे कि शिक्षित लोग आयें। आदरणीय प्रद्युमन सिंहजी, जो सभापति के आसन

(15.18 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

पर विराज रहे हैं, वे अशिक्षित हैं? कांग्रेस के टाइम पर वे भी प्रमुख रहे। हमारे विपक्ष के नेता भी कांग्रेस के टाइम में प्रमुख रहे, हमारे गोविन्दजी डोटासरा

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

भी प्रधान रहे, मैं भी प्रमुख रहा, आदरणीय सरदारशहर से आने वाले सदस्य भी प्रधान रहे, क्या हम सब लोग आपको अनपढ़ लग रहे हैं? कोई अनपढ़ लग रहे हैं हम? आप में से किसी से भी हमारी डिग्रियां कम नहीं हैं। तो आप कैसे यह आरोप लगा सकते हों कि कांग्रेस तो अनपढ़ ओर गंवार लोगों को उसमें ला रही थी। आपने बहुत यह कहा। अलबत्ता, आपने उस गांव के व्यक्ति का अधिकार छीना है जो कई बार पढ़े-लिखे व्यक्ति से भी, जो साक्षर होता है, उससे अच्छा काम कर सकता है। अगर आप जन-प्रतिनिधियों के लिए इतने ही शिक्षा-हितैषी हों तो आप उन लोगों का भी अपमान कर रहे हों जो पंचायत में आने की भी क्वालिफिकेशन नहीं रख रहे, पंचायत समिति में जाने की भी नहीं रख रहे, जिला परिषद की भी नहीं रख रहे, और वे विराजे हुए हैं। तो फिर उनका क्यों आप अपमान कर रहे हों? यह तो आप छोड़ो। इसकी वाह-वाही लूटने की कोशिश मत करो। हर सरकार यह चाहती है कि अच्छे जन-प्रतिनिधि आएं। यह जनता पर निर्भर करता है कि वह कैसे जन-प्रतिनिधि भेजती है। जो जनता भेजती है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। जनता तो, पता नहीं, आपको 160 सीट दे दीं और हमको 24 दे दीं। तो एक तरफ तो जनता पर बहुत विश्वास करत हों कि हमको इतनी सीटें दीं और दूसरी तरफ यह आरोप लगाते हों कि कांग्रेस वाले तो हमेशा अनपढ़ और गंवार लोगों को ही पंचायत राज में बढ़ावा देते हैं।

आपने कहा कि हमने पुनर्गठन किया है इतने साल के बाद, पुनर्गठन किया है तो आपने उसमें राजनीतिक भेदभाव बरता है। जो कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं, इनके निर्वाचन क्षेत्र में देख लो, आपने कितनी पंचायत समितियां बनाईं, कितनी नई पंचायतें बनाईं और आप अपने उसमें देख लें।

आप पिछले बजट भाषण से कहते आ रहे हैं कि हम 20 हजार किलोमीटर सड़कें पी.पी.पी. मोड पर बनाएंगे। ऐसा खाका खींजा कि जैसे राजस्थान की सड़कें तो बिलकुल रबड़ की बन जाएंगी। आप आज तक उसमें एक किलोमीटर नई सड़क नहीं बना सके हों, उस 20 हजार किलोमीटर में से। आज की स्थिति में, आज भी आप कहां खडे हों, आप उनकी डी.पी.आर. नहीं बना पाएं हों, डिटेल्ड प्रोजेकट रिपोर्ट भी नहीं बना पाए हों।

यह तो उनका है। आप प्रधान मंत्री सड़क की बात करते हों, आप कह रहे हों, माननीय अटलजी यह प्रोग्राम लायें। हां, ठीक है, वे यह लायें पर इससे

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

पहले एम.एन.पी. प्रोग्राम चलता था, उसके तहत ये सड़कें बनती थीं। यह नहीं कि कोई उनके टाइम में ही ये सड़कें आ गईं। एम.एन.पी. का नाम बदलकर पी.एम.जी.एस.वाई. कर दिया गया।

हमारे टाइम में पी.एम.जी.एस.वाई. में, आपने तो यह सर्टिफिकेट दे दिया था कि राजस्थान की सारी हैबिटेशंस जुड गईं, सारे गांव जुड गये, हमने कोशिश करके हैबिटेशन उसमें शामिल करवाया है। हैबिटेशन शब्द था उसमें। उस हैबिटेशन के कारण तीन हजार से अधिक ढाणी और मजरों को, हमने उसके लिए स्वीकृति कराई और वे सड़कें बनीं।

यू.पी.ए. की सरकार ने तो आपको दे दिया होगा आपके कार्यकाल के टाइम में, नई सरकार बनने के बाद आपको एक पैसा दिल्ली से पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए मिला नहीं। आपको पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए ही क्या, किसी भी योजना के लिए नहीं मिला। वह आपका और भारत सरकार का क्या रिश्ता है, यह सारी दुनिया जानती है।

प्रधान मंत्रीजी सूरतगढ़ आये। आप भी मांग करते रहे हैं काफी समय से, हम उधर थे तो हम भी मांग करते रहे थे कि राजस्थान को विशेष दर्जा मिले। प्रधान मंत्री बनने के बाद प्रधान मंत्रीजी पहली बार राजस्थान आये। सारे राजस्थानवासियों को यह उम्मीद थी कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, तो कम से कम स्पेशल असिस्टेंस वाले राज्य का दर्जा तो हमको मिलेगा। वह भी नहीं मिला। वह नहीं तो, कोई न कोई योजना या कोई न कोई सौगात तो राजस्थान को देकर जाएंगे। पर हम और आप खाली हाथ रहे, राजस्थान को कुछ नहीं मिला।

बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य बहुत जोर से बोल के यह कह रहे थे कि हमने 1977 में ही मिडल स्कूलें, सैकण्डरी स्कूलें खोल दिये थे। जितनी मिडल स्कूलें खुलीं, हमने खोलीं, सैकण्डरी खोलीं; आपने वन स्ट्रोक आफ पेन से 17 हजार से ऊपर स्कूलों को बंद कर दिया। चाहे वह आदरणीय भैरोंसिंहजी के समय में खुली हों, चाहे आदरणीय हरिदेवजी जोशी साहब के समय में खुली हों, चाहे बरकत साहब के टाइम में खुलीं, चाहे सुखाड़ियाजी के टाइम में खुलीं, चाहे शिवचरणजी साहब के टाइम में खुलीं, चाहे माननीया वसुंधराजी के कार्यकाल में खुलीं, उनको बंद कर दिया, जिस भी मुख्य मंत्री के या जिस भी सरकार के कार्यकाल में वे स्कूलें खुलीं, और उसका तर्क क्या दे

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

रहे हैं कि हमने सुविधा के लिए किया है। मैं समझता हूं कि इन स्कूलों में ज्यादातर गरीब तबके के छात्र अध्ययन कर रहे थे। आप जो इस सदन में विराजे हुए हैं, मैं नहीं समझता कि किसी के भी बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि ड्राप-आउट जो रूरल एरिया में है, वह सबसे ज्यादा इस साल में हुआ है। आप अध्ययन करवा लें, स्टडी करवा लें।

उसके बाद आपने बहुत गुणगान किया है, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने, कि हमने 4,000 से ऊपर हायर सैकण्डरी स्कूल, या यूं कहूं कि 10+ स्कूल एक ही साल में खोल दिये। उनमें कितने में आपने प्रिंसिपल लगाये हैं? कितने में विषय अध्यापक आपने लगाये हैं? किसमें आपने विज्ञान के अध्यापक लगाये हैं? कितनी किस में लैब बनवाई हैं? कितने लैब टेक्निशियन बनायें? एक भी स्कूल में प्रधानाचार्य आपने लगाया नहीं है, साइंस टीचर आपने लगाया नहीं है और कोई सब्जेक्ट का टीचर आपने लगाया नहीं है। सैकण्डरी के सैट-अप को तो आप कह ही रहे हैं कि हमने तो बिना टीचर के छोड़ा था, तो उसी पर आपने यह वजन लाद दिया। बच्चों ने, किसी ने उनमें एडमिशन नहीं लिया। जब किसी घर में मुखिया नही न हो, तो वह घर ही अच्छी तरह से नहीं चल सकता। कम से कम आप उसमें प्रिंसिपल तो लगाते, पर आपने एक में भी नहीं लगाया। हमारी यह शिक्षा की हालत ही इसलिए बनी है कि हम सब्जेक्ट खोलते गये, हम स्कूल खोलते गये, पर उसके लिये जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं लिया। आप वह देते तो हम मानते, आपको धन्यवाद देते। इस बात के लिए ही आपको धन्यवाद दें क्या कि बिना किसी के ही, आपने एजुकेशन को रुइन करने का एक कदम और उठा दिया है।

आपने अभिभाषण में बहुत बड़ी बात कही है और मैं समझता हूं कि किसान के साथ इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता, आपने कहा है कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया। पर्याप्त मात्रा में। इससे बड़ा मजाक किसान के साथ और कोई हो नहीं सकता। पहली बार राजस्थान में थानों में यूरिया बंटा है, आज भी, आज भी यूरिया उपलब्ध नहीं है। या तो आपने सेण्ट्रल गवर्नमेंट से कम मांगा, या आपको सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेशन कम किया, यह आपके और उनके बीच की बात है, पर राजस्थान के किसान को यूरिया नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री सभापति : शांत रहिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : हम तो कर रहे हैं ना, करना है। जो। (व्यवधान) यूरिया की इतनी किल्लत...(व्यवधान)

श्री सभापित : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : मैं किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूं। अगर मुझे, नहीं, मैं यह कह रहा हूं, मैं आज नहीं मांग रहा, जिस दिन जरूरत थी, उस दिन मांग रहा था। उस दिन किसान मांग रहा था। मैं नहीं मांग रहा हूं। कहीं यूरिया आया तो कहीं तो, जैसे एक समय था, सभापति महोदय, गैस नई बुक कराने के लिए लोग रात को ही, जब यह घोषणा होती थी कि नई गैस देने की बुकिंग शुरू होगी तो रात को ही उस दुकान के सामने जाकर सो जाते थे, इस तरह की व्यवस्था यूरिया के लिए इस बार हुई है। नहीं हुई है तो आप बता दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके राज में।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : आपके राज में। आपके राज में। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सब की है। इस गवर्नमेंट के समय हुआ है।

हमारी सरकार ने 25 रुपये सब्सिडी का दिया था स्टेट बजट से। इंटरनेशनल बाजार में तेल और गैस की कीमतें गिरीं, होना तो यह चाहिए था कि आप उसको कंजूमर को पास-आन करते पर आपने कंजूमर को वह तो पास किया नहीं, उस अनुपात में, लाभ तो, और यह जो 25 रुपये स्टेट के बजट से उपभोक्ताओं को मिल रहे थे, यह अपने विथड्रा कर लिये।

यही नहीं, आपने हर वह बात की है जो महंगाई को बढ़ा सके। पी.डी.एस. को लेकर ले लें आप। या तो पी.डी.एस. में आपको सेण्टर से अलोकेशन कम हुआ है, या आपने लिफ्ट नहीं किया। वह भी आज गांव में आप देख लें कि पी.डी.एस. की क्या हालत है।

आपने चम्बल की बात की है। हमारी सरकार ने 1,200 करोड़ के लगभग का नाबार्ड से एक प्रोजेक्ट मंजूर करवाया था, उसको दो साल हो गये, उस पर भी कोई काम आगे नहीं बढ़ा है।

हमारी सरकार ने, इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य फीडर है वह बिलकुल टूटने के कगार पर है और संगरूर के पास तो वह नहर यूं तिर रही है, क्योंकि उसमें जब भी ब्रीचेज हुआ तो उसमें कोई सीमेंट के कट्टे डाल दिये, या और कुछ किया, तो वह एक तरह से उसकी डेप्थ वहां पर कम हो गयी है;

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

हमने उस समय में मंजूर करवायी ए.आई.बी.पी. के तहत और उस समय पंजाब में आपकी मित्र पार्टी की सरकार थी, वहां पर चुनाव होने वाले थे, हमने बड़ी कोशिश करके टेंडर भी फ्लोट करवाये, पर उस पर काम शुरू नहीं हो सका। अब तो दोनों जगह पर आपकी सरकार है, आपने इसमें उसके लिए एक शब्द नहीं कहा है।

कुम्भाराम लिफ्ट नहर, जिसका रकबा आपके टाइम में घटाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी उसके लिए बहुत बोलते थे, यद्यपि अब उसके ऊपर चुप्पी साध रखी है।

जलदाय योजनाएं जो बहुत सारी हमारी सरकार ने घोषित की थीं और उन सबके लिए बजट का प्रोविजन किया था, उन जलदाय योजनाओं पर भी आपने काम आगे नहीं बढ़ाया है। कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से झुंझुनूं, सीकर को पानी मिलना है। हमारी सरकार ने दोनों जिले के लिए, जो लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर पहले मंजूर हो गये थे और अल्सीसर तहसील के कुछ गांव 'आपणी योजना' में पहले मंजूर हो गये थे, उनको छोड़कर सारे झुंझनूं और सीकर जिले के लिए उसको मंजूर किया था। चूंकि हमारे पास में बजट 956 करोड़ का ही था, तो उसमें झुंझुनूं और खेतड़ी तहसील ही आ सकती थीं फर्स्ट फेज में, तो उसके लिए, उसका काम भी अब मंद गति से चल रहा है। पता नहीं, उस बजट को आपने कहां पर डाइवर्ट कर दिया। हम तो आशा यह कर रहे थे कि आप पूरे जिले के लिए उसको फंड अलाट करेंगे पर उस फंड को भी आपने, पता नहीं, कहां कर दिया।

बहुत सारे माननीय सदस्य तीन दिन से बोल रहे हैं, 'गौरव पथ', 'गौरव पथ', आप लोगों ने...(व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : कांग्रेस के मंत्री झुंझुनूं और खेतड़ी में ही थे, इसलिए आपने वहीं अलाट कर दिया। दूसरे जिले का नाम मत लो आप। पूरे जिले में नहीं दिया आपने पैसा। आपने मात्र खेतड़ी और झुंझुनूं में दिया। चूंकि आप खुद वहां मंत्री थे और खेतड़ी में भी कांग्रेस के मंत्री थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जाएं। इंटरप्ट न करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : मैं तथ्यों के साथ, मैं बिना तथ्य के नहीं बोलता हूं, माननीय सदस्य। (व्यवधन)

श्री सभापति : आप आपस में बात न करें, ओलाजी। इधर इंगित करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : मैं यह कह रहा हूं कि बहुत सारा 'गौरव पथ' के लिए सुनने को मिला। पहले आपने यह घोषणा की थी, ज्यों ही आपकी सरकार बनी, कि हम एक पंचायत समिति के उस गांव को पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ेंगे जो सबसे ज्यादा आबादी का है। फिर आप तीन महीने के बाद सदन में आयें और बजट भाषण में यह घोषणा की कि हम प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पांच सौ मीटर से लेकर दो किलोमीटर तक यह 'ग्रामीण गौरव पथ' बनाएंगे। फिर आपने कहा कि वन-थर्ड पंचायतों में बनाएंगे। फिर आपने दुबारा अपने आप में संशोधन किया कि नहीं, हम वन-थर्ड से भी कम में बनाएंगे। हमारे यहां पर तो कहीं भी आज वह काम, कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो मैंने देखा नहीं है। अच्छा होता कि आप जो बड़ी आबादी का गांव था, उसको सात मीटर चौड़ी सड़क में पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ते, क्योंकि यह जो गांव की सी.सी. सड़क है, इसके लिए तो पंचायतों के पास ही अब बहुत फंड आने लग गये हैं। चाहे एस.एफ.सी. है, टी.एफ.सी. है, या कहीं स्पेशल स्कीम्स चल रही हैं, उनमें आप इस राशि का उपयोग वहां पर करते तो बडी आबादी को उसका फायदा मिलता। पर, चलो, यह भी आपने पहले ज्यादा लक्ष्य रखा, फिर उसको घटाते-घटाते कम लक्ष्य पर ले आये।

बिजली के मामले में तीन दिन से हम सुन रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस ने तो तबाह ही कर दिया इस राज्य को, 15 हजार करोड़ से 62 हजार करोड़ पर पहुंचा दिया। 62 हजार करोड़ पर पहुंचा दिया तो आप बाहर जाकर कहेंगे क्या कि यह जो वृद्धि की है, यह सही है? इतना माद्दा रखते हों क्या? हम तो कहेंगे कि यह जो वृद्धि की है, यह गलत है। पांच साल में कांग्रेस ने, नियामक आयोग ने वृद्धि करने का कोई आदेश दिया तो कांग्रेस ने किसान के लिए अपने बजट से उस खर्चे का वहन किया है। किसान पर एक पैसे का भार नहीं पड़ने दिया है। अब आप, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि आपने एक साथ ही 92, 95 परसेंट वृद्धि कर दी। आप क्या यह उचित मानते हों कि एक साथ ही इतनी वृद्धि किसान पर कर दें?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : 95 पैसे प्रति यूनिट।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : हां, 95 पैसे प्रति यूनिट। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

इतनी बढ़ोत्तरी हो गई, उसमें यह हो गया, उसके लिए हमने यह कर दिया, तो किसान की आपने कितनी वृद्धि की है, देख लो आप इस सपोर्ट प्राइस में। उसके मुकाबले बिजली का इतना भार एक साथ डाल रहे हों। सम्माननीय हरिदेवजी जोशी जब मुख्य मंत्री थे और दो पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गयी थी तो आप लोग विपक्ष में थे, इतना जबरदस्त आंदोलन आपने खड़ा किया था कि ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो गयी थी और आज 95 पैसे आपने एक साथ बढ़ा दिये। आज तक राजस्थान के इतिहास में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई है।

आप चिकित्सा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का कृपया ध्यान रखें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : मैं जब भी आप आदेश देंगे, माननीय सभापतिजी, दो मिनट में समाप्त कर दूं?

श्री सभापति : हां, हां कर दीजिए दो मिनट में।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : आपको चाहिए तो यह था कि आप बिजली के लासेज को घटाते; आप जो भारी-भरकम लवाजमा है, उस पर जो खर्चा हो रहा है, जो फीडर सुधार में सामग्रियां आपके पास आयी थीं, वे यदि कहीं पर खुर्द-बुर्द हुई हैं, आप अपने घर को अन्दर से सुधारते। बिजली की इतनी ज्यादा, यह कांग्रेस ने गड़बड़ कर दिया तो आप जो मुनाफे में चल रही हैं कम्पनियां, उनको निजी क्षेत्र में क्यों देने जा रहे हैं? पी.पी.पी. मोड पर क्यों देने जा रहे हैं? और किसी ने गड़बड़ की है तो हम कब कह रहे हैं कि आप उसको निकालो मत? निकालो न। कोई अपने घर पर पैसे ले गया है तो आप जांच करवाओ, पर किसान पर उसका बहाना बनाकर उसका वजन नहीं लादें और यह जो बढ़ोत्तरी है, इसको आप वापस लें, तो मैं समझता हूं कि किसान के हित में होगा, राज्य के भी हित में होगा।

चिकित्सा सेवाओं के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी हर एक महीने के बाद में स्टेटमेंट दे देते हैं, डाक्टर्स की पूर्ति का देंगे, नर्सेज की पूर्ति का देंगे और पैरा-मेडिकल स्टाफ है, उसकी भी पूर्ति का देंगे, पर अभी तक तो धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। हमने खोले तो सही न। आप कह रहे हो कि आपने खोल दिये और उसमें स्टाफ नहीं है, आप लगाओ। सरकार एक निरन्तर चलने वाली संस्था होती है। आप उसमें लगाओ। आप कर यह रहे हों

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

कि हमारी सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं, चाहे वह नि:शुल्क दवा, आदमियों के लिए थी, चाहे पशुओं के लिए थी, चाहे जननी सुरक्षा योजना थी, चाहे फूड-फोर-आल था, चाहे और सारी जो कल्याणकारी योजनाएं थीं, उनको आगे बढ़ाने के बजाय, उनको नाम के लिए चला रहे हों, उनको कमजोर कर रहे हों।

इन्हीं शब्दों के साथ, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रहे वाद-विवाद पर बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद।

महामहिम ने जो अभिभाषण दिया है, वह बहुत ही शानदार है। सरकार जो योजनाएं बना रही है, एवं जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें अधिकतर बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं लेकिन उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन योजना की मंशा के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। सामन्यत: यह देखने में आ रहा है कि इन योजनाओं को फायदा उन लोगों तक वाकई में नहीं पहुंच पा रहा है, जिनके लिए ये बनाई जा रही हैं।

सदन में भी, जैसा कई दिनों से देखने में आ रहा है, जो 200 सदस्य पूरे राजस्थान ने चुन कर भेजे हैं विकास के कार्य करने के लिए, आपसी खींचा-तानी में यहां पर काफी समय जाया हो रहा है, जो कि उचित नहीं है।

महामहिम के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं, उनमें से ज्यादातर वही बातें हैं जो मुख्य मंत्रीजी ने 'सुराज संकल्प यात्रा' के दौरान संकल्प पत्र में कही थीं। कुछ बातें उनमें से छूट गयी हैं। 'सुराज संकल्प पत्र' जो बना, वह यूं-का-यूं लागू हो जाए। हमारा सरकार से, मुख्य मंत्रीजी से यही कहना है कि राजस्थान की जनता ने जो आपको भरपूर समर्थन दिया, वह उस 'सुराज संकल्प पत्र' में जो बातें कही थीं, जो बातें लोगों के बीच में जाकर कही गयी थीं, वे धरातल पर उत्तर आयें और उनकी बातें पूरी हों, यही सोचकर लोगों ने इतना जबरदस्त समर्थन दिया था। उसका लाभ अब उनको मिलना चाहिए। मेरा अनुरोध है...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री सभापति : हां, बोलिये।

सूचना

घोडास पंचायत (मांडल-भीलवाड़ा) के सरपंच कमलेश गुर्जर द्वारा आत्महत्या

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति में घोडास पंचायत के सरपंच कमलेश गुर्जर ने तीन दिन पहले आत्महत्या कर ली है। उस बात को लेकर ग्रामवासियों ने भी अभी ज्ञापन दिया है कलक्टर को, कि उसका पैसा बी.डी.ओ. ने, सचिव ने और जे.ईएन. ने मिलीभगत करके रोक रखा था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उसकी जांच करवाने के लिए भीलवाड़ा में लोगों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया है। मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण करें। आप अलग से मंत्री महोदय को दे दीजियेगा। स्थान ग्रहण करें कृपया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : विधान सभा के पांच बजट जो आने हैं, उनमें दूसरा बजट अभी आने वाला है। यानी कि जो बातें सुराज संकल्प यात्रा में बोली गयी थीं, सुराज संकल्प पत्र में कही गयी है, उनमें से 40 प्रतिशत बातें इस बजट के द्वारा पूरी हो जाएं तो राजस्थान की जनता की आशाएं पूरी होंगी।

राजस्थान की जनता ने जिस तरह से मुख्य मंत्रीजी को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया और जो समर्थन दिया है, उसमें खास तौर पर जो हमारे दो-तिहाई युवा और उनमें भी जो बेरोजगार लोग हैं, उनको बडी आशाएं थीं कि आने वाली सरकार हमारे लिए जबरदस्त काम करेगी। 15 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात कही गयी, उससे उत्साहित होकर जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया, उसके अनुसार अभी दो साल में कम से कम छह लाख रोजगार मिलने चाहिए। अभी स्वास्थ्य विभाग

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

ने, शिक्षा विभाग ने कुछ नौकरियां देना शुरू किया है, बहुत ही शुभ संकेत है, लेकिन यह गति बढ़ानी पड़ेगी।

इसके अलावा, जो स्किल डवलपमेंट की बात चल रही है, सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। स्किल डवलपमेंट के नाम पर जो पैसा लगाया जा रहा है, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनका धरातल पर कहीं कोई नामो-निशान अभी तक नजर नहीं आया है और न ही उसकी वजह से कोई रोजगार प्राप्त हुए हैं। चाहे कागजी आंकड़े कुछ भी हों, पूरे राजस्थान के 200 सदस्य यहां बैठे हैं, धरातल पर अभी कुछ भी नहीं हो पाया है। मैं तो चाहूंगा कि सरकार जो 2 साल का जश्न मनाये अब की बार, वह उन 6 लाख लोगों को बुलाकर मनाये जिनको 2 साल में रोजगार दिया गया। तभी सरकार की जो मंशा है, वह पूरी होगी और तभी जनता की आशाएं पूरी होंगी।

(15.42 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सरकार ने सुराज संकल्प यात्रा के समय जो चीजें रखी थीं, उनके बारे में अनुरोध करूंगा कि वे वादे हर हाल में इस बार पूरे होने चाहिए। अभी जो अभिभाषण पढ़ा, उसमें कई चीजें बड़ी अजीब नजर आईं, जैसे पाइंट नंबर 14 में लिखा था कि हर ग्राम पंचायत में पिछले समय में एक तालाब बना दिया गया। जबकि हकीकत यह है कि कई ग्राम पंचायतों में तो कोई खड्डा भी तैयार नहीं हुआ और वापस उस पर करोड़ों रुपये लगाने की योजना बनाई जा रही है। तो इन योजनाओं के ऊपर ध्यान देकर, इनको सुधार करके ही, इनको बनाया जाना चाहिये।

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की प्रतिभाएं देश भर में नाम कमा रही हैं। प्रदेश में भी स्तर सुधारने के लिए सरकार नयें माडल विकसित कर रही है। माडल स्कूलें बनाने, आठवीं बोर्ड फिर से शुरू करने, उच्च शिक्षा के लिए नई योजना बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश, ये सब बड़े सराहनीय कदम हैं। शिक्षा के विकास के लिए लगभग 5 हजार हजार स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है लेकिन हालत यह है कि जिस तरह से क्रमोन्नत किया गया है, जनता को उसका लाभ मिला नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक स्कूल है सेणुसर ग्राम में, दसवीं कक्षा में मात्र दो बच्चे हैं। अब क्यों उसको

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

बारहवीं तक के लिए क्रमोन्नत किया गया? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। न गांव वालों की डिमांड थी, न हमारी डिमांड थी, न किसी और की डिमांड थी और उसको क्रमोन्नत कर दिया गया। वहां जो 88 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी आज बैठने को जगह नहीं है। न वहां ग्राउंड है, न बिजली का कनेक्शन है, न पानी की व्यवस्था है और न ही कोई डिमांड है। तो बजाय उसके, जहां सैकडों विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, ऐसी जगह में स्कूलें क्रमोन्नत की जाएं। इन चीजों पर ध्यान दिया जाए कि जहां जरूरत हो, वहीं काम किया जाए।

अभी सरकार ने घोषणा की हुई है कि हर उप खण्ड में कालेज खोलेंगे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि कई उप खण्ड ऐसे भी होंगे जहां, हो सकता है, पास में दूसरा उप खण्ड और कालेज की जरूरत नहीं हो। हमारा फतेहपुर क्षेत्र पिछले 67 सालों से सरकारी कालेज के लिए तरस रहा है और लगभग 6 से 7 हजार विद्यार्थी हैं, जो दर-दर भटक रहे हैं। हालात ये हैं कि अभी राजस्थान विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हो रही हैं, 3 हजार स्वयंपाठी छात्रों के लिए पूरे उप खण्ड क्षेत्र में परीक्षा केन्द्र भी उपलब्ध नहीं हैं। उनको 30-35 किलोमीटर दूर मंडावा जाना पड़ रहा है, जबकि फतेहपुर से मंडावा की जो सड़क है, उसकी हालत यह है कि वहां साधन से चलें तो 30 किलोमीटर से डेढ़ से दो घंटे का समय लगता है। प्राइवेट कोई साधन है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई है नहीं। ऐसी हालत में बच्चों को, छात्र-छात्राओं को परीक्षा देनी पड़ रही है, जो अपन सब के लिए बड़ी शर्म की बात है। फतेहपुर क्षेत्र में 6 हजार छात्रों के लिए सरकारी कालेज इस बजट में खोली जाएं, ऐसा मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा।

हमारे यहां शेखावाटी विश्वविद्यालय खोला गया। बड़ी जोरदार मांग छात्रों की थी। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2008 में वह विश्वविद्यालय खुला था। अब तक उसकी दीवार भी पूरी नहीं हो पाई है। पिछले पांच साल में धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। जो स्पीड अभी चल रही है और जितना बजट उसको मिला है, उसके अनुसार अगले 20 वर्ष बनकर वह तैयार नहीं होना है। वह पैसा जो 25 साल में बरबाद होगा, 25 साल बाद, पता नहीं, क्या स्वरूप होगा। तो इस तरह से पैसे की बरबादी करने का कोई फायदा नहीं है। या तो इस तरह के कामों को बंद किया जाए, और खोलें, तो उसको तुरन्त एक-दो साल में काम करके खोला जाए।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

राज्य भर में सड़कों की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। कई स्थानों पर टोल लिया जा रहा है, फिर भी सड़कें ठीक नहीं हैं। हमारे सीकर जिले में अभी टोल शुरू हुआ नीमकाथाना से कोटपूतली और उस सड़क पर आप कार तो क्या, जीप भी नहीं चला सकते। यह स्थिति है। वहां पर एक -एक फीट के गढ़्ढे पड़े हुए हैं और जनता टोल देकर उन गड्ढों को भुगत रही है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये। कम से कम, और कुछ नहीं तो, सरकार ऐसी सड़कों पर टोल की तो बंद कर ही सकती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात है, खूब तरह के डाटा यहां पेश किये जाते हैं लेकिन असली हालत यह है कि मेरे क्षेत्र में, उदाहरण के तौर पर 2006 में रूपनगर गांव बना था, जिसकी आबादी 900 के करीब है, आज तक पी एम जी एस वाई से उसको नहीं जोड़ा गया है। यह ध्यान देने की बात है।

सड़कों की बहुत कमी है। जो राष्ट्रीय औसत अपना सड़कों का है, राजस्थान का औसत उससे वन-थर्ड है। एक-तिहाई सड़कें अपने पास हैं। उसके बावजूद भी इतनी कम स्पीड है कि हम कभी राष्ट्रीय औसत को पकड़ने की सोच भी नहीं सकते। नेशनल हाइवे एन एच 65 हमारे फतेहपुर-सालासरजी के बीच में है, जो अम्बाला जा रहा है। 2003 में जब श्रीमान् अटल बिहारीजी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय सैंक्शन हुआ था। आज 11-12 साल हो गये, अब तक उसका काम पूरा नहीं हो पाया है। जो हाइवे 11 का काम चल रहा है, उसके हालात ये हैं कि वन विभाग की परमिशन के चलते, पिछले दो साल से काम भी चल रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं और पूरा भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आस-पास में जो बबूल उगाये हुए हैं, पता नहीं, कैसे उनको वन विभाग ने प्रोटेक्टेड फोरेस्ट घोषित कर दिया, और उन पर बिलकुल पाबन्दी लगा रखी है। परमिशन दे नहीं रहे हैं, काम बंद पड़ा है। सरकार का पैसा खराब जा रहा है, जनता को परेशानी हो रही है।

किसानों की जो जमीन हाइवेज के आस-पास में अवाप्त की जाती है, वह इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार इसलिए अवाप्त की जाती है कि 100-100, 150-150 फीट तक आराम से आने वाले आब्जेक्ट दिखाई देते रहें। ज्यों ही जमीन अवाप्त होती है, वन विभाग ऐसे-वैसे करके, परमिशन लेकर, वहां ये फालतू के बबूल लगा देता है, जिससे पशु-पक्षी पेड़-पौधे बीच में आते रहते हैं और एक्सिडेंट होते रहते हैं। जब वापस उसको चौड़ा करने की परमिशन मांगी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

जाती है, तो वह परमिशन नहीं देते। उसको प्रोटेक्टेड फोरेस्ट घोषित कर देते हैं। ये हालात हमारे यहां आज के दिन चल रहे हैं।

इस तरह से विभागों की आपस में तालमेल की जो स्थिति है और जो परेशानियां हैं, उनको दूर करना बड़ा आवश्यक है। गुड गवर्नेन्स के जरिये ये परेशानियां दूर होंगी। इस बजट में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान लाया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं।

देश व प्रदेश में सरकारें हेरिटेज व विश्व धरोहर को संरक्षित करने की जो योजनाएं बना रही हैं, बड़ी अच्छी योजनाएं हैं, बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। हमारे यहां पर भी फतेहपुर क्षेत्र में आपने आर्ट गैलेरी के नाम से मशहूर हवेलियां, जिनके भित्ति चित्र देश-विदेश सब जगह प्रसिद्ध हैं, उनको देखने हजारों पर्यटक आते थे, लेकिन जो हालात हैं, शहर में करीब दो-तीन किलोमीटर में, जिस क्षेत्र में वे हवेलियां हैं, वहीं बरसात का पानी खास तौर से भरा रहता है और चार-साढ़े चार महीने तक तो लगातार भरा रहता है। उसको निकालने के लिए आज तक कोई योजना नहीं बनी है। अभी आर.यू.आई.डी.पी. से बात की तो बोले कि हमने तो 2020 तक की योजनाएं तैयार कर लीं। तो इन हालात में जब ट्यूरिस्ट उस हवेली तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो देखेगा कहां से? काफी लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हवेलियां तैयार भी की हैं, लेकिन ओवर आल उन तक पहुंचने का जो रास्ता है, वह अपने को साफ-सुथरा देना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना है लेकिन इसको धरातल पर लाने के लिए शहर में साफ-सफाई की बड़ी आवश्यकता है और एक नाला बनाने की बड़ी आवश्यकता है, जिससे जो बारिश का भराव का पानी है, तीन-तीन, चार-चार फीट भर जाता है, वह बाहर निकल सके। माननीया मुख्य मंत्रीजी जब सुराज संकल्प यात्रा में फतेहपुर गयी थीं, तब उन्होंने खुद कहा था कि इतनी सुन्दर हवेलियां हैं, लेकिन इतना गंदा रास्ता मैंने नहीं देखा। निश्चित रूप से इसको ठीक कराया जायेगा। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आने वाले बजट में उसको ठीक कराने के लिए कुछ किया जाए।

वर्तमान में न्यायालयों के मुकदमों की संख्या, अपने सब को पता है, मेरा जो फतेहपुर क्षेत्र है उसमें जितने मुकदमे हैं, सीकर के दो ए.डी.जे. न्यायालयों में लगभग वे ही मुकदमे चल रहे हैं। बिल्डिंग बनी हुई है, सब कुछ

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

बना हुआ है, न्यायालयों की रिपोर्ट भी आयी हुई है, एक ए.डी.जे. कोर्ट अगर वहां खुल जाए तो बड़ी सुविधा होगी।

इसके अलावा, रात्रि चौपाल के नाम पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वह बिलकुल कागजी खानापूर्ति चल रही है। वे सुचारु रूप से और अच्छी तरह से चलें, ऐसी व्यवस्था जरूर की जाए।

बीते एक वर्ष में छात्रवृति में भारी गड़बड़ियां सामने आयी हैं। जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। छात्रवृत्ति के पैमाने पर सरकार कोई ठोस कदम उठाये, ऐसा हम लोग चाहेंगे।

राजस्थान में 2011 में जो राशन कार्ड बनाये गये थे, उस दौरान बी.पी.एल. सर्वे नहीं किया गया। बी.पी.एल. के लोग काफी परेशान हैं। गरीब लोगों की संख्या उनमें काफी कम है और जो पात्र नहीं हैं, वे लोग किसी तरह से आ गये। ऐसी विसंगतियों को तुरन्त, जितना जल्दी हो सके, दूर किया जाए।

राजस्थान प्रदेश सोलर ऊर्जा के जरिये बिजली उत्पादन की जो बात कर रहा है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छे एग्रीमेंट हुए हैं, निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा लेकिन आज के दिन जो बिजली की हालत है, 67 वर्ष की आजादी के बाद भी हम लोगों को बिजली के घरेलू कनेक्शन नहीं दे सकते। खेत में जिस किसान ने कनेक्शन ले रखा है, वह अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां 24 घंटे बिजली वाला कनेक्शन नहीं ले सकता। यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इस स्थिति से अपने को निश्चित रूप से उबरना होगा और उन लोगों को वे कनेक्शन देने होंगे।

(15.51 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य की बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद की बात है, उसमें सुराज संकल्प पत्र में मूंगफली, बाजरा, मक्का जैसी फसलों को शामिल करने की बात थी, लेकिन अब तक शामिल नहीं की गयी हैं और उस वजह से लोगों को कम दामों पर बेचना पड़ा है। अभी पिछले साल का अगर पूरा रिकार्ड तैयार किया जाए तो राजस्थान के किसानों को इससे लगभग 11 अरब 66 करोड़ 81 लाख रुपये का घाटा हुआ है, जो कि उनके साथ भारी खिलवाड़ है। इसी प्रकार, चना तथा मूंगफली खरीद

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

का भुगतान कई महीनों से, विलम्ब से दिया गया है। उसका ब्याज किसान को दिलवाया जाए, तभी स्थिति ठीक रहेगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है और जो उत्पादन के खर्चे हैं, उसकी स्थिति यह है कि पिछले सालों में सिर्फ 1.6 से 4.5 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है, जबकि महंगाई की बढ़ोत्तरी 17 प्रतिशत हो गयी है। अब यह जो बिजली की बढ़ोत्तरी हुई है, यह उस पर और भी भारी पड़ेगी। तो इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

किसानों की जो उपज है, मेरा निवेदन है कि वह समर्थन मूल्य के आधार से खरीदी जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि में मोठ, मूंग, मेहंदी, चौला, ग्वार, बाजरा, धनिया, लहसुन, इनको भी लाया जाए जिससे किसान को लाभ मिल सके।

किसान जो फसलें तैयार करता है, उनका जंगली जानवरों और अवारा पशुओं द्वारा किस तरह से नुकसान किया जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। संकल्प पत्र में यह कहा गया था कि इसके लिए तारबंदी की सब्सिडी दी जायेगी, या नुकसान की भरपाई की व्यवस्था की जायेगी। अब तक वह नहीं की गयी है। आशा करते हैं कि इस बजट में निश्चित रूप से इस तरह का कोई प्रावधान आयेगा।

किसान को खाद, बिजली और दवाइयां सरकारी दर पर आवश्यकता के अनुसार पंचायतवार उपलब्ध करायी जाएंगी, यह सुराज पत्र में निश्चित किया गया था लेकिन अपने का पता है, पिछले दिनों किस तरह से ब्लैक में यूरिया बिकी है, किस तरह से किसानों को थानों के जरिये खाद दिलानी पड़ी है। वे हालात आगे से नहीं आयें, ऐसी व्यवस्था की जाए।

कृषि विद्युत कनेक्शनों की नीति निर्धारण की बात भी सुराज संकल्प पत्र में की गयी थी, जो अब तक पूरी नहीं हो पायी है। किसानों को आठ घंटे बिजली दी जाए और 24 घंटे के जो कनेक्शन खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वे सभी लोगों को प्राप्त हो जाएं।

अवाप्ति के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा कि अभी नेशनल हाइवे के दोनों और 75 मीटर कृषि भूमि को राज हित में अधिग्रहित करने के कुछ आदेश प्रसारित हुए हैं। एक तरफ अपनी तरफ से यह कहा गया था कि भूमि अवाप्ति होने पर संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

और सुविधा दी जायेगी, लेकिन उस तरह की बात नहीं है। आगे ये नये नोटिस और निकल गये हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

कृषि बीमा कराने वाले किसानों के नुकसान का आकलन ग्राम-पंचायत- आधारित कराये जाने की मांग वर्षों से चल रही है और सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी यह कहा गया था कि ऐसा किया जायेगा, तो फसल बीमा योजना के लिए पूर्ण समीक्षा कर फसल बीमा योजना के लिए नयी नीति की घोषणा की जाए। इस बजट में ऐसा कुछ लाया जाए कि किसानों को अपनी फसल का बीमा पूर्णतया ठीक से मिले।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कृषक सुरक्षा अधिनियम बनाया जायेगा, ऐसा वादा हुआ था। किसानों की सुनिश्चित आय और मूल्य का अधिकार विधेयक, 2012 के प्रारूप के आधार पर सरकार की ओर से ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे निश्चित रूप से किसान को फायदा होगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती अनीता गुर्जर।

श्रीमती अनीता (नगर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय राज्यपाल, श्री कल्याण सिंहजी के चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र के अभिभाषण के समर्थन में मैं अपने विचार रखना चाहती हूं।

अभी जो विधान सभा चुनाव आये, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रचण्ड बहुमत मिला और कांग्रेस बहुत छोटी-सी सिमट कर रह गयी। अभी जो तीन दिनों के अभिभाषण पर वाद-विवाद में आ रहा है, उसमें कांग्रेस के लोगों को सोचना तो यह चाहिए कि हम बहुमत से इतने कम पर क्यों आ गये, हमारी ऐसी कौनसी गलतियां थीं जिनकी वजह से जनता ने हमको रिजेक्ट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा प्रचण्ड बहुमत दिया। उसकी ओर ना करके, इस बात पर कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया। उसी के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं।

मैं तो आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि कांग्रेस ने जो भी विकास किया, जिस भी विकास के वे दावे भर रहे हैं, अपनी छाती ठोककर जिन दावों के बारे में वे कह रहे हैं, उन सब दावों को, चाहे वह मेट्रो का हो, चाहे रिफाइनरी का हो, चाहे आपने जो भी कोई काम किये अपने

(श्रीमती अनीता)

पांच साल के अन्दर, उसको जनता ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, उसको जनता ने मानने से इन्कार कर दिया। यह एक बहुत बड़ी चीज है जो आपके मनन के, चिन्तन के लिए आवश्यक है और आपको इस पर ज्यादा मनन-चिन्तन करना चाहिए।

आज हमारी माननीया मुख्य मंत्री हैं वसुन्धराजी, उन्होंने उस विषम परिस्थिति में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, एक-एक गांव में, एक-एक विधान सभा क्षेत्र में जाने का प्रयास किया और जनता के मुद्दों को ढूंढने का प्रयास किया कि जनता की मांग क्या है, जनता क्या चाहती है। आज भी, आजादी के इतने वर्षों बाद भी, हम जन-प्रतिनिधि को इस बात की रहती है कि जनता की मांग क्या है, जनता क्या चाहती है, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे जनता मुझ को बार-बार चुन कर भेजे, मेरी ही भारतीय जनता पार्टी या मेरी ही पार्टी को बार-बार चुन कर उसको सरकार बनाने का मौका मिले। तो अगर जनता के बीच में जायेंगे तो इस बात को आप भी और हम भी, सब महसूस करेंगे। इतने वर्षों के बाद भी, आज भी, जनता के बीच में जायेंगे तो पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये पांच ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनके लिए हमारे पूर्वज भी चुनाव लड़ते रहे और हम आज भी उन्हीं चीजों को गांव में लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम आयेंगे तो हम सड़क बनावायेंगे, हम आयेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी बिजली मिलेगी और अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस बात को बार-बार रिपीट करते जा रहे हैं। तो जो बुनियादी सेवाएं हैं, जो बुनियादी चीज जनता चाहती है, उन बुनियादी चीजों को करने के लिए जो पहला स्टेप या जो प्रथम कदम या जो विकास की पहल हमको करनी चाहिए, वह इस सवा साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारी माननीया यशस्वी मुख्य मंत्री ने उस काम को किया।

सवा साल में बार-बार यह बात उठ रही है कि भई, क्या किया? मैं अब सब को, सदन को यह कहना चाहती हूं कि अगर आप अपने विधान सभा क्षेत्र में, अपने प्रदेश में घूम कर देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि यह जो नींव है, उसको भर कर तैयार कर दिया है और अब जो समय आयेगा, उसमें हमारे विकास की एक भव्य इमारत इस प्रदेश में खड़ी होगी, जिसको देखने के लिए पूरे देश में होगा कि राजस्थान ने जिस प्रकार से विकास किया, जिस प्रकार से विकास की नींव रखी है, वह अपने आप में एक अलग बात स्थापित करेगी।

(श्रीमती अनीता)

मैं यह कहना चाहती हूं कि अब जो पंचायती राज के चुनाव हुए उस पंचायती राज के चुनाव में, जो पूर्व माननीय मंत्री हैं ओलाजी, अभी वे भी इस बात को कर रहे थे कि जो शिक्षा की अनिवार्यता रखी है, वह ठीक नहीं है, या उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस पहलू में पोजिटिव, नेगेटिव तो आप देख रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, बिना साक्षर भी जो लोग हैं वे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यह तो आपका पहलू है लेकिन आपने उस पहलू को नजरअंदाज किया है, उस पोजिटिविटी को नजरअंदाज किया है जिसमें एक लाइन लिखने के ऊपर ही पूरे प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन आ गया। इस पंचायती राज में आठवीं पास सरपंच और दसवीं पास प्रधान या जिला प्रमुख के होने पर ही पूरे प्रदेश में इस बात का मेसेज चला गया कि हर व्यक्ति का शिक्षित होना कितनी आवश्यकता की चीज है। जिनके घर में बहुएं शिक्षित

(16.00 बजे)

नहीं थीं, या जिनके बच्चे शिक्षित नहीं थे, उन लोगों ने जब यह कानून आया तो समाज की नजरों में, गांव की नजरों में और अपने आपकी नजरों में, अपने मन के अन्दर झांक कर उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हमने शिक्षा नहीं कराई, हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो आज यह स्थिति आई है कि हम सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ी बात पूरे क्षेत्र में गई, हर मां-बाप ने इस बात को तय किया कि हम अपनी बेटियों को, हम अपने बेटों को कम से कम इतनी शिक्षा अवश्य रूप से देंगे कि कभी पंचायती राज में अगर हमारा नम्बर आए तो वह चुनाव लड़ सकें।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारा प्रचार-प्रसार करते, करोड़ों-अरबों रुपये हम इस बात में व्यय करते लोगों को समझाने में कि हमको पढ़ाई करनी चाहिए, हमको शिक्षा आनी चाहिए, वह सब एक अक्षर ने, एक लाइन जो लिखी है, उससे उसका प्रचार-प्रसार गांव में उस स्थिति तक पहुंच गया, जहां पर हम सब लोग सोचते थे कि यह जो जन जाग्रति हम चलायेंगे, हम लोगों को बतायेंगे और बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी पढाई-लिखाई होगी, शिक्षित लोग आएंगे, युवाओं में शिक्षा आएगी तो निश्चित रूप से हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में, बहुत सारी चीजों में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। एक इस विजन ने, एक मुख्य मंत्री के इस काम ने सरकार का अरबों रुपया बचाया और लोगों में प्रचार-प्रसार शिक्षा का कराया।

(श्रीमती अनीता)

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनकी पढ़ाई का बहुत मौका नहीं मिलता था। इतनी सब चीजें होने के बाद भी, स्कूल हर गांव-गांव में होने के बाद भी, उनको पढ़ने-लिखने का उचित मौका नहीं मिलता था। दहेज प्रथा भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे प्रदेश में आ रही थी। आज वह बात आपके और हमारे सामने आ गई। आज किसी भी बात में दहेज के लिए लोग यह कहने लग गये हैं कि मैं तो मेरे बेटे की बहू पढ़ी-लिखी लाऊंगा, मुझे भले ही एक भी पैसा दहेज का ना मिले। ऐसा एक विचार हमारे समाज में बनाने के लिए हम जाने कितना काम करते, लेकिन इस अध्यादेश से, इस कानून को बनाने से ही वह बात लोगों के बीच में आई।

माननीय सभापति महोदय, जब यह कानून बना तो हमारे यहां जो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत से लोगों ने शादियां-ब्याह किये तो वह इस बात पर किये कि बच्ची पढ़ी-लिखी हो और मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। शिक्षा के साथ-साथ जो दहेज की कुरीति थी, जो बाल विवाह की कुरीति थी, उस पर भी एक बहुत बड़ा कदम इस सरकार ने रखा है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम हमारे बीच में हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, एक और चीज, जिस चीज के लिए लोग चर्चा नहीं करते। सब यह कहते हैं कि कोई बड़ा भवन बन जाए, कोई बहुत बडा पुल बन जाए, कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है तो ही विकास होता है, लेकिन विकास के और भी बहुत आयाम हैं। विकास का सबसे पहला आयाम यह रहता है कि हमारे प्रदेश की कानून-व्यवस्था क्या है; हमारे प्रदेश में जो लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई करते हैं, वह सुरक्षित है कि नहीं है; उनका घर सुरक्षित है कि नहीं; उनका जान-माल सुरक्षित है कि नहीं। यह जो पंचायती राज के चुनाव आते थे, उस चुनाव में कानून-व्यवस्था की बहुत निकट समस्या हमारे बीच में पैदा हो जाती थी कि इन चुनावों को कैसे हैंडल किया जाए, ये चुनाव कैसे होंगे। माननीय सभापति महोदय, बीस साल पहले जिला प्रमुख का, पंचायती राज का चुनाव मैंने लड़ा। बीस वर्षों से इस अनुभव को मैंने देखा कि पंचायती राज के जब चुनाव आते थे तो सरपंच के इलेक्शन में, पंचायत समिति के, जिला परिषद के चुनावों में इतनी जयादा टेंशन उस गांव में उत्पन्न हो जाती थी कि हमें यह लगता था कि कैसे इस स्थिति से उबरेंगे। हर जगह झगड़े होते थे, गोलियां चल जाया करती थीं, बैलेट पेपर फट जाते थे, लोग बैलेट को लेकर भाग जाया करते थे। इतनी विकट परिस्थितियां

(श्रीमती अनीता)

हमारे बीच में आती थीं। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार जो पंचायती राज के चुनाव हुए, उसमें कानून-व्यवस्था की इतनी अच्छी स्थिति बनाई कि रि-पोलिंग की तो बात ही नहीं है, कहीं पर भी एक-आध छोटा-मोटा झगड़ा हुआ हो तो हुआ हो, अन्यथा कहीं पर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मतदाता, जिसके मन में भय लगा रहता था कि मैं वोट डालूंगा तो कोई देख नहीं ले, कोई मेरे से झगड़ा नहीं कर दे। जो मजबूत लोग रहते थे, उनके डर से मतदाता मत डालने से भी घबराता था। इस बार मतदाता के मन में सरकार ने कानून की ऐसी स्थिति दिखाई कि उसके मन से भय निकल गया और उसने अपनी मर्जी से वोट किया। उसका नतीजा यह आया कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बडी संख्या में पंचायती राज में जीतकर आई। यह एक बहुत बड़ी चीज है जो सरकार ने करके दिखाई है कानून-व्यवस्था में।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने तीसरी बात यह रखी कि हमारे जो मेम्बर होंगे, पंच होंगे या हमारे पंचायती राज के जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके घर में लैट्रिन, बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। अपना एफिडेविट वे खुद देंगे कि मेरे घर में यह है। उन्होंने दिया और देने के साथ-साथ, मैंने यह देखा है कि गांव में जिनके यहां शौचालय नहीं थे, उन्होंने अपने घर में शौचालयों का निर्माण कराना शुरू किया और बनाया। बहुत पैसे वाले लोग भी, जिनके यहां धन की भी कमी नहीं थी, उनको भी इतना सोच नहीं था कि हम अपने यहां शौचालय बनाएं, लेकिन पंचायती राज में आने के बाद उनकी यह मजबूरी रही, या उन्होंने अपने स्वविवेक से काम किया, उन्होंने शौचालयों का निर्माण किया। इससे कितने ही शौचालय लोगों ने सरकार के बिना पैसे के स्वयं बनाये, जो स्वच्छता का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे प्रदेश में मिला।

ये दो-तीन छोटी-छोटी बातें हैं जो पंचायती राज में रखने पर हमारे प्रदेश में एक-दो महीनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में बहुत परिवर्तन आया है, स्वच्छता के प्रति परिवर्तन आया है, पढ़ाई के प्रति परिवर्तन आया है। कानून-व्यवस्था में उन्होंने यह महसूस किया है कि मुख्य मंत्री वसुन्धराजी की सरकार आने के बाद बहुत अच्छी स्थिति यहां बनी है।

माननीय सभापति महोदय, पुनर्गठन की भी जब बात चली तो विपक्ष के भी हमारे बहुत सारे साथी यूं कह रहे थे कि क्या कर दिया, पुनर्गठन कर

(श्रीमती अनीता)

दिया तो, कौनसी बड़ी बात हो गई। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहती हूं कि पुनर्गठन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसको यह कांग्रेस के लोग कभी नहीं कर पाये। पहले भी किया तो भैरोंसिंहजी ने किया और अब भी किया तो भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्य मंत्री ने किया। पुनर्गठन के काम से जो नई पंचायत समितियां बनीं, नई पंचायतें बनीं, उनके लिए भी अलग से सेन्टर से फंड था उसमें बढ़ोतरी हुई। यानी कि हमारे प्रदेश में जो पैसा आना था सेन्टर से, वह बढ़कर के आया। हमारी पंचायतों में ज्यादा पैसा आएगा तो निश्चित रूप से अच्छा विकास हमारे क्षेत्र में होगा। इस बात को हम कह सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी योजना हमारी मुख्य मंत्री जी ने जब पहले सरकार थी, तब रखी थी, भामाशाह योजना, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसमें कुछ किया नहीं। अब भी बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भामाशाह का क्या हुआ, क्या कर दिया, क्या दे दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वह गरीब भाई, वह वृद्ध जन, वह बेवा महिला, हमारी बहन, हमारी मां, हमारे बाऊजी, जो बूढे थे, जिनको पेंशन हम देते थे और पोस्ट आफिस में जा-जाकर के, चक्कर काट-काटकर के परेशान हो जाते थे; पोस्ट आफिस वाला जो डाकिया था, वह तीन-तीन महीने की पेंशन को निकाल लेता था और जाकर के कह देता था कि अभी पेंशन नहीं आयी, अभी पेंशन आएगी; वे लोग चक्कर-पर-चक्कर काटते रहते थे, अपने 100-100, 500-500 रुपये के लिए परेशान होते रहते थे। आज इस फाइनेंशिल एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट को खोलने की वजह से वह पेंशन जब डायरेक्ट आएगी तो उनके चक्कर, उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य बीमा योजना भी इसमें जोड़ी। अगर आप फ्री में दवाइयां दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनमें आपको पैसा खर्च करना ही पड़ता है। उसमें अगर आप गरीब आदमी की मदद करना चाहते हो, भामाशाह योजना के अन्दर अगर आपने स्वास्थ्य बीमा योजना की और जन धन योजना भी प्रधानमंत्रीजी की इसमें जोड़ दी आपने, तो 25-30 हजार रुपया ने राज्य का और 1 लाख रुपया प्रधान मंत्रीजी के यहां से, तो एक गरीब आदमी की रीढ़ की हड्डी पर आपने जो मजबूती दी है, वह इस भारतीय जनता पार्टी का एक अग्रणीय काम है और बहुत अच्छा काम है, जिसमें जनता इस बात को कह रही है कि एक बहुत

(श्रीमती अनीता)

अच्छा काम सरकार ने किया है। जो आम जनता कहना चाहती है, सुनना चाहती है, जो उसको चाहिए, वे काम आज भारतीय जनता पार्टी और वसुन्धराजी कर रही हैं। बहुत सारे आउटडोर, इंडोर के हिसाब से अलग-अलग हमने किया कि आउटडोर में 30 हजार का आपको बीमा कवर मिलेगा और इंडोर जो होगा, उसमें 3 लाख का बीमा कवर मिलेगा। ये बहुत सारे फायदे हमारी इस भामाशाह योजना में किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, गौरव पथ के नाम पर कई लोगों को, हमारे विपक्ष के साथियों को संशय है कि गौरव पथ का क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या नहीं होगा, लेकिन मैं सदन को यह बताना चाहती हूं कि गौरव पथ का जैसा नाम है, उसी गौरव के साथ, उस गांव वाले, उस पंचायत वाले, उस पथ पर गौरव करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे गांव में भी ऐसी मजबूत सड़क बनाई है जिस पर चलकर या जिस पर हमारे मिलने वाले, रिश्तेदार भी अगर आएंगे तो इस बात को महसूस करेंगे कि हमारे गांव की कितनी अच्छी सड़क संरचना है। निश्चित रूप से हम पंचायतों के माध्यम से बहुत सारी सड़कें गांवों में बनाते हैं लेकिन पंचायतों के माध्यम से जो सड़क बनाते हैं, जो उनकी बी एस आर रेट होती है, उसके अनुसार जो काम होता है, वह काम 2 साल, 3 साल, 4 साल से ज्यादा नहीं चलता है। यह जो गौरव पथ बनेगा, यह अपने आप में एक बार अगर कहीं बन गया, परिक्रमा मार्ग एक किलोमीटर, तो मैं नहीं समझती, गांव के अन्दर तो पूरा एक किलोमीटर गांव का जो मेन रास्ता है वह इससे बन जाएगा और जो गलियां होंगी, वे एम एल ए, एम पी फंड और सरकार के सरपंचों के एस एस सी और टी एफ सी, उनसे बन जाएंगी, तो निश्चित रूप से यह जो सोच है गांव के अन्दर पक्की सड़क बनाने की और इस प्रकार की सड़क बनाने की कि जो एक बार बन जाएगी तो कम से कम बीस वर्ष चलेगी, ऐसी सड़क बनाने की जो सोच है, वह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। एक सपना जो गांवों का विकास कराने का है, वह सपना कोई बन्द आंखों से नहीं देखा जा रहा है, वह खुली आंखों से देखा जा रहा है और खुली आंखों से देखा जा रहा है तो निश्चित रूप से सड़क गांव में बनेगी, जिसकी परिकल्पना गांव वाले करते हैं। जब वे शहरों में आते हैं, जयपुर हमारे पास मिलने आते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को कहते हैं कि एम एल ए साहब, ऐसी बड़ी-बड़ी सड़कें, ऐसी अच्छी मोटाई की सड़कें हमारे गांव में भी बनेंगी? तो आज उनका जो सपना है, उनकी जो सोच है, वह मुख्य मंत्री की सोच के अनुसार वह जो बनने वाली है, वह सामने आ रही है।

शिक्षा का मामला जो है...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती अनीता (नगर) : माननीय सभापति महोदय, मुझे आप पांच मिनट दें। मैं बस पांच मिनट में अपनी बात कह दूंगी।

श्री सभापति : नहीं, आप दो मिनट में अपनी पूरी बात कह दें।

श्रीमती अनीता (नगर) : जैसा आप कहें।

मैं शिक्षा के मामले में यह कहना चाहती हूं कि स्कूलों का जो एकीकरण हुआ, वह एक अद्वितीय पहल हुई है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, कि जिन स्कूलों में हमारे बहुत कम बच्चे थे, उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इस सब का काम किया। इसमें सबसे पहली चीज तो यह आई कि बच्चों को पढ़ाने की, शिक्षकों की व्यवस्था की आवश्यकता है। आज बहुत सारे स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने स्कूल बहुत सारे खोल दिये बिल्डिंग बहुत सारी बना दीं, तो भी आप इस बात को नहीं कह सकते कि वहां अच्छी शिक्षा, गुणवता की शिक्षा मिल रही है। अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा तब मिलती है जब शिक्षक वहां हों, विषयवार शिक्षक वहां हों और वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए तैयार हों। इसलिए एकीकरण करके और उसके द्वारा जो कोशिश की जा रही है कि अच्छी शिक्षा हमारे यहां मिले, गुणवत्ता की शिक्षा मिले, सरकार उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना कहना चाहती हूं कि भरतपुर के लिए, भरतपुर जिला हो या भरतपुर सम्भाग हो, किसी भी सरकार ने भरतपुर के लिए इतना काम नहीं किया जितना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भरतपुर में चाहे सम्भाग बनाया हो, चाहे मेडिकल कालेज दिया, या यूनिवर्सिटी बनाई, चाहे नगर निगम दिया, जो कुछ भी उसके विकास के लिए सम्भाग को और जिले को देना था, वह केवल एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वसुन्धराजी की अपनी देन है, एक व्यक्तिगत देन है भरतपुर को, जिसकी वजह से आज भरतपुर सम्भाग सम्पूर्ण विकास के पथ पर वह चल रहा है।

एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपके बीच में, मध्य में कहना चाहती हूं, 'श्री' योजना जो सरकार ने लागू की है, उस 'श्री' योजना में स्वच्छता, शिक्षा, पेयजल, रोशनी ये सारी चीजें जो 'श्री' योजना में गांव-गांव में होंगी, तो मैं निश्चित रूप से समझती हूं कि हम गांव से आने वाले जो लोग हैं, और गांव में, अगर गांव का विकास हम कर पाते हैं, गांव के छोटे-छोटे नगलों में

(श्रीमती अनीता)

रोशनी हम दे पाते हैं, सड़क हम कर पाते हैं, वहां शुद्ध पीने के पानी का हम कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से सही रूप में हम गांव के विकास को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती अनीता (नगर) : माननीय सभापति महोदय, यह जो अभिभाषण है, उसका मैं समर्थन करना चाहती हूं और इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहती हूं और सभापति का धन्यवाद करना चाहती हूं।

श्री सभापति : श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

(अनुपस्थित)।

श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

राजस्थान में पिछले विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचण्ड बहुमत मिला और उसके बाद में लोक सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद में, एक साल के अन्दर राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने विकसित राजस्थान के सार्थक प्रयास किये हैं। कानून-व्यवस्था को सुधारना, रोजगार के अवसर पैदा करना और प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, प्रदेश का पूर्ण विकास करने में सरकार जुटी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हो रही है, विश्वास है कि राजस्थान विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा।

एक साल के अन्दर सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं। 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए, पंचायतों का पुनर्गठन मात्र 3 महीनों के अन्दर किया गया। पूर्ववर्ती सरकार ने भी, सभापति महोदय, इस काम को हाथ में लिया था परन्तु सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव एवं जनता के विरोध के कारण पूर्ववर्ती सरकार यह काम नहीं कर पाई। पंचायतों के पुनर्गठन होने से जो पंचायतें 11-12 हजार जनसंख्या वाली थीं, वहां 5-5 हजार की जो पंचायतें बनी हैं, उन पंचायतों को केन्द्र और राज्य सरकार के फंड का सीधा लाभ मिल सकेगा। राजस्थान के अन्दर 47 पंचायत समितियां नवसृजित हुईं, 64 पंचायत समितियां पुनर्गठित हुईं, 723 ग्राम पंचायतें नवसृजित हुईं और 423 ग्राम पंचायतें पुनर्गठित की गईं।

(श्री नारायण सिंह देवल)

पंचायत राज को मजबूत करने के लिए जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको शिक्षा अनिवार्य की गयी और उससे इस बार जो ट्राइबल एरिया था, वहां पर ग्रेज्युएट मिले। पूरे राजस्थान में आये दिन घटना होती थी कि जन-प्रतिनिधि पढ़ा-लिखा नहीं होने के कारण, असाक्षर होने के कारण, ग्राम सेवक या पटवारी ने उसको कहीं अंगूठा दिला दिया। तो अब पढ़े-लिखे जन-प्रतिनिधि आने के कारण गांवों का विकास पारदर्शित से होगा।

इसी चुनाव में जो देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का संदेश दिया, पंचायत राज चुनावों में इसको लागू किया और मात्र 4 महीने के अन्दर पूरे राजस्थान के अन्दर 6 लाख टायलेट बने।

नगरपालिका चुनावों के बाद में एवं पंचायत राज चुनावों के जो ऐतिहासिक रिजल्ट आये, पूरे राजस्थान में 33 जिलों में से 21 जगह भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख बने, हालांकि हमारे पास बहुमत 23 जगह था, और कांग्रेस मात्र 12 जगह जिला प्रमुख बनाकर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी को जो मत-प्रतिशत था, वह 43.44 पूरे प्रदेश में मिला। जिला परिषद की 1,014 में से बी जे पी को 590 सीटें मिलीं और कांग्रेस मात्र 395 सीटों पर ही सिमट गई।

पूर्ववर्ती सरकार ने जो वार्षिक योजना रखी थी 2013-14 में, वह 40,500 करोड़ की रखी थी और अभी 2014-15 में राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धरा राजेजी ने इस वार्षिक योजना को बढ़ाकर 69,820 करोड़ की रखी। यह सत्यता आपको स्वीकार करनी चाहिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : आपको दिल्ली की सत्यता स्वीकार करनी चाहिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : ...(व्यवधान) आप तो वहां जीरो पर सिमट गये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : हम तो जीरो पर थे पर आप तो हीरो पर थे। आपको क्या हो गया?

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : दूसरा सरकार का जो ऐतिहासिक निर्णय था भामाशाह योजना का, वह 2008 में चालू की थी परन्तु पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को बन्द कर दिया। अभी राजस्थान की आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने सरकार बनने के बाद में 15 अगस्त, 2014 को इस योजना

(श्री नारायण सिंह देवल)

को चालू किया और 50 लाख से अधिक परिवार इसमें नामांकित हुए हैं। पहले बैंक में खाता खोलने के लिए गवाह की आवश्यकता होती थी, परन्तु अब भामाशाह योजना के माध्यम से हमारी मुख्य मंत्री इसकी साक्षी होंगी। भामाशाह योजना में कार्ड बनने के बाद में स्वास्थ्य बीमा योजना में आउटडोर में 30 हजार का फायदा मिलेगा और इनडोर में 3 लाख का बीमा कवर होगा।

पूरे प्रदेश के अन्दर 20 हजार किलोमीटर पी पी पी मोड पर सड़कें बनेंगी। अभी विपक्षी बंधु कह रहे थे कि काम चालू नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश के अन्दर 8,910 किलोमीटर पर इसके कार्य की प्रोग्रेस चालू है।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने एक जो निर्णय लिया है, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर गौरव पथ बनेंगे, आधे किलोमीटर से लेकर दो किलोमीटर लम्बाई की आर सी सी की सड़कें बनेंगी। उन सड़कों के दोनों तरफ नाली निर्माण, रोड लाइट व पेड़ लगाकर पंचायत मुख्यालय की मुख्य सड़क को सुंदर बनाया जाएगा। प्रथम चरण के अन्दर 2,194 ग्राम पंचायतों पर यह काम चालू हो गया है। इसमें 1,113 करोड़ की स्वीकृति भी जारी हो गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में एकीकरण के माध्यम से और आदर्श विद्यालयों का गठन हुआ। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया और पूरे राजस्थान के अन्दर 4,988 उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हो गये। इस निर्णय से हमारे उस ग्राम के बालक-बालिकाएं उसी पंचायत हैडक्वार्टर पर बारहवीं तक की शिक्षा ले सकेंगे। 2014-15 में 66 माडल स्कूल राजस्थान में खोले गये, 13 महाविद्यालय खोले गये और 7 मेडिकल कालेजों की भी स्वीकृति हुई।

विद्युत के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा कि 2008-09 में राजस्व घाटा 15,643 करोड था, 5 साल के अन्दर पूर्व की सरकार ने यह राजस्व घाटा 77 हजार करोड़ बढ़ाया। राजस्थान के ऊपर, 62 हजार करोड़ का राजस्थान की जनता के ऊपर यह भार आप लोगों ने डाला। वैसे पूरे देश में कृषि कनेक्शन में सबसे अधिक कनेक्शन हमारे राजस्थान में हैं, फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहां विद्युत की आपूर्ति अच्छी हो रही है। आपके समय में लोग घरों में यह इन्तजार करते थे कि बिजली कब आएगी, अब जनता यह कह रही है कि 15 मिनट से बिजली गई है। अब यह शिकायत है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का निम्न मांगों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जालौर जिला राजस्थान का पिछड़ा हुआ सीमावर्ती जिला है, जिसकी सीमा गुजरात से लगती है और जिले में पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमारे यहां स्टेट हाइवे बनाया जाय, आहोर से जालौर-रानीवाड़ा होते हुए मण्डार। इस स्टेट हाइवे के बनने से राजस्थान व गुजरात के लोगों को आन-जाने में काफी फायदा मिलेगा।

2007-08 में जब इस प्रदेश की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी थीं, तब हम सब लोगों ने, जन-प्रतिनिधियों ने मांग की कि पूरे जिले को नर्मदा का पीने का पानी मिलना चाहिए। घोषणा भी हुई, बजट का भी आबंटन हुआ, परन्तु पूर्व की सरकार ने 5 साल के अन्दर खाली इस योजना के अन्दर टाइम पास किया। अब चूंकि बड़े पाइप लग चुके हैं और जो ड्रिंकिग वाटर एक्सेस है, वह लूणी नदी के अन्दर व्यर्थ जा रहा है। वहां के किसान परेशान हैं। मेरी मांग है कि व्यर्थ बहने वाले पानी से उन पाइपों के माध्यम से तालाबों का पुनर्भरण हो ताकि हमारे यहां वाटर रिचार्ज हो सके और किसानों को फायदा हो सके।

हमारे जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। हमारे यहां उन पर्वतों से पानी बहकर दूसरे राज्यों में जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां चैक डैम, एनिकट और बांधों का निर्माण हो ताकि जलस्तर बढ़े और किसानों को फायदा हो।

माही का पानी जालौर जिले को दिया जाए, इसके लिए एक डी पी आर तैयार की जाये जिससे सिरोही, बाड़मेर और पाली जिला भी लाभान्वित होगा। इसके लिए मैं मांग करता हूं कि एस ई आफिस खोला जाये।

सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में गेहूं, रायड़ा, सरसों, जीरा व अरण्डी की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। सी आर एफ के जो नोर्म्स हैं; उनमें अतिवृष्टि व ओलावृष्टि हैं। इसके अलावा, जैसे कल ही बेमौसम बारिश हुई, जो सी आर एफ नोर्म्स में नहीं है। इसमें पाला, बीज खराब आने से फसलों का नुकसान होता है। हवा चलने से, जंगली जानवरों से फसलों का नुकसान होता है। उसको सी आर एफ नोर्म्स में शामिल करने हेतु राज्य सरकार केन्द्र को भिजवाये ताकि किसानों का बार-बार फसल का जो खराबा होता है, मिल सके।

(श्री नारायण सिंह देवल)

जो क्राप कटिंग आधारित फसल बीमा है, इसमें कम्पनी द्वारा तहसील मुख्यालय पर यंत्र लगाये गये हैं। हम लोग मांग करते हैं कि इसको पंचायत मुख्यालय पर लगाया जाए ताकि किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसका मैं समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

राज्यपाल महोदय के इस 58 पृष्ठीय अभिभाषण में सरकार ने कानून-व्यवस्था, रोजगार के पर्याप्त अवसर और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रदेश के समग्र विकास की बात कही है।

सभापति महोदय, सवा साल के अन्दर, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आयी थी तो सबसे पहले एक ही बात राजस्थान के अन्दर सुराज संकल्प यात्रा के दौरान इनकी मुखिया ने और इनके नेताओं ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आयी तो 15 लाख लोगों को राजस्थान के अन्दर रोजगार दिया जाएगा; संविदा पर लगे हुए राजस्थान में जितने भी संविदाकर्मी हैं चाहे वे विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर, प्रबोधक, नरेगा के संविदाकर्मी, एन आर एच एम के संविदाकर्मी हैं, उन सबको हम नियमित करेंगे। इसी बात को लेकर राजस्थान के जवानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इकतरफा मतदान किया और 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतीं। लेकिन सवा साल के अन्दर, सभापति महोदय, रोजगार का एक भी साधन इस राजस्थान में नहीं दिया गया। और तो और, जो नरेगा के अन्दर दैनिक मजदूरी करके लोग अपना पेट पालन करते हैं, उस नरेगा योजना को भी बंद करने के लिए कई बार बात आयी कि नरेगा को क्यों न बंद कर दिया जाय। अभी तो ठीक रहा कि नरेगा को बंद नहीं किया गया।

राजस्थान के अन्दर बेरोजगारी की समस्या से तंग आकर करीब दो दर्जन राजस्थान के जवानों ने आत्महत्या कर ली। सभापति महोदय, इससे बड़ी बात क्या होगी कि आजादी के 60 साल बाद भी, कोई भी सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, हमेशा नौजवान और किसान की बात चुनाव के पहले की जाती है और चुनाव के बाद

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जब सत्ता सम्भाल लेते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई होता है तो इस देश व प्रदेश का जवान व किसान सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है। आज 15 लाख रोजगार के हिसाब से माना जाय तो सवा साल में 3,69,858 नौकरियां राजस्थान में मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है, राजस्थान में एक नौकरी नहीं मिली।

आज उद्योग मैदान में आप देख लीजिए, यहां भी जो भी स्थगन और पर्ची लगती है, सत्ता पक्ष के विधायक तो अपनी बात नहीं रख सकते क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो मंत्री बन जाएंगे, लेकिन जब इलाके में जाएंगे तो पता लगेगा कि क्या स्थिति रहेगी वापस। यहां लोग उनको उनकी बात कहने के लिए चुनकर भेजते हैं और चुनाव के दौरान तो सब लोग कहते हैं कि एक बार मुझे विधान सभा में भेज दो, फिर मैं मुद्दे उठा लूंगा, पर यहां देखते हैं कि कितने मुद्दे उठते हैं। घर पर जाकर उठा लो चाहे मुद्दा, पर यहां तो मौका भी नहीं मिलता। हमारे जैसे लोग तो बोलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अलग टाइम मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी को अलग टाइम मिल जाता है और निर्दलीयों का टाइम भी आप लोग उन निर्दलीयों को देते हैं जो सरकार के पक्ष में बोलें। हमारे जैसे लोगों का जो बोलने का अधिकार है, इसको भी मारने का पूरा प्रयास आप लोग कर रहे हों। सभापति महोदय, यह गलत परम्परा इस राजस्थान की विधान सभा में पड़ जाएगी। आप हमें इस तरह से नहीं बोलने दोगे तो फिर दूसरा रास्ता हम भी वही जानते हैं जो हमारा बोलने का रास्ता है और उस रास्ते पर हम लोग जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं कालेज, विश्वविद्यालय की राजनीति से विधान सभा में आया हूं, इसलिए राजस्थान के जवान के हित की हमेशा बात की है। इस प्रदेश को अगर बचाना है तो राजस्थान के अन्दर जवानों को रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा सरकार को देने होंगे। सरकार की अगर नीयत साफ हो तो प्रत्येक साल पांच लाख नौकरियों पर सरकार लगा सकती है। हमारे शिक्षा मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, गलती से मैं भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आ गया था, तब रोज यहां वेल में एक ही बात करते थे कि नौकरियां दो। कालीचरणजी हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं और छात्र राजनीति से आये हैं, तब एक बात विपक्ष में जरूर ये कहते थे और सवा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

साल में मैंने इनके मुंह से एक बार भी नहीं सुना कि ये कौनसी शिक्षा को ठीक करेंगे, कौन से रोजगार के साधन देंगे।

सभापति महोदय, यह राजस्थान की जनता सारी बातें देख रही है और इसी का परिणाम था कि दिल्ली के अन्दर दोनों पार्टियों को घर पर बिठा कर थर्ड पार्टी दिल्ली में आई। राजस्थान में भी थर्ड पार्टी आएगी तभी राजस्थान का भला होगा, यह मैं आपको बता देता हूं। इसमें समय लग सकता है लेकिन आप इसमें चिंता नहीं करें, कुछ इधर से आएंगे, कुछ हम लोग हैं, कुछ इधर से भी आ जाएंगे, जो बैठे हैं। आगे आने वाला जो 2018 का चुनाव है, उसमें हम तो इसी दिशा में प्रयास करेंगे कि राजस्थान में जब तक तीसरी ताकत उभर कर नहीं आएगी, तब तक राजस्थान के किसान का भला नहीं हो सकता, राजस्थान के जवान का भला नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से आया हूं और अभी पिछले दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में गया तो पाया, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान की राजनीति में राजस्थान विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इस राजस्थान का है, वहां पर कुलपति का पद कई दिनों से खाली है और सम्भागीय आयुक्त पद के अधिकारी को कुलपति का चार्ज दे दिया गया है। सभापति महोदय, मंत्री अगर राजनीति करे या और कोई काम करे तो पूरा प्रदेश होता है, पर इस राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में हमारे मंत्री उलझे रहते हैं कि यहां पर हमारी चलनी चाहिए और यहां पर ऐसे लोगों को चार्ज दिला दो ताकि हमारे टेलीफोन पर किसी को एम.बी.ए. करवा दें, किसी का एम.सी.ए. में एडमिशन करवा दें और हमारा सिक्का यहां पर कैसे चले। सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति हो।

राजस्थान विश्वविद्यालय में लाखों छात्र हैं। आपका शेखावाटी विश्वविद्यालय अभी चालू नहीं हुआ है। सरकार ने शेखावाटी विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, पिछले बजट में भी शेखावाटी विश्वविद्यालय को चालू करने की बात की थी लेकिन आज शेखावाटी विश्वविद्यालय जस का तस पड़ा है, न तो वहां पर बिल्डिंग की व्यवस्था हुई और जिसको वहां पर ओ एस डी और वाइस-चांसलर के रूप में लगा रखा है, मुझे नहीं लगता कि उनके बैठने के लिए कोई आफिस भी होगा। अभी तो वहां नया निर्माण किसी एक कमरे का भी नहीं हुआ है, शेखावाटी विश्वविद्यालय के अन्दर। शेखावाटी क्षेत्र के सारे लड़के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजस्थान विश्वविद्यालय में आते हैं। तो लाखों छात्र इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर अध्ययन करते हैं। एक पीड़ा उन लोगों की थी कि हमारे से आनलाइन फार्म भरवाये गये, चाहे वे रेगुलर या प्राइवेट छात्र थे, उनसे एक हजार रुपये इस बात के अलग सरकार और विश्वविद्यालय वसूल रहे हैं कि अगर आपने फार्म में कोई गलती कर दी तो उस गलती को सुधारने के नाम पर एक हजार रुपये दो और अपनी गलती सुधार दो। यह कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है! शिक्षा मंत्रीजी, आप इस ओर ध्यान दीजिये, आप इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हुए हैं, इस मामले में आप निश्चित रूप से जांच करायें कि वह पैसा कहां जा रहा है।

हमेशा विश्वविद्यालय पैसे की दुहाई देता रहता है, यू.जी.सी. की ओर देखता है, सरकार की ओर देखता है। पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का कितना बड़ा मान-सम्मान होता था, पर आजकल देखते हैं कि कुलपति शिक्षा मंत्री के घर पर धक्के खाता रहता है। (व्यवधान) मैं इनका नहीं कह रहा हूं, आपका नहीं कह रहा हूं, पर जो भी होता है। इनके यहां धक्के खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोन पर ही बता देते हैं सारे काम। (व्यवधान) सभापति महोदय, इस राजस्थान विश्वविद्यालय सहित राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय, कालेज हैं, जो भी आटोनामस और स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय हैं, इनके अन्दर सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, इनको काम करने दिया जाए। सरकार अगर बार-बार हस्तक्षेप करेगी तो मुझे नहीं लगता कि विश्वविद्यालय सही दिशा में चलेंगे।

जोधपुर विश्वविद्यालय में पिछली सरकार में भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ था, तब आप सारी बात करते थे, लेकिन क्या हो गया? कौनसी जांच हो गई? वह जस की तस है। इस राजस्थान विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसरों और कर्मचारियों की भर्ती में बहुत बड़ा घपला हुआ..

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उस जोधपुर वाले के वारंट निकल गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भिण्डाजी, आपको कुलपति बनाये, मजा आये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): भिण्डाजी का आप समर्थन कर रहे हों? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जो विश्वविद्यालयों की राजस्थान में दुर्दशा है, उसकी ओर शिक्षा मंत्रीजी ध्यान देंगे और विश्वविद्यालयों को ठीक दिशा में ले जाएंगे।

आज विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव पूर्ववर्ती सरकार ने चालू कराये थे, वे चुनाव चुनाव नहीं हैं, शिक्षा मंत्रीजी, वह तो आप लोग फार्मेलिटी कर रहे हो। आप चाहते ही नहीं कि राजस्थान की इन संस्थाओं से निकल के कोई नेता देश के और प्रदेश के शीर्ष पद पर जाएं। आपने उसमें कर दिया कि किसी का सब्जेक्ट ड्यू रह गया तो वह चुनाव नहीं लड़ पायेगा, किसी पर एक मुकदमा दर्ज हो गया तो वह चुनाव नहीं लड़ पायेगा। अब आप यह बताओ कि मुकदमे तो जो भी नेतागीरी करेगा, उसके खिलाफ दर्ज होगा और हर जगह एफ आई आर में पहला नाम उसका ही लिखा जाएगा कि उसका नाम लिख दो ताकि अपने आप उलझ जाएगा। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह लिंगदोह कमेटी के आधार पर जो छात्र संघों के चुनाव करवा रहे हो तो आप इस दिशा में नया कोई लेकर सिस्टम सुधारें और इसमें राजस्थान की सरकार परिपत्र जारी करे क्योंकि सबसे ज्यादा जवानों ने आपको वोट दिये हैं। यदि आप जवानों के लिए कोई काम नहीं करोगे तो चुनाव तो वापस आ जाएंगे, तीन साल निकल जाएंगे और फिर आपके पास कोई मुद्दा भी नहीं रहेगा। इसलिए विश्वविद्यालय, कालेज और शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और अच्छी शिक्षा देने की बात राजस्थान में हमेशा कहते रहे हो, चाहे बजट हो या गर्वनर का अभिभाषण, तो अच्छी शिक्षा आपको राजस्थान के लोगों को देनी है।

सभापति महोदय, सड़कों के सम्बन्ध में निवेदन है, 70 हजार करोड़ रुपये की सड़कों की बात थी कि पी पी पी मोड पर 70 हजार करोड़ रुपये इकट्ठा करके राजस्थान में 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनायेंगे जिसमें 50 हजार करोड़ रुपये राजस्थान की जनता से वसूलेंगे। जब राजस्थान की जनता से वसूलोगे तो फिर आप किस चीज के फीते वहां पर जाकर काटोगे? राजस्थान की जनता को आप सड़क दे नहीं सकते, पानी की व्यवस्था कर नहीं सकते, शिक्षा की व्यवस्था कर नहीं सकते, कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, स्वाइन फ्लू से हजारों मौतें हो रही हैं और कोई सिस्टम नहीं है। हो गई मौत, वायरस फैल गया, इतना कहने से आपका जनता पीछा छोड़ने वाली नहीं है।

आप इस गलतफहमी में नहीं रहें कि 163 आ गये। 163 आप इसलिए आये थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने, मुखिया ने भी सारी भर्तियां हाई कोर्ट और

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सुप्रीम कोर्ट में अटकायी थीं। इनकी गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने राजस्थान में वोट दिया था। अब आप गलतियां करोगे तो मुझे लग रहा है कि इस बार इनको मौका नहीं मिलेगा, फिर हमें मौका मिलेगा राजस्थान में और इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सभापति महोदय, आप हंस रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आपका खयाल बहुत अच्छा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय की कृपा मेरे पर बहुत रही है क्योंकि मैं इनके साथ पहले रहा हूं और इसलिए विशेष मौका भी मुझे मिला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमें मिलेगा, तो पहले अमरारामजी भी यही कहते थे और सदन से ही गायब हो गये। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप तो अपना ध्यान रखना। हम तो गायब भी हो जाएंगे तो बाहर सड़क पर लड़ लेंगे।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, तब हमेशा एक बात करती थी कि विशेष राज्य का दर्जा इस राजस्थान को मिले। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और भौगोलिक दृष्टि से यहां बहुत बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, चम्बल के बीहड़ हैं, आदिवासी वन क्षेत्र है और राजस्थान की बहुत बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो, सभापति महोदय, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, यहां पेयजल के लिए, रोजगार के लिए, आभारभूत ढांचे के संरक्षण के लिए, सड़कें बनाने के लिए, और विकसित राजस्थान का सपना आप रोज राजस्थान के लोगों को दिखा रहे हों, तो इस सपने की पूर्ति के लिए, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, कड़ी से कड़ी हिन्दुस्तान और राजस्थान के लोगों ने जोड़ दी, तो आप इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलायें। इस दिशा में सरकार अगर काम करेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान का भला होगा।

सभापति महोदय, आज एक बहुत बड़ी बात बिजली के मामले में सरकार ने कहीं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया। आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): समय तो अब चालू हुआ है, साहब। दो मिनट में।

श्री सभापति: एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आप हमें अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर इस राजस्थान को आगे लेकर कौन चलेगा? यह तो बताओ। इसलिए हमें थोड़ा समय दिया करो। (व्यवधान)

सभापति महोदय, बिजली के मामले में सरकार ने सत्ता में आने से पहले एक बात कही थी कि 8 घंटे हम कृषि कार्यों के लिए बिजली देंगे और 24 घंटे सिंगल फेज बिजली मिलेगी। दुर्भाग्य से, राजस्थान के अन्दर, मैं उस इलाके से आता हूं, खींवसर मेरा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा किसान धरती का सीना चीरकर 1,200-1,400 फीट नीचे से पानी निकाल कर मारवाड़ में अन्न उत्पादन करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। हमारा कोई नहरी इलाका नहीं है। वहां लोग सिर्फ ट्यूबवैल और खेती पर निर्भर हैं। सभापति महोदय, आठ घंटे एक बार भी बिजली नहीं मिली। छह घंटे-साढ़े छह घंटे बिजली जरूर इस बार मिली है। पिछला पूरा सीजन आप लोग खा गये यह कहते-कहते कि दो महीने बाद बिजली बढ़ायेंगे, एक महीने बाद बिजली बढ़ायेंगे। 24 घंटों के नाम पर राजस्थान में कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं मिली।

सवा साल के अन्दर, बजट के अन्दर आपने बात की थी कि डार्क जोन इलाकों को हटा देंगे, बूंद-बूंद सिंचाई वाले कनेक्शन कर देंगे, लेकिन कौनसा हुआ, यह बताओ तो सही एक भी। सबसे ज्यादा हम तकलीफ के अन्दर हैं, हमें पता होना चाहिये। एक भी ढाणी को राजस्थान के अन्दर आपने नहीं जोड़ा। पूर्ववर्ती सरकार के समय ढाणियां जुड़ी थीं, दिल्ली से भी कई योजनाएं आती थीं। हम हमारे एम एल ए लैड से जरूर ढाणियां जुड़वाने का प्रयास करते हैं। उसमें भी आप लोग तय करते हो कि एम एल ए लैड के अन्दर उन एम एल ए के काम होने चाहिये, जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं, या सरकार के विधायक हैं। हमें तो उसमें भी तकलीफ सहनी पड़ती है।

सभापति महोदय, बिजली की दरें एक रुपया बढ़ा दीं। पूरे राजस्थान का किसान आन्दोलन कर रहा है और किसान के साथ-साथ पूरे राजस्थान का

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जवान भी आन्दोलन करेगा इस राजस्थान के अन्दर बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस लेने के लिए।

सरकार को चाहिये, फीडर सुधार का कार्यक्रम पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में चला था...

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें। आपको पूरा वक्त दिया गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...और 8,000 करोड़ रुपये फीडर सुधार के नाम पर खर्च हुए। वे पैसे कहां गये? फीडर सुधार का कार्यक्रम राजस्थान में कहीं नहीं चला। हां, आपके पूर्व मंत्री और आर.जी. गुप्ता का जो झगड़ा हुआ था, उसमें मंत्री को जरूर हटा दिया गया।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह झगड़ा क्यों हुआ, पूरा राजस्थान जानता है। कितना बड़ा घोटाला फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्दर राजस्थान में हुआ है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें, मैंने अगला नाम पुकार दिया है। मैंने अगला नाम पुकार दिया है, आप बैठें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, कानून-व्यवस्था के नाम पर मैं कहना चाहता हूं कि कानून-वयवस्था की कोई स्थिति ठीक नहीं है। आपके पी डब्ल्यू डी मंत्री...

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा अब। अब आपका अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपकी आभारी हूं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बैठे। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): धन्यवाद, खींवसर से आने वाले विधायक महोदय।

सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार के...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, एक मंत्री पर गम्भीर आरोप लगे हैं। सरकार यहां पर बैठी है।

श्री सभापति: वह अंकित नहीं हुआ। जब मना कर दिया, उसके बाद बोले हैं ये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इनका अंकित हो, तब ही आप जवाब दोगे? अंकित नहीं होगा, तब जवाब नहीं दोगे?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, यह परम्परा है, कानून है। अंकित नहीं होगा, उसकी कोई गिनती नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अच्छा, ठीक है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभारी हूं।

सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार की दशा, दिशा और गति को बताने वाला होता है और वह यह बताता है कि सरकार की भविष्य की क्या योजनाएं हैं। हमारे इस अभिभाषण के द्वारा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने यथार्थ का जो धरातल है, उस पर विकास की आधारशिला रखी है।

मैं विस्तारपूर्वक कुछ बातें बताऊं, उससे पहले यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि किसी भी सरकार का एक वर्ष, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है पहले वर्ष में, एक वर्ष उसको शाबासी देने के लिए तो ठीक है लेकिन उसको कठघरे में खड़ा करने के लिए या उसकी आलोचना करने के हिसाब से किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। विपक्ष के सदस्य बार-बार कह रहे थे कि यह कार्य नहीं हुआ, वह कार्य नहीं हुआ, तो मैं बताना चाहूंगी कि फरवरी में हमने वोट-आन-एकाउंट लिया था, उसके बाद जुलाई में बजट आया, उसके बाद लोक सभा चुनाव की आचार संहिता हो गई, लोक सभा चुनाव डिक्लेयर हो गये, उसके बाद निकायों के चुनाव हुए और फिर पंचायत चुनाव हुए। टोटल समय हमारी सरकार को 167 दिन ही मिला और इन 167 दिनों में प्रशासन को कार्य

(श्रीमती अलका सिंह)

करने की आदत डालना और प्रशासन को कसने का मौका हमारी सरकार को नहीं मिला। प्रशासन ज्यादातर चुनाव में ही लगा रहा। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि पांच वर्ष की घोषणाओं का हिसाब एक वर्ष में लेना, किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता और न ही यह जिम्मेदार प्रतिपक्ष की परिपक्वता का परिचायक हो सकता है। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह जब इनकी सरकार का एक वर्ष पूर्ण हुआ था, तब इनके तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने कहा था। मैं उद्धृत करना चाहूंगी उसको, ''हमारा बजट जुलाई में पेश हुआ, इसलिए टाइम बहुत कम मिला। पांच-छह महीने मुश्किल से मिले हैं। इसलिए यह कमी रही है।''

तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब ये सत्ता में होते हैं तो इनका स्वर दूसरा होता है और जब ये विपक्ष में होते हैं तो इनका सुर दूसरा होता है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इनकी क्रेडिबिलिटी खतम हो गई हैं। इनके अलग-अलग तरह के सुर निकलते हैं और यही कारण है कि राजस्थान की जनता ने इनको एक बार नहीं, बार-बार नकारा है। आपने देखा, जब विधान सभा के चुनाव हुए, उस समय ये नकारे गये। लोक सभा का चुनाव हुआ, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतीं। 1977 में एक सीट तो लेकर आये थे, उससे भी बुरी हालत इनकी हो गई। निकाय चुनाव आये, 46 में से 41 निकाय भाजपा ने जीते। फिर पंचायत चुनाव आ गये और पंचायत चुनाव में इनके अध्यक्ष महोदय, इनके पूर्व मुख्य मंत्री महोदय, इनके जो प्रभारी महोदय आये थे, उन्होंने अखबार रंग दिये कि कांग्रेस गांवों में बसती है; अब आप देखियेगा, कांग्रेस क्या हालत करती है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उप चुनाव का नाम कैसे नहीं लिया? उप चुनाव का नाम नहीं लिया।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उप चुनावों पर भी आ रही हूं। बैठिये आप। अभी बोलती हूं।

गांवों में कांग्रेस बसती है। ये बातें इन लोगों ने कहीं। यह कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं है कि जब भी हमारी सरकार आती है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। आपका प्रधान नहीं बना बांदीकुई में।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): बांदीकुई की चिंता आप मत करिये। उसका ध्यान है मुझे।

(श्रीमती अलका सिंह)

जब पंचायत के चुनाव आये थे, उस समय मुझे यह कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि हमेशा प्रधान और पंचायत या प्रमुख हम लोग बना लिया करते थे, जब भी हम राज में होते थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कभी भी भारतीय जनता पार्टी का आज से पहले कांग्रेस से ज्यादा नहीं रहा था, लेकिन मैं कोट करना चाहूंगी कि अब की बार गांवों की सरकार में भी इनकी बुहत बुरी हालत हुई। हमें 2015 में 45.89 प्रतिशत वोट मिला है और कांग्रेस को मिला है 42.50 प्रतिशत। मतलब, गांव लोगों ने भी इनको नकार दिया है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि इनका सूपड़ा ही साफ हो गया है और पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अब यह जनता का फैसला है, उसको भी नकार रहे हैं। अब मैं यह इनके ऊपर ही छोड़ती हूं कि ये निश्चित करें कि जनता सही है या फिर विधान सभा में बैठकर ये लोग जो असत्य प्रवचन कर रहे हैं, वह सही है।

सभापति महोदय, कोई भी सरकार विकास तभी करवा सकती है, जब उसका बजटीय संतुलन ठीक हो, उसकी आर्थिक सेहत ठीक हो, उसके पास संसाधन हों और उसकी मुखिया के पास विकास का विजन हो। हमारी सरकार विकास के विजन को लेकर आई है। मैं थोड़ा-सा बताना चाहूंगी कि जब हमने इन लोगों से सत्ता ली थी तो राजकोषीय घाटा 2,500 करोड़ रुपये था, सरकार पर कर्जा था 2.10 लाख करोड़ रुपये; जब हम 2003-04 में आये थे, तब 3,424 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा था, 2008 में जब हम छोड़कर गये थे तो 1,693 करोड़ हम लोग सरप्लस देकर गये थे। वापस 2013 में वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण राजकोषीय घाटा 2,500 करोड़ रुपये हो गया। फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताना चाहूंगी, 2003-04 में छह प्रतिशत था, जब इन्होंने हम लोगों को सत्ता सौंपी थी; 2007-08 में 1.7 प्रतिशत हो गया, जो कि एक आदर्श स्थिति थी लेकिन 2013 में फिर 3.52 प्रतिशत, क्रिटिकल स्थिति में इन्होंने ला दिया। गरीबी उन्मूलन के लिए भी हम 850 करोड़ रुपये छोड़कर गये थे, वह भी इन लोगों ने पूरे के पूरे खर्च कर दिये और गरीबी जस की तस है।

बिजली के बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है और बिजली कम्पनियों की जो स्थिति है, उसके बारे में हमारे माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य आ चुका है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलकर यही कहना चाहूंगी कि ये अपनी

(श्रीमती अलका सिंह)

गिरीबान में झांककर देखें कि इस कुप्रबन्ध, इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। (व्यवधान) आपको कह रहे हैं, आपको, क्योंकि बिजली कम्पनियों की हालत आप लोगों की वजह से ही हुई है। हमारी सरकार के पास, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के पास एक ही आप्शन था कि या तो वे इस सिस्टम को क्रेश हो जाने दें या इसको सुधारने का प्रयास करें। हमने इसको सुधारने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से स्थिति को हम सुधार लेंगे।

आगे मैं बताना चाहूंगी कि प्रदेश की कुल आय है 55,594 करोड़ रुपये, इसमें से वेतन जाता है 34,257 करोड़ रुपये, पेंशन है 9,038 करोड़ रुपये और ब्याज में खर्च होता है 10,470 करोड़। यह खर्च आय का 97 परसेंट है। आज स्थिति यह है कि हमारे पास केवल 3 परसेंट बचा विकास के लिए, रोजगार के लिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): इसलिए हमारी सरकार ने स्किल डवलपमेंट को मिशन लाइवलीहुड के साथ जोड़ा ताकि युवाओं का स्किल डवलपमेंट हो सके।

हमारी सरकार ने निवेश नीति 2014 बनाई, क्योंकि हमारा मानना है कि निवेश होगा तो रोजगार होगा। इसलिए 3 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है1 नवम्बर, 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। डिटेल में अभी तक जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, उनकी लिस्ट

(श्रीमती अलका सिंह)

माननीय मदनजी राठौड़ अभी यहां दे चुके हैं। तो मैं तो सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि काफी ज्यादा निवेश हमारे यहां हो चुका है। अभी-अभी सोलर ऊर्जा में अडाणी ग्रुप ने निवेश किया है 40 हजार करोड़ का और पांच वर्षों में 5 हजार मेगावाट पर यीअर सोलर ऊर्जा का उत्पादन हमारे यहां होगा।

ग्रामीण गौरव पथ की बात यहां हुई थी कि 20 हजार किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ बनेंगे। मलेशिया सरकार ने इन्वेस्टमेंट की उसमें हामी भरी है, 10 हजार किलोमीटर मलेशिया सरकार के द्वारा बनेंगे।

हमारी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर हमारे केन्द्रीय मंत्री यहां आये थे और वे सौगातों का पिटारा लेकर आये थे, इनके समय में जब कांग्रेस की सरकार केन्द्र थी, तब ये बार-बार जाते थे और खाली हाथ आते थे, लेकिन मंत्री महोदय यहां आयें और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान सैटेलाइट पोर्ट रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। सड़क पर एक वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। ऐसे ही हमारे केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, श्री पीयूषजी गोयल ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति के अन्तर्गत हर गांव और ढाणी में बिजली पंहुचाने के लिए 12 हजार करोड़ की योजना की घोषणा की, जिसमें 5 हजार करोड़ केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय देगा और 5 हजार करोड़ रुपये कर्जे के रूप में मिलेंगे और सिर्फ बीस परसेंट, राज्य सरकार 2 हजार करोड़ देगी। इसके अलावा, स्कूलों में 4,900 के लगभग शौचालयों के निर्माण की घोषणा केन्द्रीय मंत्री ने की है।

अक्षय ऊर्जा पर हमें बेस्ट परफोर्मेंस का अवार्ड माननीय नरेन्द्र मोदीजी के द्वारा मिला है।

इसी तरह, चुनाव घोषणा के हिसाब से रिवर बेसिन अथोरिटी का हमने गठन किया। राजस्थान में भी नदियों को जोड़ने की एक योजना हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने आरम्भ की है।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल बनाया और ई-मित्र कियोस्क जो है, वह 40 के बजाय 160 काम उनके मार्फत होने लगे। करीब बीस लाख रुपये का लेन-देन प्रतिदिन ई-मित्र कियोस्क से होता है।

अधीनस्थ मंत्रालय चयन बोर्ड का गठन किया।

हमारी सबसे बड़ी घोषणा जो बजट में की गई थी, गो-पालन विभाग बनाने की, क्योंकि गाय का बहुत उच्च स्थान है हमारी भारतीय संस्कृति में, तो गौ-पालन विभाग बनाया गया।

(श्रीमती अलका सिंह)

सबसे यूनिक नीति जो हमारी सरकार ने अपनाई, जो केन्द्रीय सरकार, मतलब, पूरे हिन्दुस्तान में पहली बार अपनाई गई, वह है आयुष नीति। यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक और योग, सबकी गुणात्मकता का विकास करके, गुणात्मकता में सुधार कर, उसके चरणबद्ध विकास की योजना हमारी सरकार ने बनाई है ताकि इन विधाओं को पुनर्जीवित किया जा सके, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिले और सस्ती और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध हो सके।

स्वाइन फ्लू के बारे में बताना चाहूंगी, काफी शोर किया था प्रतिपक्ष के लोगों ने और मास्क लगाकर उस दिन आये थे, एक बार तो लगा कि बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ेगा, सभापति महोदय, मास्क लगाकर तो ये आयें लेकिन फोटो खिंच जाने के बाद जब ये बाहर गये तो इन्होंने मास्क जहां-तहां फेंक दिये। जो हमारे राष्ट्र पिता हैं, गांधीजी का सिद्धांत स्वच्छता का है, उसको भी ये लोग भूल गये जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वाइन फ्लू का, उस पर हमारे माननीय मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो उसका वाक-आउट ये लोग करके चले गये। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि जनता सब देख रही है, इस सीरियस मैटर पर इस तरह की राजनीति करना उचित नहीं है।

अब मैं मुफ्त दवा योजना के बारे में बताना चाहूंगी। मुफ्त दवा योजना के बारे में भी...

श्री सभापति: माननीया सदस्य, आपका समय अब समाप्त हो चुका है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): एक मिनट, सभापति महोदय। काफी शोर इन्होंने किया था। तो मैं बताना चाहूंगी कि मुफ्त दवा योजना का बजट कांग्रेस की सरकार के समय था 250 करोड़ रुपये, हमारी सरकार ने इस बजट को 298 करोड़ कर दिया है। योजना बंद नहीं है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाई गई है। जिन दवाओं को बन्द करने के लिए ये कह रहे थे, जो अप-टू-द-मार्क नहीं थीं, वे ही दवाइयां बंद की गई हैं।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी इन लोगों को कि 53 साल राज करने वाले लोग राज्य को कुछ भी नहीं दे सके तो उनको एक वर्ष का हिसाब मांगने का कोई नैतिक आधार नहीं है।

(श्रीमती अलका सिंह)

यह वर्ष राजस्थान के नव-निर्माण और सुराज की आधारशिला रखने का वर्ष है। चार लाइनों में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी:-

परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीं है, यह उनके फैले हुए पंख बोलते हैं,
वो ही तय करते हैं मुश्किल राहें, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार द्वारा बिजली के लिए जो कदम उठाये गये हैं, वे वास्तव में सराहनीय कदम इस सरकार ने उठाये हैं। पिछली बार जब माननीया मुख्य मंत्री जब 2003 से 2008 में थीं, तो एफ आर पी लागू कर, इन्होंने जिस प्रकार का जाल बिजली का फैला हुआ था, उसको सुधारने का प्रयास किया। गांवों में सिंगल फेज के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और जो एग्रीकल्चर के एक ही ट्रांसफार्मर पर बहुत सारे काश्तकार हुआ करते थे, दो-दो काश्तकार के बीच में या सिंगल काश्तकार के बीच में ट्रांसफार्मर देने का प्रयास किया।

इस बार माननीया मुख्य मंत्रीजी ने लम्बे समय से जो लाइनें बिछी हुई हैं, जो बार-बार टूट जाती हैं और उससे बहुत-सी बार एक्सिडेंट भी होता है, जन हानि भी जिससे होती है, उसके लिए भी एक बार सर्वे कराकर प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा कि सारी लाइनें जो बरसों पुरानी हैं उनको वापस नये सिरे से बिछाया जाए। ताकि बिजली की छीजत को रोका जा सके और एक्सिडेंट भी रोके जा सकें।

बिजली के उत्पादन में भी जो प्रयास इस सरकार द्वारा, या पूर्व में जब सरकार रही, वह किया है, वह वास्तव में सराहनीय है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, चाहे छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे कालीसिंध हो, बिजली के लिए उत्पादन के लिए आज हाड़ौती में जिस प्रकार का उत्पादन का प्रयास किया है, वह माननीया वर्तमान मुख्य मंत्रीजी वसुंधरा राजेजी ने किया है।

इस सरकार ने, जिस प्रकार से पिछली सरकार में किसानों को एग्रीकल्चर के लिए रात को बिजली मिलती थी, इस सरकार ने इस बार किसानों को कड़ाके की जो सर्दी थी उसमें दिन में बिजली देने का प्रयास किया

(श्री नरेन्द्र नागर)

है और साथ ही 18 घंटे सिंगल फेज बिजली देने का प्रयास किया है। सरकार का यह बहुत सराहनीय कदम है।

पानी के लिए जिस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है, जहां-जहां फ्लोराइडयुक्त पानी है, उनके लिए स्कीम बनाई जा रही हैं। मैं झालावाड़ जिले के लिए विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार झालावाड़ जिले को जो सौगात दी हैं, पिछली बार आपने छापी ने लगभग 200 गांवों को जोड़ा, जहां वास्तव में पानी का बहुत अभाव था और चाहते हुए सरकार, उसके बाद भी पानी उपलब्ध नहीं करा पाती थी, या पानी उपलब्ध होता था तो वह फ्लोराइडयुक्त होता था, आज वास्तव में आम जनता को इससे फायदा मिला है। बाकी गांव जो रहे हैं, उनके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि बाकी गांव भी इस पेयजल स्कीम से जुडे।

पिछले पांच साल में कोई एक भी योजना नहीं बनी। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जो बाकी गांव पेयजल से छूट गये थे, उनके लिए पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की और वह घोषणा केवल कागजों पर ही रही। उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद जब हमने देखा तो लगा कि कोई स्कीम सैंक्शंड नहीं है। पिछली सरकार साढ़े चार साल तक सोती रही। छह महीने में जो घोषणाएं इस सरकार ने कीं, वह वास्तव में कहीं पर भी, किसी भी मंच पर सरकार गई और वहां की जनता ने जो भी मांगा, वह निश्चित रूप से हमारी सरकार ने दिया है।

माननीय सभापति महोदय, सड़क के बारे में भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछली बार 250 से 500 की आबादी वाली जो सड़कें वास्तव में जुड़नी चाहिए थीं, सड़कों के मामले में पिछली बार, बार-बार हमने मुद्दा उठाया कि ये 250 से 500 की आबादी, जिनकी आबादी 490, 480, 470 तक है, वे सड़कें जुड़नी चाहिए। वे सड़कें जुड़ इसलिए नहीं पाईं कि वे केवल टेण्डर प्रोसेस में उलझी रहीं। पर जो भी अभाव थे, या कुछ भी था, सरकार से सैंक्शन होना

(17.00 बजे)

चाहिए और मौके पर काम चलना चाहिए। सरकार आने के बाद अभी दुबारा टेण्डर हुए हैं और सारी सड़कें जो मुश्किल से पचास की आबादी के आसपास अटकी हुई थीं, लगभग दस-पन्द्रह सड़कों का, माननीय सभापति महोदय, अभी काम चल रहा है। वास्तव में लग रहा है कि राजस्थान में सरकार आयी है, जिसकी काम करने की मंशा है।

(श्री नरेन्द्र नागर)

शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार राजस्थान की जब 2003 से 2008 में थी तो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हर गांव में सैकंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की और आज वह सैकंडरी स्कूल अभी वर्तमान में सरकार ने सीनियर स्कूल की घोषणा की है और साथ ही, पंचायत राज में शिक्षा को भी लागू किया है। उससे वास्तव में लग रहा है कि मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर जब दसवीं का आपका स्कूल है और अभी जब सीनियर स्कूल आपने खोला है, तो हर वहां के बालक और बालिका को शिक्षा मिलनी चाहिए वह पढ़ा–लिखा होगा। इससे, वास्तव में, आज जो दूसरे लोगों ने देखा है कि मेरे को मौका नहीं मिल रहा है चुनाव में लड़ने का, तो उसके मन में भी कहीं न कहीं पीड़ा हुई है, दर्द हुआ है कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा; आज मैं पढ़ा-लिखा होता तो आज में चुनाव लड़ता।

आज एक नई जनरेशन, माननीय सभापति महोदय, जो वास्तव में आई है, लगभग इक्कीस से तीस के बीच में जो जन-प्रतिनिधि बन कर आये हैं, जब मैं पिछली बार जिला परिषद की बैठक में था तो मैं खुद सोच रहा था कि नयी जनरेशन आयी है, ये क्या अपनी बात रखेंगे, पर पिछली मीटिंग्स में मुझे जाने का अवसर मिला और अभी मीटिंग में जाने का अवसर मिला तो वास्तव में लगा कि नयी जनरेशन जो आयी है, इनके मन में वास्तव में सोच है, कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। यह शिक्षा के रूप में जो लागू किया है, इससे वास्तव में नये जन-प्रतिनिधि आये हैं।

मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की कृषि की दुर्दशा हुई है, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने अभी मृदा परीक्षण केन्द्र का जो शुभारम्भ किया है, वास्तव में किसानों को किस प्रकार की आवश्यकता है; जमीन का यदि वे सोइल परीक्षण कराएंगे तो उसको वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है और क्या कमी है, उसके अनुरूप यदि वह फसल बोता है तो वास्तव में किसान को लाभ मिलेगा।

आज किस प्रकार का खर्चा वास्तव में किसानों पर बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदा भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, मैं मान रहा हूं, पिछले दो-तीन साल से जिस प्रकार की स्थिति खरीफ की फसल खराब होती जा रही है और रबी की फसल इस बार और पिछली बार भी खराब हुई। माननीय सभापति महोदय, इस बार लग रहा था कि धनिये की फसल तो खराब हो ही चुकी है,

(श्री नरेन्द्र नागर)

कहीं न कहीं गेहूं से अपन उसकी पूर्ति कर पाएंगे, पर यह जो अतिवृष्टि जो हुई है और तेज हवा जो चली है, उससे भी सारा फसल का खराबा हो गया। तो किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा और कितने ही खर्चे होने के बाद, कहीं न कहीं यदि मिट्टी की जांच यदि काश्तकार कराएगा और उसको कौनसी फसल बोने से लाभ है, तो उसका फायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा।

भामाशाह योजना के माध्यम से सरकार ने उन महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए जोड़ने का जो प्रयास किया है, वास्तव में वे आत्मनिर्भर होंगी। अपने पैरों पर निश्चित रूप से महिलाएं खड़ी होंगी। जिस प्रकार की भीड़ वास्तव में शिविरों में पड़ रही है, माननीया मुख्य मंत्रीजी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से साल भर में, जो पिछली सरकार ने गति रोकी थी, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। आगे आने वाले जो चार साल होंगे, राजस्थान के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज तीसरा दिन है, महामहिम राज्यपाल के भाषण का गुणगान कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने यह महसूस नहीं किया है कि दुबारा यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा। यह किसी ने नहीं सोचा है। सबका एक सोच है कि मुख्य मंत्री खुश कैसे रहें, मंत्रीजी से ट्रांसफर कराने की भावना कैसे बढ़े, ये गीत गा रहे हैं। दुबारा आने की सोची है क्या? (व्यवधान) हम दुबारा तभी आ गये ना गुणगान नहीं किया कभी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने साढ़े सात करोड़ जनता को इस तरह मूर्ख बनाया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप तो धन्यवाद उस जनता को दो जिन्होंने आपके वहां से एम पी, बी जे पी का जिता कर भेज दिया, आप आते ही नहीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बैठ जाओ। मंत्री में नाम भिजवा दूंगा मैं आपका।

121 करोड़ जनता को मोदीजी ने बनाया लंबे-चौड़े भाषण देकर, मित्रों-मित्रों। क्या, पता नहीं, मित्रों में फंसा दिया। साढ़े सात करोड़ को यशस्वी

(श्री श्रवण कुमार)

मुख्य मंत्रीजी ने फंसा दिया, और कह दिया कि चिन्ता मत करो, काला धन आएगा, सीधा खाते में एन्ट्री हो जाएगा। (व्यवधान) एक रुपया खाते में नहीं आया। (व्यवधान)

मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मुख्य मंत्री ने, ज्यों ही राजस्थान सरकार का गठन हुआ, सम्भागवाइज मंत्रियों को हाथ में थैला देकर भेज दिया। भरतपुर भेज दिया, जोधपुर भेज दिया, बीकानेर भेज दिया। वहां की जनता से मैं भी मिलने के लिए गया। उन्होंने कहा कि पन्द्रह दिन काम अवरुद्ध कर दिया और कोई काम नहीं हुआ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर गये थे क्या आप?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जोधपुर भी गया था, घूम कर आया था।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर तो सरकार गयी ही नहीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उदयपुर गये थे, सहेलियों की बाड़ी में गये थे। आप क्यों जाते हों उदयपुर में? उदयपुर तो पहले से ही डवलप था। आप तो डवलप करते फिर रहे थे न। (व्यवधान) उदयपुर में गये, बीकानेर गये, भरतपुर गये और स्कूलों में जाकर बच्चों को दूध पिला कर आये, मुरमुरे खिला कर आये। इससे सरकार नहीं चलती। अगर आज सालासर का मंदिर गाड़ी में घूमने लग जाए तो जनता कोई जाएगी क्या? खाटूश्याम का मंदिर ट्रक में घुमाने लग जाएं तो कोई जाएगा क्या? सरकार का दायित्व बनता है। आज तक 66 साल में कभी कोई सरकार का मुख्य मंत्री गया था क्या गांव में? सारे के सारे कानून-कायदे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करके बोलें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आपके मुख्य मंत्री कैसे थे, श्रवणजी, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन से अपनी बात कहें, माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): श्रवणजी, आपके मुख्य मंत्री कभी भी गांव में नहीं गये तो इनकी हालत क्या हुई, यह तो आपको पता है न?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बैठ जाओ। यह ही होने वाली है।

श्री बंशीधर (खण्डेला): जो हालत हुई, वह तो ये भुगत रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह ही होने वाली है तीन साल बाद।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो आपकी होने वाली है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारी तो हो ली। बहुत बार, पांच बार आ गये। हमारी तो हो ली।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी हो गयी थी। यह तो भगवान की कृपा है कि एम पी जीत गये, इसलिए मौका लग गया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप मंत्री बनने के चक्कर में हो क्या? एक बात सुन लो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको मालूम होना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र के तीस हजार बच्चों ने कल जुलूस निकाला है आपकी सरकार के खिलाफ में। आज तक का इतिहास है कि आदिवासी कभी इकट्ठे नहीं होते पर आज तीस हजार बच्चों ने कल जुलूस निकाला है। आदिवासी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी का शुभारम्भ किया था कांग्रेस सरकार ने, आपने बीस रुपये भी उसमें नहीं दिये। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आपने अभी चारदीवारी भी नहीं बनवाई है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बिना बजट प्रावधान ऐसा ही होगा। बजट प्रावधान होता है यूनिवर्सिटी खोलने से पहले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, इन माननीय सदस्य को कौन अलाउ कर रहा है जवाब देने के लिए? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झुंझुनूं जिला वह बहादुर जिला है जिसका सैनिक पूरे हिन्दुस्तान की रक्षा करता है, जहां का युवा पढ़ कर के बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में शिक्षा देता है, यहां की बेटी वहां जाकर के सुई लगाती है और उस जिले में शेखावाटी में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी स्वीकृत की गई थी, उसमें पांच रुपये आप लोगों ने नहीं दिये अभी तक। बड़े शर्म की बात है। यहां का, पूरा हिन्दुस्तान का खेल का जो गौरव है, वह झुंझुनूं जिला है और उसमें आज तक आपने एक पैसा नहीं दिया। उसके बाद बात करते हों। गीत गा रहे हों सुबह से। कल भी गा रहे थे, परसों भी गा रहे थे। गीत गाने से तुम्हारा सुधार कैसे हो सकता है, तुम्हारी पुनरावृत्ति कैसे हो सकती है, यह तुमने कभी सोचा है क्या?

श्री बंशीधर (खण्डेला): शेखावाटी में खेल यूनिवर्सिटी के लिए आपकी सरकार ने भी दिये थे क्या पैसे? याद है क्या आपको?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मालूम हो जाएगा 2018 में आपको, क्या दिया था आपने।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, आपके मुख्य मंत्री कैसे थे?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, पानी के दो स्रोत होते हैं, बरसात से या भूगर्भ से हो। बरसात से पानी नहीं हो, तो भूगर्भ से तो हो। इनका नदियों को जोड़ने का, सात इन्होंने मूल मंत्र पैदा किये थे कि सात नदियों को जोड़ेंगे, वह करेंगे। आज इनको पूछो कि इस सवा साल में एक भी नदी को जोड़ा क्या? एक भी इन्होंने कोई स्वीकृति निकाली क्या? एक भी इन्होंने कोई ओवरहैड टैंक बनाया क्या? कानून-कायदे सब ताक पर रख दिये। केवल बातें करने के सिवाय कुछ नहीं किया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार की स्वीकृतियां निकलवा लो और इनकी निकलवा लो, अगर इनकी दस प्रतिशत भी हों तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस्तीफा दे दूंगा। आपने पी एच ई डी मंत्री किसको...(व्यवधान)

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): पांच साल की स्वीकृतियां हैं वे। एक साल की स्वीकृतियां देखो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अब देखिये, डिपार्टमेंट इन्होंने दिया किरण माहेश्वरीजी को। बनिये का हिसाब होता है रुपये-पैसे का, पानी का क्या मालूम इनको। राठौड़जी को देते और किसी को देते, नंदलालजी को देते, तब तो मैं सोचता कि सोच पाजिटिव है। (व्यवधान)

केवल खुश करने के लिए कर दिया। सारी की सारी दुनिया चोर है तो क्या अब साहूकार हो जायेंगे? साहूकार करना चाहते हों, या काम करना चाहते हों? इनकी पुरानी परिपाटी पड़ी हुई है, इसको मत छेड़ो, अपना काम करो।

मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, इन्होंने एक भी कुएं की स्वीकृति नहीं दी। केवल मात्र जिलों में जाकर भाषण देकर वापस आ जाते हैं। ठीक कैसे किया जाये? तीन साल और बचे हैं, ठीक खुद ही हो जाआगे। उप चुनाव में हो ही गये। (व्यवधान)

चिकित्सा मंत्रीजी कहते हैं, मुझे शर्म आ रही है कि मैं चिकित्सा मंत्री हूं। अखबार में आया था। (व्यवधान) मंत्रीजी ने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं चिकित्सा मंत्री हूं। शर्म देश को भी आ रही है, 245 आदमी मर गये स्वाइन फ्लू से। सिंघाना में एक डाक्टर के भरोसे सी एच सी चल रही है। वहां

(श्री श्रवण कुमार)

कह कर एक डाक्टर और लगवाया है। यही हालत भुवाना में है, यही सूरजगढ़ में है। जिस प्रदेश की सी एच सी एक डाक्टर से चले और उसमें जांच करने का एक उपकरण नहीं हो और मुख्य मंत्रीजी कहें कि हम सुनहरा राजस्थान बनायेंगे, कब बनाओगे? केवल मात्र बातें करने के सिवाय कुछ भी नहीं है।

15 लाख व्यक्तियों को नौकरी देंगे। सभापति महोदय, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, कई औरतें तो रो रही हैं कि मेरे बेटे की शादी कब होगी। यह 15 लाख नौकरी के भरोसे हमने तो वोट और दे दिये, और मोदीजी ने कहा था कि 15 लाख रुपये खाते में पहुंच जायेंगे।

थोड़ी देर पहले बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या बोल रही थीं कि हमारा वोट बैंक बढ़ा है, आपका वोट बैंक 15 परसेंट घटा है। ...(व्यवधान) आप कह रहे हो कि हमारा नगर पालिका में बहुमत आया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको कोई भी कहनी है, वह आसन को इंगित करके कहो। सीधा मत कहो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं आसन को ही कर रहा हूं। ये पीछे से बोल रहे हैं। राजस्थान में पिछली बार यही हुआ था, 28 कांग्रेस के प्रमुख बने थे और जयपुर की महापौर भी कांग्रेस की बनी थी, पर हुआ क्या? 21 सीट आईं। कहां गये वे? कहां गये वे महापौर? कहां गये प्रमुख? जब जनता घुमाती है तो उसके बाद एक मिनट में घुमा देती है। इसलिए गर्व मत करो कि हमारा प्रमुख जीत गया, हमारा प्रधानमंत्री जीत गया। दिल्ली में आपका प्रधानमंत्रीजी बैठा था, झाड़ू निकाल दी ना। आप तो झाड़ू लेकर निकाल रहे थे, आपकी वैसे ही निकाल दी। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आपका तो सफाया हो गया दिल्ली में। आपकी तो जमानत जब्त हो गई। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) खुद की झाड़ू निकली, वह तो आपको दिख नहीं रहा है। दूसरों को ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आपकी तो जमानतें जब्त हुई हैं। (व्यवधान) आपकी तो अधिकतर की जमानतें जब्त हुई हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो सदन में नहीं हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी आप नहीं करें। जो इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनके बारे में आप टिप्पणी नहीं करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं करें?

श्री सभापति: नहीं, यह अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, झाडू के बारे में तो बोला जा सकता है। देश के प्रधान मंत्री ने स्वच्छता अभियान का नारा दिया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में केवल मात्र 28-30 पंचायत समितियां ऐसी हैं, जिनमें पानी है, बाकी सारी पंचायत समितियों में पानी सूख गया। इनका सोच है क्या, क्या करेंगे ये? जनता को मारना ही चाहते हैं क्या?

सड़कों की हालत के बारे में बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय पिछली बार भाषण में 20 हजार किलोमीटर की बातें कह रहे थे, मैं तो नहीं था लेकिन सुना था कि 20 हजार किलोमीटर करेंगे। एक भी सड़क का कार्य चालू नहीं हुआ है। केवल कर देंगे, करा देंगे, देख लेंगे, दिखा लेंगे। अभी तक तो ये बातें चल रही हैं।

आपको मालूम होना चाहिये, यू पी में चार हजार बलात्कार हुए और चार हजार ही राजस्थान में हुए। वहां का क्षेत्रफल तीन गुणा ज्यादा है, यहां तीन गुणा कम है, उसके बाद भी कानून व्यवस्था यह है। थाने में थानेदार नहीं, तहसील में तहसीलदार नहीं, हास्पिटल में डाक्टर नहीं और बिजली बोर्ड में ए ईएन नहीं और पंचायत समिति में जे ईएन नहीं। (व्यवधान) आपके अनुशासन का यह नमूना है। गये कहीं नहीं, वहीं हैं, लेकिन सरकार चलाना जानते नहीं हैं। आप केवल विरोध करना जानते हों, सरकार चलाना नहीं जानते हों। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इनके वहां के तो सारे भरतपुर गये दिगम्बर सिंहजी के साथ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दिगम्बर सिंह जी के साथ तो एक दिन उनके आंसू पोछने राजेन्द्रजी गये थे, फिर वापस आ गये। एक दिन गये थे केवल। व्यवधान

मैं बताना चाह रहा हूं, ईमानदारी की बात यह है कि एक साल से एस डी एम का पद खाली चल रहा है, ए ईएन का पद एक साल से खाली चल रहा है, पंचायत समिति में जे ईएन है ही नहीं, उप तहसीलों में नायब तहसीलदार

(श्री श्रवण कुमार)

नहीं हैं, पूर्व सरकार के माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी ने जो खोली थीं उनमें एक भी नायब तहसीलदार नहीं है। (व्यवधान) लगाये नहीं, तब तो हम हार ही गये थे। आप लोगों को लगाने के लिए भेजा था ना, फिर क्या कर रहे हों?

माननीय सभापति महोदय, अब आप कह रहे हों कि इनको इंडिकेट मत करो, ये मेरे को इंडिकेट कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने आपसे बार-बार आग्रह किया है कि आप आसन को इंगित करें। आप बेवजह चर्चा में नहीं जायें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात कर रहे हैं, अभी खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 85 पैसे बढ़ा दिये। आज, देखिए, जो बिजली के पैसे जमा करा रहे हैं उनका भार और बढ़ा दिया। चोरी रोक नहीं सके। जो व्यक्ति चोरी नहीं कर रहा है, बिजली मांग रहा है, उसको आप बिजली दे नहीं सकते। वह अपने जीवन के लिए बिजली चोरी भी करेगा। आप बिजली क्यों नहीं दे रहे? हमारी सरकार ने लाखों कनेक्शन दिये थे, आपकी सरकार ने अभी तक एक कनेक्शन नहीं दिया। तो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? चोरों की हालत आपने यह कर रखी है, जो बड़े चोर हैं उनका कुछ कह नहीं रहे हों; एक बल्ब लगा रखा है उसकी वी सी आर भर लेते हों। आपने टारगेट फिक्स कर दिया कि 200-400 वी सी आर भरनी पड़ेंगी।

आपकी सरकार ने जिस तरह किसान का शोषण किया है, यह दयनीय है और इससे आप लोगों को शर्म आये या नहीं आये, हम लोगों को शर्म आ रही है। जो बिजली का कनेक्शन लेना चाह रहा है, आप कह रहे हों कि जोहड़ में बस गया। जिस दिन वह जोहड़ में बस रहा था, आपका तहसीलदार भी था, पटवारी भी था, एस डी एम भी था, उस दिन उसको क्यों नहीं रोका? आज उसको मूलभूत सुविधा से वंचित रख रहे हो आप। पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे। खेत में किसान बस गया, उसको बिजली नहीं देंगे।

अब आप यह कहोगे कि पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने गलत किया उसका नतीजा भुगत लिया। आप भी यही चाहते हो क्या? इधर ही आना चाहते हों क्या? राजेन्द्रजी और हम सालों से साथ थे, ये झंडा फहराते थे। कोई समझे, पता नहीं, क्या कागज दिखा रहे हैं। कोई कागज नहीं था, पर डरा देते थे कि देखो, साहब, यह अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): समाप्त तो साढ़े पांच बजे करेंगे, और क्या करेंगे?

श्री सभापति: नहीं, और भी वक्ता हैं, और माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सही बात बोलते ही आपने कह दिया कि बंद कर दो।

पशुपालन की हालत देखिए, सरकार की तरफ से दवाई फ्री थी, हास्पिटल में दवाई फ्री मिलती थी, दवाई बंद कर दी। किसान का कोई सबसे बड़ा साथी है तो वह पशु धन है। उसको आपने रुला दिया। स्कूल की हालत यह है, कह रहे हैं कि और खोलेंगे। पहले वाली स्कूल में कोई अध्यापक नहीं। एक अध्यापक आपने लिया नहीं, आपने कोई लेबोरेटरी नहीं बनाई, कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई, एक अध्यापक भर्ती नहीं किया। स्कूलों में बच्चों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। मुझे बताओ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आखिर कर क्या रहे हो?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): तीन महीने में 21 हजार अध्यापक भेजे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, बरबाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पर उल्लू बैठा है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक-एक जगह जाकर पता कीजिए, आपके जमाने में 68 हजार में से 31 हजार खाली थे, अब केवल विषय अध्यापक के 9 हजार खाली हैं। 21 हजार पदस्थापित किये हैं। जरा अपने सीने पर हाथ रख कर बोलो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमने बहुत बुरा किया, हमने तो स्कूलें बंद नहीं की ना? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): और अगले महीने 13 हजार और भेज रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त करें। आपका समय हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) 30 हजार तो स्कूलें ही बंद कर दीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, ट्रांसपोर्ट की हालत यह है, सड़कों के ऊपर ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): शिक्षा मंत्रीजी, आप कितना ही बता दो, इनको समझ में नहीं आयेगा। आप पूरे-पूरे भर दोगे तो भी इनको समझ में नहीं आयेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सही है।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): सभापति महोदय, यह इनके मन की पीड़ा है। इन्होंने इनके राज में कहा था कि ...(व्यवधान) की भर्ती आर पी एस सी से होनी चाहिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये मेरा समय ले रहे हैं ना?

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): इनके मुख्य मंत्री ने इनकी बात नहीं मानी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका समय समाप्त हुआ। श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हाउस को आर्डर में लो ना। माननीय सभापति महोदय,

श्री सभापति: अब आपका अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, 14वीं राजस्थान विधान सभा के इस चौथे सत्र में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण दिया गया है। इस अभिभाषण पर अपनी बात को शुरू करने से पहले, मैं डूंगरपुर की जनता की ओर से माननीया मुख्य मंत्री और सदन में उपस्थित मेरे सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, सदन का भी, सभापति का भी कर रहा हूं।

यह दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज है, जो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री सुराज संकल्प के दौरान राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी गईं और उन्होंने जनता से रूबरू होकर जनता की पीड़ा को सुना, क्षेत्र की समस्याओं को देखा, धरातल पर जो हकीकत है उसको जाना, पहचाना। साथ ही, सत्ता में

(श्री देवेन्द्र कटारा)

आने के बाद सरकार-आपके-द्वार के तहत राजस्थान के विभिन्न सम्भागों में प्रशासन के साथ में सरकार हर जिला मुख्यालय, हर पंचायत समिति, हर ग्राम पंचायत में जनता के बीच में गये और धरातल की सारी समस्याओं का बारीकी से अध्ययन किया और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। इन सारी चीजों को शामिल करते हुए, यह अभिभाषण का एक अंश सदन के पटल पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने रखा है।

वास्तव में, इस अभिभाषण के पूर्व कितने ही अभिभाषण सदन के पटल पर आये होंगे, लेकिन यह अभिभाषण सत्य है, धरातल से जुड़ा हुआ है और धरातल पर जनता की पीड़ाओं को देखकर प्रस्तुत हुआ है। मैं समझाता हूं कि यह जनता की समस्याओं का समाधान करने का एक मसौदा है। यह अभिभाषण जनता की सोच के अनुरूप और समाधान करने की सरकार की सोच के अनुरूप, राजस्थान की जनता की जो दशा है, उस दशा को बदलने के लिए नई दिशा देने का एक मसौदा है। मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

खास तौर से राजस्थान की सरकार ने पहली बार, पंचायती राज की आधारशिला रखने का कोई राज्य है तो राजस्थान है। राजस्थान में ही पंचायती राज को आधारभूत रूप से मजबूत करने के लिए यहां पर राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने, राजस्थान की सरकार ने इस बात को तय किया कि यहां पर पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए। यह बात निश्चित थी, पहले बहुत बड़ी पंचायतें थीं और क्षेत्र में, क्योंकि आज जनसंख्या के आधार पर पंचायतों में पैसा आता है, पंचायत मुख्यालय बढ़ें।

साथ-साथ, पंचायती राज चुनाव में भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए, पहले अंगूठा-छाप जन प्रतिनिधि चुनकर आते थे, प्रोसीडिंग्स को पढ़ नहीं पाते थे, योजनाओं को व्यवस्थित लागू नहीं कर पाते थे, जनता को व्यवस्थित तरीके से सम्भाल नहीं पाते थे, समझा नहीं पाते थे, ऐसी स्थिति में राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने और मंत्रिमण्डल ने यह तय किया कि पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लागू किया जाना चाहिए। इसका नतीजा यह आया कि राजस्थान में जिस ट्राइबल क्षेत्र में पहले मान्यता थी कि वहां पर शिक्षित लोग नहीं हैं, वहां शिक्षित लोग नहीं होने की वजह से कई पोस्टें खाली

(श्री देवेन्द्र कटारा)

रह जाएंगी, चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा, लेकिन स्थिति एकदम विपरीत निकली। वहां पर एक-एक पद के लिए 6-6, 7-7 लोगों के नाम आयें। पंचायत समिति और जिला परिषद में भी ऐसे-ऐसे सरपंच, ऐसे-ऐसे लोग चुनकर आयें, जिसका यह नतीजा सामने आया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 6 बजे तो कम से कम है।

श्री सभापति: ठीक है, इनकी बात पूरी होने दीजिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, यह नतीजा सामने आया कि आई आई टी किये हुए, एम बी ए किये हुए, अच्छे-अच्छे डाक्टर व इंजीनियर पंचायती राज चुनाव में मैदान में आयें। सभापति महोदय, एक चीज और नई सामने आई, जनता में यह संदेश गया कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया जो मील का पत्थर साबित हुआ है।

इतना ही नहीं, राजस्थान में जिस तरह से केन्द्र में नरेन्द्र भाई मोदी द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत और शौचालय, इस विषय में भी राजस्थान की सरकार ने हूबहू पालन किया और पंचायती राज चुनाव में इसको लागू किया। पंचायती राज चुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे, सभी ने बहुत ही कम समय में चुनाव लड़ने के लालच में शौचालय बना लिये। इसकी प्रेरणा जनता के बीच में यह गई कि आने वाले समय में कभी भी पंचायत राज का चुनाव लड़ना पड़े, चाहे कैसा भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, शौचालय अनिवार्य होगा। इसका संदेश गया और हर व्यक्ति आज शौचालय निर्माण की ओर अग्रसर हुआ है।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की जनसंख्या के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो राजस्थान सरकार ने जिस तरह से टी एस पी क्षेत्र को पंचायती राज में जो रियायतें दी हैं, इसका नतीजा भी बहुत सामने आया। दूर-दूर पहाड़ी इलाकों में नदी-नाले पार करके लोगों को 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पुनर्गठन में कम दूरी और संगठित क्षेत्र निर्धारित करने में, पंचायती राज पुनर्गठन करने में यह सामने आया है।

सभापति महोदय, 2013-14 में 40 हजार 500 करोड़ रुपये का वार्षिक योजना का प्रावधान था, माननीय मुख्य मंत्री महोदया और मंत्रिमण्डल ने उसे बढ़ाकर 69 हजार 820 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इससे न केवल

(श्री देवेन्द्र कटारा)

राजस्थान के विकास की गति बढ़ी है, बल्कि साथ-साथ जनता में एक उत्साह, एक नई दिशा, एक उमंग भी जगी है। जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने इस देश के समन्वित और संतुलित विकास के लिए समितियां बनाई, आयोग की स्थापना की, उसी तर्ज पर राजस्थान की सरकार ने भी यहां पर समितियों का गठन किया और टीमें बनाकर विकास के लिए नये मार्गदर्शन मांगते हुए आगे की पहल की है। मैं वास्तव में हमारी मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आज भामाशाह योजना, हमारा दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार ने उसे बंद कर दिया, इसे पुन: शुरू किया गया और उसमें इसके साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा भी जोड़ा है, और भी कई सारी स्कीमें इसके साथ जुड़ी। आधार कार्ड से लेकर बैंक खाते इंटरलिंक करने से सीधा हर व्यक्ति एक-दूसरे नेट से जुड़ गया। साथ ही बहुत सारी सुविधाएं भी मिली हैं।

हमारे पंचायत मुख्यालयों को सीमेंट की सड़कों से जोड़ने का, एक-एक किलोमीटर का प्रस्ताव, प्रावधान राजस्थान की मुख्य मंत्री ने किया है। मैं समझता हूं, क्योंकि संगठित आबादी में लोग-बाग और पशु भी पलते हैं, चलते भी है, पानी भी भरता है, वहां पर डामरीकृत सड़कें टिक नहीं पाती थीं। अच्छी क्वालिटी की, गुणवत्ता की सड़कें बनें। तो ग्रामीण गौरव पथ का जो प्रावधान किया है, वह वास्तव में उस गांव की सड़कों को, जो लम्बी आयु वाली सड़कें बनें, इसलिए वास्तव में वह बहुत ही सराहनीय कदम है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अपनों-अपनों को दिया है, और किसी को नहीं दिया। (व्यवधान) सिर्फ आपके लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): आपने दिया ही क्या है? (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): और किसी से आपको लेने की जरूरत नहीं है ...(व्यवधान) भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने 6 बजे तक का कह रखा है। तो कम से कम 6 बजे तक तो समय बढ़ाएं। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वर्तमान एम एल ए से लेते नहीं, हारे हुए एम एल ए की आप ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह विधान सभा रात को 10, 11 और 12 बजे तक चलती है। माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं। आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि एक-दो माननीय सदस्य और बोल लें।

श्री सभापति: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 3 मार्च 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.30 बजे मंगलवार, दिनांक 3 मार्च 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के हस्तान्तरण के नियम

49. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित भूखण्डों के हस्तान्तरण एवं संविधान परिवर्तन के क्या-क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली के पुनायता स्थित औद्योगिक क्षेत्र में अब तक रीको द्वारा किस-किस के भूखण्ड के हस्तान्तरण एवं संविधान परिवर्तन की स्वीकृति भूखण्ड आबंटन की तिथि से कितनी अवधि के बाद दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में रीको, पाली में भूखण्ड हस्तान्तरण एवं संविधान परिर्वतन के कौन-कौन से प्रकरण किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि रीको, पाली द्वारा अनेकों भूखण्डों के हस्तान्तरण एवं संविधान परिवर्तन की स्वीकृति भूखण्ड आबंटन के पांच वर्ष होने पर जारी की है एवं अनेकों प्रकरणों में भूखण्ड हस्तान्तरण एवं संविधान परिवर्तन इकाई में उत्पादन शुरू के पांच वर्ष पूर्ण होने का नियम बता कर प्रकरण अस्वीकृत कर दिये गये हैं? यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण हैं?

(5) क्या सरकार पूर्व में दी गई स्वीकृतियों की भांति अब लम्बित प्रकरणों में भूखण्ड हस्तान्तरण एवं संविधान परिवर्तन की स्वीकृति भूखण्ड आबंटन के पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो किन-किन कारणों से? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित औद्योगिक भूखण्डों का हस्तान्तरण एवं संविधान परिवर्तन रीको भू-निपटान नियम, 1979 (समय-समय पर संशोधित) के नियम संख्या 18 की शर्तों के अध्यधीन होता है। रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम संख्या 18 व नवीनतम संशोधन आदेश दिनांक 15.1.2015 की प्रतियां परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न हैं।

(उद्योग मंत्री)

(2) विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र पुनायता से सम्बन्धित 22 औद्योगिक भूखण्डों के लीज होल्ड के हस्तान्तरण के प्रकरण में सम्बन्धित क्रेताओं के पक्ष में केवल संविधान परिवर्तन की स्वीकृति तत्कालीन इकाई प्रभारी द्वारा भूखण्ड आबंटन की तिथि से पांच वर्ष के दौरान आबंटन शर्त के इस निर्वचन के आधार पर प्रदान कर दी गयी थी कि पांच वर्ष की समयावधि आबंटन की तिथि से प्रभावी है, जबकि पश्चातवर्ती इकाई प्रभारी द्वारा उक्त वर्ष की अवधि का निर्वचन उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से किया जा रहा है और इस आधार पर पश्चातवर्ती प्रकरणों में हस्तान्तरण/संविधान परिवर्तन की स्वीकृतियां अनुज्ञेय नहीं की जा रही हैं एवं मुख्यालय से मार्गदर्शन चाहा गया है। ऐसे प्रकरण जिनमें उनकी स्वीकृति अनुज्ञेय नहीं की गई हैं, का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) चूंकि उक्त प्रकरण आबंटन शर्त में शिथिलता दिये जाने से सम्बन्धित है जिसके लिए निगम के निदेशक मण्डल द्वारा गठित आधारभूत विकास समिति ही सक्षम है, इसलिए प्रकरण निगम की आधारभूत विकास समिति की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार लम्बित प्रकरणों में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर जिले में मंदिर माफी की भूमि का बेचान

50. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के अन्तर्गत मंदिर माफी की जमीनों का वर्तमान में कुल रकबा कितना है? उक्त जमीनें कौन-कौन से मंदिरों की सम्पत्ति हैं? उक्त प्रकार की कितनी जमीनों का अवैध बेचान हो चुका है तथा कितनी जमीनें शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंदिर माफी की कितनी जमीनों पर अवैध कालोनियां बसाई जा चुकी हैं?

(3) क्या सरकार इस प्रकार बसाई गई कालोनियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले के अन्तर्गत मंदिर माफी की जमीनों का कुल अनुमानित रकबा तहसीलदारों की रिपोर्ट के अनुसार 15075.91 हेक्टेयर है। तहसीलवार क्षेत्रफल की सूचना परिशिष्ट-1 के अनुसार संलग्न है।

तहसीलदार जयपुर, सागांनेर, फुलेरा, किशनगढ, जमवारामगढ रेनवाल, विराटनगर, शाहपुरा, दूदू, मौजमाबाद, बस्सी, चाकसू, कोटखावदा, आमेर, फागी, चौमूं, कोटपूतली से प्राप्त ग्रामवार सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त जमीनों के अवैध बेचान व शेष बची भूमि का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न कर प्रस्तुत है ।

(2) मंदिर माफी की भूमियों पर अवैध रूप से बसी कालोनियां की सूची परिशिष्ट-4 तहसीलवार संलग्न प्रस्तुत है।

(3) मंदिर माफी भूमियों के विधि विरुद्ध हस्तान्तरण होने के पश्चात् राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स की कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त कालोनियों पर भी मौका निरीक्षण एवं सर्वेक्षण के उपरान्त इस कार्यवाही के निष्कर्ष के आधार पर विधिक कार्यवाही प्रस्तावित है।

(सूचनाएं, विवरण एवं सूची पुस्तकालय में रखे गये)

विराटनगर में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन

51. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित कौन-कौनसी योजनाओं का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कहां-कहां किया जा रहा है एवं प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर कितने छात्र-छात्राओं का नामांकन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वीकृत करने एवं इसके संचालन हेतु क्या-क्या नियम एवं प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के अधीन आई सी डी एस मिशन, इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सबला एवं आई एस एस एन आई पी (आई सी डी एस सिस्टम स्ट्रेंथिंग एण्ड न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट) योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महिला अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्तमान में 250 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 7 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 257 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है तथा आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालक-बालिकाओं के नामांकन का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्वीकृत करने के निर्धारित मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए मानदेय कार्मिकों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में चयन समिति द्वारा किया जाता है। कार्य एवं उत्तरदायित्व का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर ग्रामीण में कृषि हेतु सिंगल फेस कनेक्शन

52. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के किसानों को कृषि हेतु सिंगल फेस कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृत "विद्युत आपूर्ति हेतु शर्ते एवं निबन्धन-2004" के अनुसार कृषि हेतु थ्री फेस विद्युत कनेक्शन दिये जाने का ही प्रावधान है। सम्बन्धित प्रावधान की प्रति प्रपत्र-"अ" पर उपलब्ध है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस कमिश्नर प्रणाली को सशक्त बनाने की कार्य योजना

53. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किये जाने के क्या परिणाम रहे हैं? क्या पुलिस आयुक्त द्वारा अनेक बार पत्र प्रेषित कर सरकार से संसाधनों व स्टाफ की मांग की गयी है? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार जोधपुर पुलिस आयुक्त प्रणाली को सशक्त बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में सरकार द्वारा जोधपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के लिए जोधपुर रीजन के गांवों को सम्मिलित करते हुए दस लाख से ज्यादा जनसंख्या को आधार बनाया गया था? क्या सरकार अब नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जोधपुर पुलिस आयुक्त प्रणाली को शहरी क्षेत्र तक ही प्रभावी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर प्रभावी कार्यवाही के लिए जोधपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किये जाने के परिणाम परिशिष्ट "ए" पर संलग्न हैं। पुलिस आयुक्त के द्वारा पुलिस मुख्यालय से समय समय पर संसाधनों, स्टाफ की मांग की गई है। पुलिस थानों/चौकियों के प्रशासकीय भवनों के निर्माण हेतु आबंटित बजट का विवरण परिशिष्ट "बी" पर सलंग्न है। नवसृजित व क्रमोन्नत पुलिस थानों/चौकियों, वृत कार्यालय, उप अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का विवरण परिशिष्ट "सी" पर सलंग्न है। आयुक्तालय जोधपुर के सृजन के पश्चात् आयुक्तालय में बढाये गये पदो का विवरण परिशिष्ट "डी" पर संलग्न है। पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर को उपलब्ध कराये गये संसाधनों का विवरण परिशिष्ट "ई" पर संलग्न है।

(2) जोधपुर आयुक्त प्रणाली को सशक्त करने के लिए बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखानुसार नये पुलिस चौकी/थाने/वृत/उपाधीक्षक कार्यालय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्वीकृति दी गई है। इस के अतिरिक्त नये पद व

(गृह मंत्री)

संसाधन भी उपलब्ध कराये गये हैं जिनका विवरण बिन्दु संख्या 1 के अनुसार है। आवश्यकता अनुसार उपलब्ध वितीय संसाधनों के मध्यनजर आयुक्तालय को और भी सशक्त बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) अपराधों की रोकथाम हेतु जोधपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा निरन्तर गश्त व बदमाशों पर निगरानी रखी जाती है। अपराधियों का रिकार्ड तैयार किया जाकर उनके विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है, जिसका विवरण परिशिष्ट "एफ" पर संलग्न है। सार्वजनिक स्थानों पर सादा कपडों में पुलिस कर्मियों को तैनात कर बदमाशों पर निगरानी रखी जाती है। बीट व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु डोर-टू-डोर सर्वे करवाया जाता है। बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं छेड़छाड़ की घटनाओ के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु पुलिस कंट्रोल रूम में हेल्पलादन प्रारम्भ की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजातियों के कल्याण हेतु व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

54. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के बजट में आदिवासियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान किया जाता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में इन जातियों के लिए किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी धनराशि का बजट प्रावधान किया गया और किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि को उक्त जातियों के कल्याण के लिए शत-प्रतिशत खर्च नहीं किया गया? यदि हां, तो किस-किस योजना के लिए धनराशि पूर्ण रूप से व्यय नहीं की गई और इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा कई योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण केन्द्र सरकार से अगली धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं में उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये व इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के बजट में आदिवासियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान नहीं किया जाता, बल्कि राज्य के बजट में जनजाति उपयोजना अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु प्रत्येक विभाग को उनके बजट अन्तर्गत बजट उप-शीर्ष 796 मांग संख्या 30 में राशि का प्रावधान किया जाता है।

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बजट प्रावधान एवं व्यय किया गया है, वह निम्नानुसार है-

(राशि लाख रुपये)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
2013-14	549356.99	480315.26	87.43
2014-15 (माह जनवरी, 15 तक अन्तरिम व्यय)	917809.70	403220.12	43.93

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रावधान व व्यय की मदवार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। राज्य के बजट में विभागों के वित्तीय प्रावधान एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है ।

(2) जी हां । वर्ष 2013-14 में बजट प्रावधान 5493.57 करोड़ राशि के विरुद्ध 4803.15 करोड़ की राशि व्यय की गई, जो कि 87.67 प्रतिशत रही है। वर्ष 2013-14 में कुछ योजना/विभाग ऐसे हैं जिनका शत-प्रतिशत व्यय नहीं हुआ है। इस प्रकार, वर्ष 2014-15 में भी माह जनवरी, 2015 तक विभागों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 43.93 प्रतिशत राशि व्यय हुई है। कम व्यय होने के प्रमुख कारणों में विधान सभा चुनाव, लोक सभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव एवं पंचायती चुनाव के कारण आचार संहिता होने से योजनाओं पर शत-प्रतिशत राशि व्यय नहीं होना पाया गया है। विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की राशि प्राप्त की गई है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर में होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना

55. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में एक भी राजकीय होम्योपैथिक औषधालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय होम्योपैथी औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। नवीन औषधालय खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं-

1. यथा सम्भव भवन व्यवस्था उपलब्ध होना;
2. अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना;
3. नवीन औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या 2,000 होना; एवं
4. बजट प्रावधान उपलब्ध होना।

उक्त मापदण्डों के पूर्ण होने पर ही नवीन औषधालय खोले जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष नवीन औषधालय खोले जाने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर क्षेत्र में होम्योपैथिक औषधालय खोलना सम्भव हो सकता है।

श्रीगंगानगर जिले में किसानों को त्रिपाल पर देय अनुदान

56. **श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में केन्द्र सरकार की योजनान्तर्गत किसानों को अनुदान पर त्रिपाल उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हां, तो लाभान्वित किसानों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में अनुदान पर किसानों को स्प्रे पम्प व शेड नेट उपलब्ध कराये गये थे? यदि हां, तो लाभान्वित किसानों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त त्रिपाल, स्प्रे पम्प व शेड नेट का

(श्रीमती सोनादेवी)

भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो कब व किस एजेन्सी द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर जिले में वित्त वर्ष 2013-14 में केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजनान्तर्गत लाकल इनिसियेटिव कार्यक्रम के तहत किसानों को अनुदान पर त्रिपाल (मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर) उपलब्ध करवाये गये। लाभान्वित किसानों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत किसानों को अनुदान पर त्रिपाल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है। अत: वर्ष 2014-15 में किसी भी व्यक्ति को अनुदान पर त्रिपाल उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

(2) श्रीगंगानगर जिले में वित्त वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान विभागीय योजनान्तर्गत किसानों को अनुदान पर स्प्रे पम्प उपलब्ध करवाये गये हैं लेकिन शेड नेट किसी भी विभागीय योजना में उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं। जिन किसानों को स्प्रे पम्प उपलब्ध करवाये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विभागीय योजनान्तर्गत किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाये गये त्रिपाल व स्प्रे पम्प का भौतिक सत्यापन करवा दिया गया है। भौतिक सत्यापन करवाये जाने के उपरान्त ही कृषकों को अनुदान से लाभान्वित किया गया है। कृषकों द्वारा अधिकृत विक्रेता/निर्माता से त्रिपाल व स्प्रे पम्प क्रय करने के उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्र में पदस्थापित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में अन्तरराष्ट्रीय मानक के खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

57. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) प्रदेश में अन्तरराष्ट्रीय मानक एवं मापदण्डानुसार कितने खेलकूद स्टेडियम एवं प्रशिक्षण केन्द्र हैं?

(2) क्या सरकार हरियाणा राज्य की तर्ज पर प्रदेश में खिलाड़ी तैयार

(श्री हमीर सिंह भायल)

करने हेतु आधुनिक एवं अन्तरराष्ट्रीय मानक एवं मानदण्डानुसार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर व बरकतुल्ला खां स्टेडियम, जोधपुर अन्तरराष्ट्रीय मानक एवं मापदण्डानुसार हैं, जहां अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में खिलाड़ी तैयार करने हेतु प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं तथा सरकार खिलाड़ियों के लिए आधुनिक एवं अन्तरराष्ट्रीय मानक व मानदण्डानुसार प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध करवाने हेतु भी प्रयासरत है। प्रदेश में समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत सम्भाग, जिला एवं तहसील स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण करवाया जाता है।

भादरा तहसील के चक रीफिटिंग की समस्या से प्रभावित गांव

58. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील भादरा राजस्व क्षेत्र में कई ग्राम/चक रिफिटिंग की समस्या से प्रभावित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों चकों का कितना-कितना रकबा प्रभावित है? ग्राम/चकों वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिफिटिंग की समस्या का शीघ्र समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील भादरा के 24 राजस्व ग्राम रिफिटिंग की समस्या से प्रभावित हैं। उक्त राजस्व ग्रामों के नाम एवं रकबा निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	नाम राजस्व ग्राम	रिफिटिंग से प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	डोबी बारानी	1393.589
2.	गंगासिंहपुरा	632.047
3.	मोतीपुरा	302.745

(राजस्व मंत्री)

1	2	3
4.	सरदारपुराबास भादरा	80.175
5.	हाथीपुरा	27.062
6.	भिरानी	3072.732
7.	राजपुरा बारानी	262.026
8.	अमरपुरा	744.091
9.	सुरतपुरा	1158.120
10.	7 बीएचडी	321.714
11.	8 बीएचडी	213.212
12.	9 बीएचडी	392.272
13.	10 बीएचडी	340.178
14.	11 बीएचडी	258.232
15.	12 बीएचडी	255.702
16.	7 बारानी	693.294
17.	8 बारानी	1012.692
18.	9 बारानी	744.850
19.	10 बारानी	727.145
20.	12 एएमएस	333.348
21.	16 एएमएस	849.558
22.	17 एएमएस	530.121
23.	8 जेजीडब्ल्यू	359.013
24.	15 जेजीडब्ल्यू	467.143
	योग	**15171.061**

(2) जी हां। समस्या के समाधान हेतु भादरा में उपनिवेशन तहसील खोलने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। अभी तक राजस्व अभिलेखों का हस्तान्तरण होना शेष है। तहसीलदार, नायब-तहसीलदार एवं अन्य स्टाफ के पदस्थापन पश्चात राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 106, 107 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात सर्वे किया जायेगा। सर्वे के पश्चात रीफिटिंग सम्बन्धी प्रकरणों की जानकारी कर निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

59. **डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत वर्ष के दिसम्बर माह में ओलावृष्टि के कारण फसल को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां व इससे कितने नुकसान का आंकलन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चालू वर्ष के जनवरी व फरवरी माह में शीतलहर व पाला पड़ने से भी फसल को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने नुकसान का आंकलन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों को उक्त नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना, एवं नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रदेश में फसलों को हुए व्यापक नुकसान के कारण किसानों को स्वीकृत किये गये फसली ऋण पर ब्याज माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना, एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर माह में राज्य के जिला अलवर व बारां में ओलावृष्टि से 50 एवं 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा पाया गया है।

(2) चालू वर्ष में प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार जिला बीकानेर में ओलावृष्टि एवं जिला झालावाड़ व पाली में पाला व शीतलहर से 50 एवं 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा पाया गया है। वास्तविक स्थिति गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ज्ञात हो पायेगी।

(3) जी हां। 50 या 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस डी आर एफ मानदण्डों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी पैकेज के अनुरूप आर्थिक सहायता देय है। पैकेज की छाया प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा अभाव अवधि के दौरान अल्पकालीन फसली ऋण को कन्वर्जन कर मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाता है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ 1 (3) आप्र एवं सहा/ओलावृष्टि/2015/1747-48

जयपुर, दिनांक 25-2-2015

जिला कलक्टर,

अलवर एवं बारां, राज.।

विषय :- ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को दिया जाने वाला राहत पैकेज।

महोदय,

राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में आपके जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारों को राहत पहुंचान हेतु राहत पैकेज घोषित किया है जो निम्न प्रकार है :-

जिन लधु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति हुई है, उनको जोत सीमा तक एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निम्न प्रकार कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा जो धिकतम दो हैक्टेयर तक देय होगा :-

असिंचित क्षेत्र हेतु	4500 रुपये प्रति हैक्टेयर
सिंचित क्षेत्र हेतु	
अ-बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र हेतु	9000 रुपये प्रति हैक्टेयर
ब-डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्र हेतु	12000 रुपये प्रति हैक्टेयर

1. जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुआ है, उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेंगे।
2. ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा लिये जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

3. राहत पैकेज में घोषित सहायता, उन कृषकों को भी दी जा सकती है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होंने खेती ठेके पर की है वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्रामसेवक की एक तीन सदस्य समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय ले कर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषकों को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

4. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उससे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

5. ओलावष्टि से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर प्रभावितों का भू-राजस्व वसूली स्थगित की जावेगी तथा सहकारी अलपकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तन किया जायेगा।

6. ओलावृष्टि से प्रभावितों (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि मानदण्ड अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

शासन सचिव

अलवर के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में आपातकालीन सुविधाएं

60. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले के मुख्यालय स्तर के राजकीय सामान्य, महिला एवं शिशु चिकित्सालयों में सामान्य संचालन समय के अतिरिक्त आपातकालीन

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सुविधाओं के लिए चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिले के सबसे बड़े शिशु चिकित्सालय में चिकित्सालय समय के अतिरिक्त आपातकाल एवं भर्ती शिशुओं के लिए कोई भी ड्यूटी डाक्टर की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सामान्य चिकित्सालय, अलवर में आपातकालीन सुविधाओं, बड़ी संख्या में भर्ती रोगियों एवं शिशु चिकित्सालय के लिए सिर्फ एक ड्यूटी डाक्टर की व्यवस्था की जाती है? यदि हां, तो केवल एक चिकित्सक द्वारा ही शिशु चिकित्सालय के भर्ती रोगियों, सामान्य चिकित्सालय एवं शिशु चिकित्सालय में आपातकालीन रोगियों को किस प्रकार से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शिशु चिकित्सालय के लिए पृथक से ड्यूटी डाक्टर की व्यवस्था करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में ड्यूटी डाक्टर की सुविधा भर्ती रोगियों एवं आपातकालीन रोगियों हेतु पृथक-पृथक करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामान्य एवं महिला चिकित्सालय, अलवर में 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उपस्थित रहते हैं। आपातकालीन ड्यूटी डाक्टर द्वारा मरीज की स्थिति को देखते हुए सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ चिकित्सक आन काल उपलब्ध रहते है।

इसी प्रकार, शिशु चिकित्सालय में भी अस्पताल समय के अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति में आन-काल शिशु रोग विशेषज्ञ को बुलाया जाता है एवं सभी वार्डों में नर्सिंग कर्मी ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं। रात्रिकालीन ड्यूटी में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नाइट सुपरवाइजर एवं दिन में नर्सिंग अधीक्षक नर्सिंगकर्मियों की व्यवस्था हेतु ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं।

(2) शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी के कारण, शिशु रोग विशेषज्ञ भर्ती शिशुओं हेतु आन-काल रहते हैं। वर्तमान में शिशु चिकित्सालय में 5 शिशु रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं। प्रभारी, शिशु चिकित्सालय को नियमित रूप से भर्ती मरीजों हेतु ड्यूटी डाक्टर उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया है।

(3) वर्तमान में सामान्य चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय एवं शिशु चिकित्सलय अलवर में चिकित्सकों के रिक्त पदों एवं चिकित्सकों की कमी के कारण भर्ती एवं आपातकालीन रोगियों हेतु पृथक-पृथक आपातकालीन चिकित्सक की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। रिक्त पदों पर चिकित्सक उपलब्ध होने पर पृथक से व्यवस्था किया जाना सम्भव होगा। भर्ती रोगियों हेतु आपातकालीन परिस्थिति में ड्यूटी डाक्टर द्वारा विशेषज्ञ डाक्टर को उपचार हेतु तुरन्त आन-काल बुलाया जाता है। आन-काल विशेषज्ञ द्वारा मरीज के हित को ध्यान में रखते हुए हर सम्भव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(4) वर्तमान में संचालित शिशु चिकित्सालय, सामान्य चिकित्सालय, अलवर का एक शिशु वार्ड मात्र है तथा इसमें शिशु चिकित्सालय स्तर के अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं हैं। वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु) तथा कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु) के कुल 3 पद रिक्त हैं, जिन्हें पदोन्नति/स्थानांतरण के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भरने के पश्चात् बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

(5) जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति होने पर आपातकालीन एवं भर्ती रोगियों हेतु पृथक-पृथक ड्यूटी डाक्टर उपलब्ध करवाया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश में गायों के संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं

61. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा गोपालन विभाग का सृजन कब किया गया व वर्तमान में कितने अधिकारी व कर्मचारी किस-किस संवर्ग के कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में गायों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विभाग के गठन के बाद से अब तक कौन-कौन से कार्य किये गये व कौन-कौन से विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गोपालन विभाग का सृजन दिनांक 13.3.2014 को किया गया है। विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गायों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1. पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना
2. पशुधन आरोग्य चल ईकाई
3. कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार
4. नकारा एवं अवर्गीकृत बछड़ों का बधियाकरण
5. बांझ पशुओं का उपचार
6. उन्नत सांड वितरण
7. टीकाकरण एवं पशु चिकित्सा (पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम)
8. पशुपालक प्रशिक्षण विस्तार कार्यक्रम
9. कॉफरेली व दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताएं
10. पशु एवं पशुपालक बीमा योजनाएं
11. गौशाला विकास कार्यक्रम
12. देशी नस्लों के संरक्षण हेतु गीर, कांकरेज, साहीवाल, राठी एवं थारपारकर नस्ल की गायों के फार्म की स्थापना।

(3) गोपालन विभाग बनने के पश्चात् किये गये कार्य एवं प्रस्तावित कार्य निम्नानुसार है :-

(अ) किये गये कार्य

1. जोधपुर एवं जयपुर संभाग में संचालित समस्त गौशालाओं के व्यवस्थापक/उत्कृष्ट कर्मियों का एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम।

(पशुपालन मंत्री)

2. गौशाला प्रबन्धकों का छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. दस जिलों क्रमशः नागौर, जोधपुर, सीकर, पाली, चूरू, जयपुर, जालौर, हनुमानगढ़, जैसलमेर एवं बीकानेर की एक-एक उत्कृष्ट गौशालाओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरित।

4. 158 गौशालाओं का पंजीकरण।

5. पंचगव्य शोध हेतु राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर व आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के मध्य एम.ओ.यू. करवाया गया।

(ब) प्रस्तावित कार्य

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंजीकृत गौशालाओं के लिए स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर अभिसरण (कन्वर्जन्स) के माध्यम से निर्माण कार्य करवाना।

2. गौशाला विकास हेतु गुरु गोलवलकर जनसहभागिता योजनान्तर्गत गौ-आवास, पक्का फर्श, गौमूत्र टैंक, नंदीशाला, चारदीवारी, पेयजल हेतु खेली, बायोगैस, वर्मी कम्पोस्ट, आदि निर्माण कार्य करवाना।

3. वध से बचाऐं गौ वंश को भरण-पोषण हेतु सहायता।

4. नेशनल लाइवस्टाक मिशन अन्तर्गत गौशालाओं में कुट्टी मशीन वितरण।

5. पंचगव्य शोध कार्य/अध्ययन करवाना।

6. राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में आवश्यक संशोधन कर प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।

परिशिष्ट-1

निदेशालय, गोपालन विभाग

कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संवर्गवार सूचना

क्र. सं.	स्वीकृत पद	संख्या	कार्यरत	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	निदेशक	1	1	—
2.	अतिरिक्त निदेशक	1	1	—
3.	संयुक्त निदेशक	3	3	—

1	2	3	4	5
4.	उप निदेशक	1	1	—
5.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	3	2	1
6.	पशु चिकित्सा अधिकारी	2	2	—
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	—	1
8.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	1	1	—
9.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	1	1	—
10.	कनिष्ठ लेखाकार	4	—	4
11.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	—	1
12.	निजी सहायक	1	—	1
13.	कार्यालय सहायक	1	—	1
14.	लिपिक ग्रेड-I	5	2	3
15.	लिपिक ग्रेड-II	6	—	6
16.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	—
17.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	—	1
18.	पशुधन सहायक	1	1	—
19.	वाहन चालक	2	—	2
20.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	—	9
	कुल	**46**	**16**	**30**

अतिरिक्त निदेशक
गोपालन विभाग, जयपुर

खैरथल औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की योजना

62. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में औद्योगिक क्षेत्र खैरथल का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विस्तार की क्या योजना है, व नहीं, तो क्यों?

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(2) क्या उक्त औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु ग्राम बल्लभग्राम से घाटला तक की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र खैरथल में बिजली, पानी, सड़क, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना रीको की जिम्मेदारी है? यदि हां, तो उक्त सुविधाओं पर गत दो वर्षों में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र खैरथल का विस्तार करने की कोई कार्य योजना लम्बित नहीं है। यपि क्षेत्र में हो रहे औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस हेतु प्रारम्भिक रूप से ग्राम सीमा-मातौर एवं सीमा-घाटला से लगती हुई भूमि चिह्नित की गई है जिसका राजस्व रिकार्ड एकत्रित किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड के परीक्षणोपरान्त एवं चिह्नित भूमि के स्थल निरीक्षण किये जाने पश्चात अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ग्राम-बल्लभग्राम से घाटला तक की भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र खैरथल में बिजली, पानी, सड़क, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना रीको की जिम्मेदारी है। रीको औद्योगिक क्षेत्र खैरथल में आधारभूत सुविधाओं पर गत दो वर्षों में विभिन्न मदों में निम्नानुसार राशि व्यय की गई है :-

वित्तीय वर्ष	सडक एवं नाली (लाखों में)	स्ट्रीट लाइट (लाखों में)	जल प्रदाय योजना (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
2013-14	-	3.82	7.51	11.33
2014-15 (माह जनवरी 2015 तक)	3.44	1.25	3.69	8.38

प्रदेश में नवीन जिलों का गठन

63. श्री शंकरसिंह (ब्यावर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नये जिले बनाने हेतु सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी द्वारा जिला बनाने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है?

(2) उक्त कमेटी द्वारा सरकार को अब तक कितने नाम प्रस्तावित किये गये हैं? क्या कमेटी द्वारा प्रस्तावित नामों में ब्यावर का नाम भी सम्मिलित है?

(3) क्या सरकार ब्यावर को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जिला गठन के लिए सुझाव देने हेतु श्री परमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त आई ए एस की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति पुनर्गठित है। उच्च स्तरीय समिति द्वारा अभी तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(2) उच्च स्तरीय समिति द्वारा अभी तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(3) उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट/अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने हेतु अभियान

64. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर डिस्काम की केन्द्रीय टीमों ने जनवरी 2015 में 4 जिलों में कितने स्थानों पर विद्युत चोरी की जांचें कीं और उनमें से कितने स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई? जिन जिलों में अभियान चलाया गया, उनके नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर डिस्काम द्वारा अपने क्षेत्र के 4 जिलों में विशेष जांच अभियान में बिजली चोरी का आंकड़ा 40 प्रतिशत से ज्यादा पाया गया है?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(3) विशेष जांच अभियान की टीमों ने उक्त जिलों के 146 स्थानों पर बिजली चोरी करने वालों पर कितने लाख रुपये की पेनल्टी तय की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बूंदी शहर में विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 8 फरवरी, 2015 को सघन अभियान चलाया गया? यदि हां, तो कितने घरों पर कार्यवाही की गई व उन पर कितने लाख का जुर्माना किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश के डिस्काम व सरकार कारगर कदम उठाने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम आदेश क्र. जेपीडी/एमडी/एफ./डी 489 दिनांक 29.1.2015 द्वारा जयपुर डिस्काम के केन्द्रीय सतर्कता दलों को विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जिसकी अनुपालना में केन्द्रीय सतर्कता दल के अधिकारियों द्वारा दिनांक 2.2.2015 से 6.2.2015 तक भरतपुर, धौलपुर, दौसा व करौली जिलों में 155 स्थानों पर सतर्कता जांच की जाकर, वी सी आर भरी गयी, जिनमें 146 स्थानों पर विद्युत चोरी पायी गयी। अभियान का जिलेवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(3) विशेष सतर्कता जांच अभियान के दौरान 146 स्थानों पर विद्युत चोरी के मामलों में वी सी आर भरी गयी, जिसमें में कुल 37.76 लाख रु. का राजस्व निर्धारण किया गया।

(4) जी हां। बूंदी शहर में दिनांक 08 फरवरी, 2015 को सघन सतर्कता अभियान चलाया गया था जिसके दौरान 102 वी सी आर भरी गईं, जिसके अन्तर्गत रु. 8.10 लाख रु. का जुर्माना लगाया गया।

(5) राज्य सरकार विद्युत चोरी/विद्युत छीजत रोकने के लिये कृत-संकल्पय है। विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु राज्य में तीनों विद्युत वितरण निगमों के सतर्कता एवं पवस अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सतत् सतर्कता जांच की जा रही है एवं विद्युत चोरी/अत्यधिक विद्युत छीजत वाले क्षेत्रों को चिह्नित किया जाकर, समय-समय पर विशेष/गहन सतर्कता जांच

(ऊर्जा मंत्री)

अभियान चलाकर दोषियों की धरपकड़ की जा रही है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु प्रदेश भर में 46 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने स्थापित किये गये हैं, जिनके द्वारा विद्युत चोरी अपराधों में दर्ज अभियोगों पर त्वरित अनुसंधान किया जाकर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। विद्युत चोरी रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रपत्र अ

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.
Progress of Special Vigilance checking carried out by CVS officers in theft prone areas from dt. 2.2.14 to 6.2.14

S. No.	Name of Circle/District	Total VCRs drawn	Theft cases detected	Other misuse	Tentative Assessment Rs. In lacs
1.	Bharatpur	53	47	6	13.75
2.	Dholpur	36	33	3	8.55
3.	Dausa	41	41	0	7.25
4.	Karauli	25	25	0	8.21
	Total	**155**	**146**	**9**	**37.76**

Addl. Supdt. of Police (Vig.)
Jaipur Discom, Jaipur

प्रदेश में लापता व्यक्तियों की तलाश हेतु कार्य योजना

65. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में लापता व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितने लोग (बच्चे, महिला, पुरुष) गायब हुए? वर्षवार/जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लापता व्यक्तियों की तलाश हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में लापता व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है-

वर्ष	लापता व्यरक्तियों की संख्या
2010	8763
2011	10350
2012	10580
2013	10547
2014	10952

लापता व्यक्तियों (बच्चे, महिला, पुरुष) का वर्षवार/जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) लापता व्यक्तियों की तलाश के भरसक प्रयास किये जाते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अनुसंधान किया जाता है। राज्य के समस्त जिलों में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश कार्यवाही हेतु मानव तस्करी विरोधी इकाई एवं गुमशुदा प्रकोष्ठ का गठन किया जा चुका है। महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के स्थायी आदेश क्रमांक 119-170 दिनांक 24/01/2013 से गुमशुदा बच्चों के लिए एफ आई आर दर्ज कर त्वरित अनुसंधान के आदेश जारी किये गये। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राइट्स, जयपुर के द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating procedure) पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 20.06.2013 जारी किया गया । (परिशिष्ट "ब" एवं "स") इस विषय की गम्भीरता के दृष्टिगत माह जनवरी, 2015 में "आपरेशन स्माइल" चलाया गया जिसका परिणाम परिशिष्ट "द" पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में संचालित नर्सिंग कालेजों की अनियमितताओं की जांच

66. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नर्सिंग कालेज खोलने व चलाने हेतु नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उक्त नियमों के तहत वर्तमान में कुल कितने

(श्री जोगाराम पटेल)

मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेज संचालित हैं एवं क्या उनकी जांच हेतु कोई जांच एजेन्सी बनी हुई है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कौन-कौन से नर्सिंग कालेज नियमों की अवहेलना करते हुए पाये गये व उनके विरुद्ध कब व क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009 से 2013 तक सरकार द्वारा कुल कितने नर्सिंग कालेजों को मान्यता प्रदान की गई एवं वर्तमान में कुल कितने आवेदन सरकार के पास विचाराधीन हैं?

(3) नियमों की अवहेलना कर कितने नर्सिंग कालेजों को मान्यता प्रदान की गई एवं इस सम्बन्ध में कितने प्रकरण किस-किस नर्सिंग कालेज के विरुद्ध किस-किस जांच एजेन्सी के समक्ष विचाराधीन हैं तथा इस हेतु दोषी कितने अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा कार्यवाही विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान में नर्सिंग कालेजों को खोलने व चलाने हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। राज्य में वर्तमान में कुल 150 मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेज संचालित किये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। नर्सिंग कालेजों की जांच हेतु कोई जांच एजेन्सी नहीं बनी हुई है, परन्तु किसी संस्था के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल/ राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से जांच कराई जाती है। गत 5 वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 64 नर्सिंग कालेजों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। 41 नर्सिंग कॉलेजों के विरुद्ध वर्तमान में जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में अन्वेषणाधीन है।

(2) वर्ष 2009 से 2013 तक सरकार द्वारा कुल 75 नर्सिंग कालेजों को मान्यता प्रदान की गई एवं वर्तमान में इस हेतु सरकार के पास एक भी आवेदन विचाराधीन नहीं है।

(3) राज्य सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने में नियमों की अवहेलना नहीं की गई। सरकार द्वारा सभी कालेजों को आई.एन.सी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

वर्तमान में 41 नर्सिंग कालेजों के विरुद्ध प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष अन्वेषणाधीन हैं। सूची परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्तमान में 2 कर्मचारियों, श्री राधेश्याम उपाध्याय, नर्सिंग ट्यूटर, जी.एन.एम.टी.सी., अजमेर तथा श्री महेश शर्मा, नर्सिंग ट्यूटर, जी.एन.एम.टी.सी., जयपुर को सी सी ए नियम-16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

चित्तौड़गढ़ कृषि उपज मण्डी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना

67. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 3 के अन्तर्गत समितियों का वर्गीकरण मण्डी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है? यदि हां, तो क्या चित्तौड़गढ़ मण्डी की वार्षिक आय 5 करोड़ से अधिक होने के उपरांत भी व्या पक सुविधाओं का अभाव है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत बजट सत्र के दौरान सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ कृषि उपज मण्डी में सभी मूलभूत सुविधाएं यथा कोल्ड स्टोरेज, प्लेटफार्म, सडक, सुरक्षा व पेयजल तथा व्यापक रोशनी हेतु उचित लाइटें, कैंटीन, इत्यादि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो अब तक क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश से बाहर जा रहे राजस्व को रोकने एवं स्थानीय किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उक्त मण्डी का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, चित्तौड़गढ़ की मण्डी शुल्क से वार्षिक आय किसी भी वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं रही है। मण्डी प्रांगण में किसानों/व्यापारियों के लिए वर्तमान में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं यथा आन्त्रिक सडकें, पीने के पानी हेतु एक टयूबवेल एवं एक हैण्डपम्प, रोड लाइट, दो हाइमास्क लाइटें, तीन खुले व एक कवर्ड नीलामी चबूतरे, कैन्टीन, ग्रामीण गोदाम, कृषक विश्राम गृह, किसान भवन, इत्यादि उपलब्ध है।

(कृषि विपणन मंत्री)

(2) जी नहीं। गत बजट सत्र के दौरान सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, चित्तौड़गढ़ हेतु इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई।

(3) नियमानुसार किसान अपनी कृषि उपज के प्रतिस्पार्धात्मक एवं उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु राज्य की किसी भी मण्डी में या राज्य के बाहर अपनी उपज विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है। कृषि उपज मण्डी समितियों के क्षेत्र में कृषकों की उपज के विक्रय पर नियमानुसार मण्डी शुल्क प्राप्त किया जाता है।

मण्डी के विकास हेतु मण्डी समिति की आवश्यकता एवं आय/बचत को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करवाये जाते हैं।

जमवारामगढ़ में बन्द औद्योगिक इकाइयों के पुनः संचालन की कार्य योजना

68. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मध्यम एवं लघु श्रेणी की कितनी औद्योगिक इकाइयों संचालित हैं? पृथक-पृथक संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त इकाइयों में से कितनी इकाइयां चालू हैं और कितनी इकाइयां बंद एवं रुग्ण स्थिति में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बंद एवं रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुन: प्रारम्भ करवाने के लिए कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मध्यम श्रेणी की शून्य एवं लघु श्रेणी की 5 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं।

(2) वर्तमान में उक्त समस्त पांचों इकाइयां कार्यरत हैं एवं किसी भी इकाई के रुग्ण एवं बन्द होने की सूचना नहीं है।

(3) यह प्रश्न नहीं उठता है।

डग में राजस्व गांव बनाने की कार्य योजना

69. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2011 में 250 की आबादी वाले ग्रामों को नियमानुसार राजस्व ग्राम बनाने की नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र डग के 250 की आबादी वाले कौन-कौन से ग्रामों को कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्व ग्राम घोषित करने की निर्धारित नीति की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजस्व ग्राम घोषित होने वाले गांवों को राजस्व ग्राम बनाकर विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डग की तहसील पचपहाड़ में 6 मजरे/ढाणियों (बांडी, मेहरपुरा, ताई का खेड़ा, हरिपुरा, भगवानपुरा व दांता का खेड़ा) व तहसील गंगधार में 3 मजरे/ढाणियों (गणेशपुरा, भवानीपुरा व ताजखेड़ी) को राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल स्तर पर विचाराधीन है।

नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जिला कलक्टर झालावाड़ के प्रस्ताव राजस्व मण्डल राज., अजमेर के माध्यम से प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जा सकेंगे।

(2) वर्तमान में कोई शिकायत/कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(3) नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जिला कलक्टर, झालावाड़ के प्रस्ताव राजस्व मण्डल राज., अजमेर के माध्यम से प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने पर मूलभूत सुविधाओं/विकास योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा प्राप्त करने के लिए कार्य योजना

62. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1984 के समझौते के तहत जल और विद्युत परियोजनाओं यथा आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियन पन परियोजना, थीन बांध परियोजना, शाहपुर कडी परियोजना, आदि से राज्य का हक लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनाबंटित कोटे से राज्य के हिस्से में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1984 के समझौते के तहत जल और विद्युत परियोजनाओं यथा आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियन पन परियोजना, थीन बांध परियोजना, शाहपुर कडी परियोजना, आदि से राज्य अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष हर स्तर पर जैसे कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, मुख्य मंत्री व ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन आदि में मुद्दे को उठाकर समाधान हेतु लगातार प्रयत्न कर रही है व भविष्य में भी करेगी। राज्य सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद सन् 1984 के समझौते के तहत उपरोक्त परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत में राजस्थान और हरियाणा का हिस्सा तय नहीं होने के कारण राजस्थान सरकार के मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन विभाग) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया गया है जिसके न्यायालय में दिनांक 15.4.2015 को सूचीबद्ध होने की सम्भावना है।

(2) केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनाबंटित कोटे से राज्य के हिस्से में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार निरन्तर भारत सरकार से निवेदन कर रही है।

बगरू के जी.एस.एस. में सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

63. **श्री कैलाश वर्मा** (बगरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश वर्मा)

विधान सभा क्षेत्र बगरू में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जी.एस.एस. कहां-कहां संचालित हैं और उक्त जी.एस.एस. के अधीन कितने सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं अन्य स्टाफ के पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बगरू में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 33/11 केवी के कुल 37 सब-स्टेशन स्थापित है। इनमें से 21 सब-स्टेशन जयपुर जिला वृत्त के अधीन है एवं 16 सबस्टेशन जयपुर शहर वृत के अधीन है, जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। जयपुर जिला वृत्त के 21 सब-स्टेशनों की देख-रेख व अन्य कार्यों के लिये तीन सहायक अभियन्ता कार्यालय क्रमश: बगरू, बगरू-औद्योगिक क्षेत्र एवं ग्रामीण सांगानेर में कार्यरत है। जयपुर नगर वृत्त के 16 सब-स्टेशनों की देख-रेख व अन्य कार्यों के लिये दो सहायक अभियन्ता कार्यालय एच.टी.एम. चतुर्थ एवं एच.टी.एम. षष्टम कार्यरत हैं। सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं अन्य स्टॉफ के पद सब-स्टेशनवार स्वीकृत नहीं होकर उपखण्ड स्तर पर स्वीकृत होते हैं। बगरू विधान सभा क्षेत्र के अधीन स्थित उक्त पांच सहायक अभियन्ता कार्यालयों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्धं है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को समाप्त किये जाने के कारण मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों का कार्यालयवार पुनर्निर्धारण किया जाना है।

कनिष्ठ अभियन्ता एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भविष्य में होने वाली भर्ती अथवा पदों के कार्यालयवार पुनर्निर्धारण द्वारा भरा जा सकेगा। तकनीकी सहायक के रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती प्रक्रियाधीन है।

प्रपत्र-अ

बगरू विधान सभा क्षेत्र में स्थापित 33/11 केवी सब-स्टेशन	
जयपुर जिला वृत्त	**जयपुर शहर वृत्त**
1. बड का बालाजी	1. सीतापुरा ओल्ड
2. सेज	2. स्टोन मार्ट
3. कलवाडा	3. सेज प्रथम
4. रामपुरा ऊटी	4. सेज द्वितीय
5. हरध्यानपुरा	5. रामचन्द्रपुरा
6. बगरू रावान	6. सीतापुरा द्वितीय
7. जयसिंहपुरा	7. जगतपुरा
8.बाड अवानिया	8. सिदार्थ नगर
9. महापुरा	9. रामनगरीया
10. ओमेक्स सिटी	10. इन्दिरा गांधी नगर
11.अजयराजपुरा	11. लूनिया वास
12.रीको बगरू प्रथम	12. एन.आर.आई.,
13. रीको बगरू द्वितीय	13. महल
14. वाटिका	14. मेवाड़ अपार्टमेंट
15. गोनेर	15. प्रताप अपार्टमेंट
16. 12 मील	16. द्वारिकापुरी
17. पवांलिया	
18. डावला	
19. दांततिल	
20. श्री किशनपुरा	
21. मोहब्बतपुरा	

प्रपत्र ब

बगरू विधान सभा क्षेत्र के अधीन स्थित पांच सहायक अभियन्ता कार्यालयों के स्वीकृत पदों का विवरण

पद का नाम/संवर्ग	बगरू-IA	बगरू पवस	सांगानेर	एच.टी.एम. चतुर्थ	एच.टी.एम. षष्टम
सहायक अभियन्ता	1	1	1	1	1
कनिष्ठ अभियन्ता	2	3	5	2	3
मंत्रालयिक कर्मचारी	10	15	15	1	1
तकनीकी कर्मचारी	15	127	114	84	128

बगरू विधान सभा क्षेत्र के अधीन स्थित पांच सहायक अभियन्ता कार्यालयों के रिक्त पदों का विवरण

पद का नाम/संवर्ग	बगरू-IA	बगरू पवस	सांगानेर	एच.टी.एम. चतुर्थ	एच.टी.एम. षष्टम
सहायक अभियन्ता	0	0	0	0	1
कनिष्ठ अभियन्ता	1	0	0	1	0
मंत्रालयिक कर्मचारी	7	6	9	0	0
तकनीकी कर्मचारी	7	1	13	0	0

औद्योगिक इकाइयों के लिए विद्युत दरों का निर्धारण

64. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध करवाई जा रही बिजली की दरें क्या-क्या निर्धारित की गई हैं तथा उसमें किस-किस मद की राशि को सम्मिलित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्युत चार्ज में फ्यूल सरचार्ज को परिवर्तन कर बढ़ा दिया गया है? यदि हां, तो कितना, कब से व किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(3) क्या सरकार भविष्य में उक्त विद्युत चार्ज में विभिन्न मदों की दरों को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 20.2.2015 को जारी टैरिफ आदेश (दिनांक 1.2.2015 से लागू) के तहत लघु/मध्यम/वृहद औद्योगिक श्रेणी के लिए तय की गई दरें परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त दर के अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत कर अधिनियम 1962 के तहत पूर्व की भांति निम्नानुसार राशि वसूलने का प्रावधान है -

1. विद्युत कर- रु. 0.40 प्रति यूनिट
2. वाटर सेस- रु. 0.10 प्रति यूनिट
3. नगरीय कर- रु. 0.15 प्रति यूनिट

(2) उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ईंधन अधिभार की गणना कर प्रति तिमाही अतिरिक्त राशि लिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ईंधन अधिभार का परिकलन निर्धारित सूत्र द्वारा किया जाता है जो कि पिछली तिमाही के दौरान की गई विद्युत क्रय के सभी स्त्रोतों की भारित औसत परिवर्तनीय लागत के प्रचालनाधीन वर्ष के लिए टैरिफ आदेश के तहत अनुमोदित भारित औसत परिवर्तन लागत का अन्तर पिछली तिमाही के दौरान विक्रय की गई ऊर्जा (मीटर्ड+अनुमानित) के ऊपर निर्भर करता है। पूर्व में प्रचलित गणना के लिए निर्धारित सूत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फ्यूल सरचार्ज किसी भी तिमाही में आयोग द्वारा अनुमोदित भारित औसत विद्युत क्रय लागत से 10 प्रतिशत से अधिक वसूलनीय नहीं है। वर्ष 2012-13, 2013-14 व वर्ष 2014-15 में वसूले गये फ्यूल सरचार्ज का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में विद्युत वितरण निगमों को प्रति वर्ष विद्युत दरों के पुनर्निरीक्षण कर आयोग के समक्ष याचिका दाखिल करनी होती है जिस पर दरों को बढ़ाने या नहीं बढ़ाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रमण व रात्रिकालीन विश्राम के नियमों की पालना

65. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : क्या प्रशासनिक सुधार और समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के विभिन्न विभागों के सचिव/विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के क्षेत्र में भ्रमण व रात्रिकालीन विश्राम के क्या नियम/लक्ष्य निर्धारित हैं? उनके द्वारा गत दो वर्षों में कितने-कितने भ्रमण किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा नियमानुसार भ्रमण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) 1. विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले भ्रमण एवं रात्रिकालीन विश्राम के लक्ष्य राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(39) प्रसु/अनु.-2/97 दिनांक 19.4.1999 द्वारा निर्धारित किये गये थे। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

2. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(39) प्रसु/अनु.-2/97 दिनांक 19.3.2012 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण हेतु भ्रमण एवं रात्रि विश्राम के मापदण्ड निर्धारित किये गये। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

3. राज्य सरकार द्वारा आम जन की समस्याओं की सुनवाई कर उनका त्वरित समाधान व निराकरण की सुविधा सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने के दृष्टि से आदेश क्रमांक प.3(8) प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 को जारी किये गये हैं। शासन सचिवों हेतु इन्हीं आदेशों के क्रम में दिनांक 1.1.2015 को निर्देश जारी किये गये हैं। प्रति क्रमश: परिशिष्ट-3 एवं 4 पर संलग्न हैं।

4. शासन सचिवों, विभागाध्यक्षों व अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रमणों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-5 एवं 6 पर संलग्न है।

(2) आदेश क्रमांक प.3(8) प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 के अनुसार सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के द्वारा समुचित कार्रवाई की जायेगी।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में पैट्रोल/डीजल की दरों में असमानता

66. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान व पड़ोसी राज्यों की पेट्रोल व डीजल की दरों में काफी अन्तर है? यदि हां, तो कितना-कितना व किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दरों में अत्यधिक भिन्नता होने के कारण पेट्रोल व डीजल की तस्करी गत दिनों में काफी बढ़ी है जिसके कारण सरकार को लाभ के बजाय घाटा हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस भिन्नता को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि केवल रोड सेस राजस्थान में ही लगाया हुआ है व बाकी पड़ोसी राज्यों में नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसको हटाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान एवं पड़ौसी राज्यों में पेट्रोल व डीजल की दरों में अन्तर का कारण इन राज्यों में अलग-अलग कर दर होना है। राजस्थान एवं सीमावर्ती राज्यों की कर दरों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सीमावर्ती राज्यों में कर दरों में भिन्नता के कारण सीमा के दोनों ओर तस्करी की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व को ध्यान मे रखते हुए कर दरों में भिन्नता को समाप्त करना प्रस्तावित नहीं है।

(3) राजस्थान के पड़ोसी राज्यों गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली में भी सेस/सरचार्ज/अतिरिक्त कर लागू है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान एवं पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल एवं डीजल पर कर की दरों का विवरण

राज्य	पेट्रोल	डीजल
राजस्थान	30.00% + 1 रुपया प्रति लीटर सैस	22.00% + 1 रुपया प्रति लीटर सैस
मध्य प्रदेश	31%	27%
गुजरात	23%, सैस-2% टर्नओवर पर	21%, सैस-3% टर्नओवर पर
दिल्ली	20.00%	12.50%, (सैस-Rs. 250/- प्रति किलो लीटर पर)
हरियाणा	25% + वैट पर अतिरिक्त कर 5 प्रतिशत	11.50% + वैट पर अतिरिक्त कर 5 प्रतिशत
पंजाब	28% कर पर सरचार्ज 10 प्रतिशत, सैस रुपये 1000 प्रति किलो लीटर	11.25% सामान्य पर तथा 13% ब्रान्डेड पर एवं कर पर सरचार्ज 10 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	26.8%	17.48%

प्रदेश में आबकारी/वाणिज्यिक करापवंचन के दर्ज प्रकरण

67. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक आबकारी व वाणिज्यिक करापवंचन के कुल कितने प्रकरण किस-किस व्यक्ति व फर्म के विरुद्ध दर्ज किये गये? स्थान व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज किये गये प्रकरणों में से किन-किन प्रकरणों में कितनी राशि वसूल कर ली गयी है और किन-किन प्रकरणों में वसूली किया जाना शेष है एवं शेष वसूली कब तक कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्तमान में आबकारी व वाणिज्यिक करों के कितने करापवंचक ऐसे हैं जिनके विरुद्ध एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है? उक्त करापवंचकों से अब तक बकाया राशि वसूल नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक बकाया राशि वसूल कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आबकारी विभाग में राजस्व की प्राप्ति मुख्यत: आबकारी ठेकों के माध्यम से प्राप्त होती है। रिटेल आन अनुज्ञाधारी व अन्य अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने पर ही अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं। अत: विभाग में सामान्यत: करापवंचन के प्रकरण नहीं होते हैं तथापि दिनांक 1.1.2014 से दिनांक 31.1.2015 के दौरान सृजित विभाग के राजस्व बकाया के 18 प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न प्रेषित है।

वाणिज्यिक कर विभाग में दिनांक 1-1-2014 से अब तक कुल 8,653 प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

(2) आबकारी विभाग मे दर्ज किए गए प्रकरणों में की गई वसूली तथा बकाया का विवरण परिशिष्ट-1 में तथा वाणिज्यिक कर विभाग में दर्ज किये गये प्रकरणों में की गई वसूली तथा बकाया का विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित है।

आबकारी विभाग के राजस्व बकाया प्रकरणों में वसूली भू राजस्व अधिनियम 1956 व भारतीय भू राजस्व अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।

वाणिज्यिक कर विभाग के जिन प्रकरणों मे न्यायालय का स्थगन नहीं है, ऐसे प्रकरणों में बैंक खातों की कुर्की, चल-अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा जमानतियों से वसूली जैसे विकल्पों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है । जिन प्रकरणों मे स्थगन है, उनमें स्थगन आदेश को निरस्त कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) आबकारी विभाग में रुपये एक लाख से अधिक राजस्व बकाया के 187 लम्बित प्रकरण हैं। वसूली न होने का मुख्य कारण बाकीदारों के पास वर्तमान में सम्पत्तियां न होना, बैक-आउट होने से इनका पता सही नहीं होना, राज्य के बाहर निवासरत होना, संयुक्त स्वामित्व की सम्पतियां होना है। बकाया राजस्व की वसूली हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से भू राजस्व-अधिनियम 1956 एवं राज्य के बाहर बाकीदारों से भारतीय भू राजस्व अधिनियम 1890 के अन्तर्गत बाकीदारों से वसूली की कर्यवाही की जा रही है।

वाणिज्यिक कर विभाग में एक लाख रुपए से अधिक बकाया के 895 प्रकरण हैं। राशि बकाया रहने का मुख्य कारण न्यायालय/कर-बोर्ड/अपीलीय अधिकारी का स्थगन, बकायादार उपलब्ध नहीं होना, बकायादार द्वारा व्यवसाय बन्द कर देना, आदि हैं।

(वित्त मंत्री)

जिन प्रकरणों में न्यायालय का स्थगन नहीं है, ऐसे प्रकरणों में बैंक खातों की कुर्की, चल-अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा जमानतियों से वसूली की कर्यवाही की जा रही है। जिन प्रकरणों मे स्थगन है, उनमें स्थगन आदेश को निरस्त कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डग में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

68. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में पुरानी विद्युत लाइनों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डग में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) प्रदेश में सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन के लम्बित आवेदनों पर कब तक कनेक्शन देने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्यमान विद्युत लाइनों को आवश्यकतानुसार बदलना एक सतत् प्रक्रिया है। प्रदेश में समय-समय पर एवं मानसून पूर्व व दीपावली पर्व पर आवश्यंक रख-रखाव कार्यक्रम चलाया जाता है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर रख-रखाव कार्यक्रम जारी है जिसके अन्तर्गत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है।

(2) सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु निवेश निजी सौर ऊर्जा उत्पादकों द्वारा किया जाता है। इसके लिए भूमि/स्थान का चयन भी निजी निवेशक द्वारा अपने स्तर पर किया जाता है। वर्तमान में डग क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु किसी भी निजी निवेशक का प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(3) वर्तमान में राज्य में कृषि सामान्य श्रेणी में माह मार्च, 2009 तक के आवेदित आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं। मांग पत्र राशि जमा आवेदनों के कनेक्शन निर्धारित वार्षिक लक्ष्यानुसार/सामान की उपलब्धतानुसार जारी किये जा रहे हैं। बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना के दिनांक 31.10.2014 तक प्राप्ति आवेदनों का निस्तारण नियमानुसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, तुरन्त प्राथमिकता वाले संवर्गों के आवेदित कनेक्शनों के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता से जारी किये जा रहे हैं। इनके मांग पत्र राशि जमा आवेदकों के कनेक्शन नियमानुसार जारी किये जा रहे हैं। राज्य में इस वर्ष

(ऊर्जा मंत्री)

40,000 कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शेष लम्बित कनेक्शनों का निष्पादन तकनीकी साध्यता व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों में किया जावेगा।

प्रदेश में अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट की स्थापना

69. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में देश का पहला अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट स्थापित करने में कई प्रकार की बाधाएं आ रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी तथा सरकार उनको किस प्रकार दूर करने का विचार रखती है? अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट से होने वाले लाभों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर भी अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार ने सांभर में भारत सरकार के राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रस्तावित अल्ट्रामेगा सोलर पॉवर प्लान्ट की स्थापना के प्रस्ताव के सन्दर्भ में भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री को एक पत्र द्वारा निवेदन किया कि इस क्षेत्र को राजस्थान सरकार केवल नमक के उत्पादन तथा पर्यटन के विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए आरक्षित करना चाहती है और सौर संयंत्र स्थातपित करने का प्रस्ताव WETLANDS (CONSERVATION & MANAGEMENT) RULES, 2010 के प्रावधानों के विपरीत है, जिसके तहत सांभर झील अधिसूचित आर्द्र भूमि (WETLAND) है।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली (MNRE) ने सोलर पार्क व अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को "Implementation of a Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Power Projects in Country commencing from 2014-15 and onwards i.e. from the year 2014-15 to 2018-19." स्कीम जारी की है, जिसके तहत पूरे देश में 25 सोलर पार्क 20,000 मेगावाट क्षमता के लगाने का लक्ष्य है। इस स्कीम के तहत राजस्थान में 700 मेगावाट क्षमता का भडला सोलर पार्क फेज-II Rajasthan Solarpark Development Company Limited द्वारा विकसित किया जा रहा है तथा भडला फेज-III 1,000 मेगावाट क्षमता एवं जैसलमेर फेज -I 1,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क IL&FS और राजस्थान सरकार के जोइंट वेन्चर (JVC) द्वारा विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

प्राकृतिक आपदाओं में राहत देने हेतु निर्धारित मानदण्ड

70. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में आगजनी, ओलावृष्टि एवं सड़क दुर्घटना जैसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को राहत देने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परिस्थिति में स्थानीय विधायक व सांसद अपने कोष से सहायता स्वीकृत कर सकते हैं? यदि हां, तो अधिकतम राशि कितनी व नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राकृतिक आगजनी व ओलावृष्टि जैसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को राहत देने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस डी आर एफ मापदण्डों की छायाप्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है एवं दुर्घटना जैसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को मुख्यमंत्री सहायता कोष से राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों की छायाप्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश के कारागृहों में कैदियों को देय मूलभूत सुविधाएं

71. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में किस-किस कारागृह, उप कारागृह में कैदियों को रखे जाने की क्षमता कितनी-कितनी है एवं वर्तमान में किस-किस कारागृह में कितने-कितने कैदी हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश की अनेक जेलों में क्षमता से अधिक बंदी हैं? यदि हां, तो क्यों एवं क्या सरकार प्रदेश में नये कारागृह निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश की जेलों में मूलभूत सुविधाओं एवं सुरक्षाकर्मियों की कमी है? यदि हां, तो किस-किस जेल में एवं क्या सरकार इस हेतु कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की कारागृहों में बंदियों को रखे जाने की क्षमता एवं वर्तमान में निरुद्ध बन्दियों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जनाधिक्य की समस्या के निवारण हेतु वर्तमान में जयपुर में 500 विचाराधीन बन्दी, बीकानेर में 400 विचाराधीन बन्दी, कोटा में 1000 दण्डित व 1,000 विचाराधीन बंदी तथा दौसा में 1,000 दण्डित बंदी क्षमता के 5 नये कारागृह भवनों का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

(3) प्रदेश के कारागृहों में शौचालय तथा स्नानागारों की कमी को दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में रुपये 1,000.00 लाख की स्वीकृति से 747 शौचालय एवं 689 स्नानागारों का निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य की कारागृहों में स्वीकृत एवं उपलब्ध सुरक्षाकर्मियों की स्थिति परिशिष्ट "ब" के अनुसार है। कारागृहों में 695 बार्डर होम गार्ड एवं 375 शहरी/ग्रामीण होम गार्ड स्वयं सेवक तैनात किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, गत वर्ष 13वीं बटालियन आर.ए.सी. भी जेल सुरक्षा हेतु तैनात की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गौ-तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

72. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक कितने प्रकरण कहां-कहां पर गौ-तस्करी के पाये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अधिकांश गौ-तस्करों को बिना किसी पुख्ता कार्यवाही के छोड़ दिया जाता है? यदि नहीं, तो 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक गौ-तस्करी के पकड़े गये प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गौ-तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 1 जनवरी 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक कुल 531 प्रकरण गौ तस्करी के सम्बन्ध में दर्ज हुए हैं। दर्ज प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) जी नहीं। 1 जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 तक गौतस्करी के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही की गई है। जिलेवार की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम 8 में अंकित है

(3) गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवृजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 पूर्व से लागू है। पुलिस विभाग द्वारा गौ तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर 531 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। गौतस्करी पर नियंत्रण हेतु अपराध शाखा द्वारा पत्रांक सी आई डी/सी बी पी आर सी ग्रुप-2/13/8858-99 दिनांक 10-09-2013 को जारी कर निर्देश प्रदान किए गये हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" सलग्न है। गौ तस्करी के प्रकरणो के समय पर निस्तारण करने के लिए केस आफिसर स्कीम में लिया जाकर कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्बन्ध में सी. आई डी सी बी से जारी पत्रांक सी आई डी/सी बी पी आर सी (201)/06/2396 दिनांक 25-7-2006 परिशिष्ट "सी" पर संलग्न है। गौ तस्कारी पर रोक लगाने एवं कानूनी कार्यवाही के निर्देश पत्रांक सी आई डी/सी बी पी आर सी/ग्रुप 2/2013/2192-2233 दिनांक 07.03.2013 द्वारा भी जारी किये गये है, जो संलग्न परिशिष्ट "डी" पर है। राज्य सरकार के पत्रांक एफ 27 क (39) गृह-2/14 द्वारा गौ तस्करी की रोकथाम हेतु 39 नई पुलिस चौकियों का गठन किया गया है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

करौली जिले के पुलित वृत्त में स्थानीय पुलिस अधिकारियों का पदस्थापन

73. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस वृत्त में स्थानीय पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थापित/नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई नियम या प्रक्रिया निर्धारित है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) जिला करौली में ऐसे कितने पुलिस अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, जो उसी वृत्त के निवासी हैं?

(3) उक्त सभी पुलिसकर्मी/अधिकारी कब से कब तक अपने निवास वाले वृत्त में कार्यरत रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त में से किस-किस को उसके मूल निवास क्षेत्र में बीट अधिकारी लगाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस वृत्त में स्थानीय पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थापित/नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक स.4(1)पुलिस-ए/राज/95/998-1118 दिनांक 5.5.2005 के द्वारा नियम व प्रक्रिया निर्धारित है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त प्रकिया संशोधित कर पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्र दिनांक 28.1.2015 से नई स्थानान्तरण नीति प्रस्तावित की गई है जो प्रक्रियाधीन है।

(2) वर्तमान में जिला करौली में कोई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपने गृह वृत में कार्यरत नहीं है।

(3) वर्तमान में कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपने निवास वाले वृत में कार्यरत नहीं है।

(4) वर्तमान में किसी पुलिसकर्मी/अधिकारी को उसके मूल निवास के बीट क्षेत्र में बीट अधिकारी नहीं लगाया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाई माधोपुर जिले में फर्जी अंकतालिका प्रकरण की एस.आई.टी. से जांच

74. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरपंच चुनाव, 2015 में शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास करने के बाद कई स्थानों पर फर्जी अंकतालिकाएं बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने लोग फरार हैं? गिरफ्तार किये गये लोगों से क्या-क्या बरामद हुआ तथा उन्होंने कहां-कहां पर फर्जी अंकतालिकाएं बेचना स्वीकार किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर (निर्वाचन अधिकारी), सवाई माधोपुर को ग्राम सीतोड़ तहसील बामनवास के ग्रामवासियों ने सरपंच सीतोड़ द्वारा फर्जी अंकतालिका लेकर चुनाव लड़ने की जांच के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? प्राप्त पत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सवाई माधोपुर के किन-किन थानों को फर्जी अंकतालिका लेकर सरपंच चुनाव में भाग लेने के मामलों में किस-किस न्यायालय से कितने-

(श्री हीरालाल)

कितने इस्तगासे प्राप्त हुये? क्या सरकार ऐसे प्राप्त प्रकरणों की जांच विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि प्रदेश में सरपंच चुनाव 2015 में शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास करने के बाद प्रदेश में कई स्थानों पर फर्जी अंकतालिकाओं के सम्बन्ध में 61 अभियोग दर्ज हुये हैं। फर्जी अंकतालिकाओं के सम्बन्ध दर्ज प्रकरणों में से चार व्यक्ति जिला अलवर, दो व्यक्ति जिला दौसा एवं दो व्यक्ति जिला सीकर में गिरफ्तार किये गये हैं। उपरोक्त दर्ज प्रकरणों में एक व्यक्ति जिला दौसा तथा दो व्यक्ति पाली में फरार हैं।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियो की संख्या, स्थान व फरार मुलजिमों की संख्या, गिरफ्तार किये गये मुलजिमों से बरामद सामग्री का विवरण तथा मुलजिमों द्वारा फर्जी दस्तावेज अंकतालिकाए बेचना स्वीकार किये जाने बाबत सूचना का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ के कालम संख्या क्रमश: 6, 2, 7, 8, 9 में अंकित है।

(2) यह सही है कि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को ग्राम सीतोड तहसील बामनवास के ग्रामवासियों ने सरपंच सीतोड द्वारा फर्जी अंकतालिका लेकर चुनाव लडने की जांच के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना बामनवास में अभियोग संख्या 31/15 दिनांक 23-2-2015 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.स. में कायम किया जाकर अनुसंधान जारी है। एस.आई.टी. से जांच कराने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(3) माननीय न्यायालय जे.एम. कोर्ट बामनवास जिला सवाई माधोपुर से पुलिस थाना बामनवास में एक इस्तगासा फर्जी अंकतालिका लेकर सरपंच चुनाव में भाग लेने के मामले में प्राप्त हुआ है, जिस पर अभियोग संख्या 31/15 दिनांक 23-2-2015 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.स. में कायम किया जाकर अनुसंधान जारी है। एस.आई.टी. से जांच कराने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

जनजाति वर्ग के नागरिकों के लिए स्वरोजगार की योजनाएं

75. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती गोलमा)

(1) प्रदेश में जनजाति वर्ग के नागरिकों को स्वरोजगार, व्यापार एवं उद्योग स्थापना में सहायता देने की क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं?

(2) उक्त योजनाओं के तहत गत 5 वर्षों में प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को कुल कितनी राशि से लाभान्वित किया गया?

(3) सरकार की जनजाति वर्ग में उद्यमिता एवं स्वरोजगार बढ़ाने के लिए क्या नीति एवं योजना है?

उत्तर

(1) प्रदेश के जनजाति वर्ग के नागरिकों को स्वरोजगार, व्यापार एवं उद्योग स्थापना में सहायता देने हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/उद्योग विभाग/राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड/राजस्थान वित्त निगम द्वारा निम्नानुसार सहायता देने की योजनाएं संचालित की जा रही है :-

(अ) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

1. स्वरोजगार योजना राजसंघ द्वारा वर्तमान में टी.ए.डी. विभाग की जनजाति स्वरोजगार (एस.टी. पोप) योजना का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगार बी.पी.एल युवक/युवतियों को उद्योग/सेवा/व्यवसाय यथा सिलाई कार्य, सीमेन्ट जाली निर्माण, चर्म कार्य, लौहारी कार्य, रेडीमेड गारमेन्ट्, फल-सब्जी की दुकान, बैलगाड़ी, मनिहारी, बिजली के सामान की दुकान, मेकेनिक शाप, साइकिल दुकान, रेडियो/टी.वी. सेवा केन्द्र, आटा चक्की, किराणा दुकान, इत्यादि के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000/- रुपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. समेकित मत्स्य, विकास परियोजना - उपयोजना क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में छोटे जलाशयों में मछली पालन के माध्यम से स्थानीय जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार का अतिरिक्त साधन उनके घर के समीप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समेकित आधार पर समेकित मत्स्य एवं विकास परियोजना का क्रियान्वयन राजसंघ द्वारा किया जा रहा है। योजना अन्तर्गत जलाशयों का सर्वेक्षण चयन एवं आबंटन, मत्स्य बीज संग्रहण, नाव-जाल उपलब्ध कराना, आखेट एवं विपणन में सहायता, इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित हैं। इस वर्ष उक्त योजना प्रतापगढ़ जिले में भी प्रारम्भ की जा रही है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

3. मत्स्य बीज पालन योजना - जनजाति वर्ग के चयनित लाभान्वितों की निजी भूमि पर मत्स्य बीज पालन की आधारभूत सुविधा विकसित की जाकर मत्स्य बीज पालन का कार्य चार स्थानों पर चयनित लाभान्वितों के माध्यम से कराया जा रहा है।

4. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम - इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में स्वीकृत राशि से 1,398 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

5. चिनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम- इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 मे स्वीकृत राशि से 250 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

6. जनजाति परिवारों के रोजगार की तलाश में पलायन को रोकने हेतु इन परिवारों के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना (चाइल्ड माइग्रेशन) -इस कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में स्वीकृत राशि से 4191 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ब) उद्योग प्रदेश में जनजाति वर्ग के नागरिकों सहित समस्त नागरिकों को उद्योग एवं सेवा इकाइयो की स्थापना में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक योजना संचालित है। इसके अतिरिक्त उघमिता कौशल विकास की योजनाए यथा कौशल विकास, उद्यमिता विकास, गृह उद्योग योजना में अन्य वर्गों के साथ जनजाति वर्ग के नागरिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार प्राप्त कर सकें।

(स) राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड - अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना (एसटी पोप) योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु पैकेज-आफ प्रोग्राम (पोप योजना) (शहरी एवं ग्रामीण) योजनान्तर्गत उन्नित गाय / भैंस, ऊंट गाड़ी, प्रोविजन स्टोर एवं बिजली सामान की दूकान आदि योजनाएं संचालित की जाती हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित निम्न योजनाओं में निगम द्वारा स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी के रूप में ऋण प्रदान किया जाता है:-

1. आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना
2. लघु ऋण वित्त योजना

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

3. लघु व्यवसाय ग्रामीण
4. लघु व्यवसाय शहरी
5. लघु व्यवसाय नई
6. आदिवासी शिक्षा ऋण योजना
7. ट्रैक्टर मय ट्रोली योजना
8. डेयरी
9. इलेक्ट्रिक बैटरी चलित रिक्शा योजना

(द) राजस्थाबन वित्त निगम- निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक से कोई योजना संचालित नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्धमियों को रु. 5.00 लाख तक का ऋण सामान्य से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर दिया जाता है तथा इस सीमा तक के ऋणों पर आवेदन शुल्कस एवं प्रोसेसिंग चार्जेज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

(2) उक्त योजनाओं में विगत 5 वर्षों में विभागों द्वारा दी गई राशि एवं लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है -

(अ) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग -

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	वितरित राशि (राशि लाख रु.)
2009-10	1803	153.21
2010-11	7218	2255.67
2011-12	1371	87.21
2012-13	2924	330.50
2013-14	3958	415.40

(ब) उद्योग विभाग -

क्र.सं.	वर्ष	लाभान्वितों का विवरण	
		संख्या	सहायता राशि (लाख रु. में)
1	2009-10	636	1004.24
2	2010-11	1090	1466.00
3	2011-12	1059	1495.00
4	2012-13	1357	2579.20
5	2013-14	512	1448.60

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(स) राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

वर्ष	अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना (एसटी पोप)		एनएसटीएफडीसी योजनान्तर्गत	
	कुल लाभान्वितों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (लाखों में)	कुल लाभान्वितों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (लाखों में)
2010-11	1052	130.95	886	419.76
2011-12	1296	132.38	1852	898.70
2012-13	1306	125.30	1612	846.60
2013-14	1568	161.50	1334	778.61
2014-15 (जनवरी 2015 तक)	764	97.97	1213	825.92

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति वर्ग में उद्यमिता एवं स्वरोजगार के लिए जनजाति कल्याण निधि एवं विशेष केन्द्रीय सहायता मद में उपलब्ध राशि से कौशल विकास कार्यकम के अन्तर्गत राज्य के युवक/युवतियों को प्रशिक्षित किये जाने की नीति एवं योजना है।

चित्तौड़गढ़ के आयुर्वेद औषधालयों में संविदा-कर्मियों का बकाया वेतन

76. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कितने राजकीय औषधालय किस-किस श्रेणी के कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(2) उक्त औषधालयों में कितने दवा वितरक/कर्मचारियों के पद सृजित हैं एवं उक्त में से कितने पद रिक्त हैं तथा कितने कर्मचारी संविदा पर कितने वेतन पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को गत एक वर्ष से वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो वेतन नहीं देने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वेतन से वंचित रहे कर्मचारियों को बकाया वेतन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में एक राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, 12 राजकीय आयुर्वेद औषधालय, एक राजकीय होम्योपैथिक औषधालय एवं एक आयुर्वेद चल चिकित्सा इकाई संचालित हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त आयुर्वेद, होम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालयों में सृजित कार्यरत एवं रिक्त पदों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ में संलग्न है। इन चिकित्सालयों एवं औषधालयों मे संविदा पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

(3) संविदा पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं होने से उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(4) संविदा पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं होने से उत्तर अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	नाम औषधालय	सृजित पद			रिक्त पद		
		चिकित्सक	कम्पा. नर्स	परिचारक	चिकित्सक	कम्पा. नर्स	परिचारक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	रा.जि.आ.चि. चित्तौड़	3	8	4	1	—	1
2	एक छत चितौड़	2	2	1	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
3	राज. आयु. औषधालय औछड़ी	1	—	1	—	—	—
4	राज. आयु. औषधालय नारेला	1	1	1	—	1	—
5	राज. आयु. औषधालय आंवलहेड़ा	1	1	1	—	—	—
6	राज. आयु. औषधालय पाल	1	1	1	1	—	—
7	राज. आयु. औषधालय नगरी	1	1	1	1	—	1
8	राज. आयु. औषधालय विजयपुर	1	1	—	1	—	—
9	राज. आयु. औषधालय सावा	1	1	1	1	—	—
10	राज. आयु. औषधालय घटियावली	1	—	1	1	—	1
11	राज. आयु. औषधालय गिलुन्ड	1	1	1	1	1	1
12	राज. आयु. औषधालय भदेसर	1	1	—	—	—	—
13	राज. आयु. औषधालय कन्नोज	1	1	—	1	1	—
14	चल चिकि. इकाई चित्तौड़गढ़	1	1	—	1	—	—
15	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, चित्तौड़गढ़	1	1	1	—	—	—
16	राज. होम्यो. चिकि. चित्तौड़गढ़	1	1	1	1	1	—

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर के भवन निर्माण के शेष कार्य

77. **श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर के भवन में कई निर्माण कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य करवाये गये हैं और कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं? कार्य व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पुराने सेफ्टी टैंक को बंद करवाने, नाला निर्माण करवाने व कच्चे फर्श के स्थान पर पक्का फर्श निर्माण कार्य भी करवाया गया है? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (सिविल विंग) द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। वर्तमान में कोई कार्य निर्माणाधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्नगत निर्माण कार्य प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाये जाने का प्रयास किया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	कार्य का नाम	बजट मद	कार्यकारी एजेन्सी	स्वीकृति वर्ष	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत राशि	कार्यादेश राशि	कार्य की व्यय राशि	वर्तमान स्थिति
1	रिपेयर, रिनोवेशन, एडीशन व आल्ट्रेशन का कार्य।	राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	2006-2007	रु. 76.70 लाख	रु. 75.83 लाख	रु. 64.69 लाख	कार्य पूर्ण
2	आवासीय क्वार्टरों का निर्माण व मरम्मत कार्य।	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	2006-2007	रु. 27.70 लाख	रु. 28.38 लाख	रु. 24.83 लाख	कार्य पूर्ण
3	जेएसवाई वार्ड निर्माण कार्य।	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	2009-2010	रु. 20.00 लाख	रु. 16.71 लाख	रु. 15.94 लाख	कार्य पूर्ण
4	स्टोन पट्टी छत को आर.सी.सी. में बदलने का कार्य।	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	2010-2011	रु. 6.39 लाख	रु. 6.13 लाख	रु. 5.89 लाख	कार्य पूर्ण

मुख्य अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज., जयपुर

प्रदेश में बिकने वाले पेय-पदार्थों की जांच

78. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक किस-किस जिले में कब-कब पेय पदार्थों के कितने-कितने सैम्पल लिये गये एवं उनमें से कितने नमूनों में मिलावट एवं कीड़े/फंगस आदि पाये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के बाजारों में बिक रही विभिन्न कम्पनियों की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में फंगस/कीड़े पाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों की बोतलों में एवं उक्त दोषी कम्पनियों/विक्रेताओं के विरुद्ध अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कम्पनियों की कोल्ड ड्रिंक्स को प्रदेश में प्रतिबंधित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 तक 389 नमूने पेय पदार्थों के लिये गये जिनमें से 120 नमूने सबस्टैण्डर्ड/मिसब्राण्डम/अनसैफ पाये गये तथा इनमें से 8 नमूनों में फंगस, बेक्टीरिया (स्टेफाइलोकोकाई), कीड़े, पालीथीन के टुकड़े, कचरा, आदि पाया गया। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर जिले में मैसर्स बी.एस. ट्रेडर्स व गुड़िया एसोसियेट की '7अप' एवं 'स्लाईस' मार्का कोल्ड ड्रिंक की बोतलों तथा मैसर्स महालक्ष्मी बोटलिंग से याहू मार्का कोल्ड ड्रिंक में प्रथम दृष्टया देखने पर फंगस व कीड़े पाये गये। इन ब्रांडों की निर्माता कम्पनी मैसर्स वरूण ब्रेवरेज है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, नियम और विनियम 2011 के अन्तर्गत इन ब्राण्डों के 8 नमूने लिये जाकर जांच हेतु प्रयोगशाला में जमा करवाये गये। सभी 8 नमूने अमानक स्तर के पाये गये जिनमें फंगस, बैक्टीरिया (स्टेफाइलोकोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई) कीड़े, पालीथीन के टुकडे, कचरा आदि पाया गया।

उक्त ब्राण्डों की 2,768 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें सीज की गईं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सम्बन्धित निर्माता फर्म मैसर्स वरुण बेवरेज को उक्त मार्का की कोल्ड ड्रिंक से मानव स्वास्थ्य को खतरा होने की संभावना को देखते हुए तुरन्त प्रभाव से बाजार से रिकाल करने हेतु नोटिस जारी किया गया। सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध अनुसंधान प्रक्रिया पूर्ण होने पर अविलम्ब सक्षम न्यायालय में चालान पेश कर दिया जायेगा।

(3) उक्त मामलों का अनुसंधान प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात् सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	जोन/जिले का नाम	जनवरी 2014 से 31.1.2015 तक कुल लिये गये सेम्पलों की संख्या	जनवरी 2014 से 20 फरवरी, 2015 तक कुल लिये गये सेम्पलों की संख्या (पेय पदार्थों के)	मिसब्राण्ड/ सबस्टैण्डर्ड/ अनसैफ पाये गये नमूनों की संख्या	कोल्ड ड्रिंक्स में फंगस/ कीड़े पाये गये नमूनों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	जोन अजमेर	117	8	4	0
2	अजमेर	241	16	9	0
3	भीलवाड़ा	178	3	3	0
4	टोंक	228	2	6	0
5	नागौर	172	21	9	0
6	जोन बीकानेर	93	1	0	0
7	बीकानेर	270	4	0	0
8	श्रीगंगानगर	122	1	1	0

1	2	3	4	5	6
9	चूरू (तारानगर)	226	15	2	0
10	हनुमानगढ़	173	11	8	0
11	जोन जयपुर	199	2	2	0
12	जयपुर-प्रथम	456	36	15	8
13	जयपुर-द्वितीय	114	6	1	0
14	दौसा	182	5	1	0
15	अलवर	617	10	1	0
16	सीकर	6	7	1	0
17	झुंझुनूं	9	4	2	0
18	जोन जोधपुर	8	3	0	0
19	जोधपुर	197	7	0	0
20	जैसलमेर	100	7	0	0
21	बाड़मेर	133	0	0	0
22	जालौर	140	12	3	0
23	पाली	56	2	0	0
24	सिरोही	11	0	0	0
25	जोन कोटा	96	4	3	0
26	कोटा	141	1	1	0
27	बूंदी	156	49	10	0
28	बारां	73	32	13	0
29	झालावाड़	113	7	5	0
30	जोन उदयपुर	131	10	0	0
31	उदयपुर	157	20	4	0

1	2	3	4	5	6
32	प्रतापगढ़	141	12	4	0
33	चितौड़गढ़	27	0	0	0
34	बांसवाड़ा	1	0	0	0
35	राजसमंद	89	2	1	0
36	डूंगरपुर	56	3	2	0
37	भरतपुर	349	23	1	0
38	धौलपुर	226	11	4	0
39	करौली	201	7	0	0
40	सवाई माधोपुर	185	4	3	0
41	केन्द्रीय दल, मुख्यालय	139	1	1	0
	Total	**6889**	**389**	**120**	**8**

संतोकबा दुर्लभजी चिकित्सालय, जयपुर के चिकित्सा बिलों का सरकारी कार्मिकों को पुनर्भरण

79. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संतोकबा दुर्लभजी चिकित्सालय, जयपुर के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किया जाता है? यदि नहीं, तो चिकित्सा पुनर्भरण कब से बंद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण करने की सुविधा को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय पूर्व में अनुमोदित चिकित्सालय की श्रेणी में शामिल था? यदि हां, तो अब इसे हटाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को पुन: अनुमोदित चिकित्सालय की श्रेणी में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश एफ. 6 (4) वित्त/नियम/2003 दिनांक 15.2.2010 द्वारा एम.ओ.यू. के आधार पर 3 वर्ष के लिए राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु संतोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल हास्पिटल, जयपुर को अनुमोदित किया गया था। उक्त1 चिकित्सालय द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं करने के कारण दिनांक 16.9.2013 को जारी राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में उल्लेखित अनुमोदित चिकित्सालय की सूची से नाम हटा दिया गया है।

(2) राज्य स्थित निजी चिकित्सालयों द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग में प्राप्त होने पर राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत गठित हैल्थ बेनेफिट एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय के आधार पर निजी चिकित्सालय को अनुमोदित चिकित्सालयों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। हैल्थ बेनेफिट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 5.9.2014 में संतोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल हास्पिटल, जयपुर से प्राप्त प्रस्तातव विचारार्थ रखा गया तथा कमेटी के निर्णय की अनुपालना में चिकित्सालय से यह अन्डरटेकिंग चाही गई कि वे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपचार, जांचें तथा इम्प्लान्टस की निर्धारित की गई अधिकतम दर से अधिक राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स से वसूल नहीं करेंगे। चिकित्सालय से उक्त अण्डरटेकिंग प्राप्त होने पर चिकित्सालय के अनुमोदन सम्बन्धी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश एफ. 6 (4) वित्त/नियम/2003 दिनांक 15.2.2010 द्वारा एम.ओ.यू. के आधार पर 3 वर्ष के लिए राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु संतोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल हास्पिटल, जयपुर को अनुमोदित किया गया था। उक्त चिकित्सालय द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं करने के कारण दिनांक 16.9.2013 को जारी राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में उल्लेखित अनुमोदित चिकित्सालय की सूची से नाम हटा दिया गया है।

(वित्त मंत्री)

(4) राज्य स्थित निजी चिकित्सालयों द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग में प्राप्त होने पर राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत गठित हैल्थ बेनेफिट एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय के आधार पर निजी चिकित्सालय को अनुमोदित चिकित्सालयों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। हैल्थ बेनेफिट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 5.9.2014 में संतोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया तथा कमेटी के निर्णय की अनुपालना में चिकित्सालय से यह अन्डरटेकिंग चाही गई कि वे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपचार, जांचें तथा इम्प्लांटस की निर्धारित की गई अधिकतम दर से अधिक राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स से वसूल नहीं करेंगे। चिकित्सालय से उक्त अन्डरटेकिंग प्राप्त होने पर चिकित्सालय के अनुमोदन सम्बन्धी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बहरोड़ के भवन-रहित पशु चिकित्सालय

80. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ पशु चिकित्सालय में प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय भवन रहित है? यदि हां, तो क्या सरकार पशु चिकित्सालयों हेतु भवन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) प्रदेश में पशुओं का बीमा करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? उक्त मानदण्डानुसार कितने पशुओं का बीमा कब-कब किया गया है? क्या सरकार सभी पशुओं का बीमा अनुदान के आधार पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिले में बीमार पशुओं के लिये गये नमूनों की जांच की सुविधा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उपलब्ध है।

पशु रोग निदान प्रयोगशाला आवश्यकता एवं वित्तीय उपलब्धता अनुसार खोली जाती है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में भवन रहित पशु चिकित्सा संस्था कोई नहीं है।

(3) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, नेशनल लाइवस्टाक मिशन अन्तर्गत रिस्क मैनेजमेन्ट के तहत पशुओं का बीमा करवाये जाने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं :-

- योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में दूध देने वाले पशु देशी/संकर गाय एवं भैंस, भार ढोने वाले पशु यथा घोडा, ऊंट, गधा, सांड, पाड़ा एवं अन्य पशु जैसे बकरी, भेड़ एवं सूअर, इत्यादि का बीमा किया जाना प्रावधित है।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक पशुपालक के अधिकतम पांच पशुओं (भेड़, बकरी एवं सूअर के अतिरिक्त) का अनुदानित प्रीमियम पर बीमा किया जाना प्रावधित है। एक कैटल यूनिट 10 पशुओं (भेड़, बकरी, सूअर) के बराबर माना गया है। इन पशुओं के लिए अधिकतम पांच कैटल यूनिट प्रति पशुपालक अनुदान देय होगा । यदि किसी पशुपालक के पास पॉच या एक कैटल यूनिट से कम जानवर हैं तो भी उसे एक कैटल यूनिट मानते हुए अनुदान देय होगा।
- पशुओं का बीमा बाजार दर पर किया जावेगा। पशु के मूल्य का निर्धारण पशुपालक, बीमा प्रतिनिधि एवं पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निश्चित किया जावेगा।
- योजनान्तर्गत प्रीमियम पर एपीएल श्रेणी के लिए अनुदान निम्नानुसार प्रावधित है :-

केन्द्रीय सहायता	- 25 प्रतिशत
राज्य सहायता	- 25 प्रतिशत
पशुपालक द्वारा देय राशि	- 50 प्रतिशत

(ए पी एल श्रेणी के लिए)

- बी पी एल, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुदान निम्नानुसार प्रावधित है :-

केन्द्रीय सहायता	- 40 प्रतिशत
राज्य सहायता	- 30 प्रतिशत
पशुपालक द्वारा देय राशि	- 30 प्रतिशत

(पशुपालन मंत्री)

योजनान्तर्गत राशि आबंटन हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन होने के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 में बीमा कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

केन्द्र सरकार से कार्य योजना अनुमोदन पश्चात योजना प्रारम्भ हो सकेगी।

योजनान्तर्गत प्रदेश के दूध देने वाले पशु, देशी/संकर गाय एवं भैंस, भार ढोने वाले पशु यथा घोड़ा, ऊंट, गधा, सांड, पाड़ा एवं अन्य पशु जैसे बकरी, भेड़ एवं सूअर, इत्यादि का बीमा किया जाना प्रावधित है।

प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कृषि विकास योजनाओं पर देय अनुदान

81. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित कौन-कौनसी कृषि विकास योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं तथा गत पांच वर्षों में किस-किस में कितनी-कितनी राशि केन्द्र से प्राप्त हुई?

(2) विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त की क्या प्रक्रिया एवं शर्तें है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में बागवानी, बांस एवं औषधि पादप मिशनों के अन्तर्गत कितने किसान लाभान्वित हुए व कितनी राशि का अनुदान प्राप्त हुआ तथा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त उपज की बिक्री की क्या व्यवस्था की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सूक्ष्म सिंचाई योजना में क्या-क्या गतिविधियां सम्मिलित हैं व गत पांच वर्ष में कितने किसानों को कितना अनुदान जारी किया गया?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदेश में संचालित हो रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं गत पांच वर्षों में भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में राज्य को केन्द्र से प्राप्ति राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विभिन्न योजनाओं के गतिविधिवार वर्ष 2014-15 के दिशा-निर्देश जिनमें अनुदान प्राप्त की प्रक्रिया एवं शर्तों का उल्लेख है, का विवरण परिशिष्ट -3 पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(3) गत पांच वर्षो में राष्ट्रीय बागवानी मिशन में लाभान्वित कृषकों की संख्या 1,38,713 एवं अनुदान राशि 2,3932.04 लाख रूपये, राष्ट्रीय बांस मिशन में लाभान्वित कृषकों की संख्या 5,248 एवं अनुदान राशि 93.66 लाख रुपये एवं राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों की संख्या 88 एवं अनुदान राशि 11.77 लाख रुपये है। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त उपज की बिक्री किसान द्वारा स्वयं के स्तर पर की जाती है।

(4) सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र, मिनि फव्वारा एवं फव्वारा सिंचाई संयंत्र गतिविधियां सम्मिलित हैं। पिछले पांच वर्षो में किसानों को दिये गये अनुदान एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीडूंगरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में मै. अरिहन्त केमिकल्स को आबंटित भू-खण्ड

82. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में मैसर्स अरिहंत केमिकल्स द्वारा श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री भंवर लाल दुग्गड़ को वर्ष 1990 में भू-खण्ड संख्या 28 आबंटित किया गया था? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर? क्या उक्त भू-खण्ड रीको द्वारा बिना भू-खण्डधारी को सूचित किये किसी अन्य को आबंटित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं किस नियम के तहत? पूर्व एवं पश्चात् के आबंटन पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्ड के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कोई निर्णय दिया गया है? यदि हां, तो कब व क्या? क्या सरकार द्वारा उक्त निर्णय की पालना कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त भू-खण्ड पूर्व के आबंटी को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में मैसर्स अरिहंत केमिकल्स द्वारा श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री भंवर लाल दुग्गड़ को औयोगिक भूखण्ड संख्या 28 क्षेत्रफल 1,000 वर्ग मीटर का आबंटन दिनांक 18.10.1989 को किया गया था।

(उद्योग मंत्री)

आबंटन की शर्तें आबंटन-पत्र दिनांक 18.10.1989 में अंकित हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। आवंटी द्वारा लीज डीड की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण बताओ नोटिस अन्तर्गत अनुच्छेद 2(डी) व 3 (अ) दिनांक 15.9.1990 को दिया गया था एवं तदोपरान्त भूखण्ड का आबंटन दिनांक 24.10.1990 को निरस्त किया गया था।

उक्त आबंटन का निरस्तीकरण आबंटन/लीजडीड की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण सक्षम प्राधिकारी अर्थात् क्षेत्रीय प्रबन्धक, चुरू द्वारा किया गया था जो कि जिला स्तरीय अधिकारी होने के कारण सक्षम था। उक्त भूखण्ड का आबंटन निरस्त करने के उपरान्त पुन: आबंटन 6.12.1990 को मैसर्स विश्वकर्मा पाइप्स के पक्ष में किया गया। आबंटन पत्र की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि पूर्व आबंटी श्रीमती शोभा देवी द्वारा आबंटन निरस्तीकरण के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष दायर एकल पीठ रिट याचिका संख्या 2816/91 में माननीय उच्च न्यायालय ने मैसर्स अरिहन्त कैमिकल के पक्ष में प्रश्नगत भूखण्ड का कब्जा दिये जाने का निर्णय पारित किया गया हो। माननीय उच्च न्यायालय ने याची के तथ्यों को साबित नहीं माना और यह निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कि कि याची को वैकल्पिक भूखण्ड प्राथमिकता के आधार पर वह आबंटित कर दिया जाए जिसके लिए उसके द्वारा आवेदन पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिया गया है बशर्ते आवेदित भूखण्ड खाली हो। माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-1-1992 की सत्यापित प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उक्त निर्णय को निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में विशेष अपील (रिट्स) के माध्यम से चुनौती दी गयी थी और माननीय खण्डपीठ द्वारा निगम की अपील संख्या 393/92 को स्वीकार करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13-4-2004 के माध्यम से माननीय एकल पीठ के निर्णय को खारिज करते हुए अपास्त घोषित किया है और याची की याचिका को सम्पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया। माननीय खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 13-4-2004 की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। भूखण्ड संख्या 28, औद्योगिक क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के पूर्व आबंटी को देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर के द्वारा इस प्रकरण में पूर्व आबंटी के विरुद्ध

(उद्योग मंत्री)

निर्णय दिनांक 13-4-2004 को दिया जा चुका है और उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है और पूर्व आबंटी का कोई हक प्रश्नगत भूखण्ड पर नहीं बनता है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

करौली जिले में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के उपाय

83. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला करौली में कितने उद्योग/लघु उद्योग संचालित हैं तथा इनमें से कितने व कौन-कौन से उद्योग प्रदूषण फैलाने वाली श्रेणी में आते हैं? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदूषण रोकने हेतु कोई कारगार उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला उद्योग केन्द्र, करौली कार्यालय स्थापना के पश्चात् वर्ष 2001 -02 से अब तक 2,457 उद्यम पंजीकृत/संचालित हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर द्वारा प्रदूषण की दृष्टि से करौली जिले में कुल 371 उद्योग चिन्हित किये गये हैं जिनमें से लाल श्रेणी के 39 उद्योग, नारंगी श्रेणी के 134 उद्योग एवं हरी श्रेणी के 198 उद्योग चिह्नित हैं। उक्त चिह्नित उद्योगों में से लाल श्रेणी के 33, नारंगी श्रेणी के 130 व हरी श्रेणी के 198 उद्योग संचालित हैं जबकि लाल श्रेणी के 6 व नारंगी श्रेणी के 4 उद्योग बन्द हैं। संचालित उद्योगों के नाम एवं पते, उत्पाद का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर तथा बंद उद्योगों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत उद्योगों को जारी की जाने वाले सशर्त स्थापना/संचालन सम्मति में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने एवं उद्योगों से निष्कासित जल व उत्सर्जित वायु में प्रदूषक पदार्थों की मात्रा केन्द्र सरकार द्वारा जारी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों की सीमा के भीतर रखने के लिए बाध्य करता है। सम्मति की शर्तों व निर्धारित मानकों की पालना न

(उद्योग मंत्री)

करने वाले दोषी उद्योगों के विरुद्ध उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

मावली के विभिन्न ग्रामों में चरागाहों/खेल मैदानों की भूमि पर अतिक्रमण

84. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली के विभिन्न ग्रामों में स्थित चरागाहों एवं विद्यालयों के खेल मैदानों पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने हेतु पत्र एवं ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय मावली में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो माह जनवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक कितने पत्र प्राप्त हुए? ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत पलाना कलां के चरागाहों एवं खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाने हेतु क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उपखण्ड अधिकारी, मावली से प्राव्त रिपोर्ट अनुसार विधान सभा क्षेत्र मावली के विभिन्न ग्रामों में स्थित चरागाहों एवं विद्यालयों के खेल मैदानों पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी कार्यालय मावली को प्राप्त हुये हैं। माह जनवरी 2014 से अब तक कार्यालय को प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	प्रार्थना पत्र संख्या
1	भीमल	1
2	महुडा	2
3	लदानी	2
4	मेड़ता	1
5	पलानाकला	3

(राजस्व राज्य मंत्री)

(2) जी हां। उपखण्ड अधिकारी, मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जिला कलक्टर उदयपुर को दिनांक 26 फरवरी, 2014 को ग्राम पंचायत पलानाकला के खेल मैदान पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में विधायक महोदय, मावली द्वारा पत्र प्रस्तुत हुआ जो उपखण्ड अधिकारी, मावली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ। तहसीलदार, मावली द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 15.7.2014 को बशामलात-प्रधानाध्यापक ग्रामवासियान, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के सहयोग से उक्त अतिक्रमण हटा दिया गया था।

आडागेला (चौमूं) में विरासत के नामान्तरण खोले जाने में अनियमितता

85. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में ग्राम आडागेला (टाकरड़ा), तहसील-चौमूं, जिला-जयपुर में विरासत के नामान्तरकरण खोले गये हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में गत पांच वर्षों में उपहार पत्र के आधार पर भी नामान्तरकरण खोले गये हैं? यदि हां, तो नामान्तरकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विरासत के नामान्तरकरणों को उपहार पत्र के आधार पर खोला जा सकता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विरासत के नामान्तरकरण खोले जाने में हुई अनियमितता की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि पांच वर्ष में ग्राम आडागेला (टाकरड़ा), तहसील चौमूं, जिला जयपुर में विरासत के नामान्तरकरण खोले गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विगत पांच वर्षों में उपहार पत्र के आधार पर एक नामान्तरकरण खोला गया है। खोले गये नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) विरासत के खोले गये नामान्तरकरणों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच करवाई जायेगी।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

गैर-खातेदारी कस्टोडियन भूमि की खातेदारी

86. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार संवत् 2029 से हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर-खातेदारी की कस्टोडियन भूमि की खातेदारी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार संवत् 2012 से अब तक मृत रहिन आराजी को खातेदारी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार निष्क्रांत कृषि भूमियों के आबंटियों को खातेदारी अधिकार देने हेतु राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमियों का स्थायी आबंटन) नियम,1963 बने हुए हैं। परन्तु ऐसी सम्पत्तियों पर सम्वत् 2012 से काबिज, वैध आबंटियों से भिन्न व्यक्तियों को राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2012 से 2019 तक पट्टेदार मोरूसी, गैर मोरूसी, रहन मूर्तहन के नाम से दर्ज थे तथा सम्वत् 2019 से 2029 के भू प्रबंध के दौरान गैर-खातेदार अंकित कर दिये गये तथा आज तक राजस्व रिकार्ड में तदनुसार दर्ज हैं, उन्हे नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर खातेदारी प्रदान करने का प्रावधान है।

सैटलमेंट विभाग द्वारा संवत् 2029 से दर्ज गैर-खातेदारी की कस्टोडियन भूमि की खातेदारी देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर मे स्पष्ट किया जा चुका है कि एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान पूर्व में ही निर्धारित किया हुआ है।

कोटा जिले में राजस्व ग्रामों के फटे नक्शों को पुनः बनाने की योजना

87. **श्री हीरालाल नागर** (सांगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के कितने राजस्व ग्रामों के नक्शे फटे हुए हैं? क्या सरकार फटे हुए नक्शों को पुनः बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांगोद के कई ग्रामों के राजस्व नक्शे या तो पटवारी के पास उपलब्ध नहीं हैं या बिलकुल फटे हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों के नक्शों को पुन: तैयार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले के 303 राजस्व ग्रामों के नक्शे फटे होने के कारण तैयार करवाये जाने हैं, जिनका तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। जिन गावों के नक्शे कटे-फटे हैं, उनके नक्शे पुन: तैयार किये जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.9.2014 द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जा चुका है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांगोद, जिसमें तहसील दीगोद, सांगोद व कनवास का क्षेत्र सम्मिलित है, के 230 ग्रामों के राजस्व नक्शे फटे हुए हैं, जिनकी ग्रामवार सूची विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जिन गावों के नक्शे कटे-फटे हैं, उनके नक्शे पुन: तैयार किये जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.09.2014 द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जा चुका है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बस्सी में भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

88. **श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में किस-किस प्रकार के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में चल रहे हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां किराये या अन्य संस्थानों के भवनों में संचालित हैं? क्या सरकार ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए राजकीय भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में परियोजना बस्सी में 287 तथा परियोजना चाकसू में 26 केन्द्र, 313 आंगनबाडी केन्द्र संचालित हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक सहायिका, एक आशा सहयोगिनी तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय सेवा का पद स्वीकृत है। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(3) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्री खोलने के लिए उप निदेशक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव परीक्षण उपरान्त निदेशालय को भिजवाये जाते हैं, जिन्हें खोलने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा के लिए भिजवाये जाते है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही खोले जाते है।

(4) जी नहीं। बस्सी क्षेत्र के 313 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 63 विभागीय भवन में, 131 सरकारी स्कूलों में एवं 13 अन्य राजकीय भवनों में कुल 207 राजकीय भवनों में संचालित किये जा रहे हैं; शेष 106 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। जिसकी सूचना परिशिष्ट 'अ' में समाहित है। वर्तमान में 22 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माणाधीन हैं जिसकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

जी हां। इस हेतु शेष रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि एवं पट्टे प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि उपलब्धता एवं पट्टे प्राप्त होने पर तथा भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पाली जिले में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लम्बित प्रस्ताव

89. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की किस-किस तहसील में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु जिला कार्यालय द्वारा जयपुर मुख्यालय में कब-कब प्रस्ताव भिजवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावों में से कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृत कर कब-कब आंगनबाड़ी केन्द्र शुरू कर दिये गये एवं कौन-कौन से प्रस्ताव किन-किन कारणों से अस्वीकृत किये गये एवं कौन-कौन से स्थान के प्रस्ताव किन-किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिला कार्यालय से जयपुर मुख्यालय को अलग-अलग दिनांक पर भिजवाये गये प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उप निदेशक पाली से प्राप्त समस्त प्रस्तावों को निदेशालय द्वारा अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। भारत सरकार को भिजवाये गये पत्र की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। भारत सरकार से प्रस्ताव अनुमोदन उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना सम्भव होगा।

(3) पाली जिले के प्राप्त समस्त प्रस्तावों को भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवा दिया गया है। भारत सरकार से प्रस्ताव अनुमोदन उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना सम्भव होगा।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

जालौर जिले में पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

90. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में किस-किस स्तर के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कितने एवं इनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति अथवा नव-नियुक्ति से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के अधीनस्थ संवर्गवार स्वीकृत, रिक्त एवं रिक्तियों की तिथि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिले में पर्यवेक्षक के कुल 56 पद स्वीकृत हैं। रिक्तियों की संख्या व अवधि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। नियमों के अनुसार पर्यवेक्षक के पद 75 प्रतिशत सीधी भर्ती व 25 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से विशेष चयन के द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। पर्यवेक्षकों के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ कर राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड, जयपुर को अभ्यर्थना प्रेषित कर दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में से विशेष चयन द्वारा कोटे के रिक्त पदों के उपलब्ध होने पर चयन प्रक्रिया की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 27 फरवरी 2015)

जैसलमेर जिले में यूरिया की रेल वैगन द्वारा आपूर्ति

55. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रति वर्ष यूरिया की कमी की पूर्ति हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर जिले में नहरी क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में लाखों टन कृषि उपज का उत्पादन होने के बावजूद आज तक यूरिया की रेल वैगन से सप्लाई नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार रेल वैगन से यूरिया सप्लाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यूरिया भारत सरकार द्वारा नियंत्रित वस्तुओं की सूची में सूचीबद्ध है। भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष राज्य को यूरिया का आबंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर यूरिया की अधिकतम मांग की अवधि में कृषकों को मांग-अनुसार समय पर यूरिया उपलब्ध कराने हेतु यूरिया की कम मांग वाली अवधि के माहों में राजफैड के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में यूरिया का अग्रिम भण्डारण कराया जाता है। वर्ष 2014-15 में माह दिसम्बर, 2014 तक राजफैड के माध्यम से 1.53 लाख मै. टन का अग्रिम भण्डारण कराया गया है। वर्ष 2014-15 की शेष अवधि में भारत सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में यूरिया का आबंटन किये जाने की स्थिति में 1.75 लाख मै.टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण राजफैड के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही जारी है।

(2) वर्तमान में जैसलमेर जिले में भारत सरकार द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति हेतु रेल रैक पाइंट स्वीकृत नहीं किया गया है। जोधपुर, बाड़मेर व लालगढ़ (बीकानेर) रेल रैक पाइंट से प्राप्त यूरिया की सड़क मार्ग से जिले में आपूर्ति कराई जा रही है। विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में उर्वरकों की समय पर मांग-अनुसार आपूर्ति हेतु जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर रेल रैक पाइंट स्वीकृत करने हेतु उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र द्वारा एवं विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में आग्रह किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-47 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

Swine Flu Deaths 1.7.2014 to 5.2.2015

S. No.	District	Death
1	**2**	**3**
1	Ajmer	18
2	Bhilwara	1
3	Tonk	4
4	Nagaur	8
5	Bharatpur	0
6	Karauli	0
7	S. Madhopur	1
8	Dholpur	0
9	Bikaner	3
10	Churu	0
11	S. ganganagar	0
12	Hanumangarh	0
13	Jaipur	17
14	Alwar	1
15	Dausa	2
16	Sikar	2
17	Jhunjhunu	1
18	Jodhpur	3

1	2	3
19	Pali	1
20	Sirohi	0
21	Jalore	0
22	Jaisalmer	0
23	Barmer	4
24	Kota	5
25	Baran	0
26	Jhalawar	0
27	Bundi	3
28	Udaipur	3
29	Banswara	5
30	Chittorgarh	3
31	Dungarpur	1
32	Pratapgarh	0
33	Rajsamand	0
	Out of State	**1**
	Add. Not Mention	**0**
	Sub Total	**87**

Add. Director (RH)
Medical & Health Services,
Rajasthan Jaipur

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-48 की प्रति)

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :-प.6(22)कृषि/ग्रुप-2/96   जयपुर, दिनांक 20 Mar 2012

निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :—नयी कृषि उपज मण्डी समिति के गठन हेतु वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित किये जाने बाबत।

संदर्भ :—आपका पत्र क्रमांक पं. 1(84) निकृवि/नियमन/श्रीमाधोपुर/12/53357 दिनांक 13.3.2012

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.2.1999 के द्वारा नयी कृषि उपज मण्डी समिति के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड 20 लाख रुपये वार्षिक आय को आधोलंघित करते हुए 40 लाख रुपये प्रति वर्ष वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं।

भवदीय,
ह./-
उप शासन सचिव